



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022023-243558
CG-DL-E-13022023-243558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]
No. 74]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2023/माघ 21, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2023/MAGHA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 91(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12,-
(क) के उपनियम (1) में, आरंभिक भाग में "2022" अंकों के स्थान पर, "2023" अंक रखे जाएंगे;
(ख) के उपनियम (5) में, "2021" अंकों के स्थान पर, "2022" अंक रखे जाएंगे।
- मूल नियमों के परिशिष्ट-2 में, प्ररूप आ.क.वि.-1 सहज, आ.क.वि.-2, आ.क.वि.-3 आ.क.वि.-4 सुगम, आ.क.वि.-5, आ.क.वि.-6, आ.क.वि.-V और भारतीय आयकर विवरणी-पावती के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

आ.क.वि.- 1 सहज

भारतीय आयकर विवरणी

[किसी व्यक्ति निवासी के लिए (जो कि सामान्यतः निवासी के अतिरिक्त नहीं हो) जिसकी कुल आय 50 लाख रु. तक हो, वेतन से आय हो, एक आवासीय संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज आदि) तथा कृषि आय 5000 रु. तक हो]

[किसी व्यक्ति के लिए नहीं जो या कंपनी में निदेशक हो और धारा 194 ब के अधीन टी.डी.एस काटा गया हो या असूचीबद्ध इन्फ्रिटी शेयर्स में निवेश किया हो, यदि इएसओपी में आयकर भिन्न है।]

(पात्रता के लिए अनुदेश देखें)

निर्धारण वर्ष

2	0	2	3	-	2	4
---	---	---	---	---	---	---

भाग क - साधारण जानकारी

(क1) स्थायी लेखा संख्या	(क2) प्रथम नाम	(क4) जन्म की तारीख	(क5) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आई.डी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)
	(क3) अंतिम नाम	दि दि मा मा व व व व	
(क6) मोबाइल नं०	(क7) ई-मेलपता	पता: (क8) फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं. (क9) परिसर / भवन / ग्राममार्ग (क10) गली / डाकघर क्षेत्र/ अवस्थान (क11) नगर/ शहर/ जिला (क12) राज्य (क13) देश (क14) पिनकोड	
(क15) धारा के अधीन फाइल (चिह्न लगाएं) / कृपया अनुदेश देखें	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या इससे पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब को माफ करने के पश्चात्	(क17) रोजगार की प्रकृति- <input type="checkbox"/> केंद्रीय सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- सी.जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- एस.जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-सा.क्षे.उ. <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- अन्य <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (पारिवारिक पेंशन आदि)	
(क16) या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153ग		
(क18) यदि पुनरीक्षित / त्रुटियुक्त हो तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन / मास / वर्ष)			
(क19) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/ 153ग या धारा 119(2)(ख) के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है — यूनिट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डी.आई.एन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।			
(क20) क्या आप धारा 115 ख क ग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
(क21) क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]			
क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है	(यदि हां है तो) रकम (रु)		
क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)		
क्या आपको धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के खंड (iv) के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार रिटर्न करना अनिवार्य है? (यदि हां तो कृपया नीचे दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		

भाग ख- सकल कुल आय

केवल संपूर्ण रुपए (₹) में

ख1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग + iघ + iङ)	i
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	iख
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iघ
	ङ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ
	ii	धारा 10के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई.फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) [सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]	ii
	iiक	धारा 89क के तहत करायान से राहत के लिए आय का दावा	iiक
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii - iiक)	iii
	iv	धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)	iv
		क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग
	V	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (iii - iv)	ख1
ख2		लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> स्व:अधिभोग <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई	
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराए का मूल्य	i
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत कर	ii
	iii	वार्षिक मूल्य (i + ii)	iii
	iv	वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत	iv
	V	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	v

vi	बकाया/वर्ष के दौरान प्राप्त वसूला न गया किराया घटा 30%	vi	
vii	गृह संपत्ति'शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv - v) + vi	ख ₂	
ख ₃	अन्य स्रोतों से आय (झापडाउन जैसे बचत खाते, जमा आदि से ब्याज ई-फाइलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभांश आय और धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेय तिमाही विवरण प्रस्तुत करें)		
	घटा: धारा 57(ii) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)		
	घटा: धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा		
ख ₄	सकल कुल आय (ख ₁ + ख ₂ + ख ₃)(यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें) नोट: क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन का लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 2 का प्रयोग करें		

भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती की सीमा के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें)

80ग	80गग	80गगघ(1)	80गगघ(1ख)	80गगघ(2)	80घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	80घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	80ड	80डड
80 डडक	80डडख	80छ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	80छख	80छखक (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरिभरे जाएं)	80छखग	80ननक	80ननख	80प (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यॉरि भरे जाएं)	

कुल कटौतियां	ग ₁	कुलआय(ख ₄ -ग ₁)	ग ₂
रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय	छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में झापडाउन का उपबंध करें		

भाग घ - संदेय कर की संगणना

घ ₁	कुल आय पर संदेय कर	घ ₂	धारा 87क के अधीन छूट	घ ₃	रिबेट के पश्चात् कर
घ ₄	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर घ ₃ पर @ 4% उपकर	घ ₅	कुल कर और उपकर	घ ₆	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया छूट के लिए फार्म 10ड को भरना सुनिश्चित करें।)
घ ₇	धारा 234क के अधीन ब्याज	घ ₈	धारा 234ख के अधीन ब्याज	घ ₉	धारा 234ग के अधीन
घ ₁₀	धारा 234च के अधीन फीस	घ ₁₁	कुल कर, फीस और ब्याज(घ ₅ + घ ₇ + घ ₈ + घ ₉ + घ ₁₀ - घ ₆)	घ ₁₂	प्रतिदाय(घ ₁₂ - घ ₁₁)(यदि घ ₁₂ > घ ₁₁)
घ ₁₂	कुल संदेय कर	घ ₁₃	कुल संदेय(घ ₁₁ - घ ₁₂)(यदि घ ₁₁ > घ ₁₂)	घ ₁₄	

भाग ड-अन्य जानकारी- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण

(अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं)

क्रम सं	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन
I				

- प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए।
- प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुबिध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।

अनुसूची-आयकर आय- करके अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

	बीएसआरकोड				निकषे की तारीख(तारीख/मास/वर्ष)				चालान सं.				संदत कर			
	(स्तंभ i)				(स्तंभ ii)				(स्तंभ iii)				(स्तंभ iv)			
आर 1																
आर 2																

अनुसूची -स्रोत पर कर कटौती/ स्रोत पर संगृहित कर के स्रोत पर कर कटौती ब्यौरे [कटौतीकर्ता/नियोजक/संदाता/संग्रहकर्ता द्वारा जारी 16/16क/16ग/27घ]

	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता का टेन या किराएदार का पेन/आधार सं.	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता / किराएदार का नाम	समय संदाय / रसीद, जो कर कटौती / संग्रहण के अधीन है	कर कटौती/ संग्रहण का वर्ष	कटौती किया गया/ संग्रह किया गया कर	(5) में से वर्ष के दौरान दावा किया गया टीडीएस/ टीसीएस
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)
टी ₁						
टी ₂						

सत्यापन

स्टॉप रसीद सं. प्रासिकर्ता पदधारी की मुद्रा, तारीख और हस्ताक्षर

मैं,पुत्र / पुत्री.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए झापडाउन का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है (कृपया अनुदेश देखें)।

तारीख:हस्ताक्षर:

यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो और ब्यौरे नीचे दें :

टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		

प्ररूप आ.क.वि-2

भारतीय आयकर विवरणी
[व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है]
[नियम 12 देखिए]
(कृपया अनुदेश देखे)

निर्धारण वर्ष

2	0	2	3	-	2	4
---	---	---	---	---	---	---

भाग क- साधारण साधारण

(क1) प्रथम नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अंतिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं. (पैन)
(क6) प्लेट / द्वार / ब्लाक सं०	(क7) परिसर / भवन / गांव का नाम	(क5) प्रास्थिति (सही का निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> व्य-टि <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुंब
(क8) मार्ग / गली / डाकघर	(क14) जन्म तिथि / गठन / (तिथि / मास / वर्ष)		
(क9) क्षेत्र / अवस्थान	(क15) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)		
(क10) नगर / शहर / जिला	(क11) राज्य	(क13) पिन कोड / ज़िप कोड	
	(क12) देश		
(क16) निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं०/ मोबाइल नं. 1	(क17) मोबाइल नं० 2		
(क18) ई मेल पता -1 (स्वयं का)	(क19) ई मेल पता -2		

(क20) धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाए) [कृपया अनुदेश देखिए]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92 गघ-उपांतरित विवरण
या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	<input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात्
(क2) क्या आप धारा 115 खकग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अभी विकल्प चुन रहे हैं <input type="checkbox"/> विकल्प नहीं चुन रहे <input type="checkbox"/> विकल्प जारी <input type="checkbox"/> विकल्प से बाहर
(ख) क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]
(खi) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
(खii) क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
(खiii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
(खiv) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्धारित शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/ नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिह्न) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

(ग) यदि पुनरीक्षित / त्रुटि युक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि / मास / वर्ष)	/ /
(घ) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153 ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19 गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरे।	(यूनिक नंबर) / /
(ङ) भारत में निवासीय प्रास्थिति (व्यष्टिक के लिए) (लागू विकल्प का अ. निवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है]

	चयन करे)		<input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जो रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाज कर्मदल के सदस्य के रूप में भारत के बाहर गए तथा पूर्ववर्ती वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे या उससे अधिक; या ख) 120 दिन या इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों में 365 दिनों या इससे अधिक के लिए , यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रु. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के स्पष्टीकरण 1(ख)]				
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	<input type="checkbox"/> आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रु. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है [धारा 6(6)(ग)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रु. के अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं है। आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण [धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित				
		इ. अनिवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (ii) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करे -				
			क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)		
			1				
			2				
			(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करे -				
			पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)		पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)		
	भारत में निवासीय प्रास्थिति(हिंदु अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करे)	ई. <input type="checkbox"/> निवासी	<input type="checkbox"/> निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं		<input type="checkbox"/> अनिवासी		
(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते हैं (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					
(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं ? (सही का निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां", कृपया अनुसूची 5क भरें)						
(ज)	क्या आप एफ.आई.आई/एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी पंजीकरण प्रदान करें						
(झ)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? (✓) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -						
	(1)	प्रतिनिधि का नाम					
	(2)	प्रतिनिधि की क्षमता (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					
	(3)	प्रतिनिधि का पता					
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार					
(ञ)	क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -						
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	क्या उसक शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)		
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)					
()	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेयर थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे						
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अधिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित शेयर	वर्ष के दौरान अंतरित शेयर	
						अंतिम अधिशेष	

	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)		शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत
1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरण प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची वेतन

वेतन से आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (टिक) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)		नियोजक का ट्रेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
नियोजक का पता		नगर / शहर		राज्य	
				पिन कोड / ज़िप कोड	
1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				1	
अनुसूची	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग		
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1घ		
	ङ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ		
	च	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के तहत गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया।	1च		
(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़ें)					
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)			2	
2क	धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा			2क	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)			3	
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)			4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)			5	
	क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)			6	

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)				
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या.		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
I					
II					

[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो	I			
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में	II			
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया				
क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य			1क
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
घ	योग (1ख + 1ग)	1घ		
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)			1ङ
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)			1च
छ	1च का 30%	1छ		
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज		
झ	योग (1छ + 2ज)			1झ
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया			1ञ
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)			1ट
2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)				
सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता
I				
II				
[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो	I			
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में	II			
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया				
क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)			2क
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ		
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)			2ङ
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)			2च
छ	1च का 30%	2छ		
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
झ	योग (2छ + 2ज)			2झ
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया			2ञ
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)			2ट
3	आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *			3

4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)	4
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।	
टिप्पण	किराएदार का पैना/आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है	

अनुसूची -गछ पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपूअ) (उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)								
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)								
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का					
		ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii					
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य [यदि (काii), (का) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (का) लेंगे अन्यथा (काii) लेंगे।	काiii					
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा					
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii					
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii					
		iv	कुल (खा + खाii + खाiii)	खाiv					
	ग	अतिशेष (काiii - खाiv)						1ग	
	घ	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						1घ	
	ङ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)						अ1	
	च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
		क्रं. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैना/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य
	टिप्पण	पैना/आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झ के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।							
2	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एस टी टी संदत्त किया गया है								
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य						2क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत					खा	
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत					खाii	
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय					खाiii	
		iv	कुल (i + ii + iii)					खाiv	
	ग	अतिशेष (2क - खाiv)						2ग	
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)						2घ	
	ङ	साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एस टी टी) (2ग+2घ)						अ2	
3	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)								
	क	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है						अ3क	
	ख	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है						अ3ख	

4		अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न हैं) के विक्रय से		
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	iii	कुल (ग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii	
	iv	कुल (i + ii + iii)	खाiv	
	ग	अतिशेष (4क iii - खाiv)	2ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक			2घ
ङ	च2 (जो अ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग + 4घ)			अ4ङ
5		उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	iii	कुल (ग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii	
	iv	कुल (i + ii + iii)	खाiv	
	ग	अतिशेष (5क iii - खाiv)	5ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति / यूनिट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न			5घ
ङ	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अपूअ (5ग + 5घ)			अ5ङ

6	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं									
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि			
	ii	2020-21	54ख							
	ख क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कx + ख)								क6	
7	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (क7क+क7ख+क7ग)								अ 7	
	क	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क7क			
	ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क7ख			
	ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क7ग			
8	क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है									
	क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	I									
	II									
	क	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि जो कर प्रभार्य नहीं है							क8क	
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि विशेष दरों पर कर प्रभार्य है							क8ख	
9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभार्य (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7 - क8क)								क 9	
आ दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)										
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)								
		संनिर्माण की तारीख दिन/मास/वर्ष			बिक्री/हस्तांतरण की तारीख			दिन/मास/वर्ष		
		क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य				का		
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii		
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (काi) या अन्यथा (काii) लेंगे।				काiii		
		ख धारा 48 के अधीन कटौती								
			i	अधिग्रहण की लागत				खा		
			iiक	सूचीकरण के साथ अधिग्रहण की लागत				खाक		
			iiख	सूचीकरण के साथ संशोधन की लागत				खाख		
			(क)	संशोधन की लागत						
		(ख)	संशोधन वर्ष							
		(ग)	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत							
		पंक्ति जोड़े								
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय						खाiii		

	iv	कुल (खाक + खाख + खांiii)	खiv						
ग	अतिशेष (कांiii - खiv)		1ग						
घ	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख के अधीन कटौती (नीचे मद		1घ						
ड	स्थायर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)			आ1ड					
च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)								
	क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य	
टिप्पण	▶ पैन/आधार सं. का दिया जाना आज़ापक है यदि धारा194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।								
2	बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से								
क	प्रतिफल का कुल मूल्य			2क					
ख	धारा 48 के अधीन कटौती								
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत		खा					
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत		खाii					
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय		खाiii					
	iv	कुल (खा + खाii + खाiii)		खiv					
ग	अतिशेष (2क - खiv)			2ग					
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			2घ					
ड	बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)							आ2ड	
3	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से								
क	प्रतिफल का कुल मूल्य			3क					
ख	धारा 48 के अधीन कटौती								
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत		खा					
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत		खाii					
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय		खाiii					
	iv	कुल (खा + खाii + खाiii)		खiv					
ग	धारा 54डग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट			3ग					
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			3घ					
ड	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ							आ3ड	
4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से								
क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14)			4क					
ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			4ख					
ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4क - 4ख)							ख4	
5	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)								
क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपूंअ			5क					
ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			5ख					
ग	शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)							आ5ग	
6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।)								
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।							
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			ik				

		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख		
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग		
	ii		कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
	iii		कुल (iग + ii)	क iii		
	ख धारा 48 के अधीन कटौती					
	i		सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खाi		
	ii		सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii		
	iii		अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii		
	iv		कुल (खा + खाii + खाiii)	खाiv		
	ग		अतिशेष (6क iii - खाiv)	6ग		
	घ		धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	6घ		
	ङ		अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (6ग - 6घ)		आ	
7	अनिवासियों के लिए- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से					
	क		धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)(iii)]	7क		
	ख		धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	7ख		
	ग		उपर्युक्त आ 7 पर पूँजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ (7क - 7ख)		ख7ग	
8	अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दें)					
	क		विनिदिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूअ	8क		
	ख		धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	8ख		
	ग		विनिदिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8क - 8ख)		आ 8ङ	
	घ		विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूअ (सूचीबद्ध के बिना संगणित)	8घ		
	ङ		धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	8ङ		
	च		विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8घ - 8ङ)		आ 8च	
9	जहां उपर्युक्त आ1 से आ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से					
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक		
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख		
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग		
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	काii		
		iii	कुल (iग + ii)	काiii		
	ख धारा 48 के अधीन कटौती					
	i		सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खाi		
	ii		सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii		
	iii		अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii		
	iv		कुल (खा + खाii + खाiii)	खाiv		
	ग		अतिशेष (9काiii - खाiv)	9ग		
	घ		धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	9घ		

ड उपर्युक्त आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)								आ 9ड
10 दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
क क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं हाँ; नहीं; लागू नहीं। (यदि हां, तब नीचे ब्यौरा प्रदान करें)								
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची			
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि				
i	2019-20	54/54च/54छ						
ii	2020-21	54ख						
ख क से भिन्न, दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (का+काii+ख)								ख 10
11 दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख11क1+ख11क2 +								ख 11
क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11क1		
क2	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11क2		
ख	20 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11ख		
12 एलटीसीजी की राशि ख1-ख2 में शामिल की गई परन्तु कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं								
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/ नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
I								
II								
13 आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य कुल दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ								ख13
इ1 पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की पूंजीगत लाभ राशि (का19 + ख13 (यदि हानि तो ख13 को शून्य लिखें)								इ1
इ2 आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)								इ2
इ3 "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय (ग1 + ग2)								इ3
ई पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना								
1 धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख / 115च के अधीन निम्नलिखित ब्यौरा दीजिएं								
क धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती								
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख			क i	दिन / मास / वर्ष		
	ii	नए आवासीय घर की लागत			क ii			
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख			क iii	दिन / मास / वर्ष		
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम			क iv			
	v	दावा की गई कटौती की रकम			क v			
ख धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती								
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख			ख i	दिन / मास / वर्ष		
	ii	नई कृषि भूमि की लागत			ख ii			

vi	दीर्घकालिक	10%	(आ3ड + आ4ग+ आ6ड + आ7ग+ आ8ग + आ11क1 + आ11क2)							
vii	पूँजी अभिलाभ	20%	(आ1ड+ आ2ड+ आ5ग+ आ8घ+ आ9ड+ आ10 + आ11ख)							
viii		डीटीए ए दरें	आ12ख							
ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - ix)									

ऊ प्रोद्भवन की जानकारी / पूँजी अभिलाभ की रसीद

	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
1	15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें					
2	30%की दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें					
3	लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें					
4	डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक पूँजीगत अभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3vi से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।					
5	10%की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें					
6	20% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें					
7	डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3ix से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।					
8	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूँजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 16 से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें

अनुसूची वीडिए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूंजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
कुल (स्तंभ 7की समस्त सकारात्मक आय की राशि ((अनुसूची सी.जी का मद सं.ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
	क लाभांश, सकल (क i + क ii)	1क	
	i लाभांश आय धारा 2(22)(ड़) के तहत	क i	
	ii (i) के अतिरिक्त लाभांश आय	क ii	
	ख ब्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
	i बचत बैंक से नीचे	खाi	
	ii निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	खाii	
	iii आयकर प्रतिदाय से	खाiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खाiv	
	v धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खv	
	vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
	vii धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
	viii धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
	ix अन्य	खix	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
	घ अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर)स्रोत का उल्लेख करें (घा + घाii + घाiii + घाiv + घाv)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घाi	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv	

v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
ड	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		1ड	
क्रं. सं.	प्रकृति	राशि		
1	पारिवारिक पेंशन			
2	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय			
3	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय			
4	धारा 89क के तहत गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय पर अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया			
यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड एस1 से संबंधित तत्व)		2	
क	लाटरी, क्रास वर्ड, पहली आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य		2क	
ख	धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (खां + खांii + खांiii + खांव + खv + खvi)		2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खां		
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खांii		
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खांiii		
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खांiv		
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष		2ग	
	क्रं. सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (घ i से घxix का योग)		2घ	
i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i) के अधीन प्रभार्य	घ i		
ii	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii		
iii	अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	घ iii		
iv	धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1)(क)(iii)क) @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv		
v	धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115क(1)(क)(iii)कख) के अधीन प्रभार्य	घ v		
vi	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115क(1)(क)(iii)कग) के अधीन प्रभार्य	घ vi		
vii	धारा 115क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घ vii		
viii	सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस से आय धारा 115क(1)(ख)(क) एवं 115ख(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घ viii		
ix	धारा 115कग के तहत प्रभार्य- अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड पर ब्याज से आय	घ ix		

X	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जी.डी.आर पर लाभांश के रूप में आय	घ x									
xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर से लाभांश के रूप में आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घ xi									
xii	प्रतिभूतियों (लाभांश के अतिरिक्त) (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय - धारा 115कख(1)(i)	घ xii									
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय - धारा 115कघ(1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घ xiii									
xiv	धारा 115खखक के तहत प्रभार्य- अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघ द्वारा प्राप्त आय	घ xiv									
Xv	कतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घ xv									
xvi	धारा 115क(1)(अ)(i)(कक) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घ xvi									
xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	घ xvii									
xviii	कार्बन जमा के अंतरण के रूप में - आय धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घ xviii									
xix	अनिवासी भारतीय की निवेश आय - धारा 115ड. के अधीन प्रभार्य	घ xix									
ड	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (झपडाउन उपबंधित करें)								2ड		
च	उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)								2च		
	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1 का, 1ख से 2 में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनक क की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 10 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)										
	का	व्यय/कटौतियां (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)					3का				
	काii	धारा 57(i) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (यदि आय 1(क) में प्रस्तुत केवल तभी उपलब्ध)					3काii				
	काii क	धारा 57(1) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि					3काiiक				
	काiii	धारा 57(ii)क के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)					3काiii				
	ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)					3ख				
	ग	योग					3ग				
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम								4		
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ								5		
5क	धारा 89 क के तहत कराधान से राहत हेतु आय का दावा								5क		
6	[1 (डीटीए से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3i का अंक लें)								6		
7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)								7		
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय										

क	प्राप्तियां	8क						8ड
ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन	8ख						
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग						
घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ						
ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करे)							
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)							9
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोद्भवन या प्राप्तियों के बारे में सूचना							
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टबाजी से जीत पर आय						
	2	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
	3	धारा 115क(1)(क)(i)के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
	4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
	5	धारा 115कगक (1)(क) के तहत 10% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
	6	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	7	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						
	8	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के तहत राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)						
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें ।							

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि को छोड़ना	सामान्य लागू दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4=1-2-3
i	हानि छोड़ना → (इस पंक्ति को भरे यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
iii	गृह संपत्ति	(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)			
iv	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)			

v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)			
vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)			
vii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)			
viii	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)			
ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)			
x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9viii)			
xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			
xii	रेस के छोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 88)			
xiii	कुल अग्रनीत हानि छोड़ना (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)				
xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xi)				

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन

पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालु वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(ख यदि गृह संपत्ति हानि है)	
iii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vii	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	

X	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
XI	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)	
Xii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

अनुसूची- अग्रनीत हानि

आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
i	2015-16					
ii	2016-17					
iii	2017-18					
iv	2018-19					
v	2019-20					
vi	2020-21					
vii	2021-22					
viii	2022-23					
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
x	अनुसूची अग्रनीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xi)
xi	2023-24 (चालू वर्ष की हानियां)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2भाi)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2भा+3भा+4भा+5भा)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6भा+7भा+8भा)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि -ve)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत कुल हानि					

नुकसान को आगे जाना

अनुसूची- VI क

अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां

1	भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटौती			
क	80ग		ख	80गगग
ग	80 गगघ (1)		घ	80 गगघ (1ख)
ङ	80 गगघ(2)		च	80घ
छ	80घघ		ज	80घघख
झ	80ङ		ञ	80ङङ
ट	80ङङक		ठ	80ङङख
ड	80छ		ढ	80छछ
ण	80छछक		त	80छछग
2	भाग ग- कतिपय आयों की बाबत कटौती			
थ	80थथख		द	80ददख

कुल कटौतियां

ध	80ननक		न	80ननख		
प	80प					
3	अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कल कटौतियां (क से प का योग)					3

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

ब्यौरे

ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
		i					
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					

ड कुल दान (का ⁱⁱⁱ + खा ⁱⁱⁱ + गा ⁱⁱⁱ + घ ⁱⁱⁱ)							
---	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची 80 छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे

क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (झाप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर

धारा 115अग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय	1
	2	धारा 115अ(2) के अनुसार समायोजन	
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की	2क
	3	धारा 115अग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2क)	3
4	धारा 115अग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5% (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)	4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा

धारा 115अघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2023-24 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115अग के अधीन कर	1				
2	निर्धारण वर्ष 2023-24 (भाग-ख-कुल कर आय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2				
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]	3				
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
I	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
Vi	2018-19					
Vii	2019-20					
Viii	2020-21					
ix	2021-22					
x	2022-23					

	xi	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
	xii	योग					
5		वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट				5	
6		पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट				6	

अनुसूची-विनिदिष्ट व्यक्ति की आय विनिदिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारित की आय में सम्मिलित करने योग्य है

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संबंध	रकम (रु.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1					
2					
3					

अनुसूची-विशेष आय विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]

क्रम सं.	सेक्सन	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2गांiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गांiv)
2	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iii)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iv)	
4	112परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों / जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
7	115कगक (विनिदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
8	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
9	115ड (विनिदिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
10	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii)	
11	112क या धारा 115कघ(1)(iii)- परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एस.टी.सी.जी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एल.टी.सी.जी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3ix का भाग)	
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क का भाग)	
15	115खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची सी.जी का 2ग)	
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	

18	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)
19	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई -फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)
20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2च का भाग)
21	15% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iv का भाग)
22	30% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3v का भाग)
23	धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii का भाग)
24	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii का भाग)
25	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viii का भाग)
26	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)
			कुल	

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)

प्राप्त	1	ब्याज से आय					1	
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)			i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय			ii		
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि			iii		
		iv	वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (2		
		v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)					
		क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है					
		ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप					
		ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)					
		घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)					
	3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)					3	
	4	डीटीए के अनुसार कर पर अप्रभार्य आय						
		क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए की मदें	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)
		I						
		II						
		III	कर से अप्रभार्य डीटीए से कुल आय					4
	5	कर पर अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)					5	
	6	योग (1+2+3+4+5)					6	

क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवाल आय/क्षति (7-8)	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति					
				ii	पूँजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				का	धारा 111क					
				का।	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खा	धारा 112क					
				खा।	धारा 112क के अलावा					
				iii	अन्य स्रोत					
				क	लाभांश					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
				ख	धाराके अधीन					
				ग	धारा.....के अधीन					
				2.				i	गृह संपत्ति	
ii	पूँजी अभिलाभ									
क	अल्पकालिक अवधि									
का	धारा 111क									
का।	अन्य									
ख	दीर्घकालिक अवधि									
खा	धारा 112क									
खा।	धारा 112क के अलावा									
iii	अन्य स्रोत									
क	लाभांश									
ख	अन्य									
iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी									
क	धारा 10(23चखख) के अधीन									
ख	धाराके अधीन									
ग	धारा.....के अधीन									

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एफएसआई

भारत से बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

क्रम सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्रम सं.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर से आय (भाग ख टाठ आई में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च) = (ग) या (घ) या (ङ) इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डी टाठ एए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			कुल						
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			कुल						

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।

अनुसूची टि.आर भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)

1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)
			कुल		
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीए लागू होता है (धारा 90 / 90क) (1(ड) योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीए लागू होता है (धारा 91) (1(ड) योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय/ प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है ? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें ।				4
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	A1	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)										
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A2	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी हैं)										

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभ/विशेष से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											

क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां हैं तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।

क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यय होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची-5अ

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति/पत्नी की नाम				
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या				
आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	पूँजी लाभ				
3	अन्य स्रोत				
4	कुल				

अनुसूची कठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	स्थावर आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	पता	पिन कोड	रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	रकम (लागत) में रुपए		
	(1)	(2)	(3)		
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
	(iii)	यान, क्रीड़ा-नौका, नौका और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) में रुपए		
		(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी हैं)			
		(ख) शेयर और प्रतिभूति			
		(ग) बीमा पालिसी			
	(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम				
	(ङ) हाथ में नकदी				
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क-ख)				
टिप्पण	कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें ।				

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन

कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?		उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तिथि बताएं	चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3- 7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए स्तंभ 3 के ऐसे बिक्री का कर गुण का तिथि व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ? ○ हां ○ नहीं यदि हां, तिथि बताएं			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)		

2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8				
3	2023-24					

भाग - ख

भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृ.सं का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2	
3	पूँजी अभिलाभ		
	क लघु अवधि		
	i लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9i)	का	
	ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9ii)	काii	
	iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9v)	काiii	
	iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9v)	काiv	
	v कुल लघु अवधि (का + काii + काiii + काiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv	
	ख दीर्घ अवधि		
	i दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vi)	खा	
	ii दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vii)	खाii	
	iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 viii)	खाiii	
	iv कुल दीर्घ अवधि (खा + खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiv	
	ग अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खiv)(यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	3ग	
	घ धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सीजी का सी2)	3घ	
	ङ कुल पूँजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)	3ङ	
4	अन्य स्रोतों से आय		
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची णध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क	
	ख प्रभार्य योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 2)	4ख	
	ग दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय(अनुसूची णध का 8) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ	
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ङ+4घ)	5	
6	5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xiii और 3xiii का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 2 स्तंभ 4 का योग)	7	
8	7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत की गई हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. का 2xii)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. + 2 का 3xiii)	9	
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां (अनुसूची VIक का फ और 9-10 के लिए सीमित)	11	

12	कुल आय (9-11)	12	
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य (अनुसूची सोआ में स्तंभ (झ) का कुल)	13	
14	शुद्ध कृषि आय / दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छू ट प्राप्त आय का 3)	14	
15	'संकलित आय' (12-13+14) [लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	15	
16	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16	
17	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित मन्तर कर का 4)	1क		
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख		
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख)3 पर	1 ग		
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)		1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर				
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क		
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)	2ख		
			10 Deductions under Chapter VI-A (o of Schedule VIA)			
			11 Total income			
			12 Net agricultural income / any other income for rate purpose			
		13 'Aggregate income' (8+ 9)				
		14 Losses of current year to be carried forward (total of 2viii and CYLA)				
	ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो, से अधिक हो]	2ग			
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)		2घ		
3	धारा 87क के अधीन रिबेट			3		
4	रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (2घ - 3)			4		
5	अधिभार		उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार		
	i	अनुसूची ध.ज के 15(ii) के 25%	5i	i		
	ii	10% या 15% पर लागू (निर्देश संदर्भ)	5ii	ii		
	iii	अनुसूची एस.आई के [(4) - 15(ii) पर उपर्युक्त 5(ii) में संदर्भित आय पर कर]	5iii			
	iv	कुल (i + ii + iii)		5iv		
6	(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (3 + 5iv)			6		
7	सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)			7		
8	कुल कर संदेय (1घ और 7 से कुछ कम) (8क + 8ख)			8		
8क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80आई.ए.सी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर (8 - 8ख)			8क		

8ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर	8ख	
8ग	गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय (ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)	8ग	
9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)		
10	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)		
11	कर राहत		
	क धारा 89 (कृषया फार्म 10इ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)	11क	
	ख धारा 90 या 90क (अनुसूची टाळ आर का 2)	11ख	
	ग धारा 91 (अनुसूची टाळ आर का 3)	11ग	
	घ योग (11क + 11ख + 11ग)	11घ	
12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)	12	
13	ब्याज और संदेय फीस		
	क विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	13क	
	ख अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	13ख	
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)	13ग	
	घ आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)	13घ	
	ङ कुल संदेय ब्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)	13ङ	
14	संकलित दायित्व (12+ 13ङ)	10	
15	संदत्त कर		
	क अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस	15क	
	ख स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)	15ख	
	ग स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 7(i) का योग)	15ग	
	घ स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)	15घ	
	ङ संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)	15ङ	
16	संदेय कर (यदि 14, 15ङ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)	16	
17	प्रतिदाय (यदि 15ङ, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)	17	
18	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।)		हां. अथवा नहीं का चयन करें
	क्रम सं. भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या
	i		
	ii		
	नोट: 1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए। 2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं।		
	ii ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:		
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू,आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम
			देश का स्थान
			आई.बी.ए.एन
	यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं		
19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

20	अनुसूची-आयकर													
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे													
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड				निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)				चालान का क्रम सं.		रकम (रु.)		
	(1)	(2)				(3)				(4)		(5)		
	i													
	ii													
	iii													
	iv													
टिप्पण ▶ भाग ख - टी टीआई की क्रम सं. 15क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें ।														
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]													
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)				नियोजक का नाम				वेतन के अधीन प्रभार्य आय		कटौती किया गया कुल कर		
	(1)	(2)				(3)				(4)		(5)		
	i													
	ii													
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के कॉलम 5 से 11ख का योग भरें														
ग	कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख/16ग/16 ङ													
क्र सं.	स्वयं या अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/ नियम 37खक (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन/ किराएदार/क्रेता का पैन/ आधार सं.	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।)	तदनुसूची रिसीट/ आहरित प्रस्तुत की गई	आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा						
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई है	टीडीएस बी/ एफ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)			सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
							आय टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार सं			
i														
टिप्पण - कृपया भाग ख - टीटीआई के 15ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें														

घ स्रोत पर कर संग्रहण का विवरण(टी.सी.एस) [समाहर्ता द्वारा जारी प्रपत्र 27घ के अनुसार]											
अन्य आय पर टी.सी.एस	क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस /धारा 5क के अनुसार पति/ पत्नी धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	समाहर्ता का कर संग्रहण खाता संख्या तथा कर कटौती	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	आगे लाया गया अदावाकर टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष की टीसीएस		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया
					वित्त वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	राशि बी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	स्वयं दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37 आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	
	(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)
										टी.सी.एस पैन	
	i										
टिप्पणी ▶	भाग ख-टी.टी.आई के 15ग में स्तंभ 7(i) का कुल कृपया दर्ज करें										

सत्यापन

मैं, पुत्र / पुत्री, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं _____ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक _____ है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख	स्थान	यहां हस्ताक्षर करें →
-------	-------	-----------------------

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		

प्रश्न	आ.क.वि-3	भारतीय आय-कर विवरणी (कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए) (नियम 12 देखिए) (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	3	-	2

भाग क- जी.ई.एन

व्यक्तिगत सूचना	पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०	
	फ्लैट / दरवाजा / ब्लाक सं०	परिसर / भवन / ग्राम का नाम		प्रास्थिति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्य-ट <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कु टुंब	
	सड़क / गली / डाक घर	जन्म तिथि / स्वरूप (तिथि / मास / व-1)			
	क्षेत्र / अवरथान	आधार संख्यांक (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र है)			
	नगर / शहर / जिला	राज्य	पिन कोड / जिप कोड		
		देश			
	निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं० / मोबाइल नं० 1		मोबाइल नं० 2		
	ई मेल पता-1 (स्वयं का)		ई मेल पता-2		
	(क)	धारा ...के अधीन फाइल की गई(सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]	□ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व □ 139(4)- विलंबित, □139(5)- पुनरीक्षित, □92गघ- उपांतरित विवरणा, □ 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्		
		या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	□ 139(9) □ 142(1) □ 148 □ 153ग		
(ख)	क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? □ हां □ नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो, कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.ई की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें) ख. क्या आपने 115खकग के बाहर पूर्ववर्ती वर्षों में विकल्प चुना है? □ हां □ नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें प्रपत्र 10- आई.ई की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें) ग. चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प □ अब चुना जा रहा है □ चुना नहीं जा रहा □ विकल्प जारी रखना □ विकल्प से बाहर निकलना □ विकल्प के लिए योग्य नहीं ("चुना जा रहा" तभी चयन करें जब आप पहली बार विकल्प चुन रहे हों)				
(खि)	चुना नहीं जा रहा, तथा विकल्प जारी रखना, तथा विकल्प के योग्य नहीं, के अलावा प्रस्तुत करें।	प्रपत्र 10-आई.ई भरने की तारीख दि./मा./वर्ष	पावती क्रमांक:		
(ग)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत आय की विवरणी दायर कर रहे हैं लेकिन अन्यथा आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है? -(सही का निशान लगाएं) □ हां □ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: केवल तभी भरी जानी चाहिए यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत उल्लिखित एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी भर रहे हैं।]				
(गि)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)			
(गii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है	(यदि हां है तो) रकम (₹)			
(गiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)			
(गiv)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्दिष्ट शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं। किंतु अन्यथा आयकर विवरणी भरने की आवश्यकता नहीं है?(हां/नहीं) (यदि हां, तो नीचे प्रस्तुत तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिन्ह) □ हां □ नहीं			
(घ)	यदि पुनरीक्षित/ त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)	/ /			
(ङ)	यदि धारा 139(9)/ 142(1)/ 148/ 153ग के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर के रूप में दायर किया गया है, तो यूनिक नंबर/ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना/ आदेश की तारीख दर्ज करें, या यदि धारा 92गघ के अंतर्गत दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्य समझौते की तारीख दर्ज करें	यूनिक नंबर	/ /		
(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(क) निवासी	□ आप पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] □ आप पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा 6(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों]		

		<input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ भारत छोड़ दिया, भारतीय जहाजरानी पर कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत में 182 दिनों के लिए थे या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए था इससे अधिक [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का 1(क)]									
		<input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिनों के लिए या उससे अधिक गत वर्ष के दौरान तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक; या ख) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 120 दिनों के लिए या उससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक, यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रु. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का 1(ख)]									
	(ख) निवासी किंतु पर साधारण तौर पर निवासी नहीं।	<input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय i. विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रु. से अधिक है; तथा ii. भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है [धारा 6(6)(ग)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं जो धारा 6 के खंड (1) के तहत अनिवासी नहीं हैं और धारा 6 के खंड (1क) के तहत भारत का निवासी माना जाता है। जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रु. से अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं है। आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण [धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित									
	(ग) अनिवासी	<input type="checkbox"/> आय पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे (ii) कृपया पूर्व वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें। -									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>निवास की अधिकारिता (ओं)</th> <th>करदाता (ओं) की पहचान संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या	1			2		
क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या									
1											
2											
		(ii) भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें -									
		<table border="1"> <tr> <td>पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)</td> <td>पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)							
पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)										
	भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदू, अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(घ) <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी									
(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं									
(ज)	क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)										
(झ)	क्या यह विवरणी एक प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें										
(1)	प्रतिनिधि का नाम										
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख किया जाए)										
(3)	प्रतिनिधि का पता										

	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/ आधार संख्या												
(अ)	क्या आप पूर्व वर्ष दे दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें। -													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके अंश सूचीबद्ध हैं या असूचीबद्ध						निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)				
(ट)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (सही का निशान लगाएं) (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -													
	फर्म का नाम			स्थायी लेखा सं.										
(ठ)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किए हैं? सही का निशान लगाएं। (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया साधारण अंशों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष	
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदाय / क्रय की तारीख	प्रतिअंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ड)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ढ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस ई पी) है? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या													
(ण)	क्या निर्धारित की अंतरराष्ट्रीय वित्तियी सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(त)	क्या आप एफ.आई.आई./एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी पंजीकरण प्रदान करें													
(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क2)	क्या निर्धारित केवल 44कड / 44ख / 44खख / 44कघ / 44कघक / 44खखक / 44खखख के तहत आय की घोषणा कर रहा है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क2i)	यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री / कारोबार / व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क2ii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पिछले वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्ति या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का कुल मिलाकर नकद में उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क2iii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी भुगतानों का कुल, पिछले वर्ष के दौरान नकद में, उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (तारीख / मास / वर्ष) / /												
	(2)	कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम												
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या												
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी / फर्म)												

(5)	स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या		
(6)	स्वत्वधारी/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन) / आधार सं.		
(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख		
(घा)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(घाii)	यदि (घा) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष
(घाiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (दि./मा./व(कृपया निर्देश देखें)		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	क्रम सं.	सेक्शन कोड	तारीख (दिदि / मास / वर्ष)
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।		
	अधिनियम और धारा	दिदि /मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष	अधिनियम और धारा
			दिदि /मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष

कारबार की प्रकृति

कारबार या बृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या बृत्ति एक से अधिक हैं तो मुख्य क्रियाकल्पो/ उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कघक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)

क्र०सं०	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है	वर्णन
(i)			
(ii)			
(iii)			

भाग क - तुलनपत्र

मालिकाना कारोबार अथवा व्यवसाय का 31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र

(ऐसे मामले में जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों का उपयोग	1	स्वामी की निधि			
	क	स्वामी की पूंजी		क	
	ख	आरक्षित और अधिशेष			
		i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	खा	
		ii	पूंजी आरक्षित	खाii	
		iii	कानूनी आरक्षित	खाiii	
		iv	कोई अन्य आरक्षित	खाiv	
		v	योग (खा + खाii + खाiii + खाiv)	खv	
	ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)		1ग	
	2	ऋण निधियां			
	क	प्रतिभूत ऋण			
		i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i	
		ii	रूप में ऋण		
		अ	बैंकों से ऋण	iiअ	
		आ	अन्य से	iiआ	
		इ	योग (iiअ + iiआ)	iiइ	
	iii	योग (का + iiइ)		काiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)			
		i	बैंकों से ऋण	खा	
		ii	अन्य से	खाii	
	iii	योग (ख i + खाii)		खाiii	
	ग	योग ऋण निधि (काiii + खाiii)		2ग	
	3	आस्थगित कर दायित्व		3	
	4	अग्रिम			
		i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से	i	
	ii	अन्यों से	ii		
iii	कुल अग्रिम (i + ii)		ल		
5	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3 + 4iii)		5		
1	स्थिर आस्तियां				
क	सकल	ब्लॉक	1क		
ख	अवक्षयण		1ख		
ग	शुद्ध ब्लॉक (क - ख)		1ग		
घ	चल रहा पूंजी कार्य		1घ		
ङ	योग (1ग + 1घ)		1ङ		
2	विनिधान				
क	दीर्घकालिक विनिधान				
	i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	का		
	ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii		
iii	योग (का + काii)		काiii		
ख	अल्पकालिक विनिधान				
	i	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खा		
	ii	अधिमानी शेयर	खाii		
	iii	डिबेंचर	खाiii		
iv	योग (खा + खाii + खाiii)		खiv		
ग	कुल विनिधान (काiii + खiv)		2 ग		

3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
	क चालू आस्तियां			
	I	बीजक		
	अ	भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली बैंकिंग सामग्री भी है	iअ	
	आ	कच्ची सामग्री	iआ	
	इ	कार्यरत भंडार	iइ	
	ई	तैयार माल / व्यापार माल	iई	
	उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ
	ii	अन्यान्य ऋणी		काii
	iii	नकद और बैंक अतिशेष		
	अ	हस्तगत नकदी	iiiअ	
	आ	बैंक के पास अतिशेष	iiiआ	
	इ	योग (iiiअ + iiiआ)		iiiइ
	iv	अन्य चालू आस्तियां		काiv
	V	कुल चालू आस्तियां (iउ + काii + iiiइ + काiv)		कv
	ख ऋण और अग्रिम			
	i	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खा	
	ii	निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खाii	
	iii	राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खाiii	
	iv	योग (खा + खाii + खाiii)		खाiv
	ग चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खाiv)			3ग
	घ चालू दायित्व और उपबंध			
	I	चालू दायित्व		
	अ	अन्यान्य लेनदार	iअ	
	आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
	इ	उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	iइ	
	ई	उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोधय नहीं हैं	iई	
	उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ
	ii	उपबंध		
	अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
	आ	छुट्टी भुनाने / अधिवर्षिता / उपदान के लिए उपबंध	iiआ	
	इ	अन्य उपबंध	iiइ	
	ई	योग (iiअ + iiआ + iiइ)		iiई
	iii	योग (iउ + iiई)		घiii
	ड शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घiii)			3ड
4	क अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय		4क	
	ख आस्थगित कर आस्ति		4ख	
	ग लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष		4ग	
	घ योग (4क अ 4ख अ 4ग)			4घ
5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)			5
कोई लेखा मामला नहीं	6 उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती हैं - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2023 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)			
	क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम		6क
	ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम		6ख
	ग	व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम		6ग
	घ	नकदी बकाया की रकम		6घ

भाग क- विनिर्माण
लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्माण लेखा (जहाँ नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती हैं उस दशा में मद 1 से 3 भरें, मद 61 से 64 भरें, जैसा लागू हो)

1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन					
	क	आरंभिक सूची				
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i		
		ii	चालू काम का आरंभिक स्टॉक	ii		
		iii	कुल (i + ii)	काiii		
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)			ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय (घा + घाii + घाiii)			घ	
	i	आवक वहन व्यय	i			
		विद्युत आर ईंधन	ii			
		अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
	ड.	कारखाने का उपरी खर्च				
	i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i			
		कारखाना किराया और दरें	ii			
		कारखाना बीमा	iii			
कारखाना ईंधन और विद्युत		iv				
कारखाने का साधारण व्यय		v				
कारखाना मशीनरी का अवक्षयण		vi				
vii		कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	ड.vii			
च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)			1च		
2	बंद स्टॉक					
	i	कच्ची सामग्री	2i			
	ii	चालू काम	2ii			
		कुल (2i + 2ii)	2			
3	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)			3		

भाग क - व्यापारिक
लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 64 भरें, यथा लागू)

4	संक्रियाओं से राजस्व					
	क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्त शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो				
		i	माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)			
		क			iiiा	
			ख		iiiब	
			ग	कुल (iiiक + iiiख)	iiiग	
		iv	कुल (i + ii + iii ग)	काiv		
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्त			ख	
	ग	बिक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर				
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	iii		
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)	iv		
v		राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	v			
vi		समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	vi			
vii		संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	vii			
viii		कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii			
ix		कुल (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)	गाix			

व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय

	घ	संक्रियाओं सले कुल राजस्व (कांv + ख+गाix)		4घ	
5		तैयार माल का अंतिम स्टॉक		5	
6		व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)		6	
7		तैयार माल का आरंभिक स्टॉक		7	
8		क्रय (सुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)		8	
9		प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)		9	
	i	आवक वहन व्यय	9i		
	ii	विद्युत और ईंधन	9ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii		
10		क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय ।			
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रति शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	10viii		
	ix	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	10ix		
	x	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	10x		
	xi	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xi i	
11		माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित		11	
12		कारबार / वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)		12	
12क		इंट्राडे का कारबार		12क	
12ख		इंट्राडे कारबार की आय-लाभ तथा हानि को अंतरित		12ख	

भाग क - लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू 61 से 65 भरें)

	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12+12ख)		13	
	14	अन्य आय			
		i	किराया	i	
		ii	कमिशन	ii	
		iii	लाभांश आय	iii	
		iv	ब्याज आय	iv	
		v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v	
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi	
		vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii	
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii	
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)	ix	
		x	कृषि आय	x	

लाभ और हानि लेखा में जमा

	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		xia	
		ख		xib	
		ग	योग (xiक + xiख)	xic	
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii
	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)			15
हानि लेखा	16	बर्हिगामी माल भाडा			16
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग			17
	18	विद्युत और ईंधन			18
	19	किराया			19
	20	भवनों की मरम्मत			20
	21	मशीनरी की मरम्मत			21
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
		i	वेतन ओर मजदूरी	22i	
		ii	बोनस	22ii	
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii	
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv	
		v	छुट्टी यात्रा फायदा	22v	
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi	
		vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii	
		viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii	
		ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix	
		x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x	
		xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)		22xi
		xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं
			यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख	
	23	बीमा			
		i	चिकित्सा बीमा	23i	
		ii	जीवन बीमा	23ii	
		iii	कीमेन्स बीमा	23iii	
		iv	अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv	
		v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v
	24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय			24
	25	मनोरंजन			25
	26	सत्कार			26
	27	सम्मेलन			27
	28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)			28
	29	विज्ञापन			29
	30	कमीशन			
		i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i	
		ii	अन्यों को संदत्त	ii	
		iii	योग (i + ii)		30iii
	31	स्वामिस्व			
		i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i	
		ii	अन्यों को संदत्त		ii

	iii	योग (i + ii)			31iii		
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस						
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i				
	ii	अन्यों को संदत्त	ii				
	iii	योग (i + ii)			32iii		
33	होटल, बोर्डिंग और वासा					33	
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय					34	
35	विदेशी यात्रा व्यय					35	
36	वाहन व्यय					36	
37	टेलीफोन व्यय					37	
38	अतिथि गृह व्यय					38	
39	क्लब व्यय					39	
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय					40	
41	छात्रवृत्ति					41	
42	दान					42	
43	संदान					43	
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय.कर को छोड़कर)						
	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i				
	ii	सेवा कर	44ii				
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii				
	iv	उपकर	44iv				
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v				
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi				
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii				
	viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii				
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix				
	x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x		
45	संपरीक्षा फीस					45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)						
	i		i				
	ii		ii				
	iii	कुल (i + ii)			46iii		
47	डूबा ऋण (ऐसे व्यक्ति का पेन/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबे ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)						
	i1				47i1		
	i2				47i2		
	i3				47i3		
		अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। कुल (47i1+47i2+47i3)	47i				
	ii	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पेन/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)	47ii				
	iii	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)	47iii				
	iv	कुल डूबा ऋण(47i + 47ii + 47iii)			47iv		
48	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध					48	
49	अन्य उपबंध					49	
50	ब्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]					50	
51	ब्याज						

	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी के लिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	कुल (i + ii)			51iii	
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				52	
53	करों के पूर्ण सुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)				53	
कर और विनियोग के लिए उपबंध	54	चालू कर के लिए उपबंध				54
	55	आस्थगित कर का प्रावधान				55
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)				56
	57	पूर्व वर्ष से आग अतिशेष				57
	58	विनियो के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)				58
	59	आरक्षित और अधिशेद के लिए अंतरित				59
	60	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रणीत अतिशेष (58 - 59)				60
	उपधारात्मक मामले	61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना			
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण	
		(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (ik + ix)		61i	
		(क)	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	ik		
		(ख)	कोई अन्य रीति	ix		
		(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iik + iix)		61ii	
		(क)	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	iik		
		(ख)	61ix का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	iix		
		टिप्पण- यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है ।				
62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपधाराणात्मक आय की संगणना					
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
	(i)	सकल प्राप्तियाँ		62i		
	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है उनमें से जो भी अधिक हो)		62ii		
	टिप्पण - यदि आय सकल प्राप्त के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है ।					
63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना					
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
	क्रम सं.	माल वहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/ किराया	माल वहन की टन भार क्षमती (मिटीक टन में)	महीनों की संख्या जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/ किराया पर दिया गया था ।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति माह प्रति माह प्रति टन 1000 रु० दी कर से संकलित या अन्य 7500 रु० प्रति माह की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(क)					
	(ख)					
		कुल				
	आवश्यकतानुसार पंक्ति में ब्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
	(iii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधाराणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग]			63(iii)	

		टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व /पट्टे / किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।	
लेखा मामला नहीं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।	
		(i) कारबार पर लेजाने वाले निर्धारिती के लिए	
	क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	ik
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1
	2	कोई अन्य रीति	क2
	ख	सकल लाभ	ix
	ग	व्यय	ig
	घ	शुद्ध लाभ	64i
		(ii) वृत्ति पर ले जाने वाले निर्धारिती के लिए	
	क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	ii a
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क 1
	2	कोई अन्य रीति	क 2
	ख	सकल लाभ	
	ग	व्यय	
	घ	शुद्ध लाभ	64ii
	(iii) कुल लाभ(64i + 64ii)		64iii
65	i	सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवत	65i
	ii	सकल लाभ	65ii
	iii	खर्च यदि कोई हो	65iii
	iv	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)	65iv

भाग क - अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (आज्ञापक है, यदि धारा 44 ख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है अन्य भरने के लिए यदि लागू हो)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति <input type="checkbox"/> नकद	(चिह्नित करें)	<input type="checkbox"/> वाणिज्यिक
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है <input type="checkbox"/> नहीं	(चिह्नित करें)	<input type="checkbox"/> हाँ
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3ख	
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति		
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ	
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है--			
क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क		

	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूँजी रसीद, यदि कोई है	5ङ	
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क +5ख +5ग +5घ +5ङ)		5च
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अननुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनजेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(iii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूँजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiा)]	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंशदान की रकम	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आई अधिनयम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vक)]	6ट	
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
	त	प्रतिभृतियों में संव्यसहार की वाबत संयक प्रतिभृतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलि नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ	
	द	कोई अन्य नामंजूरी	6 द	
	ध	धारा 36 के अधीन अनुनजेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)		6 ध
	7	धारा 37 के अधीन अनुनजेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख	
	ग	कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च [37(1)]	7ग	
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रैक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ	

	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ	
	ञ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)	7ञ	
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i क) XVII- ख	अख	
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (ix) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग	
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम XVII- ख	अघ	
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ	
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40 (क) (ii क)]	अच	
	छ	धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ	
	ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अंतर्गत अस्वीकार्य	अज	
	झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ	
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)	8अञ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ	
9	क	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
	क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क	
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40 क (9)]	9घ	
	ङ	कोई अन्य नामंजूरी	9ङ	
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)	9च	
10	क	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
	च	छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि	10च	

	ख रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10ख	
	ज धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)		10ज
11	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अननुज्ञेय		
	क किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क	
	ख कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
	ग दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग	
	घ किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
	चक कर निर्धारित द्वाारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।	11चक	
	ड किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड	
	च छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च	
	छ रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ	
	ज धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम		
	क संघ उत्पाद शुल्क	12क	
	ख सेवा कर	12ख	
	ग मुल्य बर्धित कर / विक्रय कर	12ग	
	घ केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ	
	ड राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ड	
	च एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च	
	छ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ	
	ज कोई अन्य करम	12ज	
	झ बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम		13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15
16	धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम		16
17	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां नहीं <input type="checkbox"/> [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]		17

भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे मात्रात्मक ब्यौरे (आज्ञापक, यदि धारा 44 खक के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क) किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में		
	1 आरंभिक स्टाक		1
	2 पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2
	3 पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3
	4 अंतिम स्टाक		4
	5 कमी / अधिक यदि कोई हो		5
	(ख) किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में		
	6 कचची सामग्री		
	क आरंभिक स्टाक		6क
	ख पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		6ख
ग पूर्व वर्ष के दौरान खपत		6ग	

	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
	ङ	अंतिम स्टॉक	6ङ	
	च	प्राप्त तैयार माल	6च	
	छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
	ज	कमी / अधिक, यदि कोई हो	6ज	
7	तैयार माल / उपोत्पाद			
	क	आरंभिक स्टॉक	7क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
	ङ	अंतिम स्टॉक	7ङ	
	च	कमी / अधिक, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ यथा लागू भ्रं (

अनुसूची वेतन

वेतन से आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्रॉप डाउन दिया जाएगा)		नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
नियोजक का पता		नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)			1	
वेतन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग		
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय	1घ		
	ङ	अधिसूचित देश(घ) के अतिरिक्त के तहत देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ		
	च	गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय जिसमें धारा 89क के तहत अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया	1च		
(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)					
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)			2	
2क	धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा			2क	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: सुनिश्चित करें कि यह कुल सकल आयक में उपर्युक्त(2) में शामिल है।)			3	
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)			4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)			5	
	क	धारा 16(i) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)			6	

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)						
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)						
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
	I						
	II						
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम यदि किराये पर हो	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)	
	I						
	II						
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो						
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में						
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया						
	क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य				1क	
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		1ख			
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		1ग			
घ	योग (1ख + 1ग)		1घ				
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)				1ङ		
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)				1च		
छ	1च का 30%		1छ				
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		1ज				
झ	योग (1छ + 2ज)				1झ		
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया				1ञ		
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)				1ट		
2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)							
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)							
सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता			
I							
II							
[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम यदि किराये पर हो	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)		
I							
II							
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो							
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में							
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया							
क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)				2क		
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा		2ख				

ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ		
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)		2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)		2च	
छ	1च का 30%	2छ		
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
झ	योग (2छ + 2ज)		2झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया		2ञ	
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)		2ट	
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास *		3	
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/ अंक लेवें)		4	
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।			
टिप्पण	किराएदार का पैना/आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है			

अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से			
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))		1	
	2क	1 में सम्मिलित सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) / क्रम सं. 12ख का ट्रेडिंग खाता + क्रम सं 65iv अनुसूची लाभ और हानि का 65(4)/	2क		
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख		
	3	धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के तहत प्रभार्य अन्य शीर्षों के तहत आय, लाभ तथा हानि लेख में जमा प्राप्तियां/ आय	क	वेतन	3क
			ख	गृह संपत्ति	3ख
			ग	पूजी अभिलाभ	3ग
			घ	अन्य स्रोत	3घ
			ङ	धारा 115खखच के अधीन	3ङ
	च	115खखछ के अधीन	3च		
	छ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की शुद्ध लागत)	3छ		
	4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कङ/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	4क		
	4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्राप डाउन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप् टाउन))	4ख		
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छू ट प्राप्त है			
	क	फर्मों से आय का अंश	5क		
5ख					
ग			कोई अन्य छू ट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)		
i			ग i		
ii			ग ii		
iii			योग (ग i + ग ii)	5 ग	
घ	कुल छू ट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ			
6	शेष (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3च - 3छ - 4क - 4ख - 5 घ)	6			

7	क	वेतन	7क	
	ख	गृह संपत्ति	7ख	
	ग	पूजा अभिलाभ	7ग	
	घ	अन्य स्रोत	7घ	
	ङ	धारा 115खखच के अधीन	7ङ	
	च	115खखछ के	7च	
	छ	धारा 115खखज (अधियहण की लागत के अलावा)	7छ	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित			8क
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देन और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 21)			8ख
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 7छ + 8क + 8ख)			9
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)			10
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण			11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ड त का)	12i	
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii	
	iii	कुल (12i + 12ii)		12iii
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)			13
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 6घ)			14
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य)			15
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 8कड)			16
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 9 च)			17
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क -ओ आई का 11ज)			18
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज			19
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय			20
21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35 कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ			21
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय			22
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें			23
24	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुटुंब / स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में			24
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मददे लाभ में वृद्धि या हानि में कभी (अनुसूची णझ के			25
26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)			26
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती			27
28	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची उधद की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35जगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)			28
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख)			29
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 ज)			30

31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31			
32	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मददे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची ण्ड के स्तम्भ 3ख + 4ड)	32			
33	कुल (27+28+29+30+31+32)		33		
34	आय (13+26-33)		34		
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -				
	i धारा 44कघ (अनुसूची त और ठ के 61 (iii))	35i			
	ii धारा 44कघक (अनुसूची त और ठ के 62 (ii))	35ii			
	iii धारा 44कड (अनुसूची त और ठ के 63(ii))	35iii			
	iv धारा 44ख	35iv			
	v धारा 44खख	35v			
	vi धारा 44खखक	35vi			
	vii धारा 44घक	35vii		(प्ररूप उ ग ड की मद प)	
	viii कुल (35i से 35vii)		35viii		
36	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii)		36		
37	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विनिदिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ		क 37		
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क			
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ख			
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ग			
	घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37घ			
	ड नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ड			
	च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	37च			
38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृषि से संझी गई आय का अतिशेष [4ख-(37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ड.)]		38		
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना				
39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)		39		
40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		40		
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियाँ		41		
42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक		ख 42		
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिदिष्ट कारबार से आय की संगणना				
43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिदिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		43		
44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		44		
45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा (i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया है)		45		
46	विनिदिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)		46		
47	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ		47		
48	अनुमानित कारबार से आय (46 - 47) (यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें)		ग 48		
49	धारा 35कछ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिदिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयनित की जाए)		ग 49		
घ	कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 37+ ख 42+ ग 48)		घ		
ड	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष				
	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजराई कारबार हानि	मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक		(क 37)	
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिदिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			

v	मुजराई के बाद शेष हानि (i - iv)	
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें	

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूजा व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
		15 (i)	30 (ii)	40 (iii)	45 (iv)
2	दर (%)				
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
3क	धारा 115खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प				
3ख	पूर्व वर्ष के पहले दिन समायोजित रिटन डाउन वैल्यू (3) + (3क)				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3ख या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				

19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 - 15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत	
			कुछ नहीं	5	10				40
			(i)	(ii)	(iii)				(iv)
2	दर (%)								
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य								
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन								
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन								
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)								
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन								
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन								
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण								
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण								
12	कुल अवक्षयण। (10+11)								
13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)								
14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)								
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)								
16	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय								

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)						
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

अनुसूची - आस्तियों पर अवक्षयण का सार आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागू)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागू)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ		
	ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)			1ड
	2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			
	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागू)	2क		
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागू)	2ख		
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv यथालागू)	2 ग		
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागू)			3
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागू)			4
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथा लागू)			5
	6	कुल अवक्षयण (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)			6

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		

	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)	1ड	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)		
क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ इ क 17ii)	2क	
ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ इ क 17iii)	2ख	
ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ इ क 17iv)	2ग	
घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची घ इ क 17v)		3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)		4
5	पोत (अनुसूची घ इ क 17vii)		5
6	कुल अवक्षयण (1ड+2घ+3+4+5)		6

अनुसूची इ.एस.आर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iik)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
Ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण	धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iia) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2AA) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)			

अनुसूची पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (निवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं हैं)			
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)			
	क्रय/अधिग्रहण की तिथि	तिथि/माह/वर्ष	बिक्री/स्थानांतरण की तिथि	तिथि/माह/वर्ष
क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य		क i
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य		क ii
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(काi) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (का), इन अंकों को (का) के रूप में ले या अन्यथा (काii) लें]		क iii
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती		ख i
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख ii
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख iii
	iv	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय		ख iv
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)		ख v
ग	शे-1 (क iii - ख v)			
घ	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख /54 ग / 54 छ /54 ज (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			

ड	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)	क 1 ड															
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>क्रयकर्ताओं का नाम</th> <th>क्रयकर्ताओं का पेन/आधार संख्या</th> <th>प्रतिशत शेयर</th> <th>रकम</th> <th>संपत्ति का पता</th> <th>पिन कोड</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड									
क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड											
	टिप्पण ▶ पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आजापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।																
2	विक्रय गिरावट से	क 2 ग															
	क प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	2 क	(प्ररूप 3 ज ड क का 5)														
	ख उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2 ख	(प्ररूप 3 ज ड क का 6 (ड))														
	ग गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख)																
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ॥ के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है																
	क प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क															
	ख धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ																
	i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i															
	ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii															
	iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii															
	iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv															
	v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v															
	ग शे-1 (3 क - ख v)	3 ग															
	घ धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	3 घ															
	ड साम्या शेयर या साम्या उनमूख ड च (संदद एस टी टी) पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ(3 क +3 घ)	क 3 ड															
4	अनिवासी के लिए जो च II नहीं हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभांश की विक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय)	*															
	क उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त हैं	क 4 क															
	ख उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त नहीं हैं	क 4 ख															
5	अनिवासियों के लिए -115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों (उपर क तीन से भिन्न) के विक्रय से																
	क i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें :-																
	क कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर	i क															
	ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख															
	ग पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग															
	ii अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii															
	iii कुल (i ग + ii)	क iii															
	ख धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ																
	i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i															
	ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii															
	iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii															
	iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv															
	v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v															
	ग शे-1 (5 क iii - ख v)	5 ग															
	घ धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	5 घ															
	ड एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (उपर क 3 से भिन्न) +5 घ)	क 5 ड															
6	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से																

	II											
	क	डीटीएए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									क9	क
	ख	डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम									क9	ख
10	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख + क 5 ड + क 6 छ + क 7 + क 8 - क 9क)										क 10	
ख	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (एल टी सी जी) (उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 निवासियों में लागू नहीं है)											
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)											
	क्रय/अधिग्रहण की तिथि			तिथि/माह/वर्ष			बिक्री/स्थानांतरण की तिथि			तिथि/माह/वर्ष		
क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिकर पूर्ण मूल्य						क i				
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का पूर्ण मूल्य						क ii				
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(का) के (का) से 1.10 गुणा न होने की दशा में इस संख्या को (का) के रूप में ले या अन्यथा (का) लें]						क iii				
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ											
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती						ख i				
	ii	अधिग्रहण की लागत						ख ii				
	iii	अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण की लागत						ख iii				
	iv	उन्नति की लागत						ख iv				
	v	उन्नति वर्ष						ख v				
	भक्ति सम्मिलित करें											
	vi	सूचीकरण के साथ उन्नति लागत						ख vi				
	vii	हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय						ख vii				
	viii	योग (ख ii + ख v + ख vi)						खviii				
ग	शे-1 (क iii - ख viii)						1	ग				
घ	धारा 54/54ख /54घ /54ङग /54 च /54 छ /54 छ क /54 छ ख के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						1	घ				
ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)										ख 1	ङ
च	स्थावर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (देखें टिप्पण)											
	क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड					
	टिप्पण ▶ पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194इक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।											
2	विक्रय गिरावट से											
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य						2	क (प्ररूप 3 गड़क का 5)				
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति						2	ख (प्ररूप 3 गड़क का 6 (ङ)				
ग	शे-1 (2 क - 2 ख)						2	ग				
घ	धारा 54ङ ग /54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						2	घ				
ङ	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (2 ग -2 घ)										ख 2	ङ
3	बन्ध पत्र या डिबेन्चर से के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूँजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों भिन्न)											
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य						3	क				
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ											
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत						ख ii				
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय						ख iii				
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)						ख iv				
ग	शे-1 (3 क - ख iv)						3	ग				
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						3	घ				

ड	बन्ध पत्रों या डिवेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग - 3 घ)	ख 3 ड	ड
4	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है (ii) धारा 115ककग में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर के विक्रय से		
	क प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	4 क	
	ख धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग शे-4 (क - ख iv)	4 ग	
	घ धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्योरो विनिर्दि-ट करें)	4 घ	
	ड उपर ख4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (4ग - 4घ)	ख 4ड	
5	किसी कंपनी में साम्यशेयरों के विक्रय या साम्यउन्मुख निधि की युनिटों या किसी कारबार न्यास की युनिट की बिक्री जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत किया गया है		
	क धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112 क के कॉलम 14	5क क	
	ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)	5ख	
	ग ऊपर ख5 पर पूँजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (5क - 5ख)	ख5ग	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिवेन्चर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)		
	क सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी	6क	
	ख धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्योरो विनिर्दि-ट करें)	6ख	
	ग शेयर या डिवेन्चर पर एलटीसीजी (6क - 6ख)	ख6ग	
7	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिटों या शून्य कूपन बंधपत्र जहा धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू है (सूचीकरण कायदे के बिना 10 प्रतिशत की दरपर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी का व जी.डी.आर के विक्रय से		
	क i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्योरे दर्ज करे		
	क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	क	
	ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख	
	ग पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग	
	ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii कुल (ग + ii)	क iii	
	ख धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii	
	iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii	
	iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv	
	v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख v)	ख v	
	ग शे-4 (क iii - ख v)	7 ग	
	घ धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्योरो विनिर्दि-ट करें)	7 घ	
	ड अनिवासियों के मामले में उपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (7ग - 7घ)	ख 7ड	
8	अनिवासियों के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुक्त निधि के यूनिटों या किसी न्यास की यूनिटों का विक्रय जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत किया गया है ।		

	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14)	8क		
	ख	धारा 54घ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख		
	ग	ऊपर ख8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (8क - 8ख)			ख8ग
9	अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 7क के अधीन विकल्प दिया गया है)				
	क	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना की गई)	9 क		
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 ख		
	ग	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9 क - 9 ख)			ख 9 ग
	घ	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी	9 ग		
	ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 ङ		
	च	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9घ - 9 ङ)			ख 9 च
10	उपर जहां ख -1 से ख -9 तक लागू नहीं है वहा आस्तियों के विक्रय से				
	क	i आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें			
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर की पूर्ण मूल्य	ik	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ix	
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig	
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii	कुल (ig + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियों			
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i	
		ii	अधिग्रहण की लागत	ख ii	
		iii	अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण की लागत	ख iii	
		iv	उन्नति की लागत	ख iv	
		v	उन्नति वर्ष	ख v	
			पंक्ति सम्मिलित करें		
		vi	सूचीकरण के साथ उन्नति लागत	ख vi	
		vii	हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय	ख vii	
		viii	योग (ख i + ख iii + ख vi + ख vii)	खviii	
	ग	शे-1 (10 क iii - ख viii)			10 ग
	घ	धारा 54 घ / 54 च / 54 छ / 54 ज क के अधीन कटौती (मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			10 घ
	ङ	उपर ख 10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (10ग - 10घ)			ख 10ङ
11	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?			
		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
				वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि
	i	2019-20	54/54घ/54छ/54जक		
	ii	2020-21	54ख		
	ख	क' से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	ग1	पूंजीगत अभिलाभ राशि (क10 + ख 14) (ख 14 को शून्य लें, यदि हानि हो)			
	ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय(अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)			

ग3	"पूँजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभाय आय (ग1 + ग2)	ग3	
	दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xii+ख+ग)	ख11	
12	दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1 +ख12क2+ख12ख)	ख12	
क1	दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय	ख12क1	
क2	धारा112के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय	ख12क2	
ख	दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभाय	ख12ख	

13	एलटीसीजी की रकम जो मद ख1 से ख12 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभाय या विशेष दरों पर प्रभाय नहीं है										
क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. ख 1 से ख 12 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए वस्तु	संधि के अनुसार (यदि नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई धारा	टीआई अधिनियम की अनुसार दर	टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6 या (9) के नीचे)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि										ख13क
ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभाय एलटीसीजी की कुल रकम										ख13ख
14	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभाय कुल दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (ख1ड +ख2ड +ख3ड +ख4ड + ख5घ + ख6ग + ख7ड + ख8घ + ख9ग + ख9घ + ख10ड + ख11 + ख12 - ख13क)										ख14

ग " पूँजी अभिलाभ " शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 10 + ख 14) (शून्य के रूप में ख 14 ले यदि हानि है)

घ पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना

1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54ङग /54 च/54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामलों में निम्नलिखित ब्यौरे दें									
क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष						
	ii	नये आवासीय घर की लागत	क ii							
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष						
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूँजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv							
	v	दावाकृत कटौती की रकम	क v							
ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष						
	ii	नये कृषि भूमि की लागत	ख ii							
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष						
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूँजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv							
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ख v							
ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष						
	ii	औद्योगिक उपकरण के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत	ग ii							
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष						
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूँजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv							
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v							
घ	धारा 54ङग के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घा i	दिन/मास/वर्ष						
	ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घाii							
	iii	विनिधान की तारीख	घाiii	दिन/मास/वर्ष						

	iv	दावाकृत कटौती की रकम	घiv	
ड	धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	झ	दिन/मास/वर्ष
	ii	नये आवासीय घर की लागत	झii	
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	झiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	झiv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	झv	
च	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	चा	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	चाii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चाiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	चाiv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	चv	
छ	धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छा	दिन/मास/वर्ष
	ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छाii	
	iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छाiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छाiv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	छv	
ज	धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)			
	i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख	ज i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र	ज ii	
	iii	विनिहित की तारीख	ज iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की रकम	ज iv	
झ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च + 1छ + 1ज)			1 झ

2	धारा 54 छ ख की अधीन कटौती की दशा में कंपनी का पेन भरें									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

उ	चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ग की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-12 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)
---	--

क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ग का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली पूंजी हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब शमन किए गए अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6ख*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)	(आ1ग*+ आ2ड* + आ3ड*+ आ6ग*+ आ9च*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)	आ13ख	
ii		15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)							
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv	लागू दर		(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6ख*+ अ7*+ अ8ग*)							

v	डीटीएए दरें	अ9ख*							
vi	10%	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)							
vii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ 20%	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ड*+ आ6ग*+ आ9घ*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)							
viii	डीटीएए दरें	आ13ख							
ix	कुल हानि मुजरा (ii+iii+iv + v + vi+vii+viii)								
x	मुजरा के पश्चात् शे-1 हानि (i-ix)								

इस तालिका में एसटीसीजी के आंकड़े(क1ड* आदि) एसटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (क1 से क9) में एसटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभार्य है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।

इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(ख1ड* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (ख1 से ख13) में एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभार्य है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।

ऊ	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
2	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
3	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
4	डीटीएए दरों पर कर से प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 6 का मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					
5	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 X से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
6	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 xi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
7	डीटीएए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें					
8	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 15ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					

टिप्पण कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।

अनुसूची-112क किसी कंपनी या इक्विटी ओररंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है।														
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	अनुक्रमण के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटीआर-3 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम.3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची वीए.डी.		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूंजी अभिलाभ का प्रकार /अल्पकालिक (दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आमहानि के) मामले में शून्य (दर्ज करें (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सीजी . ग .का मद सं 2)

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाष्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल	1क	
i	धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	का	
ii	(i) के अलावा लाभांश आय	कii	
ख	ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
i	बचत खाते से	खा	
ii	जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii	
iii	आय-कर प्रतिदाय से	खiii	
iv	पास थ्रु आय की प्रकृति की आय में	खiv	
v	धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खv	
	10(12)		
vi	धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
vii	धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
viii	धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
ix	अन्य	खix	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभाष्य है (घा + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा	
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	

	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii		
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
ड	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1ड
	क्र.सं.	प्रकृति			राशि
	1	परिवार पेंशन			
	2	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय			
	3	अधिसूचित देश(2) के अतिरिक्त के तहत देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय			
	4	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के तहत गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया। आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।			
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)				2
	क	धारा 115खख के अधीन लाटरी, वर्ग पहली आदि से जीत से आय			2क
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खां + खांii + खांiii + खांiv + खv + खvi)			2ख
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खां		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खांii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खांiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खांiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
	ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			2ग
	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
	घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घां से घxix का योग)			2घ
	i	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी जो धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य है, द्वारा प्राप्त लाभांश	घा		
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii		
	iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii		
	iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv		
	v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घv		
	vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घvi		

3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2घ, 2ङ एवं 2च के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)			
	क(i)	व्यय/कटौतियां "ग" में इंदराज के अलावा (पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त मामलों में)	3क(i)	
	क(ii)	धारा 57(iिक) के अंतर्गत कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)	3क(ii)	
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूची ओ.एस" की 1 ग में आय दी गई हो)	3ख	
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज	3ग	
	ग i	धारा 57(1) के तहत योग्य ब्याज व्यय - कलित राशि	3ग i	
	घ	योग	3घ	
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम			4
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ			5
5क	धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा			5क
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय [1 (डीटीएए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] (यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 3xi को अंक ले जाए			6

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
	क	प्राप्तियां	8क				
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ				
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियां 6xi के अंक प्रविष्टि करे)				8ङ	
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9
10	प्रौद्भूत / अन्य स्त्रोंतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना						
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)

1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुडदौड़ खेल, जुआ , सट्टबाजी से जीत पर आय					
2	क्रम सं. 1a(i) में संदर्भित लाभांश पर आय					
3	धारा 115क(1)(a)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय					
5	धारा 115गक (1)(a) के तहत 10% की दर से लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)					
6	धारा 115A(1)(a)(iिकग) के तहत 10% की दर से ब्याज से					

		वितरित आय (पी टी आई आय शामिल)					
7		धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)					
8		धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के तहत कराधान से राहत के लिए दावा नहीं					
9		डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें						

अनुसूची सी.वाई.एल.ए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय	चालू वर्ष में	चालू वर्ष में मुजरा	चालू वर्ष में मुजरा	मुजरा करने के
		(इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	गृह संपत्तियों की हानि	की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारबार हानि	की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची ज त का 4)	(अनुसूची ख त की मद ड का का 2v)	(अनुसूची ण द का 0)	
ii	वेतन	(अनुसूची थ का 0)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची ज त का 4)				
iv	कारवार से आय (विनिर्दिष्ट कारवार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची ख त का क37)				
v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 iii)	-			
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9v)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9v)				

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xi	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vii)				
xiii	डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ग ध का 6)				
xv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ग ध का 8 ड)				
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ग ध का 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बी.एफ.एल.ए पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	अनुसूची ग म ठ क 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख / च गृह संपत्ति हानि)			
iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख / च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि)			
iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)	(ख / च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)	(ख / च या विनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची ग म ठ क का 5 vii)	(ख / च अल्पकालिक पूजा हानि)			
vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख / च अल्पकालिक पूजा हानि)			
viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख / च अल्पकालिक पूजा हानि)			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख / च अल्पकालिक पूजा हानि)			
x	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजा हानि)			
xi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजा हानि)			

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि)			
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
xiv	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(घुड़ दौड़ों से ख / च हानि)			
Xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से कराधेय आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
xvi	अग्रणीत मुजरा की गई हानि का योग (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii+ 5xiv + 5xv)					

अनुसूची सी.एफ.एल भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता / मास / वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि			अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूंजी हानि	दीर्घअवधि पूंजी हानि	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से हानि
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत					
1	2	3	4	5क	5ख	5ग=5क-5ख	6	7	8	9	10
i	2010-11										
ii	2011-12										
iii	2012-13										
iv	2013-14										
v	2014-15										
vi	2015-16										
vii	2016-17										
viii	2017-18										
ix	2018-19										
x	2019-20										
xi	2020-21										
xii	2021-22										
xiii	2022-23										
xiv	पिछले वर्ष में हानि का कुल										
xv	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)		(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)				(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)

हानियों का अग्रणीत

xv	2023-24 (चालू वर्ष हानियों को अग्रणीत)	(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)	(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची वीपी का ख42, यदि ve)	(अनुसूची वीपी का ग48, यदि ve))	(2x + 3x + 4x+5x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(6x+7x + 8x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8ड यदि - वीई)
xvi	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि							

अनुसूची अ.अ धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115खकग के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क-णछ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	

11 ख	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	
------	--	--

अनुसूची - 10कक

धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती					
	क्र.स	उपक्रम	वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन / सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.स	कटौती की रकम	
	क	उपक्रम संख्या 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)	
	ख	उपक्रम संख्या 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)	
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)				

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद में संदान	अन्य रूप में रकम	कुल संदान
	i						
	ii						
	iii	कुल					

घ	अर्हता सीमा के अधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
iii							

80छक अनुसूची (फर्म के भागीदार के मामले में जो फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता है)		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे					
क्र.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची द. क अनुसंधान संगमों को संदान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (i)क) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतियां संदान की पात्र रकम]

आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान की पात्र रकम
		नकद संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	कुल				

अनुसूची - 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियाँ

क	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ख	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 + क2)				ख

अनुसूची-80- झख धारा 80झख के अधीन कटौतियाँ

धारा 80झख के अधीन कटौतियाँ	क	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियाँ [धारा 80झख(9)]	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ख	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80झख(10)]	ख 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			ख 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ग	ऐसे उपक्रमों, जो कि फलों, सब्जियों, मांस, मांस उत्पादों,	ग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)

	पोलट्री, डेयरी उत्पादों, समुद्री खाद्य के प्रसंस्करण संरक्षण एवं पैकेजिंग में संलग्न है की दशा में कटौतियाँ [धारा 80- झख (11क)]	ग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
घ	खाद्यानां, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80झख(11क)]	घ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ड	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 से घ2 का योग)			ड

अनुसूची-80- झग और 80झड धारा 80झग और 80झड के अधीन कटौतियाँ

धारा 80झख के अधीन क ट आकृतियाँ	क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ग	उतरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			ग2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			
	घक	असम	घक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घख	अरुणचल प्रदेश	घख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घग2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
घड	मेघालय	घड1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घड2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियाँ (घ का 1 से घछ 2 का योग)			घज	
ड	धारा 80झग के अधीन कुल कटौतियाँ (क + घ+ ग + घज)			ड	

अनुसूची-6 क अध्याय 6 क के अधीन कटौतियाँ

1	भाग ख- भ ख कतिपय संदायों की बावत कटौती		
क	80ग	ख	80गगग
ग	80गगघ(1)	घ	80गगघ (1ख)
ड	80गगघ(2)	च	80घ
छ	80घघ	ज	80घघख

झ	80ड		ञ	80डड		
ट	80डडक		ठ	80डडख		
ड	80छ		ढ	80छछ		
ण	80छछक		त	80छछग		
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से त का योग)						1
2	भाग ग - कतिपय आय / अन्य कटौती की बावत कटौती					
	थ	80- झक	(अनुसूची 80 झक का ड)			
	द	80- झकख				
	ध	80- झख	(अनुसूची 80 झख का ड)			
	न	80- झखक				
	प	80झग/ 80झड	(अनुसूची 80 झग/80झड का ड)			
	फ	80जक				
	ब	80जकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. SI(अिव) +5II)			
	भ	80 थथख				
	म	80 ददख				
भाग ग के अधीन कुल कटौती (थ से म का योग)						2
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती					
	i	80 ननक		ii	80ननख	
	iii	80प				
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii और iii का योग)						3
4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1+2+3 का योग)					4

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल क ट आकृतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय				1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन					
		ड					
		80 झकख					
		क	शीर्ष ई के अधीन " कतिपय आय की बावत कटौतियाँ "अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क			
		ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख			
		ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग			
		घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग)	2घ			
		3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)				3
		3क	धारा 115जग(1) के अधीन आई एफ एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो			3क	
	3ख	धारा 115जग(1) के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय			3ख		
	4	धारा 115जग(1) के अधीन देय कर [(9% of (3क)+ 18.5% of (3ख)] (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रु. से)				4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा धारा 115अघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2023-24 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115अघ के अधीन कर				1		
2	निर्धारण वर्ष 2023-24 (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर				2		
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें				3		
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)						
	क्र.सं	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) = (ख3)-(ग)
			सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) 3(ख1)-(ख2)		
	i	2013-14					
	ii	2014-15					
	iii	2015-16					
	iv	2016-17					
	v	2017-18					
	vi	2018-19					
	vii	2019-20					
	viii	2020-21					
	ix	2021-22					
	x	2022-23					
	xi	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
	xii	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115अघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट				5		
6	पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट				6		

अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यसक बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल है। (अव्यसक बालक की आय यदि प्रति बालक 1500 रुपये से अधिक है तो शामिल की जाय)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है
1					
2					
3					

अनुसूची विशेष दर विशेष दरों पर कर पर प्रभार्य आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें)

क्रम सं.	धारा	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			(अनुसूची ओ.एस का 2गंiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गंiv)
2	111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत है)	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत नहीं है)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
4	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
7क	115कग (विदेशी कंसी में क्रम किए गए बंधपत्रो या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूची ण ध के 2घ1x का भाग)	
7ख	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूची ण ध के 2घxxi का भाग)	
8	115कगक (जी.डी.आर पर विनिदिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
9	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
10	115ड (विनिदिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
11	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी)	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)	
12	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एस.टी.सी.जी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)	
14	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एल.टी.सी.जी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xii का भाग)	
15	115खख (लाटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	10	(अनुसूची ण.ध के 2क का भाग)	
16	115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	☐	60	(अनुसूची ण.ध के 2ख का भाग)	
17	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति से आय	☐	30	(अनुसूची ख.त का क3ख)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	☐	30	(अनुसूची ग.छ का ग2)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ख.त का 3ड)	
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ण.ध का 2घ)	
19	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)				
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ख.त का 3घ)	
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ण.ध का 2घ)	
20	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयलि टाळ से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ण.द के 2घ का भाग)	
21	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ण.ध के 2च का भाग)	
22	धारा 111क या 111क के अलावा 15% की दर से प्रभार्य लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
23	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा 30% की दर पर प्रभार्य	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
24	दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
25	दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)	
26	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्य होगा	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)	
27	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्रॉप डाउन दिया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)	

विशेष दर

28	अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>	(अनुसूची ण.ध का 2ड)
योग			

अनुसूची-आई एफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

क्र. सं.	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं						
	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां या नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां / नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष
						i	ii
1							
2							
3							
4							
5							
6	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)

क्र. सं.	ब्याज से आय							क्र. सं.
1	ब्याज से आय							1
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
	ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि				iii		
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं. 38)				iv		
	v	वर्ष) i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (2	
	vi	5लाख रु. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया ब्यौरे भरें)						
		क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है					
	ख	एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश						
	ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)						
	घ	क्या कृषि भूमि सिचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)						
3	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)							3
4	डीटीएए के अनुसार आय जो कर प्रभार्य नहीं है							
5	क्र. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)	
	I							
	II							
III	डीटीएए से कुल आय जो कर प्रभार्य नहीं है							4
5	कोई और आय कर प्रभार्य नहीं है, (अनुसूची पीटीआई)							5
6	योग (1+2+3+4+5)							6

अनुसूची पीटीआई धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्र. सं.	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि(7-8)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1.	(ड्रॉप-डाउन दिया जाए)				i	गृह संपत्ति						
					ii	पूँजी अभिलाभ						
						क	अल्पकालिक अवधि					
						का	धारा 111क					
						काii	अन्य					
						ख	दीर्घकालिक अवधि					
						खा	धारा 112क					
						खाii	धारा 112क के अलावा अन्य					
					iii	अन्य स्रोत						
					क	लाभांश						
					ख	अन्य						
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन						
					ख	धाराके अधीन						
					ग	धारा.....के अधीन						
2.					i	गृह संपत्ति						
					ii	पूँजी अभिलाभ						
						क	अल्पकालिक अवधि					
						का	धारा 111क					
						काii	अन्य					
						ख	दीर्घकालिक अवधि					
						खा	धारा 112क					
						खाii	धारा 112क के अलावा अन्य					
					iii	अन्य स्रोत						
					क	लाभांश						
					ख	अन्य						
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन						
					ख	धाराके अधीन						
					ग	धारा.....के अधीन						

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची टी.पी.एस.ए		ई-फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण					
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है					
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा				
		ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार				
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर				
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)				
3	भुगतान किए गए कर						
4	निवल देय कर (2घ-3)						
5	धारा 92गड (2क) के अनुसार	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 3	तारीख 4	तारीख 5	तारीख 6

	द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)
6	बैंक और शाख का नाम						
7	बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम संख्या						
9	जमा की गई राशि						

अनुसूची-आय के विदेशी स्रोत

भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

क्र. सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख - टाळआई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डी टाळ एए का सुसंगत अनुक्षेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
			योग						
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
			योग						

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।

अनुसूची-टि.आर

भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

क्र. सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बावत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	
1					
योग					

2	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90 / 90 क) (1 घ) के योग का भाग)	2	
3	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91)((1 घ) के योग का भाग)	3	
4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर रहा अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय / जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें	4	हां / नहीं
	क कर प्रतिदाय की रकम	ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई हैं
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।			

अनुसूची- वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

आ1	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ2	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ3	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
आ4	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												

(ii)												
च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।												
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची 5क

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति या पत्नी का नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार					
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 44कख के तहत लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 44 कख के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।					हाँ/नहीं
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 92अ के तहत लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 92अ के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।					हाँ/नहीं
आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टाढ डीएस की रकम प	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टाढ डीएस	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	गृह संपत्ति				
2	कारबार या वृत्ति				
3	पूंजी अभिलाभ				
4	अन्य स्रोत				
5	योग				

अनुसूची कठ

वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख ₹0 से अधिक है, लागू होती है)

क्रम सं०	स्थावर आस्ति का ब्यौरा			
	विवरण	पता	पिन कोड	रकम (लागत) ₹0 में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				

आस्ति और दायित्व के विवरण

(ii)			
ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा		
क्रम सं०	विवरण		रकम (लागत) ₹० में
(1)	(2)		(3)
(i)	आभूषण, बुलियन आदि		
(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति		
(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान		
(iv)	वित्तीय आस्ति		रकम (लागत) ₹० में
	(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा रशियां)	
	(ख)	शेयर और प्रतिभूतियां	
	(ग)	बीमा पॉलिसी	
	(घ)	ऋण और दिए गया अग्रिम धन	
	(ङ)	हाथ नकदी	
ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज		
क्रम सं०	फर्म / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारित विनिवेश
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)			
(ii)			
घ	आस्तियों (क+ख+ग) के संबंध में दायित्व		
टिप्पण ▶	इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।		

अनुसूची जी.एस.टी

जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना

जी.एस.टी का ब्यौरा	क्रम. सं.	जी.एस.टी आई एन संख्या	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण	कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।		

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन

कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?			चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि (स्तंभ 3-7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए स्तंभ 3 के ऐसे बिक्री का कर गुण का तिथि व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ? ○ हां ○ नहीं यदि हां, तिथि बताएं	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तिथि बताएं		
	1	2	3	4	5	6	7	8

1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8				
2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)	
3	2023-24					

भाग - ख

भाग ख - कुल आय

कुल आय की संगणना

कुल आय	1	वेतन (अनुसूची ध का 6)			1	
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)			2	
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ				
	i	स ट त ट ओ के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क37)	3i			
	ii	स ट त ट ओ के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3ii			
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii			
	iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूची ख.त. के 3ड, 3च और 3छ)	3iv			
	v	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)			3v	
	4	पूंजी अभिलाभ				
	क	अल्पकालिक				
	i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 ii)	क i			
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 iii)	क ii			
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9v)	क iii			
	iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ के मद ड का 9v)	क iv			
	v	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii+ क iv)			4क v	
	ख	दीर्घकालिक				
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vi)	खा i			
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vii)	खा ii			

	iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची ग छ के मद ड का 9 viii)	खiii		
	iv	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + खiii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4खiv		
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (4क v + 4खiv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)		4ग	
	घ	धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)		4घ	
	ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ (4ख + 4घ)		4ङ	
5	अन्य स्रोतों से आय				
	क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क		
	ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 2)	5 ख		
	ग	घुडदोड के स्वामिस्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूचि ण ध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 ग		
	घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे)		5 घ	
6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v + 4ङ + 5 घ)				
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)				
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv)का योग + 5ख + 3iv)				
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची खचठ क के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)				
10	सकल कुल आय (8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (i) से (xiv) का योग + 5ख + 3iv)				
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है				
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (बीएफएलए का 5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5) तक सीमित]		12क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित]		12ख	
	ग	कुल (12क + 12ख) (10-11) तक सीमित		12ग	
13	धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 क क का ग)				
14	कुल आय (10 -12ग -13)				
15	आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)				
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय / कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 3)				
17	कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)				
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गचठ की पंक्ति xvi का योग)				
19	धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)				

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)	1क		
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख		
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) 3 पर	1 ग		
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)	1 घ		
	2	कुल आय पर संदेय कर				
		क	भाग ख- टाळ आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क		
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची द झ का (ii) का योग)	2ख		

	ग	कुषि आय पर रिबे ट (लागू होगा यदि (भाग ख- टाळ आई कुल आय का(14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग			
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख- 2ग)				2घ
	ड	धारा 87क के अधीन रिबे ट				2ड
	च	रिवेट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)				2च
	छ	अधिभार	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार		2छ
	i	अनुसूची धड़ के 17(i) का @25 प्रतिशत	2छ i		क	
	ii	10% या 15% पर लागू (निर्देश संदर्भ)	2छ ii		iiक	
	iii	अनुसूची एस.आई का 2च- 17(ii) उपर्युक्त 2छ(ii) में संदर्भित आय पर कर)	2छ iii			
	iv	कुल (क + iiक)				2छiv
	ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छ iv)				2ज
	झ	कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2झ)				2झ
	3	कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर)				3
	3क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर				3क
	3ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर				3ख
	4	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है) (अनुसूची क ड न क का 5)				4
	5	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4)				5
	6	कर राहत				
	क	धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क			
	ख	धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची ल द का 2)	6ख			
	ग	धारा 91 (अनुसूची ल.द का 3)	6ग			
	घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)				6घ
	7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है)				7
	8	ब्याज और फीस देय				
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग			
	घ	आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ			
	ड	कुल ब्याज और फीस देय (8क +8ख +8ग + 8घ)				8ड
	9	औसत दायित्व (7 + 8ड)				9
	10	संदत्त कर				
संदत्त कर	क	अग्रिम कर (17 क के स्तंभ 5 से)	10क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख			
	ग	टी.सी.एस (17घ का स्तंभ 7)	10ग			
	घ	स्वतः निर्धारण कर (17केस्तंभ 5 से)	10घ			
	ड	संदत्त कुल कर (10क +10ख +10ग)				10ड

11	संदेय रकम (यदि 10इ से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करे, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करे)	11			
12	प्रतिदाय (यदि 10इ 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)	12			
13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)		हां या नहीं का चयन करें		
i.	क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)				
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं) एक खाता पर निशान लगाएं
	i				
	ii				
नोट:					
1) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए					
2) रिफंड के मामले में, रिफंड क्रेडिट के लिए कई खातों का चयन किया जाता है तो विवरणी के प्रसंस्करण के बाद सीपीसी द्वारा तय किए गए किसी एक खाते में रिफंड का क्रेडिट किया जाएगा					
आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं					
ii.	ख) गैर-निवासी, जो आयकर रिफंड का दावा करते हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं				
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएएन
	1.				
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय				
	(i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या				
	(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)				

15 यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम	16	

17 अनुसूची-आयकर

क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
iv					
	टिप्पण	भाग ख - टाळ टाळआई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।			
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
वेतन से स्रोत पर कर	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				

टिप्पण ▶ कृपया **भाग ख - टाक टाकआई** के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का **योग प्रविष्ट करें** ।

ग													
स्त्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टी.डी.एस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16ङ के अनुसार]													
क्रम.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 35 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार संख्या (यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन/आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस	मौजूदा वित्त वर्ष का टी.डी.एस (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टी.डी.एस कटौती)	इस वर्ष जमा टी.डी.एस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा है।					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 35ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 35 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	वर्ष जिसमें आय/परिग्रह दी गई	
							आय	टी.डी.एस	आय	टी.डी.एस	पैन/आधार संख्या		
i													

टिप्पण▶ कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग - ख -टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।

घ											
स्त्रोत पर संग्रहित कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)											
क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत किया गया अदावकृत टी.सी.एस		चालू वित्तीय वर्ष का टी.सी.एस		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया	
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहण किया गया	रकम बी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)		
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)	
i									टी.सी.एस	पैन	
ii											

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टी.टी.आई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें ।

सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूँ कि मैं..... (झाप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ / रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

तारीख	स्थान	हस्ताक्षर
आ.क.वि.-4 सुगम	भारतीय आयकर विवरणी [ऐसे व्यष्टिकों, हिन्दू अवियक्त कुटुम्ब और फर्मों (एलएलपी से भिन्न) के लिए जो निवासी हैं और जिनकी कुल आय 50 लाख रु. तक है और जिसकी आयकर गणना धारा 44 कघ, 44कघ या 44कड के अधीन की जाती है] [ऐसे व्यष्टि के लिए नहीं जो कि कंपनी का निदेशक हो या जिसने असूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स में निवेश किया हो या जिसके ई.एस.ओ.पी पर आयकर स्थगन हो या जिसकी कृषि आय रु. 5000 से अधिक हो] (पात्रता के लिए अनुदेश)	निर्धारण वर्ष 2023-24
भाग क साधारण जानकारी		
(क 1) प्रथम नाम	(क 2) मध्य नाम	(क 3) अंतिम नाम
(क 5) जन्म की तारीख (दिन/माह/तारीख)	(क 6) फ्लैट /द्वार /भवन	
(क 7) परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क 8) मार्ग/गली /डाक-घर	(क 9) क्षेत्र/अवस्थान
(क 10) नगर/ शहर/ जिला	(क 11) राज्य	(क 12) देश
(क 14) आधार नम्बर (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)	(क 15) प्रास्थिति <input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हि.अवि.कु. <input type="checkbox"/> फर्म (एलएलपी से भिन्न)	
(क 16) मोबाईल नं० 1 निवास/ कार्यालय का एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं०	(क 17) मोबाइल नं० 2	(क 18) ई मेल पता - 1 (स्वयं) ई मेल पता - 2
(क 19) रोजगार की प्रकृति - <input type="checkbox"/> केंद्र सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार. <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी -सी जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी -एस जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी -पी.एस.यू. <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी - अन्य <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (उदाहरणार्थ पारिवारिक पेंशन आदि)		
(क 20)(क) धारा ... के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]	<input type="checkbox"/> 139(1)-नियत तारीख से पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4) नियत तारीख के पश्चात्, <input type="checkbox"/> 139(5)-पुनरीक्षित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119 (2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्	
(ख) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142 (1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153ग	
(क 21) यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)	/ /	
(क 22) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।	/ /	

(क 23)	
क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.ई की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)	
ख. क्या आपने 115खकग के बाहर पूर्ववर्ती वर्षों में विकल्प चुना है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें प्रपत्र 10- आई.ई की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)	
ग. चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अब चुना जा रहा है <input type="checkbox"/> चुना नहीं जा रहा <input type="checkbox"/> विकल्प जारी रखना <input type="checkbox"/> विकल्प से बाहर निकलना <input type="checkbox"/> विकल्प के लिए योग्य नहीं ("चुना जा रहा" तभी चयन करें जब आप पहली बार विकल्प चुन रहे हों)	
चुना नहीं जा रहा, तथा विकल्प जारी रखना, तथा विकल्प के योग्य नहीं के, अलावा कृपया प्रपत्र 10आई.ई दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या प्रस्तुत करें।	
(क 24) क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं परंतु अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? फर्म के मामले में लागू नहीं) - (✓) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: यह तभी भरा जाना है यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर कर रहा]	
(i) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
(ii) क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है?	(यदि हां है तो) रकम (₹)
(iii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के तहत निर्धारित शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किन्तु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/ नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिह्न) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क 25) क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दे -	
(1) प्रतिनिधि का नाम	
(2) प्रतिनिधि की हैसियत	
(3) प्रतिनिधि का पता	
(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या/ आधार	

भाग ख - सकल कुल आय		केवल संपूर्ण (₹) में	
ख1	व्यवसाय और वृत्ति से आय (टिप्पण-अनुसूची बी पी की ड 8 से मूल्य प्रविष्ट करें)	ख1	
ख2	i सकल वेतन (i क + i ख + i ग + 1 घ + 1 ङ)	i	
वेतन/पेंशन	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन	ik	
	ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	ix	
	ग धारा 17(3) के अनुसार	ig	
	घ धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	ig	
	ङ धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ	
	ii धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) [यह सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]	ii	
	ii क धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	ii क	
	iii शुद्ध वेतन (i - ii - ii क)	iii	
	iv धारा 16 के अधीन कटौतियां (iv क + iv ख + iv ग)	iv	
	क धारा 16(i क) के अधीन मानक कटौतियां	iv क	
ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	iv ख		
ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	iv ग		
v 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (iii - iv) (टिप्पण: अनुसूची टी.डी.एस-1, यदि लागू हो)	ख 2		
ख3	लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्व: अधिभोग में <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई <input type="checkbox"/>		
दूसरे संपत्ति	i वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराया मूल्य	i	
	ii स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर	ii	

	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)	iii		
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%	iv		
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	v		
	vi	वर्ष के दौरान 30% से न्यून प्राप्त बकाया किराया	vi		
	vii	गृह संपत्ति शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय (vi- ix + x) (यदि हानि हो तो नकारात्मक अंकों में बताएं) नोट: आवासीय संपत्ति से अधिकतम क्षति जिसे समायोजित किया जा सकता है 2,00,000 भारतीय रूपए है। क्षति को आगे ले जानेतथ समायोजित करने के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें।		ख 3	
ख4		अन्य स्रोतों से आय (झापडाउन जैसे बचत खाते ,जमा आदि से ब्याज ई-फाइलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभांश आय और धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृति लाभ खाते से आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेय तिमाही विवरण प्रस्तुत करें।)-- टिप्पण- "अनुसूची टी.डी.एस 2" को भरना सुनिश्चित करें, यदि लागू हो			
		कम करें : धारा 57(ii)के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)			
		कम करें: धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा		ख4	
ख 5		सकल कुल आय (ख1+ ख 2+ ख 3 + ख4)		ख 5	
		क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें			

भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों का पालन करें)

ग 1	80 ग		ग 2	80 गगग		ग 3	80 गगघ(1)		
ग 4	80गगघ(1ख)		ग 5	80गगघ (2)		ग 6	80 घ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	
ग 7	80घघ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	ग 8	80 घघख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	ग 9	80ङ		
ग 10	80ङङ		ग 11	80ङङक		ग 12	80ङङख		
ग 13	80छ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	ग 14	80छछ		ग 15	80छछग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	
ग 16	80ननक		ग 17	80ननख		ग 18	80प		
ग 19	कुल कटौतियां (मद ग1 से ग18 को जोड़ें)							ग 19	
ग 20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)							ग 20	

भाग घ - कर संगणना और कर प्रारस्थिति

घ 1	कुल आय पर संदेय कर (ग 20)	घ 1	
घ 2	धारा 87क के अधीन छूट	घ 2	
घ 3	कुल कर और उपकर (घ1 - घ 2)	घ 3	
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा (घ3) पर उपकर @ 4%	घ 4	
घ 5	कुल कर और उपकर (घ3 + घ4)	घ 5	
घ 6	धारा 89 के अधीन राहत (इस छूट का दावा करने हेतु कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।)	घ 6	
घ 7	राहत के बाद अतिशेन (घ 5 - घ 6)	घ 7	
घ 8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ 8	
घ 9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ 9	
घ 10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ 10	
घ 11	धारा 234घ के अधीन शुल्क	घ 11	
घ 12	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ 12	
घ 13	संदत्त कुल अग्रिम कर	घ 13	
घ 14	संदत्त कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय	घ 14	

घ 15	कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा (अनुसूची टीडीएसआई का स्तंभ 4 और अनुसूची टीडीएस2 का स्तंभ 6 का कुल योग)	घ 15	
घ 16	स्रोत पर कुल संगृहित कर (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 5 का कुल योग)	घ 16	
घ 17	कुल पूर्व संदत्त कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ 17	
घ 18	कुल संदेय (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ 18	
घ 19	प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12)	घ 19	
घ 20	केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (यदि कृषि गत आय 5,000 रु. से ज्यादा हो -, आई.टी.आर 3/5 का उपयोग करें) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें)	घ 20	

बैंक खातों	घ 21	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण				
		क्र.सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन
		i				
		ii				
<p>1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए।</p> <p>2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुबिध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।</p>						

अनुसूची बी.पी. - कारबार या वृत्ति से आय के ब्यौरे						
धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना						
क्र.सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		वर्णन	
(i)						
ड 1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां					
	क	यद्यपि विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व आदाता बैंक अथवा अदाता बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक इलेक्ट्रॉनिक किल्यरिंग सिस्टम प्राप्त किया गया अथवा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड प्राप्त किया गया			ड 1क	
	ख	कोई अन्य प्रणाली			ड 1ख	
ड 2	44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय					
	क	ड 1क का 6% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो			ड 2क	
	ख	ड 1ख का 8% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो			ड 2ख	
	ग	कुल (क + ख)			ड 2ग	
नोट- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है धारा 44कघ के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए और दूसरी आईटीआर यथा लागू की जानी है।						
धारा 44कघ के अधीन वृत्तियों उपधारणात्मक आय की गणना						
क्र.सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		वर्णन	
(i)						
ड 3	सकल प्राप्तियां					ड 3
ड 4	धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय (ड3 का 50%) या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो टिप्पण— यदि आय सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है कि धारा 44कघ के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए तथा दूसरी आईटीआर यथा लागू दायर की जाती है					ड 4
धारा 44कघ के अधीन माल वाहनों उपधारणात्मक आय की संगणना						
क्र.सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		वर्णन	
(i)						

माल वाहन का रजिस्ट्रीकरण सं०	क्या स्वामित्व/पट्टे	माल वाहन का सकल वाहन भार (मी० ट० में)	माह की संख्या जिसके लिए निर्धारिती ने माल वाहक का	माल वाहन के लिए प्रति मास उपधारणात्मक आय (12 मी० ट० से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन की
------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---	---

	पर/ या किराए पर है?	स्वामित्व /किराए पर या पट्टे पर है ?	दशा में 1000 रुपए प्रति टन प्रति मास की दर से, या 7500 रु प्रति माह की दर से
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)			
(क)			
(ख)			

आवश्यक होने पर पंक्तियां जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय, वाहनों की संख्यां 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)

ड 5	धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधारणात्मक आय [स्तंभ (5) का योग] टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अंतर्गत निर्धारित से कम हैं अथवा किसी समय स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तब दूसरी आईटीआर यथा दायर की जानी है।	ड 5	
ड 6	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज टिप्पण- यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा	ड 6	
ड 7	धारा 44 कड (ड5 - ड6) के उपधारणात्मक आय	ड 7	
ड 8	बिजनेस अथवा व्यवसाय शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (ड 2ग + ड 4+ ड 8)	ड 8	

माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना
टिप्पण- प्रत्येक जी.एस.टी.आइ.एन संख्या के लिए पृथक् रूप से नीचे सूचना दें-

ड 9	जी.एस.टी.आइ.एन सं. (संख्याएं)	ड 9	
ड 10	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों की वार्षिक मूल्य	ड 10	

कारबार की वित्तीय विशिष्टियां
टिप्पण-ड 11 से ड 25 के लिए, 31 मार्च, 2022 को यथाविद्यमान जानकारी दें (यदि लागू हों)

ड 11	पूजी स्वामित्व वाले सहभागी/सदस्य	ड 11	
ड 12	निश्चित ऋण	ड 12	
ड 13	अनिश्चित ऋण	ड 13	
ड 14	अग्रिम	ड 14	
ड 15	नानाविध ऋणदाता	ड 15	
ड 16	अन्य देनदारियां	ड 16	
ड 17	कुल पूजी एवं देनदारियां (ड 11 + ड 12 + ड 13 + ड 14 + ड 15 + ड 16)	ड 17	
ड 18	अचल परिसंपत्तियां	ड 18	
ड 19	संपत्ति सूची (इन्वेंटरी)	ड 19	
ड 20	नानाविध कर्जदार	ड 20	
ड 21	बैंकों के साथ शेष	ड 21	
ड 22	नकद	ड 22	
ड 23	ऋण तथा अग्रिम	ड 23	
ड 24	अन्य परिसंपत्तियां	ड 24	
ड 25	कुल परिसंपत्तियां (ड 18 + ड 19 + ड 20 + ड 21 + ड 22 + ड 23 + ड 24)	ड 25	
नोट	इस अनुसूची को दायर करने के लिए कृपया अनुदेश का संदर्भ लें (ड 15, ड 19, ड 20, ड 22 अनिवार्य हैं और अन्य यदि उपलब्ध हैं)		

अनुसूची-आयकर - आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के ब्यौरे

आर 1	वीएसआर कोड (स्तंभ 1)	निकषे की तारीख (स्तंभ 2)	चालान सं. (स्तंभ 3)	संदत्त कर (स्तंभ 4)
आर 2				
आर 3				
टिप्पण	घ13 और घ14 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रविट करें ।			

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]

क्रम. सं०.	संग्रहणकर्ता का कर संग्रह खाता संख्या	संग्रहणकर्ता का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के ब्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम

(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
	टिप्पण ▶ कृपया घ16 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 - वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
	कर कटौती खाता संख्यांक (टैन) स्तंभ (1)	नियोजक का नाम स्तंभ (2)	वेतन के अधीन आय स्तंभ (3)	कटौती किया गया कर स्तंभ (4)
एस 1				
एस 2				
एस 3				
टिप्पण-- कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्टि करें ।				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 - वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16क या प्रस्तुत प्ररूप 16ग और प्ररूप 16घ के अनुसार]								
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पैना/आधार सं.	अशेषित अदावाकृत स्रोत पर कर कटौती		चाहू वित्तीय वर्ष की स्रोत पर कर कटौती	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया)	प्रस्तुत तदनुसूची रिसीट/आहरण		अशेषित स्रोत पर कर कटौती
		कटौती का वित्तीय वर्ष	अशेषित स्रोत पर कर कटौती	कटौती किया गया स्रोत पर कर कटौती	दावा की गई स्रोत पर कर कटौती	कुल रकम	आय का सीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								
		टिप्पण ▶ कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्टि करें ।						

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है ।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ/रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ । मैं स्थायी खाता संख्या.....का/की धारक हूँ (यदि आर्बिट्रिट किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

स्थान तारीख यहाँ हस्ताक्षर करें

केवल शासकीय कार्य के लिए

यस प्राप्ति नो की स्टैप लगाए

प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुहर, तारीख और नाम

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर

(i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति]
(कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)
(कृपया अनुदेश देखें)

2	0	2	3	-	2	4
---	---	---	---	---	---	---

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत जानकारी	(क1)नाम		(क2) स्थायी लेखा संख्यांक			
	(क3)क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें		(क4) एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,			
	(क7)फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं०	(क8)परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5)विरचना की तारीख (दि.मा.व)			
			(क6)कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)			
	(क9)सड़क/गली/डाकघर	(क10) क्षेत्र/अवस्थान	प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यथा उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाईल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी),		<input type="checkbox"/>	
	(क11)नगर/शहर/जिला	(क12)राज्य	(क13)पिनकोड/ जिप कोड			
		(क14)देश				
	(क15)निवास/कार्यालय का फोन नं० एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं० 1		(क16)मोबाइल सं० 2			
	(क17)ई-मेल पता-1		(क18)ई-मेल पता-2			
	फाईल करने की प्रास्थिति	(क19 का)	धारा के अधीन फाईल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।		
		(का) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाईल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153(ग)			
		(का) क्या आप एक कारबार न्यास हैं?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
		(का) क्या आप धारा 115पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
(ख)		यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाईल करने की तारीख प्रवि-ट करें (दिन/मास/व-र)				
(ग)	यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148/ 153(ग) के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाईल की गयी है, तो यूनिक नंबर/ दस्तावेज पहचान संख्या(डी.आई.एन)और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाईल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें	(यूनिक नंबर)	/ /			
(घ i)	क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.एफ की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)					
(घ ii)	यदि "नहीं", तो चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> नहीं चुना गया <input type="checkbox"/> चुना जा रहा. यदि "चुना जा रहा" विकल्प चुना, कृपया पुस्तुत करें	प्रपत्र 10 झच दि/मा/व	पावती क्रमांक:			

(ड.)	निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी
(च)	क्या निर्धारिती की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(छ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ज)	यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें
(झ)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ञ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें
(ट)	(i) अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित है? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ठ)	यदि हां, कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या
(ड)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।
(ढ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--
	(1) प्रतिनिधि का नाम
	(2) प्रतिनिधि की हैसियत (डाप डाउन उल्लिखित करें)
	(3) प्रतिनिधि का पता
	(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या
(ण)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें
	फर्म का नाम
	स्थायी लेखा संख्यांक
(त)	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें
	कंपनी का नाम
	कंपनी का प्रकार
	स्थायी लेखा संख्यांक
	आरंभिक अतिशेष
	वर्ष के दौरान अर्जित अंश
	वर्ष के दौरान अंतरित अंश
	अंत अतिशेष
	अंशों की संख्या
	अर्जन की लागत
	अंशों की संख्या
	अभिदान / क्रय की तारीख
	प्रति अंश अंकित मूल्य
	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)
	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)
	अंशों की संख्या
	विक्रय प्रतिफल
	अंशों की संख्या
	अर्जन की लागत
	1 क
	1 ख
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
क	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
क 2	क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड / 44ख / 44खख / 44खखक के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
क 2i	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल विक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रु. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक
क 2ii	क 2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें विक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
क 2iii	क 2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक/ डी डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)
ग	यदि (ख) हां है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेख (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं ाकार द्वारा की गई है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं,
	(i) संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ग) / /
	(ii) कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम

	(iii)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या									
	(iv)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)									
	(v)	संपत्तिक/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या									
	(vi)	संपत्तिक/फर्म लेखा परीक्षक का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं0)/ आधार संख्या									
	(vii)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख									
(घ)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं										
(घii)	यदि घड़ा हां है, क्या धारा 92 अ के तहत खातों का लेखा परीक्षण किया गया					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ? दि/मा/व		
(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (कृपया अनुदेश देखें)										
	क्रम संख्यांक.		सेक्शन कोड					तारीख (दिन/मास/वर्ष)			
(ङ)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?										
	अधिनियम और धारा			(दिन/मास/मास)			अधिनियम और धारा			(दिन/मास/मास)	
अ.	क्या पूर्ववर्त के दौरान फर्म/एओपी/बीओआई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (संस्था तथा सहकारी बैंकों में प्रबंधन समिति का विवरण) यदि हां तो प्रविष्ट/ सेवानिवृत्त भागीदारों का विवरण प्रदान करें।										
	क्र.सं.	भागीदार/सदस्य का नाम			प्रवेश/निवृत्ति	स्थायी लेखा संख्या	प्रवेश/निवृत्ति की तारीख	पारिश्रमिक भुगतान/ देय सेवानिवृत्ति भागीदार के मामले में (फर्म के मामले में)		अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)	
	1.										
	2.										
आ	क्या एओपी/बीओआई /एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं										
इ	यदि हां तो एओपी/बीओआई /एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं										
इ.	क्या एओपी/बीओआई/एजीपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय /एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभाय नहीं है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं										
उ.	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2023 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार /सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक /न्यासी /फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था										
	क्र.सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्या/नामांकन पहचान (यदि आधार हेतु पात्र है)	एलएलपी में भागीदार की दशा में, अभिहित भागीदार पहचान संख्या	प्रास्थिति (कृपया निदेश देखें)	पूंजी पर ब्याज की दर	संदर्भ संदेय पारिश्रमिक		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(iv) में निर्दिष्ट	च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है									
	1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?								<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	

	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):	
	(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)	
	क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो
	(i)		वर्णन
	(ii)		

भाग क-बीएस

31 मार्च, 2023 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)

निधियों के स्रोत	अ	निधियों के स्रोत		
	1	भागीदार/सदस्यता निधि		
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी		क
	ख	आरक्षितियां और अधिशेष		
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खां	
	ii	पूंजी आरक्षिति	खांii	
	iii	कानूनी आरक्षिति	खांiii	
	iv	कोई अन्य आरक्षिति	खांiv	
	v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष	खv	
	vi	योग (खां+खांii+खांiii+खांiv+खv)	खvi	
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi)		1ग
	2	ऋण निधि		
	क	प्रतिभूत ऋण		
	i	विदेशी करेंसी में ऋण	कां	
	ii	रुपए में ऋण		
अ	बैंकों से	iiअ		
आ	अन्य से	iiआ		
इ	योग (iiiअ+iiiआ)	iiइ		
iii	कुल प्रतिभूत ऋण (कां+ii इ)		कांiii	
ख	अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)			
त	विदेशी मुद्रा ऋण	कां		
त्	रुपया ऋण			
अ	बैंकों से ऋण	iiअ		
आ	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	iiआ		

		इ अन्य से	iiइ			
		ई कुल रुपया ऋण (ii+i+ii+ii+ii इ)	iiई			
		iii कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)			खiii	
	ग	कुल ऋण निधि (कांiii + खiii)			2ग	
3		आस्थगित कर दायित्व			3	
4		अग्रिम				
	i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i			
	ii	अन्य से	ii			
	iii	कुल अग्रिम (i+ii)			4iii	
5		निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)			5	
आ		निधियों का उपयोग				
1		नियत आस्तियां				
	क	सकल ब्लॉक	1क			
	ख	अवक्षयण	1ख			
	ग	शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग			
	घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ			
	ङ	शेष (1ग+1घ)			1 ङ	
2		विनिधान				
	क	दीर्घकालिक विनिधान				
		i संपत्ति में विनिधान	i			
		ii साम्या लिखत				
		अ सूचीबद्ध साम्या	iiअ			
		आ असूचीबद्ध साम्या	iiआ			
		इ योग	iiइ			
	iii	अधिमानी शेयर	iii			
	iv	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iv			
	v	डिबेंचर या बंधपत्र	v			
	vi	पारस्परिक निधियां	vi			
	vii	अन्य	vii			
	viii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii इ+iii+iv+v+vi+vii)			कviii	
	ख	अल्पकालिक विनिधान				
		i साम्या लिखत				
		अ सूचीबद्ध साम्या	iअ			
		आ असूचीबद्ध साम्या	iआ			
		इ योग	iइ			
	ii	अधिमानी शेयर	ii			
	iii	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iii			
	iv	डिबेंचर या बंधपत्र	iv			
	v	पारस्परिक निधियां	v			
	vi	अन्य	vi			
	vii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (iइ+ii +iii+iv+v+vi)			खvii	
	ग	कुल विनिधान (कviii+खvii)			2ग	
3		चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम				
	क	चालू आस्तियां				
		i सूचियां				
		अ कच्चा माल	iअ			
		आ प्रगतिगत स्टक	iआ			

	इ	तैयार माल	इ		
	ई	व्यापारगत स्टाक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)	ई		
	उ	भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य	उ		
	ऊ	खुले औजार	ऊ		
	ए	अन्य	ए		
	ऐ	योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iए)			ऐ
	ii	विविध देनदार			
	अ	एक से वर्ग से अधिक के लिए बकाया	iiअ		
	आ	अन्य	iiआ		
	इ	कुल विविध लेनदार			iiइ
	iii	नकदी और बैंक अतिशे-1			
	अ	बैंक में अतिशे-1	iiiअ		
	आ	हाथ में नकदी	iiiआ		
	इ	अन्य	iiiइ		
	ई	कुल नकद और नकद समतुल्य (iii अ+iii आ + iiiइ)			iiiई
	iv	अन्य चालू आस्तियां			कiv
	v	कुल चालू आस्तियां (iiऐ+iiइ+iiiई+कiv)			कv
ख		ऋण और अग्रिम			
	i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खा		
	ii	निक्षेप, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खाii		
	iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशे-1	खाiii		
	iv	योग (खा + खाii + खाiii)			खाiv
	v	खाiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए हैं			
	क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए	vक		
	ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं	vख		
ग		योग (कv+खाiv)			3ग
घ		विद्यमान दायित्व और उपबंध			
	i	विद्यमान दायित्व			
	अ	विविध लेनदार			
	1	एक वर्ग से अधिक के लिए बकाया	1		
	2	अन्य	2		
	3	योग (1+ 2)	अ3		
	आ	पट्टाघृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
	इ	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज और शोध	इ		
	ई	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु शोध नहीं	ई		
	उ	अग्रिम में प्राप्त आय	उ		
	ऊ	अन्य संदेय	ऊ		
	ए	योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ)			िए
	ii	उपबंध			
	अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
	आ	छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्तिता/उपदान के लिए उपबंध	ii आ		
	इ	अन्य उपबंध	ii इ		
	ई	योग (iiअ+iiआ +iiइ)			iiई
	iii	योग (iउ+ iiई)			चाiii
ङ		शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-चाiii)			3ङ

	4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
		ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
		ग	लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशे-1	4ग		
		घ	योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ	
	5		निधियों के उपयोग का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)		5	
लेखा न होने की दशा	ग		उस दशा में, जहां कारवार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, वहां कारवार या वृत्ति की बाबत 31 मार्च, 2023 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें			
		1	विविध देनदारों की कुल रकम		ग1	
		2	विविध लेनदारों की कुल रकम		ग2	
		3	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम		ग3	
		4	नकद अतिशे-1 की रकम		ग4	

भाग अ-विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन					
	क	आरंभिक सूची				
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i		
		ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टॉक	ii		
		iii	योग (i + ii)		कiii	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय(घा + घाii + घाiii)			घ	
		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	बिजली और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
	ड.	कारखाना अधिव्यय				
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
		ii	कारखाना किराया और दर	ii		
		iii	कारखाना बीमा	iii		
		iv	कारखाना ईंधन और बिजली	iv		
		v	कारखाना साधारण व्यय	v		
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi		
		vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)		ड.vii	
	च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ड.vii)			च	
2	अंत स्टॉक					
		i	कच्ची सामग्री	2i		
		ii	प्रगति रत कार्य	2ii		
		योग (2i + 2ii)			2	
3	उत्पादित माल की लागत -व्यापार लेखा में अंतरित(1च-2)					3

भाग अ- व्यापार लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालन से राजस्व				
		क	विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)			
			i	माल का विक्रय	i	
			ii	सेवाओं का विक्रय	ii	
			iii	अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
			क		iiiक	
			ख		iiiख	
			ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग	
			iv	योग (i + ii + iiiग)		काiv
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां			ख
व्यापार लेखा में जमा		ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर			
			i	संघ उत्पाद शुल्क	i	
			ii	सेवा कर	ii	
			iii	वैट/विक्रय कर	iii	
			iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv	
			v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v	
			vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi	
			vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii	
			viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii	
			ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)		गाix
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व(काiv + ख +गाix)			4घ	
	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5	
	6	व्यापार लेखा में जमा का योग(4घ + 5iv)			6	
	7	तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक			7	
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)			8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9	
व्यापार लेखा से विकलन			i	आवक वहन व्यय	i	
			ii	बिजली और ईंधन	ii	
			iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii	
		10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर			
			i	सीमा शुल्क	10i	
			ii	प्रति शुल्क	10ii	
			iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii	
			iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv	
			v	सेवा कर	10v	
			vi	वैट/विक्रय कर	10vi	
			vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii	
			viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii	
		ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
		x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
		xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
		xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
	11	उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित			11	

12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित	12	
12क	इंट्राडे का कारबार	12क	
12ख	इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि को अंतरित	12ख	

भाग अ-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)

लाभ और हानि लेखा को जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख)		13		
	14	अन्य आय		14xii		
	i	किराया	i			
	ii	कमीशन	ii			
	iii	लाभांश आय	iii			
	iv	ब्याज आय	iv			
	v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	v			
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारत प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ	vi			
	vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	vii			
	viii	धारा 43क के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	ix			
	x	कृषि-आय	x			
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	क		xiक			
	ख		xiख			
	ग	योग (xiक + xiख)	xiग			
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)				
	15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13+14xii)		15		
लाभ और हानि लेखा से विकलन	16	जावक भाड़ा व्यय		16		
	17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग		17		
	18	बिजली और ईंधन		18		
	19	किराया		19		
	20	भवन की मरम्मत		20		
	21	मशीनरी की मरम्मत		21		
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर		22xi		
	i	वेतन और मजदूरी	22i			
	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	अवकाश यात्रा लाभ	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
vii	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii				
viii	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii				
ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix				
x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	22x				
xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i का 22x योग)					
xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं			
	यदि हां तो , अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख				

23	बीमा				
	i	चिकित्सा बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	23iii		
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24	कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय			24	
25	मनोरंजन			25	
26	आतिथ्य			26	
27	सम्मेलन			27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)			28	
29	विज्ञापन			29	
30	कमीशन				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)		30iii	
31	स्वामिस्व				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग I (i + ii)		31iii	
32	वृत्तिक/परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)		32iii	
33	होटल, भोजन तथा आवास			33	
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय			34	
35	विदेश यात्रा व्यय			35	
36	प्रवहण व्यय			36	
37	टेलीफोन व्यय			37	
38	अतिथि गृह व्यय			38	
39	क्लब व्यय			39	
40	उत्सव समारोह व्यय			40	
41	छात्रवृत्ति			41	
42	दान			42	
43	संदान			43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	वेट/विक्रय कर	44iii		
	iv	उप कर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		

	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45		संपरीक्षा फीस		45	
46		फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक		46	
47		अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)		47iii	
48		अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)			
	i(1)		48i(1)		
	i(2)		48i(2)		
	i(3)		48i(3)		
		अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]	48i		
	ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	48ii		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	48iii		
	iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii)		48iv	
49		अशोध्य संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध		49	
50		अन्य उपबंध		50	
51		ब्याज के पूर्व लाभ, अवक्षयण [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]		51	
52		ब्याज			
	i	भारत से बाहर भुगतान किया गया हो अथवा भारत में किसी अनिवासी को (कंपनी के अलावा) अथवा किसी विदेशी कंपनी को	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)		52iii	
53		अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		53	
54		करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 - 52iii - 53)		54	
55		चालू कर के लिए उपबंध		55	
56		आस्थगित कर का प्रावधान		56	
57		कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)		57	
58		पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अतिशेष		58	
59		विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)		59	
60		आरक्षित और अतिशेष में अंतरित		60	
61		स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रणीत अतिशेष (59 - 60)		61	
62		धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)			
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
	(i)	सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (ik + ix)			62i
	क	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			ik
	ख	किसी अन्य ढंग से			ix

कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान

उपधाराणात्मक आय मामले

		(ii) धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक+ iiख)		62ii	
		क	62क का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiक	
		ख	62ख का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiख	
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
63		धारा 44कघ के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)			
क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		विवरण
(i) सकल प्राप्तियां					
(ii) धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50%, या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)					
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कघ के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
64		धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना			
क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		विवरण
	माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की टन भार क्षमता(मी.ट.में)	मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारिती द्वारा माल को स्वामित्व/पट्टे/भाड़े पर लिया गया	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम, जो भी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
	कुल				
यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक)					
(ii) धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]		64(ii)			
(iii) कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक		64(iii)			
(iv) धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)		64(iv)			
टिप्पण—यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।					
65		यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें			
(i) कारबार कर रहे निर्धारिती के लिए					
अ		सकल प्राप्तियां (क1 + क2)		ik	
1		निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त		क1	
2		किसी अन्य ढंग से		क2	
ख	सकल लाभ		ix		
ग	व्यय		ig		
घ	शुद्ध लाभ				65i
(ii) वृत्तिरत निर्धारिती के लिए					
क		सकल प्राप्तियां (क1 + क2)		iiक	

	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	किसी अन्य ढंग से	क2		
	ख	सकल लाभ	iiख		
	ग	व्यय	iiग		
	घ	शुद्ध लाभ			65ii
	(iii)	कुल लाभ (65i + 65ii)			65iii
66	i	सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन			66i
	ii	सकल लाभ			66ii
	iii	व्यय, यदि कोई हो			66iii
	iv	सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)			66iv

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (यदि धारा 44 कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आजापक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	3क	
		[अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11क (iii)]		
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	3ख	
		[अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11ख(iii)]		
	4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति		
		क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)		
		घ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ	
		ङ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-		
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मरद्दे हैं	5क	
		ख प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख	
		ग पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ	
		ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
		च लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
	6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखे में विकलित रकम		
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
		ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभाना के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
		घ उधार ली गई पूंजी की वास्तविक संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ		
	च किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च		
	छ अनुमोदित अधिवर्तिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ		
	ज धारा 80गघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदायों की रकम [36(1)(iv क)]	6ज		
	झ किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ		
	ञ किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ		
	ट किसी भविष्य निधि या अधिवर्तिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदायों के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6ट		
	ठ दूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ		
	ड दूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड		
	ढ किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ		

ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संबंधन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूतियों में संयवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संयवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार से आय में शामिल नहीं किया गया है 1[36(1)(xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6थ	
द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6द	
ध	कोई अन्य अननुज्ञेय	6ध	
न	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध का योग)	6न	
प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारित की मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
	i भारत में तैनात	i	
	ii भारत से बाहर तैनात	ii	
	iii योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
ग	व्यय जो अधिकशित या अनन्य रूप से कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2) ख]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिनिद्ध है	7छ	
ज	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7ञ	
8	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(ix) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग	
घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ	
च	घनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii) क]	अच	
छ	राजस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iib) के अनुसार संदत्त रकम	अछ	
ज	किसी मागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज	
झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ	
ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अञ का योग)	8अञ	
आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ	

9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख	
ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग	
घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)]	9घ	
ङ	धारा 36(1)(xviii) [40क(13)] के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ	
च	कोई अन्य अननुज्ञेय	9च	

	छ	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ड का योग)		9 छ	
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्तन में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञात किन्तु पूर्ववर्तन के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्तिका निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घ क		
	ड	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ड		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10छ का योग)		10ज	
11	पूर्व वन के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्तिका निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घ क		
	ड	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)		11ज	
12	निम्नलिखित की बावत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ड	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ड		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें			13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभाय लाभ की कोई रकम			14	
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15	
16	धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय व्यय			16	
17	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]			17	

भाग क-परिणात्मक व्यौरे

परिणात्मक व्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)

परिणात्मक व्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टाक	1
	2	पूर्व वन के दौरान क्रय	2

	3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3		
	4	बंद स्टॉक	4		
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5		
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
		क	आरंभिक स्टॉक	6क	
		ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6ख	
		ग	पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6ग	
		घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6घ	
		ङ	बंद स्टॉक	6ङ	
		च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च	
		छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
		ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
	7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद			
		क	आरंभिक स्टॉक	7क	
		ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7ख	
		ग	पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
		घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7घ	
		ङ	बंद स्टॉक	7ङ	
		च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्योरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)						
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %						
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम						
	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या						
	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)						
	I						
	II						
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएँ]						
	किराएदार का नाम						
किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)							
किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)							
I							
II							
क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य							
1क							
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती							
1ख							
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर							
1ग							
घ योग (1ख + 1ग)							
1घ							
ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)							
1ङ							
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत X 1ङ)							
1च							
छ 1च का 30%							
1छ							
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज							
1ज							
झ योग (1छ + 2ज)							
1झ							
ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%							
1ञ							
ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)							
1ट							
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)							
संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %							
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम							
सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या							
संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)							
I							

II	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रॉ) का पैन/ टैन/आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	I		
	II		
क	प्राप्त या प्राप्त्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ग के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ग के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)		2क
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत X 2ङ)	2च	
छ	1च का 30%	2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
झ	योग (2छ + 2ज)	2झ	
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%	2ञ	
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट	
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*		3
4	" गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें)		4

टिप्पण

यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।
यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।

अनुसूची - कारबार या वृत्ति

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) या 66(iv)	1	
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि [लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv]	2क	
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिह्न प्रविष्ट करें)	2ख	
3	115खख के अधीन प्रभार्य या 115खख के अधीन प्रभार्य या 115खख के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां	क	गृह संपत्ति 3क
		ख	पूंजी अभिलाभ 3ख
		ग	अन्य स्रोत 3ग
		गां	लाभांश आय 3गां
		गां	लाभांश आय के अलावा 3गां
		घ	धारा 115खख 3घ
		ङ	धारा 115खख 3ङ
		च	धारा 115 खख के तहत (अधियहण की लागत के अलावा) 3च
4क	1 में शामिल लाभ व हानि जो कि धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कङ/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44घक/ 44घख में संदर्भित है (धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से लाभ के अलावा) (झापडाउन का उल्लेख करें)	4क	
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख	
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (झापडाउन का उल्लेख करें)	4ग	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	(क) फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क	
	(ख) एओपी/बीओपी से आय का अंश	5ख	
	(ग) कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	i	ग i	
	ii	ग ii	
	iii योग (ग i + गii)	5ग iii	
	(घ) कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)	5घ	
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3ङ - 3च - 4क - 4ख - 4ग - 5घ)	6	

7	115खखच के अधीन प्रभार्य/115खखछ के अधीन प्रभार्य/ 115 खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क	
		ख	पूँजी अभिलाभ	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
		घ	धारा 115खखच	7घ	
		ङ	धारा 115खखछ	7ङ	
		च	धारा 115 खखज के तहत अधिग्रहण की लागत के अलावा	7च	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय			8क	
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अननुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)			8ख	
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)			9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)			10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण			11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घटत का स्तंभ 6)		12i	
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे आयकर नियम के परिशिष्ट-ट-झक के अनुसार)		12ii	
	iii	कुल (12i + 12ii)			12iii
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)			13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णञ का 6S)			14	
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णञ का 7झ)			15	
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णञ का 8कज)			16	
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णञ का 9ख)			17	
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क -णञ का 11ज)			18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज			19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय			20	
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय			21	
22	43 गक के अधीन मानी गई आय			22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मर्दे			23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से ब्याज जिसमें निर्धारती भागीदार है)			24	
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3क + 4घ)			25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)			26	
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती			27	
28	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई है। अनुसूची उधद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)			28	
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क -णञ का 8ख)			29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णञ का 10ज)			30	
31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम			31	
32	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3ख+ 4ड.)			32	
33	कुल (27+28+29+30+31+32)			33	
34	आय (13+26-33)			34	
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -				

	i	धारा 44कघ [अनुसूची का 62(ii)]	35i		
	ii	धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	35ii		
	iii	धारा 44कड [अनुसूची का 64(ii)]	35iii		
	iv	धारा 44ख	35iv		
	v	धारा 44खख	35v		
	vi	धारा 44खखक	35vi		
	vii	धारा 44घक	35vii		
	viii	धारा 44घख	35viii	(प्रारूप उगड की मद 4)	
	ix	कुल (35i से 35viii)			35viii
36		सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34+35viii)			36
37		नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हों तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागू नहीं होते हैं तो 37 में कोई संख्या भरें) (यदि हानि है तो 2i की मद को ड में ले जाएं) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ड + 37च)			क 37
	क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क		
	ख	नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ख		
	ग	नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37घ		
	ड	नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ड		
	च	नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 36)के सिवाय आय	37च		
38		वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग-(37क+37ख+37ग+37घ+37ड.)]			38
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			39
	40	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन			40
	41	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां			41
	42	सट्टेबाजी के कारबार से आय (हानि की दशा में 6xvi के अंक को अनुसूची गच ठ में ले जाएं)			आ42
इ		विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन			
	43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			43
	44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			44
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां (धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है			45
	46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43+44-45)			46
	47	धारा 35कघ के अनुसार कटौतियां (1)			47
	48	विनिर्दिष्ट कारबार से आय (46-47) (हानि की दशा में 7xvi के अंक को अनुसूची गचठ में ले जाएं)			इ48
	49	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मैनुयू से चयन किए जाए)			इ49
घ		'कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शी-फ के अधीन प्रभार्य आय (क37+ ख42+ ग48)			घ
ड		चालू वर्ग की कारबार हानि को बट्टे खाते में डालने के अंतः शी-फ			
क.सं.		कारबार आय की किस्म	चालू वर्ग की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डालने के पश्चात् कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i		बट्टे खाते में डाली जाने वाली हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या		(क 37)	
ii		सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 42)		
iii		विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
iv		धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
v		बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii)			
vi		बट्टे खाते डालने के पश्चात् शे-न हानि (i - v)			

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	संयंत्र और मशीनरी			
	2	15	30	40	45
	3	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	आस्तियों का ब्लाक				
	दर (%)				
	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				
	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				
	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
	आयकर अधिनियम (सूत्र 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,				
	कुल नियत मूल्यहास (15-16)				
	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (सूत्र 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास				
	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 - 15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
	3	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन							
	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन							
	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
12	कुल अवक्षयण। (10+11)						
13	आयकर अधिनियम (सूतंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,						
14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)						
15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (सूतंभ 14 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास						
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय						
17	धारा 50। के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)						
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 - 12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

अनुसूची - डीईपी आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क			
		ख 30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख			
		ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग			
		घ 45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ			
		ङ संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1 ङ			
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
		क 5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क			
		ख 10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख			
		ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग			
	घ भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)	2घ				
	3 फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)	3				
	4 अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)	4				
	5 पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)	5				
	6 कुल अवक्षयण (1ङ+2घ+3+4+5)	6				

अनुसूची - डीसीजी अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
	ख 30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		

	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+ 1घ)			
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क			
ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख			
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग			
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)				3
4	अमर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)				5
6	कुल अवक्षयण (1ङ+ 2घ + 3 + 4 + 5)				6

अनुसूची इएसआर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)		
क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 बख)			
viii	35गगग			
ix	35ग गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें ।			

अनुसूची-पूँजी अभिलाभ

पूँजी अभिलाभ

पूँजी अभिलाभ

अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ	क	अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ (एसटीसीजी) / उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है			
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)			
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का	
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii	
		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]	काiii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	क	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii	
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii	
		iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iv	

		v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v				
ग	तुलन का iii - ख v)			1 ग				
घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद् घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			1 घ				
ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)				क 1 ङ			
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)							
		क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , ज़िप कोड	पिन कोड
		टिप्पण ▶ यदि धारा 194-इक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज़ापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।						
2	स्लम्य विक्री से							
	क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2का				
		ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काii				
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2काiii				
	ख		बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख				
	ग		स्लम्य की विक्री से अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (2काiii - 2ख)					क 2 ग
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1) (ii) (ख) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत किया गया है							
	क		प्रतिफल का पूरा मूल्य			3 क		
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ग iii				
		iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
		v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v				
	ग		शेन (3 क - ख v)			3 ग		
	घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/वोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)			3 घ		
	ङ		साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत) (3 ङ +3 घ)					क 3 ङ
4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)							
	क		संब्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संब्यवहार कर (एसटीटी) संदत किया गया है					क 4 क 4
	ख		संब्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संब्यवहार कर (एसटीटी) संदत नहीं किया गया है					क 4 ख
5	अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)							
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।					
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क				
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ख				
		ग	पूजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ग				
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	काii				
		iii	कुल (ग + ii)	काiii				
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii				
		iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
		v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v				
	ग		शेन (5 क iii - ख v)			5 ग		

	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ		
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत) (3 ङ +3 घ)			क 5 ङ
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से				
	क	i विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			
		क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क		
		ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ig		
		ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	काii		
		iii कुल (ig + ii)	कiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii		
		iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv		
		v योग (i + ii + iii+ iv)	ख v		
	ग	शे-1 (6 क iii - ख v)	6 ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ		
	ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ		
	च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च		
	छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ - 6 च)			क 6 छ
7	अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं			
		क्रम सं.	पूर्व वर्गों में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
		i	2019-20	54घ/54छ/54छक	
	ख	धारा 54घ/54छ/54छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि			
		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + ख)			
					प्रपत्र 5ग का क्रम सं. 4ख
8	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआईई भरे)(क8क+क8ख+क8ग)				
	क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभार्य		अ8क	क8

	ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य							अ8ख		
	ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य							अ8ग		
9	क 1 - क8 में अंतर्विष्ट एसटीसीटी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है										
	क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. का 1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है/नहीं	आई टी एकट की धारा	आइटी एकट के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 से कम)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर की कुल राशि									क9 क
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीसीटी प्रभार्य कर की कुल रकम									क9 ख
10	कुल अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (क 1 ड+ क 2 ग+ क 3 ड+ क 4 क+ क 4ख+ क 5 ड+ क 6 छ+ क 7 + क 8 - क 9क)										
ख	दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)										
दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक् रूप से भरें)									
	क	i	प्राप्त/प्राय प्रतिफल का पूरा मूल्य						का		
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य						काii		
		iii	पूंजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]						काiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
	i	अधिनियम की धारा 48 के खड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी						ख i			
		सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						ख ii			
		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत						ख iii			
		पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय						ख iv			
	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)						ख v				
	ग	शे-1 (क iii - ख v)									1 ग
	घ	धारा 54 घ / 54 डग/ 54 छ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						1 घ			
	ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)									ख 1 ड
	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)									
		क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओ) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य		
टिप्पण ► यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।											
2	स्लम्प विक्री से										
क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य						2का			
	ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य						2काii			
	iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)						2काiii			
ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य									2ख	
ग	शे-1 (2काiii - 2 ख)									2ग	
घ	धारा 54डग के अधीन कटौती									2घ	
ड	स्लम्प के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (2ग - 2 घ)										
3	बंध पत्रों या डिबेचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)										
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य						3क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						ख i			
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत						ख ii				

	4	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
		ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3 क - 3 ख iv)		ख 3ग	
		4		सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से	4	

		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क	
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
		ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)		ख 4 ग
5		किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोंमुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से			
		उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची 112 क के कॉलम 14)			ख5च
6		अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)			
		इंडेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी			ख6
7		अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से			
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्याँरे प्रविष्ट करें।		
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक	
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	iख	
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25क के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग	
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii	कुल (iग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7 क - 7 ख iv)			ख 7 ग
8		किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोंमुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से			
		उपर्युक्त ख8 में पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ(115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14))			ख8च
9		आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं			
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्याँरे प्रविष्ट करें।		
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक	
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	iख	
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25क के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग	

	ii	गैर कोटिड शेरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
	iii	कुल (iग + ii)	क iii		
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
ग	अतिशेष (क iii- खाiv)				9 ग
घ	धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)				9 घ
ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (9ग-घ)				ख 9 ङ

10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं									
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि					
	i	2019-20	54घ/54छ/54छक	वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि					
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि					10ग				
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ख)					ख10				
11	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थू आय, (अनुसूची तनझ भरें) (आ11क + आ11ख)					B11				
	क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य			आ11क1					
	क2	धारा 112क के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य			आ11क2					
	ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य			आ11ख					
12	ख 1 से ख11 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीएए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है									
	क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीएए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एकट की धारा	आइटी एकट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
क	डीटीएए के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभार्य नहीं कर की कुल राशि					ख12क				
ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि					ख12ख				
13	कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9घ + ख10 + ख11 - ख12क)					ख13				
ग1	पूंजीगत अभिलाभ राशि (क10 + ख13) (खा 3 को शून्य लें, यदि हानि हो)					ग1				
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)					ग2				
ग3	"पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय (ग1+ग2)					ग3				
घ	पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना									
1	धारा 54घ / धारा 54ङघ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्योरे दें।									
क	54 घ के अधीन कम किया गया दावा									
	i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख			क i	दिन/मास/वर्ष				
	ii	नई भूमि या आद्योगिक उपकरण के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत			क ii					
	iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख			क iii	दिन/मास/वर्ष				

	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	क v	
ख	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आसूति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम	ख ii	
	iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	कम किए गए दावे की रकम	ख iv	
ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आसूति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आसूति के क्रय और सन्निर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	ग ii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आसूतियों के क्रय/सन्निर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	ग iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	ग v	
घ	54छक के अधीन कम किया गया दावा			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आसूति के अंतरण की तारीख	घा i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आसूति के क्रय और सन्निर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	घा ii	
	iii	सेज में नई आसूतियों के क्रय/सन्निर्माण की तारीख	घा iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	घा iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	घा v	
ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)			1 ड

ड पूंजी अभिलाभ चालू वर्ग की पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-8 और बी-9 में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग क पूंजी अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ 9= 1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीए दर	10%	20%	डीटीए दर	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ1ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8*+ आ11क1*+ आ11क2*)	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6*+ आ9ड*+ आ10+ आ11ख)	आ12ख	
ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)							
iii		30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv		लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)							
v		डीटीए दर	अ9ख*							
vi		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	आ1ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8*+ आ11क1*+ आ11क2*)						

Vii	20%	(आ1ग* + आ2ड* + आ3ग* + आ6* + आ9ड* + आ10 + आ11ख)								
Viii	डीटीएए दर	आ12ख								
Ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजरा के पश्चात् शे-न हानि (i - ix)									

इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ1-अ8) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-आ11) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य है, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।

च पूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के वि-ग में सूचना

	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (iv)
1	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
2	30% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
3	लागू दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
4	डीटीएए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
7	डीटीएए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
8	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 17ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					

अनुसूची वी.डी.ए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूँजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियाँ						
कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय	
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल	1क	
	i धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	कां	
	ii (i) के अलावा लाभांश आय	कांii	
ख	व्याज, सकल (खां + खांii + खांiii + खांiv)	1ख	
	i बचत खाता से	खां	
	ii जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खांii	
	iii आय कर प्रतिदाय से	खांiii	
	iv पास थ्रु आय की प्रकृति की आय/हानि में	खांiv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घा + घां + घांii + घांiii + घांiv + घांv)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घां	
	ii प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घांii	
	iii अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घांiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घांiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घांv	
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति	राशि
	1		
	2		
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है		
2	विशेष दरों पर प्रभाय आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित)	2	
क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय	2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभाय आय (खां + खांii + खांiii + खांiv + खव + खvi)	2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खां	
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खांii	
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खांiii	
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खांiv	
	v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खव	
	vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi	
ग	विशेष दर पर प्रभाय कोई अन्य आय (गां से गxxiii का योग)	2 ग	
	i अनिवासी द्वारा प्राप्त लाभांश (धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभाय कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं)	ग i	

ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	ग ii									
iii	धारा 115क(1)(क)(iik) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii									
iv	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv									
v	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v									
vi	धारा 115A(1)(क)(iikख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठ घ में निर्दिष्ट ब्याज	ग vi									
vii	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(iikग) के अधीन प्रभार्य	ग vii									
viii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य पारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	ग viii									
ix	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग ix									
x	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	ग x									
xi	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi									
xii	(115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त आय	ग xii									
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	ग xiii									
xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	ग xiv									
xv	कतिपय मामलों में अनाम संदान - धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	ग xv									
xvi	धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व द्वारा आय	ग xvi									
xvii	धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय	ग xvii									
xviii	धारा 115ड के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय	ग xviii									
xix	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)	ग xix									
xx	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx									
xxi	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xxi									
xxii	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य- (धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा) प्रतिभूतियों के संबंध में निर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त आय (लाभांश के अलावा)	ग xxii									
घ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य सत्रों से आय की प्रकृतिमें गुजरी हुई आय (झापडाउन प्रदान किया जाए)				2घ						
ङ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीएए के अनुसारभारत में विशेष दरों पर 2 घ (नीचे सारणी के स्तंभ (2) का योग)				2ङ						
	क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मनु सं० 1क और 1घ सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीडीएए का अनुच्छेद	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (आर्य प्रभार्य से संबंधित विशेष दरों के अधीन 2क,2ख,2ग एवं 2घ के आलावा)										
	क	व्यय/ कटौतियां "ग" में इंदराज के अलावा					3क				
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है)					3ख				
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज					3ग				
	गां	धारा 57(i) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि					3गां				
	घ	योग					3घ				

4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	4					
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	5					
6	अन्य स्रोतों से निवल आय 1 (डीटीए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/में आंकड़े भरें)	6					
7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रूप 6 दर्ज करें, यदत्रिणात्मक)	7					
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
	क प्राप्ति	8क					
	ख केवल 8क पर प्राप्ति के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ अतिशे-1 (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीएफएल के 11xv में आंकड़े भरें)	8ङ					
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (नकारात्मक की दशा में 8ङ को ले जाएं)	9					
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना						
	क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 से 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय						
2	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
3	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
5	धारा 115क(1)(क)(ii)कग के तहत 10% की दर से ब्याज से वितरित आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
6	धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
7	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
8	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची सी.वाई.एल.ए चालू वर्गों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौर

क्र.सं.	आय का स्रोत/स्रोत	चालू वर्गों की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्गों की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्गों की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्गों के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरा के पश्चात् शेष बची चालू वर्गों की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी के मद 3 का 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)	

ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची एचपी का क 37)				
iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iv)				
v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का viii)				
x	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
xiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)				
xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शे-1 हानि (i - xvi)					

अनुसूची-बी.एफ.एल.ए

पूर्व ब-नों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यारे

क्र.सं.	आय का शी-1/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ग की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शे-1 बची चालू वर्ग की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			

x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)				
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)				
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)				
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiv)					
xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)				
xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvii)					
xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि						
xvii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शे-1 बची हानि योग	(5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)					

अनुसूची-सी.एफ.एल भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि			सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	धारा 115ख जीवन बीमा व्यवसाय से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि रैस	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत						
1	2	3	4	5क	5ख	5ग =5क-5ख	6	7	8	9	10	11
i	2010-11											
ii	2011-12											
iii	2012-13											
iv	2013-14											
v	2014-15											
vi	2015-16											
vii	2016-17											
viii	2017-18											
ix	2018-19											
x	2019-20											
xi	2020-21											
xii	2021-22											
xiii	2022-23											
xiv	पूर्ववर्त की हानियों का योग ख/च											
xv	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2i)		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)		(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)
xvi	2023-24 चालू वर्ष की हानिय		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)		(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)		(अनुसूची बीएफ का ख42, यदि -vड)	(अनुसूची बीएफ का ग48, यदि -vड)	अनुसूची बीपी का ड(iv) (यदि नकारात्मक हो)	(2x+3x+4x+5x)	(6x+7x+8x)	(अनुसूची ओएस का 8ड यदि -vड)
xvii	यूनिट धारकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित (निवेश निधि के लिए लागू)											

Xviii	चालू वर्ष की हानियां अग्रणीत (xvi-xvii)								
xix	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xiv-xv+xviii)								

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन मोक			
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	धारा 115खकघ के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शे-रकम	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के लिए मोक की रकम की मुजराई	अग्रिम वर्ष के लिए अग्रणीत शे-
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xv)			(बीएफएलए का 4xv)	

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ग झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ग झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष-अ आर्थिक क्षेत्र में अर्वास्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क्रम सं.	बचनबंध	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है	क्रम सं. रकम
	क	बचनबंध सं0 1		क (प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 1 के लिए)
	ख	बचनबंध सं0 2		ख (प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 2 के लिए)

ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)	ड
---	--------------------------------------	---

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ड	कुल दान (कांiii + खांiii + गांiii + घांiii)						

अनुसूची 80छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे

क्रम सं..	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (झपडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची आर. ए अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा35(1)(ii) या धारा 35(1)(iik) या 35(1)(iii) or 35(2कक) के अधीन कटौतियां

दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
		नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i					
ii					
iii कुल					

अनुसूची-80-झ.क धारा 80- झ.क के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				क2
ख	धारा 80-झक(4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				ख2
ग	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2)			

अनुसूची-80-झ.ख धारा 80-झ.ख के अधीन कटौतियां

क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा80झख(4)]	क1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
				क2
ख	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा80झख(9)]	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
				ख2
ग	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(10)]	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
				ग2
घ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	घ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
				घ2
ङ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	ङ 1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
				ङ 2
च	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से ङ 2 का योग)			

अनुसूची-80-झग या 80-झङ धारा 80-झग या धारा 80झङ के अधीन कटौतियां

क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				क2
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				ख2
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				ग1
घक	असम	घक1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				घक2
घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				घख2
घग	मणिपुर	घग1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				घग2
घघ	मिजोरम	घघ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				घघ2
घङ	मेघालय	घङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				घङ2
घच	नागालैंड	घच1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				घच2
घछ	त्रिपुरा	घछ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				घछ2
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ 2 का योग)			
ङ	धारा 80झग या धारा 80झङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)			

धारा 80-झग के अधीन कटौती

अनुसूची 80त धारा 80त के अधीन कटौतियां		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा			
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग			
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन			
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय			
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना			
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहिक निपटान			
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबंध क्रियाकलाप			
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संघीय सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां ।			
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी			
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य सहकारी सोसाइटियां			
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटियों में निवेश से ब्याज/लाभांश			
12	धारा 80त(2)(ङ) वाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय			
13	धारा 80त(2)(च) अन्य			
14	योग			

अनुसूची -6क अध्याय 6क के अधीन कटौतियां						
कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80छ	ख	80छछख		
	ग	80छछग				
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)					1
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	घ	80-झक (अनुसूची 80- टक का च)	ड	80-झकख		
	च	80-झकग	छ	80-झख	(अनुसूची 80- झख का ड)	
	ज	80-झखक	झ	80झग/80झड	(अनुसूची 80 झग/80झड का ज)	
	ञ	80ञक	ट	80ञकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5I(Aiv) +5II	
	ठ	80टक(1) प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9	ड	80टक(1क)	(प्रपत्र 10गगच के अनबंध का9)	
	ण	80त				
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)					2
	3	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 + 2)				3

अनुसूची- ए.एम.टी धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना					
कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय			1
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन			
	80 झकख				
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क		
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख		
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवकाय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग		
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ		
3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2ग)			3	
क	धारा 115जग के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो			3क	

ख	धारा 115जग के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख
4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति [(3 ख) का 18.5 % या 15% (3 क) का 9 % जैसा अनुप्रयोज्य हो] (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)	4

अनुसूची ए.एम.टी.सी

धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2023-24 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आई का 1घ)	1		
2	निर्धारण वर्ष 2023-24 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख-टी.टी.आई का 4)	2		
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविट करें) यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविट करें]	3		
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोगित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती)			
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एएमटी प्रत्यय (ख)	चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी (ग)	अग्रणीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) - (ग)
		सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख1) - (ख2)
i	2011-12			
ii	2012-13			
iii	2013-14			
iv	2014-15			
v	2015-16			
vi	2016-17			
vii	2017-18			
viii	2018-19			
ix	2019-20			
x	2020-21			
xi	2021-22			
xii	2022-23			
xiii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविट करें)			
xiv	योग			
5	धारा 115जघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार]	5		
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविट करें]	6		

अनुसूची एसआई

विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

क्र.सं.	धारा / विवरण	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क या धारा 115कघ(1)(ii)- परंतुक(शेयर/इन्विटी उन्मुख एमएफ पर एसटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vi)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi)	
9	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक(शेयरों अथवा इकाइयों की बिक्री पर एलटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)	
10	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix)	
11	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	12.50	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii)	
12क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची आ.एस का भाग 2ग ix)	
12ख	115कग के तहत प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xxiii)	
13	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेंली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क)	
14	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	

15	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2खxvi)	
16	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.पी का 7ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2गxvi)	
17	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति से आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.पी का 3च)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
18	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2गviii)	
19	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से आय प्रभार्य है	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस के 2डका भाग)	
20	15% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची ओ.एस के 5vi का भाग)	
21	30% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस के 5vii का भाग)	
22	10% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस के 5x का भाग)	
23	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एफ.ए का भाग 5x)	
24	20% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची ओ.एस के 5xi का भाग)	
25	विशेष दये पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)	
26	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
				योग	

अनुसूची आई एफ भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है

क्र.सं	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म को धारा 92ड लागू होती है (हां/नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ में हिस्से की रकम	फर्म में 31 मार्च को पूंजी बकाया
						i	ii
1							
2							
3							
4	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)

क्र.सं	व्यय	1	2	3
1	व्याज से आय			
2	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i		
	ii कृषि पर उपगत व्यय	ii		
	iii पूर्व आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि	iii		
	iv नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बी.पी की क्र.सं. 38) से संबंधित कृषि आय अंश		2	
	v वर्ष (i-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)			
	vi वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)			
	क पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।			
ख एकड़ में कृषि भूमिक का मापन				
ग क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)				
घ क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)				
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			3
4	क धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10(23चग) या 10(23चगक) या 10(23चड़) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय (कृपया प्रपत्र दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के तहत दावा किया गया है। के तहत आय प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।	3क		
	ख कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट के साथ पंक्ति विकल्प जोड़ें	3ख		
4	डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं आय			

क्र.सं०	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)	
I							
II							
III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीए से कुल आय						4
5	कर से प्रभार्य नहीं गुजरी हुई आय (अनुसूची पीटीआई)						5
6	योग (1+2+3+4+5)						6

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
				का	धारा 111क				
				काii	अन्य				
				ख	दीर्घकालिक अवधि				
				खा	धारा 112क				
				खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य स्रोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
				ख	धाराके अधीन				
				ग	धारा.....के अधीन				
2.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
				का	धारा 111क				
				काii	अन्य				
				ख	दीर्घकालिक अवधि				
				खा	धारा 112क				
				खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य स्रोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				

					क	धारा 10(23चखख) के अधीन			
					ख	धाराके अधीन			
					ग	धारा.....के अधीन			

टिप्पण ▶ इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची टी.पी.एस.ए		ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण						
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाखा का नाम						
	7	बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम संख्या							
9	जमा की गई राशि							

अनुसूची- एफएसआई

भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

क्र. सं.	देश कोड	कर सदायकर्ता पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख तज्ञ में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ङ) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
				1			i	गृह संपत्ति	
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अम्लाम					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अम्लाम					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची-टीआर

भारत से बाहर संदत्त किए गए करों पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

क्र. सं.	भारत से बाहर संदत्त कर के विवरण				
	देश कोड	कर सदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (अनुसूची च घ झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च घ झ की (ङ) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
1	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

योग			
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)	2	
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)	3	
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका वर्ग के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय/प्रत्यय किया है ? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें	4	हां/नहीं
क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	निर्धारण वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिदेश करें

अनुसूची वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ2	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											

क्र. सं.	देश का नाम और कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	ज़िप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो ।											
क्र. सं०	देश का नाम	ज़िप कोड	न्यास	न्यासियों	अवस्थापक	हिताधिकारियों	जब से पद संभाला है	क्या आपके पास	यदि (8) हां में है,	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		

	और कोड	का नाम और पता	के नाम और पते	का नाम और पता	के नाम और पते	उसकी तारीख	प्रोदभूत आय का कराधेय है	तो न्यास से प्राप्त आय	राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(i)												
(ii)												

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आसति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आजापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आसति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची जीएसटी

जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी

क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण

कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् जानकारी दें।

भाग - ख**भाग ख-कुल आय****कुल आय की संगणना**

कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविट करे)	1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
	i	सट्टेबाजी और विनिर्दि-ट कारबार के कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बीपी का ए37) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविट करे)	2i	
	ii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2ii	
	iii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2iii	
	iv	विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी का 3घ, 3ङ और 3च)	2iv	
	vi	योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रविट करे यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविटि में ले जाएं)	2v	
	3	पूंजी अभिलाभ		
	क	अल्प कालिक		
	i	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद 3 का 9ii)	का	
ii	30% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद 3 का 9iii)	काii		
iii	लागू दर पर प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद 3 का 9iv)	काiii		
iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद 3 का 9v)	काiv		

	v	कुल अल्प कालिक (का + काii + काiii + काiv) (यदि हानि हो तो कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	3कv	
ख		दीर्घ कालिक		
	i	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)	खा	
	ii	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)	ख ii	
	iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9viii)	ख iii	
	iv	कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो तो शून्य करें)	3ख iv	
ग		अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3ख iv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)		3ग
घ		धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)		3घ
ङ		कुल पूंजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)		3ङ
4		अन्य स्रोतों से आय		
	क	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	4 क	
	ख	विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का 2 करें)	4 ख	
	ग	घुडदौड़ के स्वामित्व और अनुसक्षण क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	4 ग	
	घ	योग (4 क + 4 ख + 4 ग)		4 घ
5		मदवार आय का योग (1 + 2v + 3 ग + 3ङ + 4 घ)		5
6		5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू बर्न की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)		6
7		चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5 - 6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (v) से (xv)का योग + 4ख + 2iv)		7
8		7के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)		8
9		सकल कुल आय (7 - 8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv)से (xiv)का योग + 4ख + 2iv)		9
10		9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय		10
11		अध्याय 6क के अधीन कटौतियां		
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]		11क
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2)]		11ख
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित]		11ग
12		धारा 10कक के अधीन कटौती (अनुसूची 10कक का कुल)		12
13		कुल आय (9- 11ग -12)		13
14		विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)		14
15		रेंट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृति आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)		15
16		कुल आय (13 - 14 + 15) [यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा]		16
17		अग्रनीत की जाने वाली चालू बर्न की हानियां (अनुसूची सीएफएल के xvi का योग)		17
18		धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय (अनुसूची ए.एम.टी का 3)		18

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	क	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)		1क	
	ख	पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि लागू है)		1ख	
	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर		1ग	
	घ	मानी गई आय (1 क+1 ख+1 ग) पर कुल संदेय कर		1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क		
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख		
	ग	कृति आय पर छूट /भाग ख-नज का 13-14 कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग		
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग)		2घ	
	ङ	उपकर	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक के बाद अधिभार	2ङ
	i	अनुसूची एस.आई के 12(ii) का 25%	2ङ i	iक	
	ii	10% या 15% पर लागू (निर्देश संदर्भ)	2ङ ii	iiक	

	iii	(2घ) पर 12ड(ii) में संदर्भित आय पर कर - अनुसूची एस.आई का 12(ii)	2ड iii					
	iii	कुल (i + ii + iii)				2ड iii		
	च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2डiii				2च		
	छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ + 2ड iv + 2च)				2छ		
3		सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)				3		
4		पूर्व वर्षों में संदत्त कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)				4		
5		धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3 - 4)				5		
6		कर राहत						
	क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क					
	ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख					
	ग	योग (6क + 6ख)				6ग		
7		शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)				7		
8		ब्याज और देय फीस						
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क					
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख					
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग					
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ					
	ड	कुल ब्याज और देय फीस (8क+ 8ख+ 8ग +8घ)				8 ड		
9		कुल दायित्व (7 + 8 ड)				9		
10		संदत्त कर						
	क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क					
	ख	स्रोत पर काटा गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख					
	ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग					
	घ	स्वतः निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ					
	ड	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)				10ड		
11		संदेय रकम (यदि 9, 10 ड से अधिक है तो प्रविट करें, अन्यथा 0 प्रविट करें)				11		
12		प्रतिदाय (यदि 10ड, 9 से अधिक है) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा				12		
संदत्त कर और बैंक के ब्यौरे	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं) हां या नहीं का						
		क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)						
		क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)		
		i						
	ii							
बैंक खाता		नोट:						
		1) रिफंड क्रेडिट के लिए सभी बैंक खातों के संबंध में बताया जाना चाहिए, निष्क्रिय खातों को छोड़कर.						
		2) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं						
		ख) गैर-निवासी, जो भारत में आयकर रिफंड और बैंक खाता नहीं होने का दावा कर रहे हैं, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:						
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आई.बी.ए.एन			
		आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं						
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय i) (भारत के बाहर स्थित कोई आसतियां) जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें (<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/> नहीं		

15	अनुसूची-आयकर				
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)

i																				
ii																				
iii																				

ख स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16 ङ के अनुसार]																
क्र.सं०	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैना/ आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का पैना/किराएदार/क्रेता का पैना/ आधार संख्या	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टीडीएस कटौती)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट	वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती(यदि लागू हो)	स्वयं कटौती के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया(यदि लागू हो)	कुल रकम	आय का शीर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
							आय टी.डी.एस	आय टी.डी.एस	पैना/ आधार संख्या							
i																

टिप्पण भाग ख ननझ के 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]													
क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैना(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	दावा नहीं किया गया अग्रणीत स्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च	चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर संग्रहण)	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस	टी.सी.एस जमा आगे लाया गया	वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/ च	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)			
						टी.सी. एस	पैना/ आधार नं.						
i													
ii													

टिप्पण कृपया भाग ग - टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें।

सत्यापन

में _____ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्रीसत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियाँ मेरे सर्वाधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं।

में यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी (ड्राप डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं एक स्थाई खाता संख्या धारक हूँ (यदि आबंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

में यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहाँ धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख _____ स्थान _____ यहाँ हस्ताक्षर करें →

प्रारूप	आकवि -6	भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें] (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ग					
			2	0	2	3	-	2

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत सूचना	(क1) नाम				(क2) स्थायी लेखा सं0				
	(क3) क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें				(क4) कारपोरेट पहचान संख्या (का.प.स.) एम.सी.ए. द्वारा जारी				
	(क8) फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0	(क9) परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5) निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		(क6) कारबार के प्रारंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ष)				
	(क10) सड़क /मार्ग/डाक घर	(क11) क्षेत्र/अवस्थान		/ /		/ /			
	(क12) कस्बा/शहर/जिला	(क13) राज्य	(क14) पिन कोड / ज़िप कोड		(क7) कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>				
		देश			(i) देशी कंपनी <input type="checkbox"/>				
					(ii) विदेशी कंपनी <input type="checkbox"/>				
					यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित) <input type="checkbox"/>				
	(क15) कार्यालय की दूरभा-1 संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं0-1				(क16) मोबाइल नं0-2				
	(क18) ई मेल पता-2								
फाइल करने की प्राप्ति	(क19) धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणा, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब की माफी के पश्चात् <input type="checkbox"/> 170क - प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा आदेश के पश्चात्							
	या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153ग							
	(ख) यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्राप्ति संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)	_ / _ / _							
	(ग) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/ 153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) या धारा 170क में संदर्भित आदेश के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।	/ /							
	(घ) आवासीय प्राप्ति (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी								
(ड.) क्या आपने धारा 115खक/115खकक/115खकख के तहत कराधान का विकल्प चुना है ? (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन है) (घरेलू कंपनी पर लागू) यदि हां, कृपया नि.व. का वर्णन करें जिसमें उक्त विकल्प का पहली बार प्रपत्र (10-अ ख / 10- अ ग / 10- अ घ) तथा पावती संख्या के साथ उपयोग किया गया है यदि नहीं, क्या इस वर्ष के लिए विकल्प चुना है? हां नहीं यदि हां, कृपया पत्र 10-अ ख / 10- अ ग / 10- अ घ दाखिल करने की तिथि बताएं									

(च)	क्या पिछले वर्ष 2020-21 में कुल व्यापारवर्त/सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक हैं? (हाँ/नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)	
(छ)	क्या निर्धारित देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?	
(ज)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(झ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) है ? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या	
(ञ)	क्या निर्धारित से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ? यदि हां, कृपया विवरण दें .	
(ट)	क्या कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ठ)	क्या निर्धारित की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(ड)	क्या निर्धारित कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(ढ)	क्या एफ.आई.आई/एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं0 बताएं	
(ण)	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	क्या निर्धारित के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -	
(1)	निर्धारित के प्रतिनिधि का नाम	
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें)	
(3)	निर्धारित के प्रतिनिधि का पता	
(4)	निर्धारित के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या	
(त)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यताप्राप्त हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
1	यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आर्बटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें	
2	क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
3	यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें	
4	क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
5	यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें	
(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(क2)	क्या निर्धारित धारा 44कड./44ख/44खख/44खखख/44घ के अंतर्गत ही आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(क2i)	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रु. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक	
(क2ii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी.डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(क2iii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी.डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)	
(ग)	यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष)	

	(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम			
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या			
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)			
	(5)	स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०			
	(6)	लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) / आधार सं.			
	(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख			
(घा)	क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
(घाii)	यदि (घझ) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		लेख परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष	
(घाiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें [कृपया अनुदेश 5 देखें]				
		क्र. सं.	अनुभाग कोड	तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
ड	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?				
	अधिनियम और धारा		(दिन/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा	
(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्रित कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समनु-ंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों हैं तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें				
(ख)	यदि समनु-ंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें				
	पैन	धारक कंपनी का नाम	धारक कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	
(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समनु-ंगी कंपनी का उल्लेख करें				
	पैन	समनु-ंगी कंपनी का नाम	समनु-ंगी कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	
(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का उल्लेख करें				
	पैन	समामेलक कंपनी का नाम	समामेलक कंपनी का पता	समामेलन की तारीख	
(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का उल्लेख करें				
	पैन	समामेलित कंपनी का नाम	समामेलित कंपनी का पता	समामेलन की तारीख	
(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें				
	पैन	परिणामिक कंपनी का नाम	परिणामिक कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख	
(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें				
	पैन	अवीलीन कंपनी का नाम	अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख	
प्रमुख व्यक्ति	उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं				
	क्रम सं०	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं.
					निदेशक की दशा में, एमसीए द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि.प.सं)
शेयरधारक की सूचना	उन व्यक्तियों की विशी-टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे ।				
	क्रम सं०	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)	

असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे ।					
क्रम सं०	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक/आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)	
विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।					
क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित करदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।					
क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित करदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
कंपनी का स्वरूप					
					(निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/>
1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क)में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं ।				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है ? यदि हां, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्व/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)					
क्र.सं.	कोड [कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें]	वर्णन			
(i)					
(ii)					
(iii)					

स्वामित्व संबंधी जानकारी

कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार

भाग क-तुलन पत्र

31 मार्च, 2023 को या सम्मेलन की तारीख को तुलन पत्र

साधारण पूंजी और दायित्व	I साधारण पूंजी और दायित्व						
	1	शेयर धारक की निधि					
		क शेयर पूंजी					
		i	प्राधिकृत	कां			
		ii	पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	कांii			
	iii	अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं	कांiii				
	iv	कुल(कां + कांiii)	कांiv				

ख	आरक्षिति और अधिशे-1			
	i	पूँजी आरक्षिति	खां	
	ii	पूँजी मोचन आरक्षिति	खांii	
	iii	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिति	खांiii	
	iv	डिबेन्चर मोचन आरक्षिति	खांiv	
	v	पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति	खv	
	vi	शेयर विकल्प बकाया रकमे	खvi	
	vii	अन्य आरक्षिति (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
		क	viiक	
		ख	viiख	
		ग	कुल (viiक+viiख)	खvii
	viii	अधिशे-1 अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेखे में अतिशे-1 (नामों पक्ष का अतिशे-1 ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	खviii	
	ix	कुल (खां + खांii + खांiii + खांiv + खv + खvi + खvii + खviii)		खांix
		(नामों पक्ष का अतिशे-1 यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)		
ग	शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम			1 ग
घ	शेयर धारक की कुल निधि (कांiv + खांix+1 ग)			1 घ
2	शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है			
	i	एक वर्ग से कम से लंबित है	i	
	ii	एक वर्ग से अधिक से लंबित है	ii	
	iii	कुल (i+ii)		2
3	स्थगित दायित्व			
	क	दीर्घकालिक उधार		
		i	बंधपत्र/डिबेन्चर	
		क	विदेशी मुद्रा	i क
		ख	रुपया	i ख
		ग	कुल (i क +ii ख)	i ग
	ii	आवधिक ऋण		
		क	विदेशी मुद्रा	iiक
		ख	ऋण रूप में	
		1	बैंकों से	ख1
		2	अन्य से	ख2
		3	कुल (ख1+ख2)	ख3
		ग	कुल आवधिक ऋण (iiक+ख3)	iiग
	iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व		iii
	iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)		iv
	v	अन्य निक्षेप		v
	vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)		vi
	vii	अन्य ऋण और अग्रिम		vii
	viii	दीर्घकालिक वित्तपो-ण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता		viii
	ix	कुल दीर्घकालिक (iग+iiग+iii+iv+v+vi+vii+viii)		3क
ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)			3ख
ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व			
	i	व्यापार संदेय	i	
	ii	अन्य	ii	
	iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)		3ग
घ	दीर्घकालिक विनिधान			
	i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान	i	
	ii	अन्य	ii	
	iii	कुल (i+ii)		3घ
ङ	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)			3ङ

4	चालू दायित्व				
	क	अल्पकालिक उधार			
		i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण		
			क	बैंकों से	i क
			ख	गैर-बैंककारी कंपनियों से	i ख
			ग	अन्य वित्तीय संस्थाओं से	i ग
			घ	अन्य से	i घ
		ड	कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (i क+i ख+i ग+i घ)		i ड
		ii	संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें)		ii
		iii	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)		iii
iv	अन्य ऋण और अग्रिम		iv		
v	अन्य निक्षेप		v		
vi	कुल अल्पकालिक उधार (i ड+ii+iii+iv+v)		4क		
ख	व्यवसाय संदेय				
i	एक वर्ग से अधिक के लिए बकाया		i		
	ii अन्य		ii		
	iii कुल व्यवसाय संदेय (i+ii)		4ख		
ग	अन्य चालू दायित्व				
i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता		i		
	ii वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता		ii		
	iii उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध्य नहीं है		iii		
	iv उधार पर प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज		iv		
	v अग्रिम में प्राप्त आय		v		
	vi असंदत्त लाभांश		vi		
	vii प्रतिभूति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय		vii		
	viii असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज		viii		
	ix असंदत्त डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज		ix		
	x अन्य संदेय		x		
	xi कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)		4ख		
घ	अल्पकालिक उपबंध				
i	कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए उपबंध		i		
	ii आय-कर के लिए उपबंध		ii		
	iii प्रस्तावित लाभांश		iii		
	iv लाभांश पर कर		iv		
	v अन्य		v		
	vi कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)		4घ		
ड	कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ)		4ड		
कुल शेयर और दायित्व (1घ + 2 + 3ड + 4ड)			।		
II	आस्तियां				
1	गैर-चालू आस्तियां				
	क	स्थिर आस्तियां			
		i	मूर्त आस्तियां		
			क	सकल ब्लाक	i क
			ख	अवक्षयण	i ख
			ग	हास से हुई हानियां	i ग
			घ	शुद्ध ब्लाक (i क- i ख - i ग)	i घ
		ii	अमूर्त आस्तियां		
		क	सकल ब्लाक	ii क	

		ख	क्रमिक अपाकरण	iiख			
		ग	हास से हुई हानियां	iiग			
		घ	शुद्ध ब्लाक (iiक- iiख - iiग)	iiघ			
		iii	पूजीगत चालू काम	iii			
		iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां	iv			
		v	कुल स्थिर आस्तियां (iघ + iiघ + iii + iv)			क v	
ख	गैर-चालू विनिधान						
		i	संपत्ति में विनिधान	i			
		ii	शेयर लिखतों में विनिधान				
		क	सूचीबद्ध शेयर	iiक			
		ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	iiख			
		ग	योग (ii क + ii ख)	iiग			
		iii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	iii			
		iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iv			
		v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	v			
		vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान	vi			
		vii	भागोदारी फर्मों में विनिधान	vii			
		viii	अन्य विनिधान	viii			
		ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + ii क + iii + iv + v + vi + vii + viii)			खाix	
ग	आरथगत कर आस्तियां (शुद्ध)						ग
घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम						
		i	पूजी अग्रिम	i			
		ii	प्रतिभूति निक्षेप	ii			
		iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	iii			
		iv	अन्य ऋण और अग्रिम	iv			
		v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)			घ v	
		vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो				
		क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	vi क			
		ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	vi ख			
		ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	vi ग			
घ	अन्य गैर-चालू आस्तियां						
		i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य				
		क	प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i क			
		ख	गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i ख			
		ग	शंकास्पद	i ग			
		घ	कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (i क + i ख + i ग)	i घ			
		ii	अन्य	ii			
		iii	योग (i घ + ii)			डii	
		iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है	iv			
		ड.	कुल गैर-चालू आस्तियां (कv + खाix + ग+ घv + डii)			1 च	
2	चालू आस्तियां						
		क	चालू विनिधान				
		i	शेयर लिखतों में विनिधान				
		क	सूचीबद्ध शेयर	i क			
		ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	i ख			
		ग	योग (i क + i ख)	i ग			

	ii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	ii		
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iii		
	iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	iv		
	v	पारस्परिक निधियों में विनिधान	v		
	vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vi		
	vii	अन्य विनिधान	vii		
	viii	कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			कviii
ख		संपत्ति-सूची			
	i	कच्चा माल	i		
	ii	चालू काम	ii		
	iii	तैयार माल	iii		
	iv	व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)	iv		
	v	भंडार और स्पेयर	v		
	vi	खुले औजार	vi		
	vii	अन्य	vii		
	viii	कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			खviii
ग		व्यापार प्राप्य			
	i	6 मास से अधिक से बकाया	i		
	ii	अन्य	ii		
	iii	कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)			गiii
घ		नकदी और नकद समतुल्य			
	i	बैंक नकद	i		
	ii	चैक, ड्राफ्ट	ii		
	iii	नकद अतिशे-1	iii		
	iv	अन्य	iv		
	v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)			घv
ङ		अल्पकालिक ऋण और अग्रिम			
	i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें)	i		
	ii	अन्य	ii		
	iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii)			ङiii
	iv	ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो			
		क कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	ivक		
		ख कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	ivख		
		ग आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	ivग		
	च	अन्य चालू आस्तियां			च
	छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)			2छ
		कुल आस्तियां (1च+2छ)			II

भाग क-तुलन पत्र - भारतीय लेखा मानकों के रूप में 31 मार्च, 2023 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]

I		साधारण शेयर और दायित्व			
	1	साधारण शेयर			
	अ	साधारण शेयर पूंजी			
		i प्राधिकृत	का		
		ii जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया	काii		
		iii अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	काiii		

	iv	कुल (कां + कांii)			क+iv	
आ	अन्य साधारण शेयर					
	i	अन्य रिजर्व				
	क	पूँजी विमोचन आरक्षित	क			
	ख	डिबेंचर विमोचन रिजर्व	ख			
	ग	शेयर विकल्प बकाया लेखा	ग			
	घ	अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	घ			
	ड.	कुल अन्य भंडार (क+ख+ग+घ)	ड.			
	ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामों पक्ष का अतिशेष - वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)	ii			
	iii	कुल (खण्ड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)			खiii	
इ	कुल साधारण शेयर (क+iv + खiii)				1ग	
2	दायित्व					
अ	गैर मौजूदा दायित्व					
	I	वित्तीय दायित्व				
	उधारी					
	क	बांड या डिबेंचर				
	1	विदेशी मुद्रा	क 1			
	2	रुपए	क 2			
	3	कुल (1 + 2)			क 3	
	ख	उधार अवधि				
	1	विदेशी मुद्रा	ख 1			
	2	रुपया उधार				
		i	बैंकों से	i		
		ii	अन्य पार्टियों से	ii		
		iii	कुल (i + ii)	ख 2		
	3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)			ख3	
ग	आस्थगित संदाय दायित्व				ग	
घ	निक्षेप				घ	
ड.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)				ड.	
च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता				च	
छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक				छ	
ज	अन्य उधार				ज	
झ	कुल उधारी (क 3 + ख 3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज)				झ	
ञ	व्यापार उधार				ञ	
ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अलावा)				ट	
II	उपबंध					
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क			
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
	ग	कुल उपबंध			॥ग	
III	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)				III	
IV	अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व					
	क	अग्रिम	क			
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
	ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व			IVग	
	कुल गैर-वर्तमान देयताएं (झां + ज्ञ + झट + ॥ग + III + IVग)				2क	
B	वर्तमान दायित्व					
	I	वित्तीय दायित्व				
	i	उधारी				
	क	भाग पर लौटाने वाले उधार				

		1	बैंकों से	1		
		2	अन्य पार्टियों से	2		
		3	मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	3		
		ख	संबंधित दलों से उधार	ख		
	ग	निक्षेप	ग			
	घ	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	घ			
	कुल उधार (क 3 + ख + ग + घ)			ii		
	ii	व्यापार देनदारियां		iii		
	iii	अन्य वित्तीय दायित्व				
	क	लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	क			
	ख	वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता	ख			
	ग	अर्जित ब्याज	ग			
	घ	अवैतनिक लाभांश	घ			
	ड.	प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर अर्जित ब्याज	ड.			
च	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर अर्जित ब्याज	च				
छ	उस पर अर्जित असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और ब्याज	छ				
ज	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ज				
झ	कुल अन्य वित्तीय दायित्व (क + ख + ग + घ + ड. + च + छ + ज)		iiii			
iv	कुल वित्तीय दायित्व (झा + झा + झ + ज)		liv			
II	अन्य चालू दायित्व					
		क	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क		
		ख	अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख		
		ग	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ग		
		घ	कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख + ग)		IIघ	
III	उपबंध					
		क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क		
		ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख		
		ग	कुल उपबंध (क + ख)		IIIग	
IV	वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)		IV			
कुल मौजूदा दायित्व (IIघ + IIIग + IV)			2ख			
कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क + 2ख)			I			
II	आस्तियां					
		1	गैर तात्कालिक आस्तियां			
		क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर			
			क	सकल ब्लॉक	क	
			ख	मूल्यहास	ख	
			ग	क्षति नुकसान	ग	
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क + ख + ग)		क घ	
		ख	पूंजीगत कार्य-प्रगति		ख	
		ग	निवेश सम्पत्ति			
		क	सकल ब्लॉक		क	
			ख	मूल्यहास	ख	
			ग	क्षति नुकसान	ग	
			घ	शुद्ध ब्लॉक (क + ख + ग)		ग घ
		घ	साख			
		क	सकल ब्लॉक		क	
ख	क्षति नुकसान		ख			
ग	शुद्ध ब्लॉक (क + ख)			घ ग		

ड.	अन्य अमूर्त संपत्ति				
	क	सकल ब्लॉक	क		
	ख	उधारमुक्ति	ख		
	ग	क्षति नुकसान	ग		
	घ	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)		ड.घ	
च	विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति			च	
छ	वाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां				
	क	सकल ब्लॉक	क		
	ख	क्षति नुकसान	ख		
	ग	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)			छग
ज	वित्तीय आस्तियां				
I	निवेश				
	i साधारण साम्या लिखत में निवेश				
	क	सूचीबद्ध साम्य	क		
	ख	असूचीबद्ध साम्य	ख		
	ग	कुल (क + ख)			ग
	ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii		
	iii	सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii		
	iv	डिबेंचर या बांड में निवेश	iv		
	v	म्युचुअल फंड में निवेश	v		
	vi	साझेदारी फर्मों में निवेश	vi		
	vii	साझेदारी फर्मों में निवेश	vii		
	viii	कुल गैर-मौजूदा निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)			जा
II	व्यापार स्वीकार योग्य				
	क	व्यापार स्वीकार योग्य	क		
	ख	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख		
	ग	संदिग्ध	ग		
	घ	कुल व्यापार प्राप्य			जा।
III	उधार				
	i	सुरक्षा निक्षेप	i		
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii		
	iii	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		
	iv	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii))		जा।।	
	v	जा।। में शामिल उधार, जो कि-			
	क	व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए	vक		
	ख	व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	vख		
	ग	आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ई) के अनुसार, शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	vग		
IV	अन्य वित्तीय आस्तियां				
	i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप	i		
	ii	अन्य	ii		
	iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)		ज IV	
झ	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			झ	
ञ	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति				
	i	पूँजीगत अग्रिम	i		
	ii	पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम	ii		
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		
	iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)		ञ	

	v	आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां जिनमें से ऊपर दिया गया है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या से इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ आस्तियां	v		
		कुल गैर - मौजूदा आस्तियां(कघ + ख + गघ + घग + ड.घ + चफ + छग + जा + जाII + जाIII + जाIV + झ + ज)			1
2 वर्तमान आस्ति					
	क	वर्तमान आस्ति			
	i	कच्चा माल	i		
	ii	कार्य प्रगति पर है	ii		
	iii	तैयार माल	iii		
	iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)	iv		
	v	स्टोर और पुर्जो	v		
	vi	ढीला टूल	vi		
	vii	अन्य	vii		
	viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2क
	ख	वित्तीय आस्तियां			
	I	निवेश			
	i	साम्या लिखत में निवेश			
		क सूचीबद्ध साम्या	i क		
		ख असूचीबद्ध साधारण शेयर	i ख		
		ग कुल (i क + i ख)	i ग		
	ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii		
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii		
	iv	डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश	iv		
	v	म्युचुअल फंड में निवेश	v		
	vi	भागीदारी फर्मों में निवेश	vi		
	vii	अन्य निवेश	vii		
	viii	कुल वर्तमान निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I
	II	व्यापार स्वीकार योग्य			
	i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i		
	ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii		
	iii	संदिग्ध	iii		
	iv	कुल व्यापार प्राप्य (i + ii + iii)			II
	III	नकद और नकद समकक्ष			
	i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i		
	ii	उपलब्ध चेक और ड्राफ्ट	ii		
	iii	हाथ में पैसा	iii		
	iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv		
	v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)			III
	IV	उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष			IV
	V	उधार			
	i	सुरक्षा निक्षेप	i		
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii		
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		
	iv	कुल उधार (i + ii + iii)			V
	v	जो उपरोक्त वी में शामिल उधार और अग्रिम हैं-			

	क	व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए	vक		
	ख	व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए नहीं	vख		
	ग	आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग		
VI अन्य वित्तीय आस्तियां					VI
कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)					2ख
ग	चालू कर आस्तियां (शुद्ध)				2ग
घ	अन्य मौजूदा आस्तियां				
	i	पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	i		
	ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii		
	iii	कुल			2घ
कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)					2
कुल आस्तियां (1 + 2)					II

भाग क-**विनिर्माण लेखा**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट					
	क	प्रारम्भिक तालिका				
		i	कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i		
		ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii		
		iii	योग (i + ii)			कiii
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)				ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी				ग
	घ	प्रत्यक्ष कर (घां + घांii + घांiii)				घ
		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	विद्युत् और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
	ड	कारखाना अधिव्यय				
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
		ii	कारखाना किराया और दर	ii		
		iii	कारखाना बीमा	iii		
		iv	कारखाना ईंधन और विद्युत्	iv		
		v	कारखाना साधारण व्यय	v		
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
		vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			डvii
	च	विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+डvii)				1च
2	अंत स्टॉक					
		i	कच्ची सामग्री	2i		
		ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
		योग (2i + 2ii)				2
3	व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)					3

भाग क - व्यापार**लेखा**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	
---	-----------------------------	--

व्यापार लेखा में विकल्प	क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियाँ तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			
	i	माल का विक्रय	i		
	ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
	iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		iii क	
		ख		iii ख	
		ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग	
	iv	योग (i + ii + iii ग)			काiv
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर			
	i	संघ उत्पाद कर	i		
	ii	सेवा कर	ii		
	iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii		
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
	v	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	v		
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii		
	ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			गाix
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (काiv + ख + गाix)			4घ
	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक			5
	6	व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5iv)			6
	7	तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक			7
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			8
9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9	
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
10	क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत			11	
12	कारबार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)			12	
12क	दिनभर व्यापार से आवर्त			12क	

12ख	दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित	12ख
-----	--	-----

भाग क - लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ 12 + 12ख				13
14	अन्य आय				
	i	किराया	i		
	ii	कमीशन	ii		
	iii	लाभांश आय	iii		
	iv	ब्याज आय	iv		
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v		
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii		
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii		
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix		
	x	कृषि आय	x		
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	xiक		
		ख	xiख		
		ग	योग (xiक + xiख)	xiग	
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)		14xii	
15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)				15
16	जावक भाड़ा				16
17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग				17
18	विद्युत और ईंधन				18
19	किराया				19
20	भवन की मरम्मत				20
21	मशीनरी की मरम्मत				21
22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	i	वेतन और मजदूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii		
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii		
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x		
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)		22xi	
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		

लाभ हानि लेख में जमा

लाभ और हानि खाते में देय

23	बीमा			
	i	चिकित्सीय बीमा	23i	
	ii	जीवन बीमा	23ii	
	iii	की-मैन बीमा	23iii	
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv	
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय			24
25	मनोरंजन			25
26	आतिथ्य			26
27	सम्मेलन			27
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है			28
29	विज्ञापन			29
30	कमीशन			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)		30iii
31	स्वामिस्व			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)		31iii
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)		
33	होटल, बोर्डिंग, आवास			33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय			34
35	विदेशी यात्रा व्यय			35
36	प्रवहण व्यय			36
37	टेलीफोन व्यय			37
38	अतिथि गृह व्यय			38
39	क्लब व्यय			39
40	उत्सव समारोह व्यय			40
41	छात्रवृत्ति			41
42	उपहार			42
43	दान			43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)			
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i	
	ii	सेवा कर	44ii	
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii	
	iv	उपकर	44iv	
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v	
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi	
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii	

	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii									
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix									
	x	संदत या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x							
45		संपरीक्षा फीस			45							
46		अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)										
	i			i								
	ii			ii								
	iii	योग (i + ii)			46iii							
47		डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)										
	(i1)				47i (1)							
	(i2)				47i (2)							
	(i3)				47i (3)							
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i(1)+47i(2)+47i(3))		47i								
	ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)		47ii								
	क्र.सं.	नाम	प्लेट/द्वार/ब्लाक सं0	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	सड़क / मार्ग/ डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	करबा/शहर/जिला	राज्य	देश	पिन कोड	जि प को ड	रकम
	1											
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है										
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)										47iii
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)										47iv
48		डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध										48
49		अन्य उपबंध										49
50		ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]										50
51		ब्याज										
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत या भारत में सदत									i	
	ii	अन्य को									ii	
	iii	योग (i + ii)										
52		अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण										52
53		करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)										53
54		वर्तमान कर के लिए उपबंध										54
55		आस्थगित कर के लिए उपबंध										55
56		कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)										56
57		पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष										57
58		विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)										58
59		विनियोग										
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण									59i	
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश									59ii	

iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
v	कोई अन्य विनियोग	59v		
vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)			60
61	धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना			
	क्र. सं.	कारोबार का नाम	कारोबार कोड	वर्णन

		माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में)	उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारित के स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी था	माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मेट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(क)					
	(ख)					
				कुल		
	यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
	(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]				61(ii)
	टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है					
लेखाबहियत मामला	62	ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखक, धारा 44खखख या 44घ में निर्दिष्ट कारोबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है, वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
	क	सकल प्राप्ति/आवर्त				62क
	ख	शुद्ध लाभ				62ख

भाग क - विनिर्माण लेखा भारतीय - लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्माण लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होंगी]

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट				
	क	आरम्भिक तालिक			
		i	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i	
		ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii	
		iii	योग (i + ii)		कiii
	ख	ऋय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
	घ	प्रत्यक्ष व्यय			घ
		i	आवक वहन व्यय	i	

	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
ड	कारखाना उपरिव्यय				
	I	अप्रत्यक्ष मजदूरी			
	ii	कारखाना किराया और दर			
	iii	कारखाना बीमा			
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत			
	v	कारखाना साधारण व्यय			
	vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण			
	vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			डvii
च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख +ग +घ +डvii)				1च
2	अन्त स्टॉक				
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
	योग (2i +2ii)				2
3	व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)				3

**भाग क - व्यापार लेखा
भारतीय - लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

व्यापार लेखा में जमा

4	प्रचालनों से राजस्व				
क	विक्रय/कारबार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				
	i	माल का विक्रय	i		
	ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
	iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क		iiiक		
	ख		iiiख		
	ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग		
	iv	योग (i + ii + iiiग)			कiv
ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां				ख
ग	विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
	ii	सेवा कर	ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	iii		
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
	v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v		
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
	viii	कोई अन्य शुल्क कर और उपकर	viii		
	ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गix
घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)				4घ
5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक				5

व्यापार लेखे में देय	6	व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5iv)		6		
	7	तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक		7		
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)		8		
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)		9		
		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	विद्युत और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
	10	क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
		i	सीमा शुल्क	10i		
		ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
		v	सेवा कर	10v		
		vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii			
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii			
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix			
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x			
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi			
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii		
	11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत		11		
	12	लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)		12		
	12क	दिन भर व्यापार से आवर्त		12क		
	12ख	दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित		12ख		

**भाग क - लाभ और हानि
भारतीय लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

लाभ हानि लेखे में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख)		13	
	14	अन्य आय			
		i	किराया	i	
		ii	कमीशन	ii	
		iii	लाभांश आय	iii	
		iv	ब्याज आय	iv	
		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v	
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi	
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii	
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii	
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix	
	x	कृषि आय	x		

	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		xiंक	
		ख		xiंख	
		ग	योग (xiंक + xiंख)	xiंग	
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiंग)			14xii
15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)				15
16	जावक भाड़ा				16
17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग				17
18	विद्युत और ईंधन				18
19	किराया				19
20	भवन की मरम्मत				20
21	मशीनरी की मरम्मत				21
22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	i	वेतन और मजदूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii		
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii		
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
	ix	कोई अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x		
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiंक	हां / नहीं	
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiंख		
23	बीमा				
	i	चिकित्सीय बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	की-मैन बीमा	23iii		
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय				24
25	मनोरंजन				25
26	आतिथ्य				26
27	सम्मेलन				27
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है				28
29	विज्ञापन				29
30	कमीशन				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		

	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			30iii
31	स्वामिस्व				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			31iii
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34
35	विदेशी यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	उपहार				42
43	दान				43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
45	संपरीक्षा फीस				45
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)			46iii
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	(i1)				47i (1)

	v	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v		61क
	vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi		
	vii	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii		
	viii	योग			
ख	वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी				61ख
	i	विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i		
	ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखतें	ii		
	iii	नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii		
	iv	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv		
	v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v		
	vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi		
	vii	योग			
62	कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B)				62

भाग क- अन्य जानकारी अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो अनिवार्य, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)

1	पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क(iii)]	3क
3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11ख(iii)]	3ख
4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)	
क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
घ	धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ
ङ	धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ
5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो--	
क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
ख	परफॉर्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार की जाए	5ख
ग	पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
घ	आय की कोई अन्य मद	5घ
ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें	

क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ	
ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ	
च	किसी मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
छ	अनुमोदित अधिवर्गिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
ज	धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
झ	मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ञ	
ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भवि-य निधि या अधिवर्गिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)(vi)]	6ट	
ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1)(xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ	
द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6द	
ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध)	6ध	
न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भवि-य निधि है तो आवश्यक)		
	i भारत में अभिनियोजित	i	
	ii भारत के बाहर अभिनियोजित	ii	
	iii कुल	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	पूंजी स्वरूप का व्यय	7क	
ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय	7ख	
ग	कारवार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्न्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिसांम है	7छ	
ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज	
झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ञ	
ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7	
8	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	

	ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख	
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग	
	घ	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ	
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii)	अङ	
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क)	अच	
	छ	धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ	
	ज	ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)/ 40(खक)] के अंतर्गत स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज	
	झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ	
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अज
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत अस्वीकृति योग अकाउंट पेयी चैक अथवा अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)]	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)]	9घ	
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ	
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)		9च
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवार्निकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक	
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ	
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10ज
11	पूर्व वर्ग के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवार्निकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग	

घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक	
ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च	
छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ	
ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)	11ज	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम		
क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
ख	सेवा कर	12ख	
ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ	
ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ	
च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च	
छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ	
ज	कोई अन्य कर	12ज	
झ	अधिशेन कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12 झ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें	13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम	14	
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम	15	
16	धारा 14 के अधीन अननुज्ञात व्यय की रकम	16	
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]	17	

भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे

मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो अनिवार्य)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टॉक	1
	2	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3
	4	अंतिम स्टॉक	4
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में	
	6	कच्चा माल	
	क	आरंभिक स्टॉक	6 क
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6 ख
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6 ग
	घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6 घ
	ङ	अंतिम स्टॉक	6 ङ
	च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च
	छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ
ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद		
क	आरंभिक स्टॉक	7 क	
ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7 ख	
ग	पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	

घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7 घ
ङ	अंतिम स्टाक	7 ङ
च	कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च

भाग क- ओ एल

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता	1	आरम्भिक अतिशेष		
		i	हाथ नकदी	1i
		ii	बैंक	1ii
		iii	कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii
	2	प्राप्तियां		
		i	ब्याज	2i
		ii	लाभांश	2ii
		iii	आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)	
			क	2iii क
			ख	2iii ख
			ग	2iii ग
			घ	कुल (iii क + iii ख + iii ग)
		iv	देय/ऋणी का वसूल करना	2iv
		v	अन्य (कृपया बताएं क्या राजस्व/पूंजीगत/प्रकृति एवं राशि)	
			क	2v क
			ख	2v ख
			ग	कुल अन्य प्राप्तियां (v क + v ख)
		vi	कुल प्राप्तियां (2i + 2ii + 2iii घ + 2iv + 2v ग)	2vi
	3	कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्तियां		3
	4	संदाय		
	i	प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i	
	ii	अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii	
	iii	लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii	
	iv	कमीशन	4iv	
	v	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
		क	4v क	
		ख	4v ख	
		ग	अन्य संदायों का योग (4v क + 4v ख)	
	vi	कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4v ग)	4vi	
5	अंत अतिशेष			
	i	हाथ नकदी	5i	
	ii	बैंक	5ii	
	iii	कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii	
6	कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)		6	

विवरणी प्रारूप की अनुसूचियाँ यथा लागू करें

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)					
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %				
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)		
		I				
		II				
		[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम यदि किराये पर हो	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	
		I				
		II				
		क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य			1क
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
		घ	योग (1ख + 1ग)	1घ		
		ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ)	1ङ		
		च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत X 1ङ)	1च		
		छ	1च का 30%	1छ		
		ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज		
		झ	योग (1छ + 2ज)	1झ		
		ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%	1ञ		
		ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)	1ट		
	2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)						
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %				
		सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)		
		I				
		II				
		[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	
		I				
		II				
		क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)			2क
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
		घ	योग (2ख + 2ग)	2घ		
		ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ		
		च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत X 2ङ)	2च		
		छ	1च का 30%	2छ		
		ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
		झ	योग (2छ + 2ज)	2झ		
		ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%	2ञ		
		ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट		
	3	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो*				3
	4	“ गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें)				4
टिप्पण	यदि धारा 194झख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है । यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।					

अनुसूची - कारबार या वृत्ति

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ		सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति				
कारबार या वृत्ति से आय	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख)/ भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) (यदि लागू हों)			1	
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रवि-ट करें)		2क		
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रवि-ट करें)		2ख		
	3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन या धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन समझा जाएगा	क	गृह संपत्ति	3क	
			ख	पूँजी अभिलाभ	3ख	
			ग	अन्य स्रोत	3ग	
			गा	लाभांश आय	3गा	
			गां	लाभांश आय के अलावा	3गां	
			घ	115खखच के	3घ	
	4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44ख/ 44खख/ 44खखख/ 44खखख/ 44कड/ 44घ/ 44घक/44घख/ अध्याय 12घ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	ड	115खखछ के अधीन अधीन	3ड	
			च	धारा 115खखज के तहत अधिग्रहण की शुद्ध लागत (यदि कोई हो)	3च	
	4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख			
4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4ग				
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है					
	क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क			
	ख	एओपी/वीओए से आय के शेयर	5ख			
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				
	i	गा				
		गां				
		गां				
घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गां)	5घ				
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ - 3ड - 3च - 4- 5घ)				6	
7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क	स्वामित्व संपत्ति	7क		
		ख	पूँजी अभिलाभ	7ख		
		ग	अन्य स्रोत	7ग		
		घ	115खखच के	7घ		
		ड	115खखछ के अधीन अधीन	7ड		
		च	धारा 115खखज के तहत अधिग्रहण की लागत के अलावा	7च		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है	8क				
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-ण्ड का 16) के अधीन अननुज्ञात हैं	8ख				
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ड + 7च + 8क + 8ख)				9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)				10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण				11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)		12i		
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)		12ii		

	iii	कुल (12i + 12ii)	12iii	
13		अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
14		धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 6 द)	14	
15		धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 7 ट)	15	
16		धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 8 कज)	16	
17		धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 9 च)	17	
18		पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग अ आई का 11 ज)	18	
19		सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20		धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21		धारा 32कग / 33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक / 35कखख/ 32कग/ 40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी	21	
22		धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22	
23		धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24		लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	24	
25		आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची औ.आइ	25	
26		कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
27		धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28		धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	28	
29		लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35	29	
30		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग अ.ण.झ का 8ख)	30	
31		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग अणझ का 10ज)	31	
32		कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	32	
33		आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची ओका 4इ)	33	
34		कुल (27+28+29+30+31+32+33)	34	
35		आय (13+26-34)	35	
36		निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i	धारा 44कड अनुसूची लाभ और हानि की 61(ii)]	36i	
	ii	धारा 44ख	36ii	
	iii	धारा 44खख	36iii	
	iv	धारा 44खखक	36iv	
	v	धारा 44खखख	36v	
	vi	धारा 44घ	36vi	
	vii	धारा 44घक	36vii	(प्रारूप 3 ग.इ की मद 4)
	viii	अध्याय-XII-छ (टनेज)	36viii	(प्रारूप 6 के मद 10 के स्तंभ 7 का कुल योग)
	ix	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	36ix	
	x	कुल (36i से 36ix)	36x	
37		सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 36x)	37	
38		नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं हैं तो 35 की वही रकम यथाप्रवि-ठ करे जो 35 में है करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 37 में है/ यदि हानि है तो मद च का 2झ लें)	अ38	
		(38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)		
	क	नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38क	
	ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ख	

	ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38घ		
	ङ	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ङ		
	च	नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय	39च		
39		वित्त अधिनियम [4ग -(38क+38ख+38ग+38घ+38ङ)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष		39	
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
40		लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		40	
41		धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन		41	
42		धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां		42	
43		सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (40+ 41 - 42) (यदि हानि है तो मद गचठ का अंक 6 Xi लें)		आ 43	
इ		विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
44		लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि		44	
45		धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार जोड़			
46		धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ ii 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)		46	
47		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)		47	
48		धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां		48	
49		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (47 - 48) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविट करें)		इ49	
50		धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्सू से चयन करने के लिए)		इ50	
ई		लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ43+ इ49)		ई	
उ		चालू वर्ग में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा			
	क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ग की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	हानि का मुजरा (इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क38)	
	ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख43)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग49)		
	iv	धारा 115 ख के तहत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
	v	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			
	vi	मुजरा पश्चात् हानि (i - v)			

अनुसूची - डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

क्र. सं.	विवरण	संयंत्र और मशीनरी			
		15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	आस्तियों का ब्लाक				
2	दर (%)				
3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				

9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आसूति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर)				
17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
18	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 17 के बाहर)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
			5	10	40				
2	दर (%)	Nil	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य								
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन								
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन								
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन								
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन								
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण								
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण								
12	कुल अवक्षयण। (10+11)								
13	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर)								
14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)								
15	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 14 के बाहर)								
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय								
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)								
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अनुसूची - डीईबी

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू है)	1क	
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू है)	1ख	
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू है)	1ग	
		घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्य ह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा भी लागू हो)	1घ	
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)		1ङ
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
		क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू है)	2क	
		ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू है)	2ख	
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू है)	2ग	
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)		3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)		4	
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)		5	
	6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)		6	

अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

	1	संयंत्र और मशीनरी			
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क	
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख	
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग	
		घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ	
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)		1ङ
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
		क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क	
		ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख	
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग	
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)		3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)		4	
	5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)		5	
	6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)		6	

अनुसूची - इएसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या गगग या गगघ के अधीन कटौती)

क्र.सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			

ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें			

अनुसूची-पूँजी अभिलाभ

पूँजी अभिलाभ

लघु अवधि पूँजी अभिलाभ	क	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)							
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरे)							
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य				का		
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii		
		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) के रूप में लें]				काiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ							
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii		
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv		
	ग	तुलन काiii - ख iv				1 ग			
	घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				1 घ			
	ङ	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)				क 1 ङ			
	च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)							
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड , ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य
टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें								
2	स्लमप विक्री से								
क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2का			
	ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2काii			
	iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)				2काiii			
ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2 ख				
ग	स्लमप की विक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (2काiii - 2 खे)				क 2 ग				
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशों के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है								
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3 क				
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ								
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i			
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii			
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ग iii			
	iv	योग(i + ii + iii)				ख iv			

	ग	शेन (3 क - ख iv)	3 ग	
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ	
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)		क 3 ङ
4		अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)		
	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है		क 4 क
	ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है		क 4 ख
5		अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)		
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-	
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।	i क
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii
		iii	कुल (i ग + ii)	क iii
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii
		iv	योग (i + ii + iii)	ख iv
	ग	शेन (5 क iii- ख iv)	5 ग	
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ	
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)		क 5 ङ
6		पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		
	क	i	आस्तियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-	
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।	i क
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख

			ग	पूँजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग		
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य		कii		
		iii	कुल (ग + ii)		क iii		
ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय		ख iii		
		iv	योग (i + ii + iii)		ख iv		
ग		शे-1 (6 क iii - ख iv)					6 ग
घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)					6 घ
ङ		अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)					6 ङ
च		धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती					6 च
छ		पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ + 6 च)					क 6 छ

7 अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि

क क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लयी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्क्रीन में जमा किया गया है?
 हां नहीं लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं

क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लई गई बची हुई राशि
i	2019-20	54घ/54छ/54छक				

ख धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि

धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख)

8 अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरे) (क8क+ क8ख+क8ग)

क	15% की दर से प्रभाय अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8क
ख	30% की दर से प्रभाय अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ख
ग	लागू दरों पर प्रभाय अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ग

9 एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभाय नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभाय है:

क्रमा सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. का से क8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9)
-----------	------------	--	-------------------	---------------	--	------------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
		क	डीटीए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								क9क	
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम								क9ख	
10		कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाम (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4 ख+ क5 ड+ क6 छ+ क7 + क8 - क9क)									क10	
ख		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाम (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)										
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाम		1 भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें)										
		क	i	प्राप्त/प्रायः प्रतिफल का पूरा मूल्य				का				
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii				
			iii	पूंजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काi) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) लें]				काiii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii				
			iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii				
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv				
		ग	शे-1 (क iii - ख iv)				1 ग					
		घ	धारा 54 घ / 54 डग/54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				1 घ					
		ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)									ख 1 ड
		च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)									
			क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिला कोड	पिन कोड	राज्य		
	टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ आधार नं. देना अनिवार्य है । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।										

2	स्लम्य विक्री से										
	क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2का				
		ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2काii				
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)				2काiii				
	ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2 ख					
	ग	शे-1 (2काiii - 2 ख)				2 ग					
	घ	धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती				2 घ					
	ङ	स्लम्य के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (2 ग-2 घ)							ख 2 ड		
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)										
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3क					
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i				
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii				
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii				
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv				
	ग	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (3क - 3 ख iv)							ख 3 ग		

4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।				
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4क - 4 ख iv)		ख 4 ग	
5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है				
	उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची 112क का कॉलम 14)			ख5	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)				
	सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ			ख 6	
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तम्भ ख8 भरा जाएगा)				
	क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।	i क		
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
		iii कुल (i ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)		ख7ग	
8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है				
	उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अधिसूचना 115कघ(1)(ख)(iii) का कॉलम			ख8	
9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं				
	क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य			
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य			
		iii कुल (i ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शेन (9 क iii - खiv)		7 ग	
	घ	धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54क के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यारे विनिर्दिष्ट करें)		7 घ	
	ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)		ख 9 ङ	
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?				
	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं				
	क्रम सं.	पूर्व वर्गों में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि

i	2019-20	54घ/54छ/54छक								
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)									ख10
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख)									ख11
	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास							ख11क1	
	क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास							ख11क2	
	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थूँ आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभाय							ख 11ख	
12	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभाय नहीं है या विशेष-1 दर पर कर प्रभाय है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)									
क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हॉ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या(9))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि									ख12क
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभाय एलटीसीजी की कुल राशि									ख12ख
13	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख9ड + ख 10 + ख 11 - ख12क) (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें)									ख 13
ग1	पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत प्रभाय आय की पूंजीगत लाभ राशि (क10+ ख13) (यदि हानि तो ख13 को शून्य लिखें)									ग1
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)									ग2
ग3	“पूंजीगत लाभ” शीर्ष के तहत प्रभाय आय (ग1+ग2)									ग3
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी									
1	धारा 54घ / धारा 54छ/ धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित व्योरे दें।									
क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती									
i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष			
ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत					क ii				
iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि					क iv				
v	दावाकृत कटौती की राशि					क v				
ख	धारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती									
i	मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख					ख i	दिन/मास/वर्ष			
ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा					ख ii				
iii	निवेश की तारीख					ख iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	दावाकृत कटौती की राशि					ख iv				
ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती									
i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख					ग i	दिन/मास/वर्ष			
ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत					ग ii				
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई अस्ति की तारीख					ग iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि					ग iv				
v	दावाकृत कटौती की राशि					ग v				
घ	धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती									
i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख					घ i	दिन/मास/वर्ष			
ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत					घ ii				
iii	एसईजेड में नई अस्ति के क्रय निर्माण की तारीख					घ iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि					घ iv				
v	दावाकृत कटौती की राशि					घ v				
ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ)					1 ड				

अनुसूची 112ए		कंपनी अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा विजनेस ट्रस्ट की यूनिट में इक्विटी शेयर की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी अदा किया गया है												
क्रम सं.	अर्जित शेयर/यूनिट	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिट की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन बिना अधिग्रहण की लागत (8 अथवा 9 का उच्चतर)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि मूजिंगत परिसम्पत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी - निम्न	31 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूजिंगत परिसम्पत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य	अंतरण के संबंध में पूर्णतया अथवा विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13)-आईटीआर 6 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
पंक्तियां जोड़े														
योग														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)		एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा विजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिनपर धारा 112क के अन्तर्गत एसटीटी अदा किया गया है।												
क्र स	अर्जित शेयर/यूनिट	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत 8 अथवा 9 का उच्चतर	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि परिसंपत्ति 01-2-2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी	31 जनवरी 2018 को उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर यूनिट	धारा 56 2 कग के अनुसार पूजिंगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 4 से 10	अनुसरण के संबंध में पूर्णतया तथा विशेषकर व्यय	कुल कटौतियां 3	शेष(6-13) - आईटिआर 8 का एलटीसीजी शेड्यूल का आईटीआर 6
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
पंक्तियां जोड़े														
योग														

अनुसूची वी.डी.ए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूंजी अभिलाभ का प्रकार /अल्पकालिक (दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा)(2)56x के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आमहानि के मामले) (में शून्य दर्ज करें 6 स्तंभ)- स्तंभ (5
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)

सम्मिलित पंक्तियां					
कुल (स्तंभ (की समस्त सकारात्मक आय की राशि 7					(अनुसूची सी जी का मद सं2 सी.)

अनुसूची-अन्य स्रोत

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
	क लाभांश, सकल	1क	
	i धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	का	
	ii (i) के अलावा लाभांश आय	काii	
	ख ब्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv)	1ख	
	i बचत बैंक खाता	खा	
	ii जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)	खाii	
	iii आय कर प्रतिदाय से	खाiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खाiv	
	v अन्य	खv	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
	घ धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घा + घाii + घाiii + घाiv + घv)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क	घाiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
	ङ कोई अन्य आय कपया प्रकृति का उल्लेख करें		
	क्रम सं	प्रकृति	राशि
	1		
	लाइन जोड़े		
2	विशेष दरों पर प्रभाय आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं से 1)	2	
	क लाटरी वर्ग पहली इत्यादि की जीत के रूप में आय	2क	
	ख धारा 115खख के अधीन प्रभाय आय (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi)	2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खा	
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खाii	
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खाiii	
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खाiv	
	v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv	
	vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय	खvi	
	ग विशेष दर पर प्रभाय कोई आय (ग i से गxiii का कुल योग)	2ग	
	i धारा 115 क(1)(क)(i) के अधीन विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग i	
	ii धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभाय सरकार या विदेशी करेन्सी श्रृण पर भारतीय समुन्यान से प्राप्त ब्याज	ग ii	
	iii धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय अवसंरचना श्रृण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii	
	iv धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv	
	v धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय धारा 194ठग(1) के परंतुक @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v	
	vi धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय धारा 194 टघ में निर्दिष्ट ब्याज	ग vi	
	vii धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय धारा 194 औआअ में निर्दिष्ट वितरित आय जो बयाज है	ग vii	
	viii धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय यूटीआई की इकाई या धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधि से आय	ग viii	

ix	धारा 115(1)(ख)(क) तथा 115(1)(ख)(ख) सरकार या भारतीय समुन्धान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस से आय	ग ix	
x	धारा 115 कग के अधीन प्रभार्य अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या विदेशी करेंसी में क्रय किया गये लाभांश से आय	ग x	
xi	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi	
xii	पारिस्परिक निधि-115कख(1) के द्वारा विदेशी मुद्रा की इकाईयों की खरीद के संबंध में प्राप्त आय	ग xii	
xiii	धारा 115 कघ (1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों (धारा 115 कख में निर्दिष्ट इकाईयों के सिवाय) के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय	ग xiii	
xiv	धारा 115 कघ (1)(i) के परन्तुक के अनुसार प्रभार्य किसी एफ.आई.आई द्वारा बाण्ड पर या धारा 194 टघ में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज के रूप में आय	ग xiv	
xv	धारा 115 खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ी या खेल संगठनों पर कर	ग xv	
xvi	धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलों में गुप्त दान	ग xvi	
xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115खखघ के अधीन प्रभार्य	ग xvii	
xviii	धारा 115 खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण के द्वारा आय	ग xviii	
Xix	रायल्टी से आय जहां करार 31.3.1961 से 31.3.1976 के मध्य और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के मध्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है .	ग xix	
xx	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx	
xxi	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त लाभांश आय	ग xxi	
xxii	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xxii	

घ विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में पास थू आय (डॉप डाउन दिया जाए)

2घ

ङ डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य है उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित राशि (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 का कुल योग)

2ङ

क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क से 1घ, 2ग & 2घ में जो सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2ग और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियां)

क	व्यय/ कटौतियां "ग" में इंदराज के अलावा	3क
ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध यदि आय 1 ग में प्रस्तुत की गई)	3ख
ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज	3ग
गां	धारा 57(ii) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि	3गां
घ	योग	3घ

4 धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम

4

5 धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ

5

6 सामान्य लागू दर (1 (डीटीए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद - 3 + 4 + 5) पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 3 x में अंकों को रखें)

6

7 अन्य स्रोतों से आय (बोड के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)

7

8 धुड़ दौड़ के स्वधियों के क्रियाकलापों से आय।							
क	प्राप्तियां	8क					
ख	केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
ङ	अतिशो (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रनीत हानियों 11XV के अंक प्रविष्टि करे)	8ङ					
9 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)							
10 अन्य स्रोतों से आय की प्रोद्द्वन/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
क्र.सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहलियों दौड़, खेलों, घुत,शर्तो इत्यादि से जीती हुई राशि के रूप में आय						
2	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
3	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
5	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई						
6	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
7	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वॉ की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे

क्र.सं.	आय का शी/स्रोत	चालू वॉ की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वॉ की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वॉ की कारवार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारवार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वॉ के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शो बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकडे नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें)		(अनुसूची एच.पी का 4)	(अनुसूची बी.पी की मद च का 2)	(अनुसूची ओ.एस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एच.पी का 4)				
iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	(अनुसूची बी.पी का क 38)				
iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3)				
v	सट्टे से आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3ii)				

vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9iv)				
x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओ.एस की मद 6)				
Xv	दौड़ के धोड़ो का सौमिक्त्व रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओ.एस की मद 8इ)				
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोंतों से आय	(अनुसूची ओ.एस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शो हानि (i - xvii)					

अनुसूची-बीएफएलए

पूर्व वॉ की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्योरे

क्र.सं.	आय का शी/खोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वॉ की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शो वची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	बिजनेस (बीमा बिजनेस सट्टा बिजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट बिजनेस से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोंतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)				
Xvi	मुजरा की गई अग्रनीत कुल हानि					
xvii	चालू वॉ की मुजरे के पश्चात् शो वची हानि योग	(5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)				

अनुसूची-सीएफएल		भावी के वर्गों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण											
क्र.सं.	निर्धारण वर्ग	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ग)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि			सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	धारा 115ख के अन्तर्गत बीमा बिजनेस से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध कारोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत							
1	2	3	4	5क	5ख	5ग =5क-5ख	6	7	8	9	10	11	11
I	2010-11												
ii	2011-12												
iii	2012-13												
iv	2013-14												
v	2014-15												
vi	2015-16												
vii	2016-17												
viii	2017-18												
ix	2018-19												
x	2019-20												
xi	2020-21												
xii	2021-22												
xiii	2022-23												
xiv	पूर्ववर्गों की हानियों का योग ख/च												
xv	अनुसूची बीएफएल में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएल का 2i)	(अनुसूची बीएफएल का 2ii)			(अनुसूची बीएफएल का 2iv)	(अनुसूची बीएफएल का 2v)	(अनुसूची बीएफएल का 2iii)			(अनुसूची बीएफएल का 2xii)	
Xvi	2023-24 चालू वर्ष की हानियाँ		(अनुसूची सीवाईएल का 2xiv)	(अनुसूची सीवाईएल का 3xviii)			(अनुसूची बीएफ का ख43, यदि - vड)	(अनुसूची बीएफ का ग49, यदि - vड)	अनुसूची बीपी का 4ख (यदि - vड)	(अनुसूची सीजी की मद ड का 2भ+3भ+4भ)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6भ+7भ)	(अनुसूची ओएस का 8इ यदि -vड)	
xvii	यूनिट धाराकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित(निवेश निधि के लिए लागू)												
	चालू वर्ष की हानियाँ अग्रणीत (xvi-xvii)												
	भावी वर्गों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xiv - xv + xviii)												

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और भत्ते

क्र.सं.	निर्धारण वर्ग	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ग की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ग के लिए अग्रणीत शे-1 रकम	अग्रणीत अनामेलित भत्ते की रकम	चालू वर्ग की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ग के लिए अग्रणीत शे-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ग						
ii							
iii	योग		(बीएफएल का 3xvi)			(बीएफएल का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष-1 आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती				
	क्र० सं०	उपक्रम	निर्धारण वर्ग जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है	क्र० सं०	रकम
	क	उपक्रम सं० 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)
	ख	उपक्रम सं० 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख)			

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान				
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i					
	ii					
iii कुल						
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i					
	ii					
iii कुल						
ग	अर्हता सीमा के अधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम

		नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	कुल				
घ	अर्हता सीमा के अधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान				
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	संदान की रकम	
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान
i					
ii					
iii	कुल				
ड	कुल दान (कांiii + खांiii + गांiii + घांiii)				

अनुसूची 80 छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा

क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राप डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची आरए अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरा [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(ii) या 35(1)(iii) या 35(2कख) के अधीन कटौतियां]

संदान आदाता का नाम और पता		संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i						
ii						
iii	योग					

अनुसूची 80 झक धारा 80 झक के अधीन कटौतियां

धारा 80 झक के अधीन कटौतियां	क	उपक्रम सं०	उपक्रम के प्ररूप	उपक्रम के प्ररूप	उपक्रम के प्ररूप
धारा 80 झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसररचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	क2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
धारा 80 झक (4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	ख2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
धारा 80 झक (4) (v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन)	ग1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
धारा 80 झक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख 1 + ख 2 + ग 1)	घ				

अनुसूची 80 झख धारा 80 झख के अधीन कटौती

क	क 1	उपक्रम सं०	उपक्रम के प्ररूप
ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा 80 झख (9)]	क 1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	क 2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80 झख (10)]	ख 1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	ख 2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
ग फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या	ग 1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)

	डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80इख(11क)]	ग 2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
घ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80इख(11क)]	घ 1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		घ 2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ङ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से घ 2 का योग)				ङ

अनुसूची-80-इग या 80-इइ

धारा 80-इग या धारा 80इइ के अधीन कटौतियां

धारा 80-इग के अधीन कटौती	क सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			क1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
				क2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	ख हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			ख1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
				ख2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	ग उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			ग1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
				ग1	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	घ पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती					
	घक	असम	घक1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घक2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घख2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घग2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घघ2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
घङ	मेघालय	घङ1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
		घङ2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
		घच2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
		घछ2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग)			घज		
ङ	धारा 80इग या धारा 80इइ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)			ङ		

अनुसूची-VI- क

अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	1	भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती			
	क	80छ		ख	80छछख
	ग	80छछक		घ	80छछग
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)				1
	2	भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती			
	ङ	80इक	(अनुसूची 80इक का च)	च	80इकख
	छ	80इकग		ज	80इकख
					(अनुसूची 80इख का ङ)
	झ	80इखक		ञ	80इग/ इइ.
					(अनुसूची 80-इग/80-इइ का इ.)
	ट	80अकक		ठ	80अकक
					(प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5I(आिव) +5II)
	ड	80ठक(1)	(प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9)	ढ	80ठक(1क)
					(प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9)
	ण	80फ- ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार लाभांश वितरण का विवरण		त	80तक
भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से त)				2	
3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1 + 2)			3	

अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेर/इक्विटी पर एसटीसी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है)	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vi)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5X)	
4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5X)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5X)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5X)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5X)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi)	
9	112क (शेयरों अथवा यूनितों की बिक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ (1)(ख)(iii)-परन्तुक	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)	
10	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix)	
11	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एलटीसीजी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii)	
13क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग X)	
13ख	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभों पर आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xi)	
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क)	
15	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति से आय	☐	30	(अनुसूची बी.पी का 3च)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	☐	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
16	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
17	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xix)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xvii)	
19	115खखड (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बी.पी का 3ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xviii)	
20	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2ड का भाग)	
21	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vi का भाग)	
22	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vii का भाग)	
23	112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5X का भाग)	
24	20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)	
25	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5X का भाग)	
26	विशेष दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों की प्रकृति की पास थूँ आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)	
27	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनितों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग X)	
28	रायल्टी से आय जहां 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act	☐	50	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xix)	
29	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्राप-डाउन दिया जाएगा)	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2ग का भाग)	
			योग		

अनुसूची झ.च

अनिगमित संस्थाओं में निवेश के संबंध में सूचना

संस्था जिसमें निवेश किया गया	संस्थाओं की संख्या जिसमें निवेश किया गया है							लाभ की शेयर राशि I	संस्था में 31 मार्च को पूंजीगत शेष II
	क्रम सं.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार	संस्था का पैन	क्या संस्था परीक्षा के लिए उत्तरदायी है? (हां/नहीं)	क्या संस्था पर धारा 92इ लागू होती है? (हां/नहीं)	संस्था के लाभ में शेयर प्रतिशत		
	1								
	2								
	3								
	4	कुल							

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभाय नहीं है।)

छूट प्राप्त आय	1 ब्याज से आय							1	
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
	ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii			
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि				iii			
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) तथा 8 से संबंधित कृषि आय (अनुसूची बी.पी के क्रम सं. 39 से)				iv			
	v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)					2		
	vi	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख ₹0 से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से ब्यौरे दीजिए)							
		क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है						
		ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम						
		ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)						
		घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)						
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें) (3क+3ख+3ग+3घ)							3	
	क	धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10 (23चग) या 10(23चगक) या 10(23चड) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय (कृपया प्रपत्र दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के तहत दावा किया गया है।) के तहत ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।				3क			
	ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति वर्णन करें।				3ख			
4	डी.टी.ए.ए के अनुसार आय जो कर से प्रभाय नहीं है								
	क्र.सं;	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)		
	I								
	II								
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर से प्रभाय नहीं है							4
5	पास थूँ आय जो कर से प्रभाय नहीं है (अनुसूची पीटीआई)							5	
6	योग (1+2+3क +3ख +4+5)							6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शेयर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाता है)			i	गृह संपत्ति				
					ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क				

					काii	अन्य					
					ख	दीर्घकालिक अवधि					
					खा	धारा 112					
					खाii	धारा 112A					
				iii	अन्य स्रोत						
				क	लाभांश						
				ख	अन्य						
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन						
				ख	धाराके अधीन						
				ग	धारा.....के अधीन						
2.				i	गृह संपत्ति						
				ii	पूँजी अभिलाभ						
				क	अल्पकालिक अवधि						
				का	धारा 111क						
				काii	अन्य						
				ख	दीर्घकालिक अवधि						
				खा	धारा 112क						
				खाii	धारा 112क से भिन्न						
				iii	अन्य स्रोत						
				क	लाभांश						
				ख	अन्य						
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन						
				ख	धाराके अधीन						
				ग	धारा.....के अधीन						

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एमएटी		धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना	
न्यूनतम बैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	3	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रवि-ट करें) / (भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)	4
	5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	
	क	आरथगत कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	5क
	ख	आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख
ग	अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग	
घ	समनु-ंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ	
ङ	संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	5ङ	
च	धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च	

	छ	एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत नहीं हैं	5छ		
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज		
	झ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ		
	ञ	115खखच के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ		
	ट	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	5ट		
	ठ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ		
	ड	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड		
	ढ	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ+5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ+5ड)		5ढ	
6	कटौतियां				
	क	आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क		
	ख	धारा 10, 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	6ख		
	ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	6ग		
	घ	एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत नहीं हैं	6घ		
	ङ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ		
	च	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च		
	छ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर हानि	6छ		
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
	झ	अग्रनित की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो।	6झ		
	ञ	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	6ञ		
	ट	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट		
	ठ	कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ+6ज+6झ+6ञ+6ट)		6ठ	
7	धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ढ - 6ठ)				
8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें।				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	क. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ				
	क	शोष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय		8क	
	ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम		8ख	

ग	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग
घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ
ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ
ख. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती		
च	शीर्ष वे मर्दे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च
छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ
ज	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज
झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ
ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ
9	धारा 115अख (7 + 8ङ - 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय	9
क	धारा 115अख के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	9क
ख	धारा 115अख के अधीन इकाईयों (9-9क) के अलावा समायोजित कुल आय	9ख
10	धारा 115अख के अधीन संदेय कर [(9क) का 9% + (9ख) का 15%]	10

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 अख के अधीन कर प्रत्यय की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2023-24 में धारा 115अख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)	1				
2	निर्धारण वर्ष 2023-24 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)	2				
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बड़ा है तो (2-1) प्रवि-ट करें, अन्यथा 0 प्रवि-ट करें]	3				
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय			चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ)	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]
		सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अतिशेन (ख3) = (ख2) - (ख1)		
I	2008-09					
ii	2009-10					
iii	2010-11					
iv	2011-12					
v	2012-13					
vi	2013-14					
vii	2014-15					
viii	2015-16					
ix	2016-17					
x	2017-18					
xi	2018-19					
xii	2019-20					
xiii	2020-21					
xiv	2021-22					
xv	2022-23					
xvi	2023-24 [(का क्रम संसं1 -क्रम सं2)-अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2च) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है)					
xvii	योग					
5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115अख के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (Xvi) प्रवि-ट करें]				5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ) Xvi प्रवि-ट करें]				6	

अनुसूची-बीबीएस

शेयरों की पुनःखरीद पर घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर के ब्यौरे

क्रम	विवरण		पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे			
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)			
1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख		(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)			
2	कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम							
3	इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम							
4	कंपनी की वितरित आय (2-3)							
5	वितरित आय पर संदेय कर	क	धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 20% की दर से संदेय अतिरिक्त क					
		ख	क पर अधिभार					
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (क+ख) पर					
		घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)					
6	धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज							
7	संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+ 6)							
8	संदत्त कर और ब्याज							
9	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8)							
10	वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें		तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2
			(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)
11	बैंक और शाखा का नाम							
12	बीएसआर कोड							
13	चालान की क्रम संख्या							
14	जमा रकम							

अनुसूची टीपीएसए

ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार धारा 192 गअ(2क) में द्वितीयक समायोजन पर कर का विवरण

क्रम	विवरण		दिनांक 1	दिनांक 2	दिनांक 3	दिनांक 4	दिनांक 5	दिनांक 6
	(i)	(ii)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)
1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड(2क) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है तथा ऐसी जयादा राशि निर्धारित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं की गई है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)							
2	क	उपरोक्त पर 18% की दर से देय अतिरिक्त आय कर						
	ख	क पर 12% की दर से अधिभार						
	ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर						
	घ	(क+ख+ग) पर देय कुल अतिरिक्त कर						
3	अदा किए गए कर							
4	(2घ-3) देय निवल कर							
5	धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर के जमा करने की तारीख	दिनांक 1	दिनांक 2	दिनांक 3	दिनांक 4	दिनांक 5	दिनांक 6	
6	बैंक तथा शाखा का नाम							
7	बीएसआर कोड							
8	चालान की क्रम सं.							
9	जमा की राशि							

अनुसूची- एफएसआई			भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)						
क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग बीटीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (₹.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो	डीटीए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90न के अधीन किया गया है
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
टिप्पण ▶			कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें						

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त कर के लिए दावाकृत कर राहत का संक्षिप्त विवरण (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)					
भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे					
		देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ.) का योग)	धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90 क या 91 विनिर्दिष्ट करें)	
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	
				योग			
	2	देश जहां डीटीए लागू है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/20क) (1घ के योग का भाग)				2	
	3	देश जहां डीटीए लागू नहीं है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1घ के योग का भाग)				3	
	4	क्या भारत के बाहर संदत्त कोई कर, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात या वर्ग के दौरान विदेशी कर प्राधिकरण				4	हां/नहीं
	क	प्रतिदेय कर की रकम		ख	वह निर्धारित वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात किया गया था		
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें					

अनुसूची वि.आ.		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा										
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)										
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	आ2	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										

क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			

									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आसूति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आसूति की प्रकृति	स्वामित्व-सौधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।											
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरे जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			

(i)									
(ii)									

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची एसएच-1

असूचीबद्ध कम्पनी की शेयर धृति (एक कंपनी से भिन्न जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गारंटी द्वारा एक कंपनी लिमिटेड अथवा एक स्टार्टअप जिसके लिए अनुसूची एसएच-2 भरा जाना है को छोड़कर)

यदि आप असूचीबद्ध कम्पनी है, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धृति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन / आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किये गए शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन धनराशि	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गमन कीमत

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	आबंटन की तारीख	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

अनुसूची एसएच-2

स्टार्ट-अप की शेयर धृति

यदि आप वह स्टार्ट-अप है जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर धृति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	शेयर प्रीमियम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	आवेदक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किए गए शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर प्रस्तावित निर्गमन कीमत	शेयर आवेदन धनराशि	शेयर आवेदन प्रीमियम

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

टिप्पण पदों- “जोखिम पूंजी कंपनी”, “जोखिम पूंजी निधि” और “विनिर्दिष्ट कंपनी”, की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें

अनुसूची ए.एल-1

वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा भरा जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है) (किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची ए.एल-2 भरना जाना है)

क आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)		
(i)												
(ii)												
ख घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)		
(i)												
ग सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर				वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर			अंत अतिशेष		
शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
घ असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
कंपनी का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष	
		शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत
ङ अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे												
प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां					वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष	
		प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूतियों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत
च अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे												
अस्तित्व का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम	वर्ष के दौरान निकाली गई रकम	वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम			अंत अतिशेष			
छ किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निर्धारिता का सार्वान कारवार नहीं है)												
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		प्राप्त रकम	संदत रकम	विकलित ब्याज, यदि कोई हो		अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)			
ज मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे												
आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.		अर्जन की कीमत		अर्जन की तारीख			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)				
झ आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा												
आस्ति का विवरण	मात्रा		अर्जन की कीमत		अर्जन की तारीख			उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)				
ञ दायित्वों के ब्यौरे												

वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची ए.एल-2 वर्ष के अंत में अस्तित्वां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-								
क	निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	(i)							
(ii)								
ख	निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	(i)							
ग	निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निर्धारिती का सारवान कारवार नहीं है)							
	व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
घ	निगमन से अन्य अस्तित्व को किए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे							
	अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि को हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ङ	शेयरों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे							
	कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों /प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
च	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है							
	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
छ	निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ज	निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
झ दायित्वों के ब्यौरे							
वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची जीएसटी आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना

क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण ► कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें

अनुसूची एफ.डी विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)

क्रम सं.		रकम (रुपये में)
i	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
iii	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें

भाग - ख

भाग ख कुल आय कुल आय की संगणना

कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि		
	i	सटटे का कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क 38) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	2i	
	ii	सटटे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के 3(ii) (यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकड़े लें)	2ii	
	iii	विनिर्दि-ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)) (यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल का आंकड़े लें)	2iii	
	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभाय आय (अनुसूची बी.पी की तालिका च का 3घ, 3ड, 3च और 4ख)	2iv	
	v	कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv)	2v	
	3	पूँजी अभिलाभ		
	क	अल्पकालिक		
	i	अल्पकालिक प्रभाय 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9ii)	का	
ii	अल्पकालिक प्रभाय 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iii)	काii		
iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभाय (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iv)	काiii		
iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभाय (अनुसूची सीजी के मद ड की 9v)	काiv		
v	कुल अल्पकालिक (का + काii+काiii + काiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करे)	3कv		
ख	दीर्घकालिक			
i	दीर्घकालिक प्रभाय 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vi)	खा		

	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vii)	खांii	
	iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9viii)	खांiii	
	iv	कुल दीर्घकालिक (खां + खांii + खांiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)	3खांiv	
ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खांiv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)			3ग
घ	धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)			3घ
ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)			3ङ
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय / अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)	4क	
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेष दर पर (अनुसूची ओ एस का 2)	4ख	
	ग	दोड़ के घोड़े के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय (अनुसूची ओ एस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)	4ग	
	घ	कुल (4क+ 4ख+ 4ग)		4घ
5	शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2व + 3ड + 4घ)			5
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ग की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xvii, 3xvii तथा 4xvii)			6
7	चालू वर्ग की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेन (5-6) अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (ii), (iii), (v) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv)			7
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा 4xvi)			8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv) तक का योग + 4ख + 2iv)			9
10	9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर			10
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां			
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची V/क का 1 तथा बीएफएलए के 15+ii5+iv5+v5+viii5+xiii5+xiv5 तक सीमित]	11क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग (अनुसूची V/क का 2)	11ख	
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित]	11ग	
12	धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसूची 10कक)			12
13	कुल आय (9- 11ग -12)			13
14	विशेन दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग)			14
15	मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)			15
16	शुद्ध कृनि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 3)			16
17	चालू वर्ग की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xviii) का योग			17
18	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)			18

भाग ख - कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)	1क	
		ख	ऊपर (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग	उपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग	
		घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग)	1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
		क	भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर	2क	
		ख	विशेन दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग)	2ख	
		ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर	2ग	
		घ	अधिभार		
		i	एस.आई अनुसूची 16 का 25%	2घा	
		ii	एस.आई अनुसूची का 16 - 2ग)	2घाii	
		iii	कुल (i + ii)	2घाiii	
		ङ	(2ग+2घाiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	2ङ	
		च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घाiii + 2ङ)	2च	
3	सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रवि-ट करें)			3	

	4	पूर्ववर्ग में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5)	4	
	5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)]	5	
	6	कर अनुतो-1		
		क धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग)	6क	
		ख धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग)	6ख	
		ग कुल (6क + 6ख)	6ग	
	7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रवि-ट करे)	7	
	8	संदेय ब्याज और फीस		
		क विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क	
		ख अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख	
		ग अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग	
		घ आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ	
		ङ कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)	8ङ	
	9	सकल दायित्व (7 + 8ङ)	9	
	10	संदत्त कर		
		क अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क	
		ख टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख	
		ग टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग	
		घ स्व निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ	
		ङ कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ)	10ङ	
	11	संदेय रकम (9 - 10ङ) (यदि 9 10ङ से अधिक है तो शून्य प्रवि-ट करे)	11	
	12	प्रतिदाय (यदि 10ङ 9 से अधिक है) (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी)	12	
	13	क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है, भारत में बिना बैंक खाते वाले प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का विकल्प चुन सकते हैं)		
	(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)		
		क्रम सं. यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड	बैंक का नाम	खाता सं
		i		
		ii		
		खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)		
		नोट:		
		1) प्रतिदाय क्रेडिट हेतु न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए		
		2) प्रतिदाय के केस में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध(मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय सीपीसी द्वारा विवरणी के संसाधन के बाद निर्णित खाते में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा		
	(ख)	अनिवासी: जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, तो वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं		
		क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम
				देश का नाम(लोकेशन)
				आई.बी.ए.एन
		यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है		
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय i (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां)जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii (भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें (<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

15 अनुसूची-आयकर

	क	अग्रिम कर और आयकर के स्वतन्निर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
		क्र.सं	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ग)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
		i				
		ii				
		iii				
		iv				
		v				
		vi				

टिप्पण-भाग ख-टीटीआई की क्रम सं० 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रवि-ट करें।

स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ड के अनुसार]												
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैन/ आधार सं.	अग्रणीत किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान काटा गया टीडीएस		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।			तदनुरूपी रसीद/ आहरण प्रस्तुत की गई	अग्रणीत किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय	
(1)	(2)	(3)	(4)	वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)	अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस	आय	टीडीएस	पैन/ आधार सं.	
i												

टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीटीआई के स्तभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें

ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]											
क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान संग्रहित टीसीएस)		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया	
				वित्तीय वर् जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा	स्वयं दावा किया गया	नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)		
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)	
i									टी.सी.एस	पैन	
ii											

टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तभ (7i) का योग भरें

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं..... (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आर्बिटित हो) (कृपया अनुदेश देखें)।


मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख.....

स्थान

यहां हस्ताक्षर करें

फार्म	भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन फार्म	निर्धारण वर्ष
-------	----------------------------------	---------------

आईटीआर -V	[जहां आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में दायर किए गए परन्तु इलैक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित नहीं किए गए] (कृपया आयकर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखें)		2023-24
नाम			
स्थायी खाता संख्या		फार्म संख्या	
दायर धारा		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
सत्यापन			
<p>मैं.....का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य एवं पूर्ण है और वह आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस विवरण को अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूँ। मेरा स्थाई खाता संख्या (पैन) है ।</p>			
हस्ताक्षर 			
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आई.पी पता	
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड			
अनुदेश:			
<p>5. कृपया आप आधार ओटीपी का प्रयोग करके नेट बैंकिंग लॉगिन के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट के लॉगिन अथवा पूर्ण वैधता वाले बैंक खाते/डोरमेट अकाउंट का प्रयोग करके सृजित प्राप्त किए गए ई.वी.सी अथवा बैंक एटीएम के जरिए सृजित ईवीसी का प्रयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित करे अथवा वैकल्पिक रूप से विधिवत हस्ताक्षरित (प्राथमिकता ब्लू इंक में) फार्म आई.टी.आर-V को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा "केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरू-560500" को भेज सकते हैं ।</p>			
<p>6. आईटीआर-V फार्म आयकर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस फार्म आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में पंजीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी।</p>			
<p>7. सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी दायर करने की पावती को आय विवरणी दायर करने की प्रक्रिया के पूरा होने के साक्ष्य के रूप में ईफाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।</p>			
<p>8. हस्ताक्षर हेतु प्रदत्त बॉक्स में ही कृपया हस्ताक्षर करें।आईटीआर-V में दिए गए बॉक्स के अलावा कहीं और हस्ताक्षर करना अमान्य है।</p>			
<p>"कृपया नोट करें कि यदि आई-आर.टी.V निर्दिष्ट समय के पश्चात् प्राप्त किया गया, आंकड़े अपलोड करने की तिथि से, आई.टी.आर-V प्राप्त करने की तिथि ही रिटर्न दाखिल करने की तिथि मानी जाएगी और अधिनियम के समस्त उपबंध तदनुसार अनुप्रयोज्य होंगे।"</p>			

पावती संख्या:

दाखिल करने की तिथि:

भारतीय आयकर विवरणी पावती		निर्धारण वर्ष	
[जहां आय विवरणी का डाटा आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 ((सुगम))आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 में दायर किए गए तथा सत्यापित किए गए] (कृपया आय-कर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखिए)		2023-24	
स्थायी खाता संख्या			
नाम			
पता			
स्थिति		फार्म संख्या	
धारा के अंतर्गत दायर		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
कर योग्य आय तथा कर व्यौर	चालू वर्ष बिजनेस क्षति, यदि कोई हो	1	
	कुल आय		
	मैट के अंतर्गत ब्रुक प्रोफिट, जहां लागू हो	2	
	एएमटी के अंतर्गत कुल आय जहां लागू हो	3	
	देय निवल कर	4	
	देय ब्याज तथा फीस	5	
	देय कुल कर, ब्याज तथा फीस	6	
	अदा किया गया कर	7	
	(+) देय कर / (-) वापिस किए जाने योग्य (6-7)	8	
लाभांश वितरण कर व्यौर	देय लाभांश कर	9	
	देय ब्याज	10	
	देय कुल लाभांश कर तथा ब्याज	11	
	अदा किया गया कर	12	
	(+) देय कर / (-) वापिस किए जाने योग्य (11-12)	13	
मान्यता प्राप्त आय तथा कर व्यौर	धारा 115नघ के अनुसार मान्यता प्राप्त आय	14	
	धारा 115नघ के अंतर्गत देय अतिरिक्त कर	15	
	धारा 115नघ के अंतर्गत देय ब्याज	16	
	देय अतिरिक्त कर तथा ब्याज	17	
	अदा किया गया कर तथा ब्याज	18	
	(+) देय कर / (-) वापिस किए जाने योग्य (17-18)	19	
दिनांक..... को इलैक्ट्रानिक संप्रेषित आयकर विवरणीआईटी पते सेद्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने वाले.....को*पेपर आईटीआर सत्यापन फार्म / इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का प्रयोग करकेमोड के माध्यम से सृजित किया गया।			
सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड			

* जहां लागू नहीं है, काट दें

इस पावती को सी.पी.सी, बैंगलूरु को नहीं भेजे.

[अधिसूचना सं. 4/2023/फा.सं. 370142/51/2022-टीपीएल]

रमन चोपड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 769 (अ) तारीख 7 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था।

(ii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(iii)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)	(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

PART B GROSS TOTAL INCOME Whole- Rupee(₹) only

SALARY / PENSION	B1	Gross Salary (ia + ib + ic+id+ie)			i	
	a	Salary as per section 17(1)	ia			
	b	Value of perquisites as per section 17(2)	ib			
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic			
	d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (country drop down will be provided in e-filing utility)	id			
	e	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A	ie			
	ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3))			ii	
	iiia	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A			iiia	
	iii	Net Salary (i – ii-iiia)			iii	
	iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)			iv	
	a	Standard deduction u/s 16(ia)	iva			
	b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb			
	c	Professional tax u/s 16(iii)	ivc			
	v	Income chargeable under the head ‘Salaries’ (iii – iv)			B1	
B2	Tick applicable option <input type="checkbox"/> Self-Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> Deemed Let Out					
HOUSE PROPERTY	i	Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year			i	
	ii	Tax paid to local authorities			ii	
	iii	Annual Value (i – ii)			iii	
	iv	30% of Annual Value			iv	
	v	Interest payable on borrowed capital			v	
	vi	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%			vi	
	vii	Income chargeable under the head ‘House Property’ (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative) Note: - Maximum loss from House Property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2			B2	
B3	Income from Other Sources (drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend income and Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C)					
	Less: Deduction u/s 57(iiia) (in case of family pension only)					
	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A					
B4	Gross Total Income (B1+B2+B3) (If loss, put the figure in negative) Note: To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2			B4		
PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer instructions for Deduction limit as per Income-tax Act.						

80C	80CCC	80CCD(1)	80CCD(1B)	80CCD(2)	80D <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>	80DD <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>	80DDB <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>	80E	80EE	
80EEA	80EEB	80G <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>	80GG	80GGA <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>	80GGC	80TTA	80TTB	80U <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>		
Total deductions					C1	Total Income (B4-C1)			C2	
Exempt Income: For reporting purpose				<i>Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section</i>						

PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE

D1	Tax payable on total income		D2	Rebate u/s 87A		D3	Tax after Rebate	
D4	Health and education Cess @ 4% on D3		D5	Total Tax and Cess		D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	
D7	Interest u/s 234A		D8	Interest u/s 234B		D9	Interest u/s 234C	
D10	Fee u/s 234F		D11	Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10 – D6)				
D12	Total Taxes Paid		D13	Amount payable (D11-D12) (if D11>D12)		D14	Refund (D12-D11) (if D12>D11)	

PART E – OTHER INFORMATION

Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)

Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Select Account for Refund Credit
I				

1. Minimum one account should be selected for refund credit.

2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the accounts decided by CPC after processing the return.

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments

	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Tax paid
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
R1				
R2				

Schedule-TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C/27D issued by the Deductor(s)/ Employer(s)/ Payer(s)/ Collector(s)]

	TAN of deductor/Collector or PAN/ Aadhaar No. of the Tenant	Name of the Deductor/ Collector/Tenant	Gross payment/ receipt which is subject to tax deduction /collection	Year of tax deduction/ collection	Tax Deducted/ collected	TDS/TCS credit out of (5) claimed this Year
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)	Col (6)
T1						
T2						

VERIFICATION

Stamp Receipt No., Seal,
Date & Sign of Receiving
Official

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____. (Please see instruction).

Date:

Signature:

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof		

FORM No.	ITR-2	INDIAN INCOME TAX RETURN [For Individuals and HUFs not having income from profits and gains of business or profession] (See rule 12) (Please refer instructions)	Assessment Year					
			2	0	2	3	-	2

Part A-GEN

GENERAL

PERSONAL INFORMATION	(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) PAN	
	(A6) Flat/Door/Block No.	(A7) Name of Premises/Building/Village		(A5) Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF	
	(A8) Road/Street/Post Office	(A14) Date of Birth/ Formation (DD/MM/YYYY)			
	(A9) Area/locality	(A15) Aadhaar Number (12 digit) / Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)			
	(A10) Town/City/District	(A11) State	(A13) PIN code/ZIP code		
		(A12) Country			
	(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1	(A17) Mobile No. 2			
	(A18) E-mail Address-1 (self)	(A19) E-mail Address-2			
	(A20)	(a1i) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)-After condonation of delay		
		(a1ii) Or filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C		
(a2)	Are you opting for new tax regime u/s 115BAC? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
(b)	Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]				
(bi)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)			
(bii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)			
(biii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)			
FILING STATUS					

(biv)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)					(Tick) o Yes o No														
(c)	If Revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)					/ /														
(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b) enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such Notice/Order, or if filed u/s 92CD, enter date of Advance Pricing Agreement					(Unique Number)	/ /													
(e)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident	<input type="checkbox"/> You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)] <input type="checkbox"/> You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)]																	
		B. Resident but not Ordinarily Resident	<input type="checkbox"/> You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]																	
		C. Non-resident	<input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year. (i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year - <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.No.</th> <th>Jurisdiction(s) of residence</th> <th>Taxpayer Identification Number(s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Total period of stay in India during the previous year (in days)</th> <th>Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					S.No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)	1			2			Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)		
S.No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)																		
1																				
2																				
Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)																			
	Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)	D. <input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Resident but not Ordinarily Resident <input type="checkbox"/> Non-resident																		
(f)	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No														
(g)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A)																			
(h)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No																			
(i)	Whether this return is being filed by a Representative Assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -																			
	(1)	Name of the Representative																		
	(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)																		
	(3)	Address of the Representative																		
	(4)	Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the Representative																		
(j)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -																			
	Name of Company	of	Type of company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted	Director Identification Number (DIN)														

			(Drop down to be provided)											
(k)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of Company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		
	(Drop down to be provided)			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule S		Details of Income from Salary												
Name of Employer				Nature of employer (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> (drop down to be provided)						TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)				
Address of employer				Town/City			State			PIN code/ ZIP code				
1	Gross Salary (1a + 1b + 1c+1d+1e)										1			
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)							1a					
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)							1b					
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)							1c					
	d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)							1d					
	e	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"							1e					
	f	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.							1f					
<i>(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)</i>														
2	Total Gross Salary (from all employers)										2			
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions) (Note: Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)										3			
3(a)	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A										3a			
4	Net Salary (2 – 3 – 3a)										4			
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)										5			
	a	Standard deduction u/s 16(ia)							5a					
	b	Entertainment allowance u/s 16(ii)							5b					
	c	Professional tax u/s 16(iii)							5c					
6	Income chargeable under the head 'Salaries' (4 - 5)										6			

SALARIES

1	Address of property 1		Town/ City		State		Country		PIN Code/ ZIP Code	
Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)										
Your percentage of share in the property (%) <input type="text"/>										
Name of Co-owner(s)			PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s)			Percentage Share in Property				
I										
II										
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] Name(s) of PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)										
<input type="checkbox"/> Let out (if let out)										
<input type="checkbox"/> Self-occupied										
<input type="checkbox"/> Deemed let out										
I										
II										
a Gross rent received or receivable or lettable value 1a										
b The amount of rent which cannot be realized 1b										
c Tax paid to local authorities 1c										
d Total (1b + 1c) 1d										
e Annual value (1a – 1d) (nil if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act) 1e										
f Annual value of the property owned (own percentage share x 1e) 1f										
g 30% of 1f 1g										
h Interest payable on borrowed capital 1h										
i Total (1g + 1h) 1i										
j Arrears/Unrealized rent received during the year less 30% 1j										
k Income from house property 1 (1f – 1i + 1j) 1k										
2	Address of property 2		Town/ City		State		Country		PIN Code/ ZIP Code	
Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)										
Your percentage of share in the property. (%) <input type="text"/>										
Name of Co-owner(s)			PAN/ Aadhaar No. of Co-owner(s)			Percentage Share in Property				
I										
II										
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] Name(s) of PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)										
<input type="checkbox"/> Let out (if let out)										
<input type="checkbox"/> Self-occupied										
<input type="checkbox"/> Deemed let out										
I										
II										
a Gross rent received/ receivable/ lettable value 2a (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)										
b The amount of rent which cannot be realized 2b										
c Tax paid to local authorities 2c										
d Total (2b + 2c) 2d										
e Annual value (2a – 2d) 2e										
f Annual value of the property owned (own percentage share x 2e) 2f										
g 30% of 2f 2g										
h Interest payable on borrowed capital 2h										
i Total (2g + 2h) 2i										
j Arrears/Unrealized rent received during the year less 30% 2j										
k Income from house property 2 (2f – 2i + 2j) 2k										

HOUSE PROPERTY

3	Pass through income/loss if any *	3	
4	Income under the head "Income from House Property" (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	4	
NOTE ▶	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head.		
NOTE ▶	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.		

Schedule CG

Capital Gains

A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 3 and 4 are not applicable for residents)									
Short-term Capital Gains	1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)									
	a	i	Full value of consideration received/receivable				ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii			
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation				bi			
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv			
	c	Balance (aiii – biv)				1c				
	d	Deduction under section 54B (Specify details in item D below)				1d				
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)							A1e	
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
		S. No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, country code, ZIP code	Pin code	State	
	NOTE ▶ Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-1A or is quoted by buyer in the documents In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.									
2	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)									
	a	Full value of consideration					2a			
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation				bi			
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
	iv	Total (i + ii + iii)				biv				
	c	Balance (2a – biv)				2c				
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				2d					
e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (2c + 2d)							A2e		
3	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)									
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid						A3a		
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid						A3b		
4	For NON-RESIDENT- from sale of securities (other than those at A2) by an FII as per section 115AD									

a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
	iii	Total (ic + ii)	aiii		
b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (i + ii + iii)	biv		
c	Balance (4aiii – biv)		4c		
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)		4d		
e	Short-term capital gain on sale of securities by an FII (other than those at A2) (4c +4d)			A4e	
5	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above				
a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
	ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii		
	iii	Total (ic + ii)	aiii		
b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of Improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (i + ii + iii)	biv		
c	Balance (5aiii – biv)		5c		
d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		5d		
e	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above (5c + 5d)			A5e	
6	Amount deemed to be short-term capital gains				
a	Whether any amount of unutilised capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below				
	Sl. No.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilised in Capital gains account (X)
	i	2020-21	54B		

b		Amount deemed to be short-term capital gains, other than at 'a'								
		Total amount deemed to be short term capital gains (aXi + b)								A6
7		Pass Through Income/ Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A7a + A7b + A7c)								A7
a		Pass Through Income/ Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 15%						A7a		
b		Pass Through Income/ Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 30%						A7b		
c		Pass Through Income/ Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable at applicable rates						A7c		
8		Amount of STCG included in A1 – A7 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA								
Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A7 above which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
a		Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA								A8a
b		Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA								A8b
9		Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2e+ A3a+ A3b+ A4e+ A5e+A6 + A7 - A8a)								A9
B		Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items, 5, 6, 7 and 8 are not applicable for residents)								
1		From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)								
		Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY				Date of sale/transfer DD/MM/YYYY				
a		i Full value of consideration received/receivable						ai		
		ii Value of property as per stamp valuation authority						aii		
		iii Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]						aiii		
b		Deductions under section 48								
		i Cost of acquisition						bi		
		ii Cost of acquisition with indexation						biia		
		iib Total cost of improvement with indexation						biib		
		(a) Cost of improvement								
		(b) Year of Improvement								
		(c) Cost of Improvement with indexation								
		Add row								
		iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						biib		
		iv Total (biia + biib + biib)						biv		
c		Balance (aiii – biv)						1c		
d		Deduction under section 54/54B/54EC/54F/54GB (Specify details in item D below)						1d		
e		Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)								B1e
f		In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, country code, ZIP code	Pin code	State	
NOTE ▶		Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
2		From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)								
a		Full value of consideration						2a		
b		Deductions under section 48								
		i Cost of acquisition without indexation						bi		

Long-term Capital Gains

	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (2a – biv)		2c		
d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		2d		
e	LTCG on bonds or debenture (2c – 2d)			B2e	
3	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA				
a	Full value of consideration		3a		
b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (3a – biv)		3c		
d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		3d		
e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above (3c – 3d)			B3e	
4	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A				
a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)		4a		
b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		4b		
c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4 above (4a – 4b)			B4c	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)				
a	LTCG computed without indexation benefit		5a		
b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		5b		
c	LTCG on share or debenture (5a-5b)			B5c	
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B7 is to be filled up)				
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
	iii	Total (ic + ii)	aiii		
b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (6aiii – biv)		6c		
d	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)		6d		
e	Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-RESIDENT (6c - 6d)			B6e	
7	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A				

a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 115AD(1)(b)(iii))	7a		
b	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)	7b		
c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 above (7a – 7b)			B7c
8 From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)				
a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)	8a		
b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)	8b		
c	Balance LTCG on sale of specified asset (8a – 8b)			B8c
d	LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation)	8d		
e	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)	8e		
f	Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (8d- 8e)			B8f
9 From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable				
a	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
	ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	a ii	
	iii	Total (ic + ii)	a iii	
b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition with indexation	bi	
	ii	Cost of improvement with indexation	bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv	
c	Balance (9a iii – biv)			9c
d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			9d
e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c – 9d)			B9e
10 Amount deemed to be long-term capital gains				
a	Whether any amount of unutilised capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below Yes ; No ; Not applicable. (If yes, then provide the details below)			
Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which asset deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilised in Capital gains account (X)
i	2019-20	54/54F/ 54GB		
ii	2020-21	54B		
b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'			
	Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + b)			B10
11 Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+ B11a2 + B11b)				
a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A			B11 a1
a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than u/s 112A			B11 a2
b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 20%			B11b

12 Amount of LTCG included in B1- B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA											
Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (Enter NIL, if not chargeable)	Whether obtained (Y/N)	TRC	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
I											
II											
a	Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA										B12a
b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates as per DTAA										B12b
13	Total Long-term capital gain chargeable under I.T. Act (B1c+B2c+B3e+B4c+B5c+B6e+B7c+B8c+B8f+B9e+B10 + B11 B12a)										B13
C1	Sum of Capital Gains (9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii of table E below)										C1
C2	Income from transfer of virtual digital assets (Col. 7 of Schedule VDA)										C2
C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)										C3
D Information about deduction claimed against Capital Gains											
I	In case of deduction u/s 54/54B/54EC/54F/54GB/115F give following details										
a	Deduction claimed u/s 54										
	i	Date of transfer of original asset				ai	dd/mm/yyyy				
	ii	Cost of new residential house				aii					
	iii	Date of purchase/construction of new residential house				aiii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				aiv					
	v	Amount of deduction claimed				av					
b	Deduction claimed u/s 54B										
	i	Date of transfer of original asset				bi	dd/mm/yyyy				
	ii	Cost of new agricultural land				bii					
	iii	Date of purchase of new agricultural land				biii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				biv					
	v	Amount of deduction claimed				bv					
c	Deduction claimed u/s 54EC										
	i	Date of transfer of original asset				ci	dd/mm/yyyy				
	ii	Amount invested in specified/notified bonds (Not exceeding fifty lakh rupees)				cii					
	iii	Date of investment				ciii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount of deduction claimed				civ					
d	Deduction claimed u/s 54F										
	i	Date of transfer of original asset				di	dd/mm/yyyy				
	ii	Cost of new residential house				dii					
	iii	Date of purchase/construction of new residential house				diii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				div					
	v	Amount of deduction claimed				dv					
e	Deduction claimed u/s 54GB										
	i	Date of transfer of original residential property				ei	dd/mm/yyyy				
	ii	PAN of the eligible company				eii					
	iii	Amount utilised for subscription of equity shares of eligible company				eiii					
	iv	Date of subscription of shares				eiv	dd/mm/yyyy				
	v	Cost of new plant and machinery purchased by the eligible company				ev					
	vi	Date of purchase of plant and machinery				evi	dd/mm/yyyy				
	vii	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				evii					
	viii	Amount of deduction claimed				eviii					
f	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)										
	i	Date of transfer of original foreign exchange asset				fi	dd/mm/yyyy				
	ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate				fii					
	iii	Date of investment				fiii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount of deduction claimed				fiv					
g	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)										g
E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8a & B12a which is not chargeable under DTAA)											
Sl.	Type of Capital Gain	Capital Gain of	Short term capital loss	Long-term capital loss	Current year's capital gains						

		current year (Fill this column only if computed figure is positive)	15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates	remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			1	2	3	4	5	6	7	
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative)		(A2e* + A3a* + A7a*)	A4e* + A7b*	(A1e* + A3b* + A5e* + A6* + A7c*)	A8b	(B3e* + B4c* + B6e* + B7c* + B8c* + B11a1* + B11a2*)	(B1e* + B2e* + B5c* + B8f* + B9e* + B10* + B11b*)	B12b	
ii	Short term capital gain	15%	(A2e* + A3a* + A7a*)							
iii		30%	A4e* + A7b*							
iv		applicable rate	(A1e* + A3b* + A5e* + A6* + A7c*)							
v		DTAA rates	A8b							
vi		Long-term capital gain	10%	(B3e* + B4c* + B6e* + B7c* + B8c* + B11a1* + B11a2*)						
vii	20%		(B1e* + B2e* + B5c* + B8f* + B9e* + B10* + B11b*)							
viii		DTAA rates	B12b							
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	Loss remaining after set off (i - ix)									

The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A6) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B10) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

F Information about accrual/receipt of capital gain

Type of Capital gain / Date	Upto 15/6	16/6 to 15/9	16/9 to 15/12	16/12 to 15/3	16/3 to 31/3
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1 Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 3iii of schedule BFLA, if any.					
2 Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 3iv of schedule BFLA, if any.					
3 Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 3v of schedule BFLA, if any.					
4 Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 3vi of schedule BFLA, if any.					
5 Long-term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 3vii of schedule BFLA, if any.					
6 Long-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 3viii of schedule BFLA, if any.					
7 Long-term capital gains taxable at the rate DTAA rates Enter value from item 3ix of schedule BFLA, if any.					
8 Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% Enter value from item 16 of schedule SI, if any					

NOTE ▶ Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

2														
3														
4														
Add Rows														
Total														

Schedule VDA		Income from transfer of virtual digital assets				
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from Other Sources					
1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1		
	a	Dividends, Gross (ai+aii)				1a	
		i	Dividend income other than (ii)	ai			
		ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii			
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi + bvii + bviii + bix)				1b	
		i	From Savings Bank	bi			
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)	bii			
		iii	From Income-tax Refund	biii			
		iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv			
		v	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)	bv			
		vi	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(11)	bvi			
		vii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii			
		viii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii			
	ix	Others	bix				
c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross				1c		
d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)				1d		
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di				

	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii			
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration stamp duty value of property in excess of such consideration	diii			
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	diiiv			
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	diiiv			
	e	Any other income (<i>please specify nature</i>)			1e	
	Sl. No.	Nature				Amount
	1	Family Pension				
	2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)				
	3	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"				
	4	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.				
	Rows can be added as required					
2	Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e +2f elements related to Sl. No.1)				2	
	a	Winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB			2a	
	b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b	
	i	Cash credits u/s 68	bi			
	ii	Unexplained investments u/s 69	bii			
	iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii			
	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
	v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
	vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
	c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111			2c	
	S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
	d	Any other income chargeable at special rate (<i>total of di to dxx</i>)			2d	
	i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)	di			
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	dii			
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	diii			
	iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	diiiv			
	v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	diiiv			
	vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	diiiv			

	aiii	Deduction u/s. 57(ia) (in case of family pension only)		3aiii				
	b	Depreciation (available only if income offered in 1c of Schedule OS)		3b				
	c	Total		3c				
4	Amounts not deductible u/s 58						4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59						5	
5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A						5a	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1(after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5-5a) (If negative take the figure to 3i of schedule CYLA)						6	
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)						7	
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses							
	a	Receipts		8a				
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only		8b				
	c	Amounts not deductible u/s 58		8c				
	d	Profits chargeable to tax u/s 59		8d				
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 6xii of Schedule CFL)				8e		
9	Income under the head "Income from Other Sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)						9	
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources							
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						
	2	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)						
	3	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
	4	Dividend Income u/s 115AC @ 10%						
	5	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)						
	6	Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
	7	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

		8	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s 89A)					
NOTE ▶			Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.					

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of Current Year Losses			
Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Net loss from Other sources chargeable at normal applicable rates (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
		1	2	3	4=1-2-3
i	Loss to be set off → (Fill this row only if computed figure is negative)		(4 of Schedule HP)	(6 of Schedule-OS)	
ii	Salaries	(6 of Schedule S)			
iii	House property	(4 of Schedule HP)			
iv	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of Schedule CG)			
v	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of Schedule CG)			
vi	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of Schedule CG)			
vii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of Schedule CG)			
viii	Long-term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of Schedule CG)			
ix	Long-term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of Schedule CG)			
x	Long-term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of Schedule CG)			
xi	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)			
xii	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)			
xiii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi + xii)				
xiv	Loss remaining after set-off (i – xiii)				

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years			
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3
i	Salaries	(4ii of schedule CYLA)			

ii	House property	(4iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)	
iii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(4iv of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
iv	Short-term capital gain taxable @ 30%	(4v of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
v	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(4vi of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
vi	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(4vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
vii	Long-term capital gain taxable @ 10%	(4viii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
viii	Long-term capital gain taxable @ 20%	(4ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
ix	Long-term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(4x of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
x	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(4xi of schedule CYLA)		
xi	Profit from owning and maintaining race horses	(4xii of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)	
xii	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
xiii	Current year's income remaining after set off	Total of (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)		

Schedule CFL

	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
	1	2	3	4	5	6
CARRY FORWARD OF LOSS	i	2015-16				
	ii	2016-17				
	iii	2017-18				
	iv	2018-19				
	v	2019-20				
	vi	2020-21				
	vii	2021-22				
	viii	2022-23				
	ix	Total of earlier year losses				
	x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)		(2xi of Schedule BFLA)
	xi	2023-24 (Current year losses)		(2xiv of Schedule CYLA)	(2x+3x+4x+5x) of item E of Schedule CG	(6x+7x+8x) of item E of Schedule CG

	xii	Total loss carried forward to future years					
--	-----	--	--	--	--	--	--

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A					
TOTAL DEDUC	l	Part B- Deduction in respect of certain payments					
	a	80C		b	80CCC		

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	c	80CCD(1)		d	80CCD(1B)			
	e	80CCD(2)		f	80D			
	g	80DD		h	80DDB			
	i	80E		j	80EE			
	k	80EEA		l	80EEB			
	m	80G		n	80GG			
	o	80GGA		p	80GGC			
	z	Part C, CA and D- Deduction in respect of certain incomes/other deduction						
	q	80QQB		r	80RRB			
	s	80TTA		t	80TTB			
	u	80U						
	v	Total deductions under Chapter VI-A (Total of a to u)					v	

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G					
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit					
		Name and address of Donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		i					
		ii					
		iii	Total				
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit					
		Name and address of Donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		i					
		ii					
		iii	Total				
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit					
		Name and address of Donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		i					
	ii						
	iii	Total					
D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit						

	Name and address of Donee	PAN of Donee	ARN of (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible donation	Amount of
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
i								
ii								
iii	Total							
E	Total donations (Aiii + Biii + Cii + Diii)							

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development					
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	Total donation						

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC			
1	Total Income as per item 12 of PART-B-TI	1			
2	Adjustment as per section 115JC(2)				
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a			
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2a)	3			
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)	4			

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD				
1	Tax under section 115JC in assessment year 2023-24 (1d of Part-B-TTI)					1
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2023-24 (7 of Part-B-TTI)					2
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3
4	Utilization of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
i	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
vi	2018-19					
vii	2019-20					
viii	2020-21					
ix	2021-22					
x	2022-23					

	xi	Current AY (enter 1-2, if 1>2 else enter 0)						
	xii	Total						
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]						5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]						6	

Schedule SPI		Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64								
Sl No	Name of person	PAN/ Aadhaar No. of person (optional)						Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1										
2										
3										

Schedule SI			Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111- Accumulated balance of recognised provident for prior years	<input type="checkbox"/>		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
2	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(3iii of Schedule BFLA)	
3	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(3iv of Schedule BFLA)	
4	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
7	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
8	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
9	115E (LTCG for non-resident Indian on specified asset)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
10	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(3viii of Schedule BFLA)	
11	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vi of Schedule BFLA)	
12	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3vi of Schedule BFLA)	
13	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3ix of schedule BFLA)	
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 2a of Schedule OS)	
15	115BBE (Income under sections 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)	
16	115BBH (Income from transfer of virtual digital asset)	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)	
17	115BBF (Tax on income from patent)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
18	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
19	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(part of 2d of Schedule OS)	
20	Other source of income chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2f of Schedule OS)	
21	Pass Through Income in the nature of Short-Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>	15	(part of 3iv of Schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Short-Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 3v of Schedule BFLA)	

SPECIAL RATES OF TAXATION

23	Pass Through Income in the nature of Long-Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)
24	Pass Through Income in the nature of Long-Term Capital Gain chargeable @ 10% under sections other than u/s 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)
25	Pass Through Income in the nature of Long-Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 3viii of Schedule BFLA)
26	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(2e of Schedule OS)
Total				

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

EXEMPT INCOME	1	Interest income			1				
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rules 7A, 7B or 8)						
		ii	Expenditure incurred on agriculture						
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years						
		iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)		2				
		v	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)						
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located							
		b Measurement of agricultural land in Acre							
		c Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
		d Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
	3	Other exempt income (including exempt income of minor child)			3				
	4	Income not chargeable to tax as per DTAA							
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether obtained (Y/N)	TRC
		I							
		II							
	III	Total Income from DTAA not chargeable to tax			4				
5	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)			5					
6	Total (1+2+3+4+5+)			6					

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

PASS THROUGH INCOME	Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss (7-8)	TDS on such amount, if any	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	(Dropdown to be provided)				I	House property					
					ii	Capital Gains					
						a	Short-term				
						ai	Section 111A				
						aii	Others				
						b	Long-term				
						bi	Section 112A				
					bii	Other than section 112A					
iii	Other Sources										

2.					A	Dividend						
					B	Others						
					iv	Income claimed to be exempt						
					a	u/s 10(23FBB)						
					b	u/s						
					c	u/s						
					I	House property						
					ii	Capital Gains						
					a	Short-term						
					ai	Section 111A						
					aii	Others						
					b	Long-term						
					bi	Section 112A						
					bii	Other than Section 112A						
					iii	Other Sources						
a	Dividend											
B	Others											
iv	Income claimed to be exempt											
a	u/s 10(23FBB)											
b	u/s											
c	u/s											
NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.												

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)							
Sl. No.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
1			i	Salary						
			ii	House Property						
			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							
2			i	Salary						
			ii	House Property						
			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							
NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.										

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)
1	Summary of Tax relief claimed	

Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Tax Relief Claimed under section (specify 90, 90A or 91)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Total				
2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))			2
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))			3
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below			4 Yes/No
a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India	
NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.				

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India										
DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December, 2022										
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	of ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December, 2022										

Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period <i>(drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December, 2022											
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A4	Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December, 2022											
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract		The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
B	Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2022											
Sl No	Country Name and	ZIP Code	Nature of	Name and Address of the	Nature of Interest-	Date since held	Total Investment	Income accrued	Nature of	Income taxable and offered in this return		

	code	entity	Entity	Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary		(at cost) (in rupees)	from such Interest	Income	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2022												
SI No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2022												
SI No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2022 and which has not been included in A to D above.												
SI No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		

										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)													
(ii)													
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor													
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(2a)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)													
(ii)													
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession													
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return						
(1)	(2)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	(7)	(8)	(9)	
(i)													
(ii)													
NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.													

Schedule 5A**Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code**

Name of the spouse	
PAN/ Aadhaar No. of the spouse	

	Heads of Income	Receipts under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Capital gains				
3	Other sources				
4	Total				

Schedule AL		Assets and Liabilities at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)			
DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A	Details of immovable assets			
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	B	Details of movable assets			
	Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)			(3)
	(i)	Jewellery, bullion etc.			
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
	(iv)	Financial assets			Amount (cost) in Rs.
		(a) Bank (including all deposits)			
		(b) Shares and securities			
		(c) Insurance policies			
	(d) Loans and advances given				
	(e) Cash in hand				
C	Liabilities in relation to Assets at (A + B)				
NOTE		Please refer to instructions for filling out this schedule.			

Schedule: Tax deferred on ESOP		Information related to Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC						
DETAILS	Sl. No.	Assessment Year	Amount of Tax deferred brought forward from earlier AY	Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year			Amount of tax payable in the current Assessment Year	Balance amount of tax deferred to be carried forward to the next Assessment years
				Such specified security or sweat equity shares were sold (i)Fully (ii)Partly (iii)Not sold Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3 (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No If yes , specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date	(to be populated from col. (3) or (4) as the case maybe)	Col (3)-(7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1	2021-22	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
2	2022-23	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year				(To be enabled from AY 2026-27) (Payment to be made in FY 2025-26)		
3	2023-24							

PART-B

Part B – TI		Computation of total income	
TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)	1
	2	Income from house property (4 of Schedule HP) (enter nil if loss)	2
	3	Capital gains	
	a	Short-term	
	i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai
	ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	a ii
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	a iii
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	a iv
	v	Total Short-term (ai + a ii + a iii + a iv) (enter nil if loss)	3av
	b	Long-term	
	i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi
	ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	b ii
	iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	b iii
	iv	Total Long-term (bi + b ii + b iii) (enter nil if loss)	3biv
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)	3c
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	3d
	e	Total capital gains (3c + 3d)	3e
	4	Income from other sources	
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a
	b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	4b
c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c	
d	Total (4a + 4b + 4c) (enter nil if loss)	4d	
5	Total of head wise income (1+2+3e+4d)	5	
6	Losses of current year set off against 5 (total of 2xiii and 3xiii of Schedule CYLA)	6	
7	Balance after set off current year losses (5-6) (total of column 4 of Schedule CYLA+ 2 of Schedule OS)	7	
8	Brought forward losses set off against 7 (2xii of Schedule BFLA)	8	
9	Gross Total income (7-8) (3xiii of Schedule BFLA + 2 of Schedule OS)	9	
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9	10	
11	Deductions under Chapter VI-A [v of Schedule VI A and limited to (9-10)]	11	
12	Total income (9 - 11)	12	
13	Income which is included in 12 and chargeable to tax at special rates (total of column (i) of schedule SI)	13	
14	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3 of Schedule EI)	14	
15	Aggregate income (12-13+14) [applicable if (12-13) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	15	
16	Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)	16	
17	Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	17	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income		
	1	a	Tax payable on deemed total income u/s 115JC (4 of Schedule AMT)	1a
		b	Surcharge on (a) (if applicable)	1b
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a + 1b) above	1c
		d	Total tax payable on deemed total income (1a + 1b + 1c)	1d

COMPUTATION OF TAX LIABILITY	2	Tax payable on total income					
	a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI		2a			
	b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule SI)		2b			
		10	Deductions under Chapter VI-A (o of Schedule VIA)				
		11	Total income				
		12	Net agricultural income/ any other income for rate purpo				
		13	'Aggregate income' (8+ 9)				
		14	Losses of current year to be carried forward (total of 2vii				
	c	Rebate on agricultural income [applicable if (12-13) of Part B-TI exceeds 2c maximum amount not chargeable to tax]		2c			
	d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b - 2c)		2d			
	3	Rebate under section 87A		3			
	4	Tax payable after rebate (2d - 3)		4			
	5	Surcharge		Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief		
	i	@ 25% of 15(ii) of Schedule SI	5i		ia		
ii	@10% or 15%, as applicable (Refer instructions)	5ii		iaa			
iii	On [(4) – 15(ii) of Schedule SI – tax on incomes referred in 5(ii) above)]	5iii					
iv	Total ia + iia				5iv	5iii	
6	Health and Education Cess @ 4% on (4 + 5iv)		6				
7	Gross tax liability (4 + 5iv + 6)		7				
8	Gross tax payable (higher of 1d and 7) (8a+8b)		8				
8a	Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC (Schedule Salary) (8-8b)		8a				
8b	Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC		8b				
8c	Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP		8c				
9	Credit u/s 115JD of tax paid in earlier years (applicable only if 7 is higher than 1d) (row 5 of Schedule AMTC)		9				
10	Tax payable after credit u/s 115JD (8a + 8c - 9)		10				
11	Tax relief						
a	Section 89(Please ensure to submit Form 10E)		11a				
b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)		11b				
c	Section 91 (3 of Schedule TR)		11c				
d	Total (11a + 11b + 11c)		11d				
12	Net tax liability (10 – 11d) (enter zero if negative)		12				
13	Interest and fee payable						
a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)		13a				
b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)		13b				
c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)		13c				
d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)		13d				
e	Total Interest and Fee Payable (13a+13b+13c+13d)		13e				
14	Aggregate liability (12 + 13e)		14				

TAXES PAID	15	Taxes Paid				
	a	Advance Tax (from column 5 of 20A)	15a			
	b	TDS (total of column 5 of 20B and column 9 of 20C)	15b			
	c	TCS (total of column 7(i) of 20D)	15c			
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 20A)	15d			
	e	Total Taxes Paid (15a + 15b + 15c + 15d)	15e			
	16	Amount payable (Enter if 14 is greater than 15e, else enter 0)				16
	17	Refund (If 15e is greater than 14) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)				17
BANK ACCOUNT	18	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)				Select Yes or No
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick accounts <input checked="" type="checkbox"/> for refund)
		i				
		ii				
		Note:				
		1. Minimum one account should be selected for refund credit.				
		2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return				
		Rows can be added as required				
	ii.	b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:				
		Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN
		Rows can be added as required				
	19	Do you at any time during the previous year,				
		(i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
		(ii) have signing authority in any account located outside India; or				
		(iii) have income from any source outside India?				
		[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]				

20	TAX PAYMENTS						
A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax						
ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	i						
	ii						
	iii						
	iv						
	NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 15a & 15d of Part B-TTI						
B	Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]						
TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer	Name of the Employer	Income chargeable under Salaries	Total tax deducted		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	I						

II	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td> </tr> </table>																						
NOTE ►		Please enter total of column 5 in 15b of Part B-TTI																					
C1													Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form No. 16 A issued or Form No. 16B/16C/16E furnished by Deductor(s)]										

Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/ Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during FY 2022-23)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)		Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Income TDS		Income TDS			
I												

NOTE ► Please enter total of column 9 in 15b of Part B- TTI

D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form No. 27D issued by the Collector(s)]

Sl. No.	TCS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/ other person as per rule 37BA(2)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. Year		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward
				Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)
									TCS PAN	
i										
NOTE ► Please enter total of column 7(i) in 15c of Part B- TTI										

TDS ON OTHER INCOME

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction) I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date		Place		Sign here →
If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:				
Identification No. of TRP		Name of TRP		Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof				

FORM	ITR-3	INDIAN INCOME TAX RETURN (For individuals and HUFs having income from profits and gains of business or profession) (See rule 12) (Please refer instructions)	Assessment Year			
			2	0	2	3

Part A-GEN		GENERAL			
PERSONAL INFORMATION	(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) PAN	
	(A5) Flat/Door/Block No.	(A6) Name Of Premises/Building/Village		(A14) Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF	
	(A7) Road/Street/Post Office	(A8) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)		(A15) Date of Commencement of Business (DD/MM/YYYY)	
	(A9) Area/locality	(A16) Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)			
	(A10) Town/City/District	(A11) State	(A12) PIN code/ZIP code		
	(A17) Residential/Office Phone Number with STD code/Mobile No. 1	(A13) Country			
	(A18) E-mail Address-1 (self)	E-mail Address-2			
	(A19) (a)	Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	<input type="checkbox"/> 139(1)- On or Before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)- After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)- Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay		
	(b)	Or Filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C		
	(c)	a. Have you ever opted for new tax regime u/s 115BAC in earlier years <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If Yes is selected, please furnish the AY in which said option is exercised along with date of filing and Acknowledgement number of form 10-IE) b. Have you ever opted out of section 115BAC in earlier years? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If Yes is selected, please furnish the AY in which said option is opted out along with date of filing and Acknowledgement number of form 10-IE)c. Option for current assessment year <input type="checkbox"/> Opting in now <input type="checkbox"/> Not opting <input type="checkbox"/> Continue to opt <input type="checkbox"/> Opt out <input type="checkbox"/> Not eligible to opt in (Select "Opting in now" only if you are opting in first time)			
(bi)	For other than Not opting, Continue to opt & Not eligible to opt in, please furnish	Date of filing of form 10IE DD/MM/YYYY	Acknowledgement number:		
(c)	Are you filing return of income under seventh proviso to Section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? – (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]				

(ci)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)		
(cii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)		
(ciii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)		
(civ)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)		(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
(d)	If revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)			/ /	
(e)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	(unique number)		/ /	
(f)	Residential Status in India (for individuals) <i>(Tick applicable option)</i>	A. Resident	<input type="checkbox"/> You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)] <input type="checkbox"/> You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section 6(1)(c)] [where <i>Explanation 1</i> is not applicable] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section 6(1)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [<i>Explanation 1(b)</i> of section 6(1)(c)]		
		B. Resident but not Ordinarily Resident	<input type="checkbox"/> You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]		
		C. Non-resident	<input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year. (i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -		
		S.No.	Jurisdiction of residence	Taxpayer Identification Number	
		1			
		2			
		(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify -			
		Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)		
			Residential Status in India (for HUF) <i>(Tick applicable option)</i>	<input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Resident but not Ordinarily Resident <input type="checkbox"/> Non-resident	
(g)	Do you want to claim the benefit under section 115H? (<i>applicable in case of resident</i>)		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
(h)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (<i>If "YES" please fill Schedule 5A</i>)				

	(i)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, furnish following information -													
		(1)	Name of the representative assessee												
		(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)												
		(3)	Address of the representative assessee												
	(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee													
	(j)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -													
		Name of Company	Type of Company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted				Director Identification Number (DIN)						
	(k)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information													
		Name of Firm				PAN									
	(l)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
		Name of company	Type of Company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		
					No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(m)	In case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	(n)	In the case of non-resident, is there a Significant Economic Presence (SEP) in India (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No please provide details of (a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to section 9(1)(i) (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to section 9(1)(i).													
	(o)	Whether assessee has a unit in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	(p)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No													
AUDIT INFORMATION	(a1)	Are you liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	(a2)	Whether assessee is declaring income only under section 44AE/44B/44BB/44AD/44ADA/44BBA <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	a2i	If No, whether during the year Total sales/turnover/gross receipts of business is between Rs. 1 crore and Rs. 10crores? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, turnover does not exceed 1 crore <input type="checkbox"/> No, turnover exceeds 10 crores													
	a2ii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account like capital contributions, loans etc. during the previous year, in cash & non-a/c payee cheque/DD, does not exceed five per cent of said amount? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	a2iii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loans etc., in cash and non-a/c payee cheque/DD during the previous year does not exceed five per cent of the said payment? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	(b)	Are you liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information below													
	(1)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY)				/ /									
	(2)	Name of the auditor signing the tax audit report													

(3)	Membership No. of the auditor		
(4)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)		
(5)	Proprietorship/firm registration number		
(6)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm		
(7)	Date of report of the audit		
(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
(dii)	If (di) is Yes, Whether the accounts have been audited u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Date of furnishing the audit report? DD/MM/YY	
(diii)	If liable to furnish other audit report, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under: (Please see Instruction)		
(e)	If liable to audit under any Act other than the Income-tax act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?		
	Act and section	(DD/MM/YY)	Act and section (DD/MM/YY)

NATURE OF BUSINESS		NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION, IF MORE THAN ONE BUSINESS OR PROFESSION INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS (OTHER THAN THOSE DECLARING INCOME UNDER SECTIONS 44AD, 44ADA AND 44AE)		
	S.No.	Code <i>[Please see instruction]</i>	Trade name of the proprietorship, if any	Description
	(i)			
	(ii)			
	(iii)			

Part A- BS BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2023 OF THE PROPRIETORY BUSINESS OR PROFESSION (fill items below in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 6)

SOURCES OF FUNDS	1	Proprietor's fund				
		a	Proprietor's capital		a	
		b	Reserves and Surplus			
			i	Revaluation Reserve	bi	
			ii	Capital Reserve	bii	
			iii	Statutory Reserve	biii	
			iv	Any other Reserve	biv	
			v	Total (bi + bii + biii + biv)	bv	
		c	Total proprietor's fund (a + bv)		1c	
		2	Loan funds			
			a	Secured loans		
				i	Foreign Currency Loans	ai
				ii	Rupee Loans	
				A	From Banks	iiA
				B	From others	iiB
			C	Total (iiA + iiB)	iiC	

		iii	Total (ai + iiC)		aiii		
	b	Unsecured loans (including deposits)					
		i	From Banks	bi			
		ii	From others	bii			
		iii	Total (bi + bii)		biii		
	c	Total Loan Funds (aiii + biii)				2c	
3	Deferred tax liability					3	
4	Advances						
	i	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act					
	ii	From others			ii		
	iii	Total Advances (i + ii)				4iii	
5	Sources of funds (1c + 2c +3+4iii)					5	
APPLICATION OF FUNDS	1	Fixed assets					
		a	Gross: Block	1a			
		b	Depreciation	1b			
		c	Net Block (a – b)	1c			
		d	Capital work-in-progress	1d			
		e	Total (1c + 1d)				1e
	2	Investments					
		a	Long-term investments				
			i	Government and other Securities - Quoted	ai		
			ii	Government and other Securities – Unquoted	aii		
			iii	Total (ai + aii)		aiii	
		b	Short-term investments				
			i	Equity Shares, including share application money	bi		
			ii	Preference Shares	bii		
			iii	Debentures	biii		
			iv	Total (bi + bii + biii)		biv	
		c	Total investments (aiii + biv)				2c
	3	Current assets, loans and advances					
		a	Current assets				
			i	Inventories			
				A Stores/consumables including packing material	iA		
				B Raw materials	iB		
				C Stock-in-process	iC		
				D Finished Goods/Traded Goods	iD		
				E Total (iA + iB + iC + iD)		iE	
		ii	Sundry Debtors		aii		
		iii	Cash and Bank Balances				
			A Cash-in-hand	iiiA			

NO ACCOUNT CASE		B	Balance with banks	iiiB			
		C	Total (iiiA + iiiB)			iiiC	
		iv	Other Current Assets				aiv
		v	Total current assets (iE + aii + iiiC + aiv)				av
		b	Loans and advances				
		i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	bi			
		ii	Deposits, loans and advances to corporates and others	bii			
		iii	Balance with Revenue Authorities	biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv
		c	Total of current assets, loans and advances (av + biv)				3c
		d	Current liabilities and provisions				
		i	Current liabilities				
		A	Sundry Creditors	iA			
		B	Liability for Leased Assets	iB			
		C	Interest Accrued on above	iC			
		D	Interest accrued but not due on loans	iD			
		E	Total (iA + iB + iC + iD)				iE
		ii	Provisions				
		A	Provision for Income-tax	iiA			
		B	Provision for Leave encashment/ Superannuation/ Gratuity	iiB			
		C	Other Provisions	iiC			
		D	Total (iiA + iiB + iiC)				iiD
		iii	Total (iE + iiD)				diii
		e	Net current assets (3c – diii)				3e
		4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted	4a		
			b	Deferred tax asset	4b		
			c	Profit and loss account/ Accumulated balance	4c		
			d	Total (4a + 4b + 4c)			4d
	5		Total, application of funds (1e + 2c + 3e +4d)			5	
	6	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained (furnish the following information as on 31 st day of March, 2023, in respect of business or profession)					
		a	Amount of total sundry debtors			6a	
		b	Amount of total sundry creditors			6b	
		c	Amount of total stock-in-trade			6c	
		d	Amount of the cash balance			6d	

Part A-Manufacturing Account Manufacturing Account for the financial year 2022-23 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

	1	Debits to manufacturing account				
		Opening Inventory				
	A	i	Opening stock of raw-material	i		
		ii	Opening stock of Work in progress	ii		

	iii	Total (i + ii)			Aiii	
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			B	
	C	Direct wages			C	
	D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)			D	
	i	Carriage inward	i			
	ii	Power and fuel	ii			
	iii	Other direct expenses	iii			
	E	Factory Overheads				
	I	Indirect wages	i			
	ii	Factory rent and rates	ii			
	iii	Factory Insurance	iii			
	iv	Factory fuel and power	iv			
	v	Factory general expenses	v			
	vi	Depreciation of factory machinery	vi			
	vii	Total (i + ii + iii + iv + v + vi)			Evii	
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii + B + C + D + Evii)			1F	
2		Closing Stock				
	i	Raw material	2i			
	ii	Work-in-progress	2ii			
		Total (2i + 2ii)			2	
3		Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)			3	

Part A-Trading Account Trading Account for the financial year 2022-23 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations				
		A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
		i	Sale of goods	i		
		ii	Sale of services	ii		
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)			
		a		iiia		
		b		iiib		
		c	Total (iiia + iiib)	iiic		
		iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv
		B	Gross receipts from Profession			B
		C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
		i	Union Excise duties	i		
		ii	Service tax	ii		
		iii	VAT/ Sales tax	iii		
		iv	Central Goods and Service Tax (CGST)	iv		
	v	State Goods and Services Tax (SGST)	v			
	vi	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	vi			
	vii	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	vii			
	viii	Any other duty, tax and cess	viii			

	ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		Cix	
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix)		4D	
5		Closing Stock of Finished Goods		5	
6		Total of credits to Trading Account (4D + 5)		6	
7		Opening Stock of Finished Goods		7	
8		Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)		8	
9		Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)		9	
	i	Carriage inward	9i		
	ii	Power and fuel	9ii		
	iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	9iii		
10		Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
	i	Custom duty	10i		
	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
	iv	Union excise duty	10iv		
	v	Service tax	10v		
	vi	VAT/ Sales tax	10vi		
	vii	Central Goods and Service Tax (CGST)	10vii		
	viii	State Goods and Services Tax (SGST)	10viii		
	ix	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	10ix		
	x	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	10x		
	xi	Any other tax, paid or payable	10xi		
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii		
11		Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account		11	
12		Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)		12	
12a		Turnover from Intraday Trading		12a	
12b		Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account		12b	

Part A- P and L Profit and Loss Account for the financial year 2022-23 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b)		13	
	14	Other income			
	i	Rent	i		
	ii	Commission	ii		
	iii	Dividend income	iii		
	iv	Interest income	iv		
	v	Profit on sale of fixed assets	v		
	vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
	vii	Profit on sale of other investment	vii		
	viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
	ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		

DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	x	Agricultural income	x			
	xi	Any other income (<i>specify nature and amount</i>)				
		a	xia			
		b	xib			
		c	Total (xia + xib)	xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15	
	16	Freight outward			16	
	17	Consumption of stores and spare parts			17	
	18	Power and fuel			18	
	19	Rents			19	
	20	Repairs to building			20	
21	Repairs to machinery			21		
22	Compensation to employees					
	i	Salaries and wages	22i			
	ii	Bonus	22ii			
	iii	Reimbursement of medical expenses	22iii			
	iv	Leave encashment	22iv			
	v	Leave travel benefits	22v			
	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi			
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii			
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii			
	ix	Contribution to any other fund	22ix			
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x			
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)		22xi		
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No		
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib			
23	Insurance					
	i	Medical Insurance	23i			
	ii	Life Insurance	23ii			
	iii	Keyman's Insurance	23iii			
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv			
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v		
24	Workmen and staff welfare expenses			24		
25	Entertainment			25		
26	Hospitality			26		
27	Conference			27		
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)			28		
29	Advertisement			29		
30	Commission					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)		30iii		

31	Royalty					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)			31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)			32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging				33	
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34	
35	Foreign travelling expenses				35	
36	Conveyance expenses				36	
37	Telephone expenses				37	
38	Guest House expenses				38	
39	Club expenses				39	
40	Festival celebration expenses				40	
41	Scholarship				41	
42	Gift				42	
43	Donation				43	
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)					
	i	Union excise duty	44i			
	ii	Service tax	44ii			
	iii	VAT/ Sales tax	44iii			
	iv	Cess	44iv			
	v	Central Goods and Service Tax (CGST)	44v			
	vi	State Goods and Services Tax (SGST)	44vi			
	vii	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	44vii			
	viii	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	44viii			
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix			
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)			44x	
45	Audit fee				45	
46	Other expenses (specify nature and amount)					
	i		i			
	ii		ii			
	iii	Total (i + ii)			46iii	
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)					
	i1				47 i1	
	i2				47 i2	
	i3				47 i3	
	i	Rows can be added as required Total (47i1+47i2+47i3)			47i	

	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)	47ii				
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)	47iii				
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)	47iv				
	48	Provision for bad and doubtful debts	48				
	49	Other provisions	49				
	50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47 iv + 48 + 49)]	50				
	51	Interest					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i				
	ii	To others	ii				
	iii	Total (i + ii)	51iii				
	52	Depreciation and amortization	52				
	53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)	53				
PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	54	Provision for current tax	54				
	55	Provision for Deferred Tax	55				
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)	56				
	57	Balance brought forward from previous year	57				
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)	58				
	59	Transferred to reserves and surplus	59				
	60	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (58 – 59)	60				
PRESUMPTIVE INCOME CASES	61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD					
	SR. NO	Name of Business	Business code	Description			
	(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (ia + ib)					61i
	A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date	ia				
	B	Any other mode	ib				
	(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iia + iib)					61ii
	A	6% of 61ia, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iia				
	B	8% of 61ib, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iib				
	<i>NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB</i>						
	62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA					
	SR. NO	Name of Business	Business code	Description			
(i)	Gross Receipts					62i	
(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 62i, or the amount claimed to have been earned whichever is higher)					62ii	
<i>NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB</i>							

63 COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE										
	SR. NO	Name of Business	Business code			Description				
		Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher				
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
	(a)									
	(b)									
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)										
Total										
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 63(i)]							63(ii)	
<i>NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then , it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB</i>										
64 IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2022-23 in respect of business or profession -										
NO ACCOUNT CASE	(i) For assessee carrying on Business									
	a Gross receipts (a1 + a2)						ia			
	1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date				a1				
	2	Any other mode				a2				
	b Gross profit						ib			
	c Expenses						ic			
	d Net profit						64i			
	(ii) For assessee carrying on Profession									
	a Gross receipts (a1 + a2)						ii a			
	1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date				a1				
	2	Any other mode				a2				
	b Gross profit						ii b			
	c Expenses						ii c			
	d Net profit						64ii			
	(iii) Total profit (64i + 64ii)						64iii			
	65 i	Turnover from speculative activity				65i				
	ii	Gross Profit				65ii				
	iii	Expenditure, if any				65iii				
iv	Net income from speculative activity (65ii-65iii)				65iv					
Part A- OI		Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB; for others, fill if applicable)								
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash								
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No								

3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]	3a	
3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]	3b	
4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year		
a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d	
e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e	
5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -		
a	the items falling within the scope of section 28	5a	
b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
c	escalation claims accepted during the previous year	5c	
d	any other item of income	5d	
e	capital receipt, if any	5e	
f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f	
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of conditions specified in relevant clauses		
a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e	
f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	
g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g	
h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h	
i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i	
j	Amount of contributions to any other fund	6j	
k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k	
l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l	
m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m	

	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
	r	Any other disallowance	6r		
	s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)			
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37				
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a		
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b		
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c		
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d		
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e		
	f	Any other penalty or fine	7f		
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g		
	h	Amount of any liability of a contingent nature	7h		
	i	Any other amount not allowable under section 37	7i		
	j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)			
8	A Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40				
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa		
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		
	c	Amount disallowable under section 40(a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad		
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)]	Af		
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/40(ba)]	Ah		
	i	Any other disallowance	Ai		
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)			
B	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year			8B	
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A				
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		

	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b		
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
	d	Any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	e	Any other disallowance	9e		
	f	Total amount disallowable under section 40A (total of 9a to 9e)		9f	
10		Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	10d ^a		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)		10h	
11		Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11d ^a		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f		

	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
	h	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11g)		11h	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				
	a	Union Excise Duty	12a		
	b	Service tax	12b		
	c	VAT/sales tax	12c		
	d	Central Goods and Service Tax (CGST)	12d		
	e	State Goods and Services Tax (SGST)	12e		
	f	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	12f		
	g	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	12g		
	h	Any other tax	12h		
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA				13
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				14
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				15
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				16
17	Whether assessee is exercising option under sub-section (2A) of section 92CE <i>Tick</i> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [If yes, please fill schedule TPSA]				17

Part A – QD Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)

QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern			
	1	Opening stock			1
	2	Purchase during the previous year			2
	3	Sales during the previous year			3
	4	Closing stock			4
	5	Shortage/ excess, if any			5
	(b)	In the case of a manufacturing concern			
	6	Raw materials			
		a	Opening stock		6a
		b	Purchases during the previous year		6b
		c	Consumption during the previous year		6c
		d	Sales during the previous year		6d
		e	Closing stock		6e
		f	Yield finished products		6f
		g	Percentage of yield		6g
		h	Shortage/ excess, if any		6h
	7	Finished products/ By-products			
		a	opening stock		7a
		b	purchase during the previous year		7b
		c	quantity manufactured during the previous year		7c
		d	sales during the previous year		7d
		e	closing stock		7e
		f	shortage/ excess, if any		7f

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule S		Details of Income from Salary						
SALARIES	Name of Employer		Nature of employer (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Drop down to be provided			TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)		
	Address of employer		Town/City		State		Pin code/Zip code	
	1	Gross Salary (1a + 1b + 1c+1d+1e+1f)					1	
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)			1a			
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)			1b			
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)			1c			
	d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A			1d			
	e	Income from retirement benefit account maintained in a country 'other than notified country' u/s 89A			1e			
	f	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year			1f			
	<i>(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)</i>							
2	Total Gross Salary (from all employers)					2		
2a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A					2a		
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop-down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions) (Note-Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)					3		
4	Net Salary (2 – 2a-3)					4		
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)					5		
a	Standard deduction u/s 16(ia)			5a				
b	Entertainment allowance u/s 16(ii)			5b				
c	Professional tax u/s 16(iii)			5c				
6	Income chargeable under the Head 'Salaries' (4 - 5)					6		

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)									
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1		Town/ City		State	Country	PIN Code/ Zip Code			
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)										
	Your percentage of share in the property (%) <input type="text"/>										
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)			Percentage Share in Property					
	I										
	II										
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)			PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)			
	<input type="checkbox"/> Let out										
	<input type="checkbox"/> Self-occupied										
	<input type="checkbox"/> Deemed let out										

	a	Gross rent received or receivable or lettable value	1a	
	b	The amount of rent which cannot be realized	1b	
	c	Tax paid to local authorities	1c	
	d	Total (1b + 1c)	1d	
	e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)	1e	
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)	1f	
	g	30% of 1f	1g	
	h	Interest payable on borrowed capital	1h	
	i	Total (1g+ 1h)	1i	
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	1j	
	k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)	1k	
2	Address of property 2		Town/ City	State
			Country	PIN Code/ Zip Code
Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if “YES” please enter following details)				
Your percentage of share in the property (%) <input style="width:100px; height:20px;" type="text"/>				
Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)	Percentage Share in Property	
I				
II				
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out		Name(s) of Tenant(s) (if let out) PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note) PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)		
I				
II				
a	Gross rent received or receivable/ lettable value <i>(higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)</i>			2a
	b	The amount of rent which cannot be realized	2b	
	c	Tax paid to local authorities	2c	
	d	Total (2b + 2c)	2d	
	e	Annual value (2a – 2d)	2e	
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)	2f	
	g	30% of 2f	2g	
	h	Interest payable on borrowed capital	2h	
	i	Total (2g + 2h)	2i	
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	2j	
	k	Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)	2k	
3	Pass through income/Loss if any *			3
4	Income under the head “Income from house property” (1k + 2k + 3) <i>(if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)</i>			4
NOTE ▶	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass-through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head			
NOTE ▶	Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB.			
NOTE ▶	Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.			

Schedule BP	Computation of income from business or profession
ZA	From business or profession other than speculative business and specified business

1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) and 65(iv) of P and L)		P	1	
2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter -ve sign in case of loss) [Sl.no.12b of Trading account + Sl.no 65iv of Schedule P and L]		2a		
2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter -ve sign in case of loss)		2b		
3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH	a	Salaries	3a	
		b	House property	3b	
		c	Capital gains	3c	
		d	Other sources	3d	
		di	Dividend income	3di	
		dii	other than Dividend income	3dii	
		e	u/s 115BBF	3e	
		f	u/s 115BBG	3f	
	g	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition)	3g	(Item No. A of Schedule VDA)	
4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44DA (drop down to be provided)		4a		
4b	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided and capture as individual line item)		4b		
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt				
a	Share of income from firm(s)	5a			
	Share of income from AOP/ BOI	5b			
	Any other exempt income (specify nature and amount)				
	i	ci			
	ii	cii			
	iii	Total (ci + cii)	5ciii		
d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)		5d		
6	Balance (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 3f - 3g- 4a-4b- 5d)			6	
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG or u/s 115BBH	a	Salaries	7a	
		b	House property	7b	
		c	Capital gains	7c	
		d	Other sources	7d	
		e	u/s 115BBF	7e	
		f	u/s 115BBG	7f	
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income		8a		
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)		8b		
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 8a+8b)		9		

10	Adjusted profit or loss (6+9)		10	
11	Depreciation and amortization debited to profit and loss account		11	
12	Depreciation allowable under Income-tax Act			
i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (item 6 of Schedule-DEP)	12i		
ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii		
iii	Total (12i + 12ii)		12iii	
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)		13	
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6 s of PartA-OI)	14		
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7J of PartA-OI)	15		
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of PartA-OI)	16		
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9F of PartA-OI)	17		
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of PartA-OI)	18		
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006	19		
20	Deemed income under section 41	20		
21	Deemed income under section 32AD/ 33AB/ 33ABA/ 35ABA /35ABB/ 40A(3A)/ 72A/80HHD/ 80-IA	21		
22	Deemed income under section 43CA	22		
23	Any other item of addition under sections 28 to 44DA	23		
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which individual/HUF/prop. concern is a partner)	24		
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A - OI)	25		
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)		26	
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)		27	
28	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	28		
29	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year (8B of PartA-OI)	29		
30	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10 h of PartA-OI)	30		

31	Any other amount allowable as deduction	31		
32	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	32		
33	Total (27+28+29+30+31+32)	33		
34	Income (13+26-33)	34		
35	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
i	Section 44AD (61(ii) of schedule P&L)	35i		
ii	Section 44ADA (62(ii) of schedule P&L)	35ii		
iii	Section 44AE (63(ii) of schedule P&L)	35iii		
iv	Section 44B	35iv		
v	Section 44BB	35v		
vi	Section 44BBA	35vi		
vii	Section 44DA	35vii	(item 4 of Form 3CE)	
viii	Total (35i to 35vii)	35viii		
36	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34 + 35viii)	36		
37	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) (37a+ 37b + 37c + 37d + 37e + 37f)	A37		
a	Income chargeable under rule 7	37a		
b	Deemed income chargeable under rule 7A	37b		
c	Deemed income chargeable under rule 7B(1)	37c		
d	Deemed income chargeable under rule 7B(1A)	37d		
e	Deemed income chargeable under rule 8	37e		
f	Income other than rules 7A, 7B and 8 (Item No. 36)	37f		
38	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying rules 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4b-(37a+37b+37c+37d+37e)]	38		
B Computation of income from speculative business				
39	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account (Item No. 2a)	39		
40	Additions in accordance with sections 28 to 44DA	40		
41	Deductions in accordance with sections 28 to 44DA	41		
42	Income from speculative business (39+ 40 – 41) (if loss, take the figure to 6xvi of schedule CFL)	B42		
C Computation of income from specified business under section 35AD				
43	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account	43		
44	Additions in accordance with sections 28 to 44DA	44		
45	Deductions in accordance with sections 28 to 44DA (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)	45		
46	Profit or loss from specified business (43 + 44 -45)	46		
47	Deductions in accordance with section 35AD(1)	47		
48	Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7xvi of schedule CFL)	C48		
49	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	C49		
D	D Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' A37+B42+C48)	D		

E Intra head set off of business loss of current year				
Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
		(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A37)	
ii	Income from speculative business	(B42)		
iii	Income from specified business	(C48)		
iv	Total loss set off (ii + iii)			
v	Loss remaining after set off (i – iv)			

NOTE Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule DPM Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

1	Block of assets	Plant and machinery			
		15	30	40	45
2	Rate (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	Written down value on the first day of previous year				
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
5	Consideration or other realisation during the previous year out of 3 or 4				
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)				
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
8	Consideration or other realisations during the year out of 7				
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)				
10	Depreciation on 6 at full rate				
11	Depreciation on 9 at half rate				
12	Additional depreciation, if any, on 4				
13	Additional depreciation, if any, on 7				
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days				
15	Total depreciation (10+11+12+13+14)				
16	Depreciation disallowed under section 38(2) (out of column 15)				
17	Net aggregate depreciation (15-16)				
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				

20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)				

Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
		Nil	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	Written down value on the first day of previous year							
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

DEPRECIATION ON OTHER ASSETS

Schedule DEP Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF	1	Plant and machinery	1a
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM -17i or 18i as applicable)	

	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent <i>(Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)</i>	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent <i>(Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)</i>	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent <i>(Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)</i>	1d		
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d)	1e		
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent <i>(Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)</i>	2a		
	B	Block entitled for depreciation @ 10 per cent <i>(Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)</i>	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent <i>(Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)</i>	2c		
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)	2d		
3	Furniture and fittings <i>(Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)</i>		3		
4	Intangible assets <i>(Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)</i>		4		
5	Ships <i>(Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)</i>		5		
6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)		6		

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets			
DEEMED CAPITAL GAINS	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent <i>(Schedule DPM - 20i)</i>	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent <i>(Schedule DPM - 20ii)</i>	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent <i>(Schedule DPM - 20iii)</i>	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent <i>(Schedule DPM - 20iv)</i>	1d		
	e	Total (1a +1b + 1c+1d)	1e		
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent <i>(Schedule DOA- 17ii)</i>	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent <i>(Schedule DOA- 17iii)</i>	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent <i>(Schedule DOA- 17iv)</i>	2c		
	d	Total (2a + 2b + 2c)	2d		
	3	Furniture and fittings <i>(Schedule DOA- 17v)</i>		3	
	4	Intangible assets <i>(Schedule DOA- 17vi)</i>		4	
	5	Ships <i>(Schedule DOA- 17vii)</i>		5	
6	Total (1e+2d+3+4+5)		6		

Schedule ESR		Expenditure on Scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)		
Sl No	Expenditure of the nature	Amount, if any, debited to profit	Amount of deduction allowable	Amount of deduction in excess of the

	referred to in section (1)	and loss account (2)	(3)	amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
X	Total			
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.			

Schedule CG		Capital Gains						
Short-term Capital Gains	A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 and 5 are not applicable for residents)							
	1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)							
	Date of purchase/ acquisition		DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer DD/MM/YYYY				
	a	i	Full value of consideration received/receivable		ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority		a ii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains () [in case (a ii) does not exceed 1.10 times (ai), take a iii this figure as (ai), or else take (a iii)]		a iii			
	b	Deductions under section 48						
		i	Cost of acquisition without indexation		bi			
		ii	Cost of Improvement without indexation		b ii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		b iii			
		iv	Total (bi + b ii + b iii)		b iv			
	c	Balance (a iii – b iv)			1c			
	d	Deduction under section 54B/54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)			1d			
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)			A1e			
	f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State
NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents.								
In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
2	From slump sale							
	a	i	Fair market value as per rule 11UAE(2)	2ai				
		ii	Fair market value as per rule 11UAE(3)	2a ii				
		iii	Fair market value as per rule 11UAE(3)	2a ii				
		iii	Fair market value as per rule 11UAE(3)	2a ii				
b	Net worth of the undertaking or division			2b (6(e) of Form 3CEA)				

	c	Short-term capital gains from slump sale (2aiii-2b)		A2c		
3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)					
	a	Full value of consideration	3a			
	b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi			
	ii	Cost of Improvement without indexation	bii			
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
	c	Balance (3a – 3biv)	3c			
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	3d			
	e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)		A3e		
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid		A4a		
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid		A4b		
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD					
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	ii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (5aiii – biv)	5c			
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)	5d			
	e	Short-term capital gain on sale of securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)		A5e		
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above					
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			

				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)			ic			
				ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares						
				iii	Total (ic + ii)			aiii			
				b	Deductions under section 48						
				i	Cost of acquisition without indexation			bi			
				ii	Cost of Improvement without indexation			bii			
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii			
				iv	Total (bi + bii + biii)			biv			
				c	Balance (6aiii – biv)			6c			
				d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)-for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			6d			
				e	Deemed short-term capital gains on depreciable assets (6 of schedule-DCG)			6e			
				f	Deduction under section 54D/54G/54GA			6f			
				g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e -6f)				A6g		
7	Amount deemed to be Short-term capital gains										
a	Whether any amount of unutilised capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below										
	Sl.	Previous year in which asset transferred	in Section under which asset deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilised in Capital gains account (X)					
				Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account						
	i	2019-20	54D/54G/54GA								
	ii	2020-21	54B								
b	Amount deemed to be short-term capital gains u/s 54B/54D/54G/54GA, other than at 'a'										
	Total amount deemed to be Short-term capital gains (Xi + Xii + b)									A7	
8	Pass Through Income/Loss in the nature of short-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)										
a	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 15%							A8a			
b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 30%							A8b			
c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable at applicable rates							A8c			
9	Amount of STCG included in A1-A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name and Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
a	Total amount of STCG not chargeable to tax as per DTAA									A9a	
b	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates as per DTAA									A9b	
10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7+A8 – A9a)										
										A10	

Long-term Capital Gains	B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items, 6, 7, 8 and 9 are not applicable for residents)						
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)						
		Date of purchase/ acquisition	DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY			
	a	i	Full value of consideration received/receivable			ai		
		ii	Value of property as per stamp valuation authority			aii		
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]			aiii		
	b	Deductions under section 48						
		i	Cost of acquisition			bi		
		ii	Cost of acquisition with indexation			biia		
		iiib	Total cost of improvement with indexation			biib		
			(a) Cost of improvement					
			(b) Year of improvement					
			(c) Cost of Improvement with indexation					
			Add row					
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biib		
		iv	Total (biia + biib+ biib)			biv		
	c	Balance (aiii – biv)				1c		
	d	Deduction under section 54/54B/54D/54EC/54F/54G/54GA/54GB (Specify details in item D below)				1d		
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						B1e
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)						
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code and state
		NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.					
2	From slump sale							
	a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)			2ai		
		ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)			2aii		
		iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)			2aii		
	b	Net worth of the undertaking or division				2b	<i>(6(e) of Form 3CEA)</i>	
	c	Balance (2aiii – 2b)				2c		
	d	Deduction u/s 54EC /54F (Specify details in item D below)				2d		
e	Long-term capital gains from slump sale (2c-2d)						B2e	
3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)							
	a	Full value of consideration				3a		
	b	Deductions under section 48						
		i	Cost of acquisition without indexation			bi		
		ii	Cost of improvement without indexation			bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biib		
		iv	Total (bi + bii +biib)			biv		
c	Balance (3a – biv)				3c			
d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)				3d			

	e	LTCG on bonds or debenture (3c – 3d)		B3e		
4	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero-coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA					
	a	Full value of consideration	4a			
	b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi			
	ii	Cost of improvement without indexation	bii			
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
	c	Balance (4a – biv)	4c			
	d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)	4d			
	e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d)		B4e		
5	From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)	5a			
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	5b			
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above (5a – 5b)		B5c		
6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
	a	LTCG computed without indexation benefit	6a			
	b	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)	6b			
	c	LTCG on share or debenture (6a-6b)		6c		
7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per section 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred in section 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B8 is to be filled up)					
	A	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	B	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (aiii – biv)	7c			
	d	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)	7d			
	e	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (7c – 7d)		B7e		
8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	a	LTCG u/s 112A [Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso]	8a			
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	8b			
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 above (8a – 8b)		B8c		
9	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)					
	a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)	9a			
	b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)	9b			
	c	Balance LTCG on sale of specified asset (9a- 9b)		B9c		
	d	LTCG on sale of asset, other than specified asset	9d			
	e	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)	9e			
	f	Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (9d- 9e)		B9f		
10	From sale of assets where B1 to B9 above are not applicable					
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				

		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares								
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner								
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)								
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares								
		iii	Total (ic + ii)								
		b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition with indexation								
		ii	Cost of improvement with indexation								
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer								
		iv	Total (bi + bii+biii)								
		c	Balance (10a-iv - b-iv)								
		d	Deduction under section 54D//54F/54G/54GA (Specify details in item D below)								
		e	Long-term Capital Gains on assets at B10 above (10c- 10d)							B10e	
11		Amount deemed to be long-term capital gains									
	a	Whether any amount of unutilised capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below									
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed	Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	Amount not used for new asset or remained unutilised in Capital gains account (X)			
		i	2019-20	54/54D/54F/54G/54GA							
		ii	2020-21	54B							
	b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'									
		Total amount deemed to be long-term capital gains (xi + xii + b)									B11
12		Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B12a1+B12a2 + B12b)									B12
	a1	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10%							B12a1		
	a2	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% - under sections other than u/s. 112A							B12a2		
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 20%							B12b		
13		Amount of LTCG included in items B1 to B12 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA									
		Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B12 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
	a	Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA									B13a
	b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates as per DTAA									B13b
14		Total long-term capital gain chargeable under Income-tax Act (B1e + B2e + B3e + B4e + B5f + B6c + B7e + B8f + B9c + B9f + B10e + B11 + B12 - B13a)									B14
C1		Sum of Capital Gain Incomes (9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii of table E below)									C1
C2		Income from transfer of virtual digital assets (Item No. B of Schedule VDA)									C2
C3		Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)									C3

D Information about deduction claimed against Capital Gains			
I	In case of deduction u/s 54/54B/54D/54EC /54F/54G/54GA/115F give following details		
a	Deduction claimed u/s 54		
i	Date of transfer of original asset	ai	dd/mm/yyyy
ii	Cost of new residential house	aii	
iii	Date of purchase /construction of new residential house	aiii	dd/mm/yyyy
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	aiv	
v	Amount of deduction claimed	av	
b	Deduction claimed u/s 54B		
i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy
ii	Cost of new agricultural land	bii	
iii	Date of purchase of new agricultural land	biii	dd/mm/yyyy
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	biv	
v	Amount of deduction claimed	bv	
c	Deduction claimed u/s 54D		
i	Date of acquisition of original asset	ci	dd/mm/yyyy
ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking	cii	
iii	Date of purchase of new land or building	ciii	dd/mm/yyyy
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ	
v	Amount of deduction claimed	cv	
d	Deduction claimed u/s 54EC		
i	Date of transfer of original asset	di	dd/mm/yyyy
ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees) (dii	
iii	Date of investment	diii	dd/mm/yyyy
iv	Amount of deduction claimed	div	
e	Deduction claimed u/s 54F		
i	Date of transfer of original asset	ei	dd/mm/yyyy
ii	Cost of new residential house	eii	
iii	Date of purchase/construction of new residential house	eiii	dd/mm/yyyy
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	eiv	
v	Amount of deduction claimed	ev	
f	Deduction claimed u/s 54G		
i	Date of transfer of original asset from urban area	fi	dd/mm/yyyy
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	fii	
iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	fiii	dd/mm/yyyy
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	fiv	

		v	Amount of deduction claimed				fv						
		g	Deduction claimed u/s 54GA										
		i	Date of transfer of original asset from urban area				gi	dd/mm/yyyy					
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset				gii						
		iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ				giii	dd/mm/yyyy					
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				giv						
		v	Amount of deduction claimed				gv						
		h	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)										
		i	Date of transfer of original foreign exchange asset				hi	dd/mm/yyyy					
		ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate				hii						
		iii	Date of investment				hiii	dd/mm/yyyy					
		iv	Amount of deduction claimed				hiv						
		i	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g + 1h)				li						
2		In case of deduction u/s 54GB, furnish PAN of the company											
E		Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A 9a & B 13a which is chargeable under DTAA)											
Sl. No.	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short-term capital loss				Long-term capital loss			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)			
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only, if figure computed is negative)		$(A3e^* + A4a^* + A8a^*)$	$(A5e^* + A8b^*)$	$(A1e^* + A2c^* + A4b^* + A6g^* + A7^* + A8c^*)$	A9b	$(B4e^* + B5c^* + B7e^* + B8c^* + B9c^* + B12a^*)$	$(B1e^* + B2e^* + B3e^* + B6c^* + B9f^* + B10e^* + B11^* + B12b^*)$	B13b				
ii	Short-term capital gain	15%	$(A3e^* + A4a^* + A8a^*)$										
iii		30%	$(A5e^* + A8b^*)$										
iv		applicable rate	$(A1e^* + A2c^* + A4b^* + A6g^* + A7^* + A8c^*)$										
v		DTAA rates	A9b										
vi	Long-term capital gain	10%	$(B4e^* + B5c^* + B7e^* + B8c^* + B9c^* + B12a^*)$										
vii		20%	$(B1e^* + B2e^* + B3e^* + B6c^* + B9f^* + B10e^* + B11^* + B12b^*)$										
viii		DTAA rates	B13b										
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)												
x	Loss remaining after set off (i- ix)												
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A 9) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.													
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B 13) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.													

4														
Add rows														
Total														

Schedule 115AD(1)(b)(iii) proviso		For NON-RESIDENTS – From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A													
Sl. No.	Share/Unit Acquired	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share/Unit	Full value of consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) - If shares are Acquired after 31 st January 2018 – Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition without indexation (higher of 8 or 9)	Cost of acquisition	If the long-term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/unit as on 31 st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(a) - (4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) - of LTCG Schedule of ITR3	
(Col. 1)	(Col. 1a)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)	(Col. 8)	(Col. 9)	(Col. 10)	(Col. 11)	(Col. 12)	(Col. 13)	(Col. 14)	
1															
2															
3															
4															
Add rows															
Total															

Schedule VDA		Income from transfer of virtual digital assets						
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)		
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)		
Add Rows								
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. A3g of Schedule BP)		
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)		

Schedule OS		Income from other sources			
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)		1	
	A	Dividends, Gross		1A	
	i	Dividend income other than ii	ai		
	ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii		
	B	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv + bvi + bvii + bviii + bix)		1B	
	i	From Savings Bank	bi		
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society/)	bii		
	iii	From Income-tax Refund	biii		
	iv	In the nature of Pass-through income/Loss	biv		
	v	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)	bv		
	vi	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per Second proviso to section 10(11)	bvi		
	vii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii		
	viii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii		
	ix	Others	bix		
	C	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross		1C	
	D	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)		1D	
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration		Di	
	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property		Dii	
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration		Diii	
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property		Div	
v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration		Dv		
E	Any other income (please specify nature)		1E		
	Sl. No.	Nature		Amount	
	1	Family Pension			
	2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A			
	3	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A			
	4	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year			
	Rows can be added as required				
2	Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e + 2f related to Sl. No. 1)		2		

a	Winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB				2a	
b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)				2b	
	i	Cash credits u/s 68	bi			
	ii	Unexplained investments u/s 69	bii			
	iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii			
	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
	v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
	vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111				2c	
	S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxv)				2d	
	i	Dividends received by non-resident (not being a company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)	di			
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	dii			
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	diii			
	iv	Interest referred to in section 194LC (1) -div chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@5%	diii			
	v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	dv			
	vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	dvi			
	vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	dvii			
	viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)	dviii			
	ix	Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dxix			
	x	Income by way of dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dx			
	xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dxix			
	xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxii			
	xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxiii			
	xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxiv			
	xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	dxv			

			xvi	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1)-chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@4%	dxvi							
			xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	dxvii							
			xviii	Income by way of transfer of carbon credits-chargeable u/s 115BBG	dxviii							
			xix	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxix							
			xx	Investment Income of a Non-Resident Indian -chargeable u/s 115E	dx							
		e	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)									2e
		f	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)									2f
			Sl. No.	Amount of income	Item No.1a,1b to 1d and 2 in which included	Country name and Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			I									
			II									

3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2d, 2e & 2f)										
	a(i)	Expenses / Deductions other than entered in "C" (in case of other than family pension)	3a(i)								
	a(ii)	Deduction u/s 57(iia) (in case of family pension only)	3a(ii)								
	b	Depreciation (available only if income offered in 1.C of "Schedule OS")	3b								
	C	Interest expenditure on dividend u/s 57(1)(Available only if income offered in 1a)	3c								
	ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – computed value	3ci								
	d	Total	3d								
4	Amounts not deductible u/s 58										
5	Profits chargeable to tax u/s 59										
5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A										
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5-5a) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)										
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)										
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses										
	a	Receipts	8a								
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only	8b								
	c	Amounts not deductible u/s 58	8c								

d	Profits chargeable to tax u/s 59		8d				
e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 10xvi of Schedule CFL)					8e	
9	Income under the head “Income from other sources” (7 + 8e) (take 8e as nil, if negative)					9	
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources						
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1		Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)					
2		Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)					
3		Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) @ 20% (Including PTI Income)					
4		Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)					
5		Dividend Income u/s 115ACA(1)(a) @ 10% (Including PTI Income)					
6		Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)					
7.		Income from retirement benefit account maintained in a country specified u/s 89A but not claimed for relief from taxation u/s 89A					
8		Dividend income chargeable at DTAA Rates					

NOTE ▶ Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA		Details of Income after set-off of current years losses					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation loss or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from owning race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4

i	Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative)		(4 of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
ii	Salaries	(6 of Schedule S)				
iii	House property	(4 of Schedule HP)				
iv	Income from Business (excluding speculation profit and income from specified business) or profession	(A37 of Schedule BP)				
v	Speculative Income	(3ii of item E of Schedule BP)				
vi	Specified Business Income	(3iii of item E of Schedule BP)				
vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of Schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of Schedule CG)				
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of Schedule CG)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of Schedule CG)				
xi	Long-term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of Schedule CG)				
xii	Long-term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of Schedule CG)				
xiii	Long-term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of Schedule CG)				
xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of Schedule OS)				
xvii	Total loss set off					
xviii	Loss remaining after set-off (i - xvii)					

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years					
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
i		Salaries	(5ii of Schedule CYLA)				

ii	House property	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
iii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Long-term capital gain taxable @ 20%	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Long-term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of Schedule CYLA)				
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of Schedule CYLA)				
xvi	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	Current year's income remaining after set off Total of (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

Schedule CFL		Details of Losses to be carried forward to future years									
Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business			Loss from speculative business	Loss from specified business	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
				Brought forward Business Loss	Amount adjusted on account of opting for taxation u/s 115BAC	Brought forward Business Loss available for set off during the year					
1	2	3	4	5a	5b	5c=5a-5b	6	7	8	9	10
CARRY FORWARD OF LOSS	i	2010-11									
	ii	2011-12									
	iii	2012-13									
	iv	2013-14									
	v	2014-15									
	vi	2015-16									
	vii	2016-17									
	viii	2017-18									
	ix	2018-19									
	x	2019-20									
	xi	2020-21									
	xii	2021-22									
	xiii	2022-23									
xiv	Total of earlier year losses b/f										
xv	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)			(2iii of Schedule BFLA)	(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)			(2xiv of Schedule BFLA)
xvi	2023-24 (Current year losses to be carried forward)		(2xviii of Schedule CYLA)			(3xviii of Schedule CYLA)	(B42 of Schedule BP, if -ve)	(C48 of Schedule BP, if -ve)	(2x+3x+4x+5x) of item E of Schedule CG	((6x+7x + 8x) of item E of Schedule CG)	(8e of Schedule OS, if -ve)
xvii	Total loss Carried forward to future years										

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount brought forward unabsorbed depreciation	Amount adjusted on account of opting for taxation u/s 115BAC	Amount as on depreciation set-off against current income	Amount of depreciation set-forward to the next year	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against current year income
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv								
v	Total				(3xvi of BFLA)		(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit
Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)
(i)	(ii)	(iii)
i	Accounting Policies	
ii	Valuation of Inventories <i>(other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)</i>	
iii	Construction Contracts	
iv	Revenue Recognition	
v	Tangible Fixed Assets	
vi	Changes in Foreign Exchange Rates	
vii	Government Grants	
viii	Securities <i>(other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)</i>	
ix	Borrowing Costs	
x	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	
11-a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) <i>(if positive)</i>	
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) <i>(if negative)</i>	

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA			
DEDUCTION 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone				
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction
	a	Undertaking No.1		a	<i>(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)</i>
	b	Undertaking No.2		b	<i>(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)</i>
	c	Total deduction under section 10AA (a + b)			

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G				
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit				
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		i				
		ii				
		iii	Total			
		B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit			
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation	
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i					
	ii					
	iii		Total			
	C		Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit			

	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation			
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation				
	i									
	ii									
iii	Total									
D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit									
	Name and address of donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible Amount of donation		
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
	i									
	ii									

Schedule 80GGA (applicable in the case of a partner of firm deriving only profit from the firm)		Details of donations for scientific research or rural development					
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation other mode	Total Donation	
i							
ii							
		Total donation					

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]							
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation		
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
	i								
	ii								
iii	Total								

Schedule 80-IA					
a	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	a1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2)				b

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB			
a	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in the case of an undertaking developing and	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	

	building housing projects [Section 80-IB(10)]	b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to d2)				e

Schedule 80-IC or 80-IE		Deductions under section 80-IC or 80-IE			
a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
		c1	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in respect of undertaking located in North-East				
da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
		da2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
		db2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
		dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
		dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
		de2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
		df2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
		dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)	dh			
e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)				e

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A	
1	Part B- Deduction in respect of certain payments		

TOTAL DEDUCTIONS	a	80C		b	80CCC			
	c	80CCD(1)		d	80CCD(1B)			
	e	80CCD(2)		f	80D			
	g	80DD		h	80DDB			
	i	80E		j	80EE			
	k	80EEA		l	80EEB			
	m	80G		n	80GG			
	o	80GGA		o(i)	80GGC			
	Total Deduction under Part B (total of a to o(i))							1
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes						
	p	80-IA	(b of Schedule 80-IA)	q	80-IAB			
	r	80-IB	(E of Schedule 80-IB)	s	80-IBA			
	t	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)	u	80JJA			
	v	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA]	w	80QQB			
	x	80RRB						
	Total Deduction under Part C (total of p to w)							2
	3	Part CA and D- Deduction in respect of other incomes/other deduction						
	i	80TTA		ii	80TTB			
	iii	80U						
Total Deduction under Part CA and D (total of i, ii and iii)							3	
4	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2 + 3)						4	

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC					
1	Total Income as per item 14 of PART-B-TI						1
2	Adjustment as per section 115JC(2)						
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"			2a			
b	Deduction claimed u/s 10AA			2b			
c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed			2c			
d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)			2d			
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)						3
a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any			3a			
b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)			3b			
4	Tax payable under section 115JC [(9% of (3a)+ 18.5% of (3b)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)						4

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD			
1	Tax under section 115JC in assessment year 2023-24 (1d of Part-B-TTI)				1
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2023-24 (2i of Part-B-TTI)				2
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)				
S.	Assessment Year	AMT Credit	AMT Credit Utilised	Balance AMT Credit	

No.	(A)	Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	during the Current Assessment Year (C)	Carried Forward (D)= (B3) –(C)	
i	2013-14						
ii	2014-15						
iii	2015-16						
iv	2016-17						
v	2017-18						
vi	2018-19						
vii	2019-20						
viii	2020-21						
ix	2021-22						
x	2022-23						
xi	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)						
xii	Total						
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item no 4 (C)]					5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]					6	

Schedule SPI		Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64												
SI No	Name of person	PAN/Aadhaar No. of person (optional)										Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1														
2														
3														

Schedule SI			Special rate (%)	Income(i)	Tax thereon (ii)
1	111- Accumulated balance of recognised provident for prior years	<input checked="" type="checkbox"/>		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
2	111A or Section 115AD(1)(b)(ii)-Proviso (STCG on shares units on which where STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
3	115AD(STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
4	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
7a	115AC (Income by way of interest received by non-resident on bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
7b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
8	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
9	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
10	115E (LTCG for non-resident Indian on specified asset)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
11	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(5xi of Schedule BFLA)	
12	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(5(x) of Schedule BFLA)	

SPECIAL RATES OF TAXATION

13	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of Schedule BFLA)
14	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xii of Schedule BFLA)
15	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2a of Schedule OS)
16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)
17	115BBH (Income from transfer of virtual digital asset)			
	A Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	30	(A3g of Schedule BP)
	B Income under head Capital Gain	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)
18	115BBF (Tax on income from patent)			
	A Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3e of Schedule BP)
	B Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2d of Schedule OS)
19	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)			
	A Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3f of Schedule BP)
	B Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2d of Schedule OS)
20	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)
21	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2f of Schedule OS)
22	Pass Through Income in the nature of Short-term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)
23	Pass Through Income in the nature of Short-term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)
24	Pass Through Income in the nature of Long-term Capital Gain chargeable @ 10% u/s. 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)
25	Pass Through Income in the nature of Long-term Capital Gain chargeable @ 10% u/s. other than section 112A		10	(part of 5x of Schedule BFLA)
26	Pass Through Income in the nature of Long-term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5xi of Schedule BFLA)
27	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(2e of Schedule OS)
28	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(2d of Schedule OS)
	Total			

Schedule IF		Information regarding partnership firms in which you are partner						
FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner							
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit	Capital balance on 31 st March in the firm
	1						i	ii
	2							
	3							
4	Total							

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)			
EXEMPT INCOME	1	Interest income			1
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rules 7A, 7B or 8)	i	
		ii	Expenditure incurred on agriculture	ii	
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	iii	

	iv	Agricultural income portion relating to rules 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 38 of Sch. BP)						iv		
	v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)						2		
	vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)								
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located								
	b	Measurement of agricultural land in Acre								
	c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)								
	d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)								
	3	Other exempt income (including exempt income of minor child) (please specify)						3		
	4	Income not chargeable to tax as per DTAA								
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether obtained (Y/N)	TRC	
	I									
	II									
	III	Total Income from DTAA not chargeable to tax						4		
5	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)						5			
6	Total (1+2+3+4+5)						6			

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB										
PASS THROUGH INCOME	Sl. No.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current Year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		1.	(drop down to be provided)			i	House property					
		ii				Capital Gains						
		a				Short-term						
		a1				Section 111A						
		b				Long-term						
		b1				Section 112A						
		B2				Sections other than 112A						
		iii				Other Sources						
		a				Dividend						
		b				Others						
		iv				Income claimed to be exempt						
		A				u/s 10(23FBB)						
		B				u/s						
		C	u/s									
	2.				i	House property						
					ii	Capital Gains						
					A	Short-term						
					a1	Section 111A						

						B	Long-term				
						b1	Section 112A				
						b2	Sections other than 112A				
						iii	Other Sources				
						1	Dividend				
						2	Others				
						iv	Income claimed to be exempt				
						a	u/s 10(23FBB)				
						b	u/s				
						c	u/s				
NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.											

Schedule- TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on (a + b)					
		d	Total Additional tax payable (a + b + c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
7	BSR Code							
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)								
INCOME FROM OUTSIDE INDIA	Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A	
						(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1				i	Salary					
					ii	House Property					
					iii	Business or Profession					
					iv	Capital Gains					
					v	Other sources					
					Total						
	2				i	Salary					
					ii	House Property					

			iii	Business Profession or					
			iv	Capital Gains					
			v	Other sources					
			Total						
NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.									

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)								
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed								
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)			Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)		Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)	
		(a)	(b)	(c)			(d)		(e)	
				Total						
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))							2	
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))							3	
	4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below							4	Yes/No
		a	Amount of tax refunded				b	Assessment year in which tax relief allowed in India		
NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.										

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India										
DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December 2022										
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December 2022										
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
	A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December 2022										

Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A4 Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December 2022												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December 2022												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	2(a)	2(b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December 2022												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December 2022												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December 2022 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(i)													
(ii)													
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor													
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return			
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)													
(ii)													
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession													
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return						
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule				
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)													
(ii)													
NOTE	Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.												

Schedule 5A Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code

Name of the spouse						
PAN/Aadhaar No. of the spouse						
Whether books of accounts of spouse is audited u/s 44AB? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 44AB under this Act?						Yes/No
Whether books of accounts of spouse is audited u/s 92E? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 92E under this Act?						Yes/No
	Heads of Income		Receipts received under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)		(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property					
2	Business or profession					
3	Capital gains					
4	Other sources					
5	Total					

Schedule AL Assets and Liabilities at the end of the year (other than those included in Part A- BS) (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A Details of immovable assets					
	Sl. No.	Description		Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	(i)					
	(ii)					
	B Details of movable assets					
	Sl. No.	Description				Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)				(3)
	(i)	Jewellery, bullion etc.				
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art				

	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts	
	(iv)	Financial assets	Amount (cost) in Rs.
	(a)	Bank (including all deposits)	
	(b)	Shares and securities	
	(c)	Insurance policies	
	(d)	Loans and advances given	
	(e)	Cash in hand	
C Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof			
Sl. No.	Name and address of the firm(s)/PAN of the firm/ AOP		Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)			
(ii)			
D Liabilities in relation to Assets at (A + B + C)			
NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.			

Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST			
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)
NOTE ▶ Please furnish the information above for each GSTIN No. separately			

Schedule : Tax deferred on ESOP		Information related to Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC						
DETAILS	Sl. No.	Assessment Year	Amount of Tax deferred brought forward from earlier AY	Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year			Amount of tax payable in the current Assessment Year (to be populated from col. (3) or (4) as the case maybe)	Balance amount of tax deferred to be carried forward to be next Assessment years Col (3)-(7)
				Such specified security or sweat equity shares were sold (i)Fully (ii)Partly (iii)Not sold Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3 (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No If yes, specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1	2021-22	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year			(To be enabled from AY 2026-27) (Payment to be made in FY 2025-26)		

	2	2022-23	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year				
	3	2023-24					

PART-B

Part B – TI Computation of total income

TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)			1	
	2	Income from house property (4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)			2	
	3	Profits and gains from business or profession				
		i	Profit and gains from business other than speculative business and specified business (A37 of Schedule BP) (enter nil if loss)	3i		
		ii	Profit and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3ii		
		iii	Profit and gains from specified business (3(iii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3iii		
		iv	Income chargeable to tax at special rates (3e, 3f & 3g of Schedule BP)	3iv		
		v	Total (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (enter nil if 3v is a loss)	3v		
	4	Capital gains				
		a	Short-term			
			i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai	
			ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	a ii	
			iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	a iii	
			iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	a iv	
			v	Total Short-term (ai + a ii + a iii + a iv) (enter nil if loss)	4av	
		b	Long-term			
			i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi	
			ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii	
			iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii	
			iv	Total Long-term (bi + bii+biii) (enter nil if loss)	4biv	
		c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (4av+4biv) (enter nil if loss)		4c	
		d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)		4d	
		e	Total capital gains (4c + 4d)		4e	
5	Income from other sources					
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	5a			
	b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	5b			

	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	5c		
	d	Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss)		5d	
6		Total of head wise income (1 + 2 + 3v + 4e + 5d)		6	
7		Losses of current year to be set off against 6 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)		7	
8		Balance after set off current year losses (6 - 7) (total of serial number (ii) to (xv) column 5 of Schedule CYLA + 5b + 3iv)		8	
9		Brought forward losses to be set off against 8 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)		9	
10		Gross Total income (8-9) (also total of serial no (i) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA + 5b + 3iv)		10	
11		Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 10		11	
12		Deductions under Chapter VI-A			
	a	Part-B, CA and D of Chapter VI-A [(1 + 3) of Schedule VI-A and limited upto (total of i, ii, iii, iv, v, viii, xiii, xiv) of column 5 of BFLA]		12a	
	b	Part-C of Chapter VI-A [(2 of Schedule VI-A)]		12b	
	c	Total (12a + 12b) [limited upto (10-11)]		12c	
13		Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)		13	
14		Total income (10 - 12c - 13)		14	
15		Income which is included in 14 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)		15	
16		Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)		16	
17		Aggregate income (14-15+16)[applicable if (14-15) exceeds maximum amount not chargeable to tax]		17	
18		Losses of current year to be carried forward (total of row xvi of Schedule CFL)		18	
19		Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)		19	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income			
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)		1a
		b	Surcharge on (a) (if applicable)		1b
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above		1c
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)		1d
	2		Tax payable on total income		
		a	Tax at normal rates on 17 of Part B-TI	2a	
		b	Tax at special rates (total /of col. (ii) of Schedule-SI)	2b	
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (14-15) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c	
		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b - 2c)		2d
		e	Rebate under section 87A		2e
		f	Tax payable after rebate (2d - 2e)		2f
		g	Surcharge	Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief
		i	@ 25% of 17(ii) of Schedule SI	2gi	ia
		ii	@10% or 15%, as applicable (Refer Instructions)	2gii	iaa
		iii	On [(2f) - 17(ii) of Schedule SI- tax on income referred in 2G(ii)above)]	2giii	
		iv	Total (ia + iia)		2giv
		H	Health and Education Cess @ 4% on (2F + 2Giii)		2H
		I	Gross tax liability (2F+ 2Giv + 2H)		2I
	3		Gross tax payable (higher of 1d and 2I) (3a+3b)		3
	3a		Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC (Schedule Salary) (3-3b)		3a
	3b		Tax deferred - relating to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC		3b

TAXES PAID	3c	Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP)			3c	
	4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2I is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)			4	
	5	Tax payable after credit under section 115JD (3a +3c - 4)			5	
	6	Tax relief				
	a	Section 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	6a			
	b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)	6b			
	c	Section 91 (3 of Schedule TR)	6c			
	d	Total (6a + 6b+ 6c)	6d			
	7	Net tax liability (5 – 6d) (enter zero if negative)			7	
	8	Interest and fee payable				
a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a				
b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b				
c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c				
d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d				
e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)	8e				
9	Aggregate liability (7 + 8e)			9		
10	Taxes Paid					
a	Advance Tax (from column 5 of 17A)	10a				
b	TDS (total of column 5 of 18B and column 9 of 17C)	10b				
c	TCS (column 7(i) of 17D)	10c				
d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 17A)	10d				
e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)	10e				
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)			11		
12	Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)			12		
B	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)			Select Yes or No	
	i.	a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India ()	Name of the Bank	Account Number	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/>)	
	I					
	Ii					
	<p>Note:</p> <p>1) Minimum one account should be selected for refund credit</p> <p>2) In case of refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return</p>					
	Rows can be added as required					
	ii.	b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:				
	Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN	
	I					
	14	Do you at any time during the previous year,-				
		(i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or				
		(ii) have signing authority in any account located outside India; or			<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
		(iii) have income from any source outside India?				
		[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]				

Identification No. of TRP										Name of TRP										Counter Signature of TRP									
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof										16																			
17 TAX PAYMENTS																													
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																													
SELF ADVANCE/ ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code								Date of Deposit (DD/MM/YYYY)								Serial Number of Challan				Amount (Rs)							
	(1)	(2)								(3)								(4)				(5)							
	i																												
	ii																												
	iii																												
iv																													
NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl. No. 10a and 10d of Part B-TTI																													
B Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]																													
TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer				Name of the Employer										Income chargeable under Salaries				Total tax deducted									
	(1)	(2)				(3)										(4)				(5)									
	I																												
	II																												
	NOTE ▶ Please enter total of column 5 in 10b of Part B-TTI																												

C Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form No. 16 A issued or Form No. 16B/16C /16D/16E furnished by Deductor(s)]															
Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)	TDS of the current Financial Year (TDS Deducted during the FY 2022-23)	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)				Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income		
							Income	TDS		Income	TDS	PAN/ Aadhaar No.			
i															
NOTE ▶ Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI															

D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form No. 27D issued by the Collector(s)]											
TCS	Sl. No.	TCS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/ other person as	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to	Unclaimed TCS brought forward (b/f)	TCS of the current fin. Year		TCS credit being claimed this Year			TCS credit being carried forward
					Fin. Year in	Amount b/f	Collected in own	Collected in			

	per rule 37i(1)]		other person)	which collected		hands	the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37i(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37i(1) (if applicable)	
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)
									TCS	PAN
i										
NOTE ► Please enter total of column (7)(i) in 10c of Part B-TTI										

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction). I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date

Place

Sign here →

FORM	SUGAM (ITR-4)	INDIAN INCOME TAX RETURN	Assessment Year				
		<p>[For Individuals, HUFs and Firms (other than LLP) being a resident having total income upto Rs.50 lakh and having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA or 44AE,]</p> <p>[Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or if income-tax is deferred on ESOP or has agricultural income more than Rs.5000]</p> <p>(Please refer instructions for eligibility)</p>	2	0	2	3	-

PART A GENERAL INFORMATION												
(A1) First Name			(A2) Middle Name			(A3) Last Name			(A4) Permanent Account Number			
(A5) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)						(A6) Flat/Door/Block No.						
(A7) Name of Premises/ Building/ Village			(A8) Road/Street/Post Office			(A9) Area/Locality						
(A10) Town/City/District			(A11) State			(A12) Country			(A13) PIN Code/ZIP Code			
(A14) Aadhaar Number (12 digits)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digits) (if eligible for Aadhaar No.)						(A15) Status				Individual <input type="checkbox"/> HUF <input type="checkbox"/> Firm (other than LLP) <input type="checkbox"/>		
(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No.1			(A17) Mobile No. 2			(A18) E-mail Address-1 (self)						
						(A18) E-mail Address -2						
(A19) Nature of employment - <input type="checkbox"/> Central Govt. <input type="checkbox"/> State Govt. <input type="checkbox"/> Public Sector Undertaking <input type="checkbox"/> Pensioners-CG <input type="checkbox"/> Pensioners-SG <input type="checkbox"/> Pensioners-PSU <input type="checkbox"/> Pensioners- Others <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/> Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)												
(A20) (a) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]-			<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- After Condonation of delay									
(b) Or Filed in response to notice u/s			<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153C									
(A21) If revised/defective then enter Receipt No. and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY)									/ /			
(A22) If filed in response to notice u/s 139(9) /142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order									/ /			
(A23)												
a. Have you ever opted for new tax regime u/s 115BAC in earlier years ? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If Yes is selected, please furnish the AY in which said option is exercised along with date of filing and Acknowledgement number of form 10-IE)												
b. Have you ever opted out of section 115BAC in earlier years? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If Yes is selected, please furnish the AY in which said option is opted out along with date of filing and Acknowledgement number of form 10-IE)												
c. Option for current assessment year <input type="checkbox"/> Opting in now <input type="checkbox"/> Not opting <input type="checkbox"/> Continue to opt <input type="checkbox"/> Opt out <input type="checkbox"/> Not eligible to opt in (Select "Opting in now" only if you are opting in first time)												
For other than not opting & continue to opt & not eligible to opt in, please furnish date of filing of form 10-IE & Acknowledgment number												
(A24) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? (Not applicable in case of firm) - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
If yes, please furnish following information as provided in e-filing utility												
[Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]												
(i) Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)			Amount (Rs) (If Yes)									

(ii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(iii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(iv)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)	(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
(A25) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
If yes, please furnish following information -		
(1)	Name of the representative	
(2)	Capacity of the representative	
(3)	Address of the representative	
(4)	Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the representative	

PART B GROSS TOTAL INCOME		Whole- Rupee(₹) only	
B1	Income from Business and Profession (NOTE-Enter value from E8 of Schedule BP)	B1	
B2	i Gross Salary (ia+ib+ic+id+ie)_	i	
SALARY / PENSION	a Salary as per section 17(1)	ia	
	b Value of perquisites as per section 17(2)	ib	
	c Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic	
	d Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (country drop down will be provided in e-filing utility)	id	
	e Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A	ie	
	ii Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) [Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3)]	ii	
	iii Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A	iii	
	iii Net Salary (i – ii-iii)	iii	
	iv Deductions u/s 16 (iva + ivb+ivc)	iv	
	a Standard deduction u/s 16(ia)	iva	
b Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb		
c Professional tax u/s 16(iii)	ivc		
v Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv) (NOTE- Ensure to Fill "Sch TDS1")	B2		
B3	Tick applicable option Self Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> Deemed Let Out <input type="checkbox"/>		
HOUSE PROPERTY	i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year	i	
	ii Tax paid to local authorities	ii	
	iii Annual Value (i – ii)	iii	
	iv 30% of Annual Value	iv	
	v Interest payable on borrowed capital	v	
	vi Arrears/Unrealised Rent received during the year Less 30%	vi	
	vii Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative) Note: Maximum loss from house property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.	B3	

B4	Income from Other Sources drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend and Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C NOTE- Fill "Sch TDS2" if applicable.	B4	
	Less: Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)		
	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A		
B5	Gross Total Income (B1+B2+B3+B4) To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.	B5	

PART C—DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer to instructions for Deductions limits as per Income-tax Act)

C1	80C		C2	80CCC		C3	80CCD (1)			
C4	80CCD(1B)		C5	80CCD(2)		C6	80D	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility		
C7	80DD	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility	C8	80DDB	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility	C9	80E			
C10	80EE		C11	80EEA		C12	80EEB			
C13	80G	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility	C14	80GG		C15	80GGC			
C16	80TTA		C17	80TTB		C18	80U	Details to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility		
C19	Total deductions (Add items C1 to C18)							C19		
C20	Taxable Total Income (B5 - C19)							C20		

PART D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

D1	Tax payable on total income (C20)	D1	
D2	Rebate on 87A	D2	
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)	D3	
D4	Health and Education Cess @ 4% on (D3)	D4	
D5	Total Tax, and Cess (D3+D4)	D5	
D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	D6	
D7	Balance Tax after Relief (D5 – D6)	D7	
D8	Total Interest u/s 234A	D8	
D9	Total Interest u/s 234B	D9	
D10	Total Interest u/s 234C	D10	
D11	Fee u/s 234F	D11	
D12	Total Tax, Fee and Interest (D7+ D8 + D9 + D10 + D11)	D12	
D13	Total Advance Tax Paid	D13	
D14	Total Self-Assessment Tax Paid	D14	
D15	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and, column 6 of Schedule-TDS2)	D15	
D16	Total TCS Collected (total of column (5) of Schedule-TCS)	D16	
D17	Total Taxes Paid (D13+ D14 + D15 + D16)	D17	
D18	Amount payable (D12 – D17, If D12 > D17)	D18	
D19	Refund (D17 – D12, If D17 > D12)	D19	

D20	Exempt income only for reporting purposes (If agricultural income is more than Rs.5,000/-, use ITR 3/5) <i>(Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section)</i>	D20	
-----	--	-----	--

BANK ACCOUNT	D21	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)			
	Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Select Account for Refund Credit
	i				
	ii				

1. Minimum one account should be selected for refund credit.
2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the accounts decided by CPC after processing the return

SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION					
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD					
S. No.	Name of Business	Business code	Description		
(i)					
E1	Gross Turnover or Gross Receipts				
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date		E1a	
	b	Any other mode		E1b	
E2	Presumptive Income under section 44AD				
	a	6% of E1a or the amount claimed to have been earned, whichever is higher		E2a	
	b	8% of E1b or the amount claimed to have been earned, whichever is higher		E2b	
	c	Total (a + b)		E2c	
	NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed				
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA					
S. No.	Name of Business	Business code	Description		
(i)					
E3	Gross Receipts			E3	
E4	Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed			E4	
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE					
S. No.	Name of Business	Business code	Description		
(i)					
	Registration No. of goods carriage	Whether owned/ leased/ hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/ leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned,

					whichever is higher	
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(a)						
(b)						
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)						
E5	Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE [total of column (5)] NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then other ITR, as applicable, has to be filed				E5	
E6	Salary and interest paid to the partners NOTE – This is to be filled up only by firms				E6	
E7	Presumptive Income u/s 44AE (E5-E6)				E7	
E8	Income chargeable under the head 'Business or Profession' (E2c+E4+E7)				E8	
INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST						
Note – Please furnish the information below for each GSTIN No. separately						
E9	GSTIN No(s).				E9	
E10	Annual value of outward supplies as per the GST returns filed				E10	
FINANCIAL PARTICULARS OF THE BUSINESS						
Note—For E11 to E25 furnish the information as on 31 st day of March, 2022						
E11	Partners/ Members own capital				E11	
E12	Secured loans				E12	
E13	Unsecured loans				E13	
E14	Advances				E14	
E15	Sundry creditors				E15	
E16	Other liabilities				E16	
E17	Total capital and liabilities (E11+E12+E13+E14+E15+E16)				E17	
E18	Fixed assets				E18	
E19	Inventories				E19	
E20	Sundry debtors				E20	
E21	Balance with banks				E21	
E22	Cash-in-hand				E22	
E23	Loans and advances				E23	
E24	Other assets				E24	
E25	Total assets (E18+E19+E20+E21+E22+E23+E24)				E25	
NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule (E15, E19, E20, E22 are mandatory and others if available)						

SCHEDULE IT DETAILS OF ADVANCE TAX AND SELF ASSESSMENT TAX PAYMENTS

	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Challan No.	Tax paid
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
R1				
R2				

R3																			
NOTE ► Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in D13 & D14																			

Schedule TCS Details of Tax Collected at Source [As per Form No. 27D issued by the Collector(s)]					
Sl No	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)
I					
ii					
NOTE ► Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in D16					

SCHEDULE TDS-1 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM SALARY				
[As per Form 16 issued by Employer(s)]				
	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S1				
S2				
S3				
NOTE ► Enter the total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2 in D15				

SCHEDULE TDS-2 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE ON INCOME OTHER THAN SALARY								
[As per Form No. 16 A issued or Form No. 16C or Form No. 16D furnished by Deductor(s)]								
Sl. No.	TAN of the Deductor/PAN/ Aadhaar No. of Tenant	Unclaimed TDS brought forward (b/f)	TDS of the current Fin. Year	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)	Corresponding Receipt/ withdrawals offered	TDS credit being carried forward		
		Fin. Year in which deducted	TDS b/f	TDS Deducted	TDS Claimed	Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								
NOTE ► Enter the total of column 6 of Schedule TDS2 and column 4 of Schedule-TDS1 in D15								

VERIFICATION
 I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____. (Please see instruction)

Place: _____ Signature here ➔
 Date: _____

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

TRP PIN (10 Digit)	Name of TRP	Counter Signature of TRP
Amount to be paid to TRP		

FORM No.	ITR-5	INDIAN INCOME TAX RETURN [For persons other than- (i) individual, (ii) HUF, (iii) company and (iv) person filing Form ITR-7] (See rule 12) (Please refer instructions)	Assessment Year					
			2	0	2	3	-	2

Part A-GEN GENERAL

PERSONAL INFORMATION	(A1) Name		(A2) PAN					
	(A3) Is there any change in the name? If yes, please furnish the old name		(A4) Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) issued by MCA, if applicable					
	(A7) Flat/Door/Block No	(A8) Name of Premises/Building/Village		(A5) Date of formation (DDMMYYYY)				
					(A6) Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)			
	(A9) Office	Road/Street/Post	(A10) Area/Locality	Status (firm-Is sub-status- Partnership Firm, LLP, local authority-2, AOP/BOI- 3 sub-status- other cooperative bank, other cooperative society, society registered under society registration Act, 1860 or any other Law corresponding to that state, Primary agricultural credit society/cooperative bank, Rural development bank, Business trust, investment fund, Trust other than trust eligible to file Return in ITR 7, any other AOP/BOL., artificial juridical person-4, sub-status- Estate of the deceased, Estate of the insolvent, Other AJP),			<input type="checkbox"/>	
	(A11) Town/City/District		(A12) State	(A13) Pin code/Zip code				
			(A14) Country					
	(A15) Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1				(A16) Mobile No. 2			
(A17) E-mail Address -1				(A18) E-mail Address -2				
FILING STATUS	A19(i)	(ai) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay.					
		(aia) Or Filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C					
		(aiii) Whether you are a business trust?	<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No			
		(aiv) Whether you are an investment fund referred to in section 115UB?	<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No			
	(b)	If revised/Defective/ in response to notice for Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)				/ /		
(c)	If filed in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement				(unique number) / /			
(di)	Have you opted for tax regime u/s 115BAD? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish the AY in which said option is exercised for the first time along with date of filing of Form 10-IF and acknowledgment number.							
(dii)	If "No", Option for current assessment year <input type="checkbox"/> Not opting <input type="checkbox"/> opting it now If "opting it now", please furnish	Date of filing of form 10-IF DD/MM/YYYY			Acknowledgement number:			

(e)	Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident													
(f)	Whether assessee has a unit in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
(g)	Whether you are recognised as start up by DPIIT	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
(h)	If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT													
(i)	Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
(j)	If yes, please provide the certification number													
(k)	In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
(l)	<p>In the case of non-resident, is there a significant economic presence (SEP) in India as defined in <i>Explanation (2A)</i> to section 9(1) (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>If yes, please provide details of</p> <p>(a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in <i>Explanation 2A(a)</i> to section 9(1)(i)</p> <p>(b) number of users in India as referred in <i>Explanation 2A(b)</i> to Section 9(1)(i)</p>													
(m)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No	If yes, please provide SEBI Regn. No.												
(n)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	If yes, please furnish following information -													
(1)	Name of the representative assessee													
(2)	Capacity of the Representative (<i>drop down to be provided</i>)													
(3)	Address of the representative assessee													
(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee													
(o)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information													
	Name of Firm	PAN												
(p)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of company	PAN	Opening balance	Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance		
				No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AUDIT INFORMATION	a	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
	a2	Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
	a2i	If No, whether during the year Total sales/turnover/gross receipts of business is between Rs.1 crore and Rs.10 crores? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No turnover does not exceed 1 crore <input type="checkbox"/> turnover exceeds 10 crores												
	a2ii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account such as capital contribution, loans etc. during the previous year, in cash, & non-a/c payee cheque/DD does not exceed five per cent of the said amount? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												

a2iii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loans etc. & non-a/c payee cheque/DD during the previous year, in cash, does not exceed five per cent of the said payment? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No							
b	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No							
c	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information-							
(i)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /							
(ii)	Name of the auditor signing the tax audit report							
(iii)	Membership no. of the auditor							
(iv)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)							
(v)	Proprietorship/firm registration number							
(vi)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the auditor (proprietorship/ firm)							
(vii)	Date of audit report							
di	Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No							
dii	If (di) is Yes, whether the accounts have been audited u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY		
diii	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under) (Please see Instructions)							
	Sl. No.	Section Code			Date (DD/MM/YYYY)			
e	If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report							
	Act and section		(DD/MM/YY)		Act and section		(DD/MM/YY)	
A	Whether there was any change during the previous year in the partners/members of the firm/AOP/BOI (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (In case of societies and cooperative banks give details of Managing Committee) If Yes, provide the details in respect of admitted / retired partners.							
	Sl.	Name of the Partner/member		Admitted/Retired	PAN	Date of admission/retirement	Remuneration paid / payable in case of retiring partner (in the case of a firm)	Percentage of share (if determinate)
	1.							
	2.							
B	Is any member of the AOP/BOI/executor of AJP a foreign company? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No							
C	If Yes, mention the percentage of share of the foreign company in the AOP/BOI/executor of AJP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
D	Whether total income of any member of the AOP/BOI/executor of AJP (excluding his share from such association or body or executor of AJP) exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax in the case of that member? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No							
E	Particulars of persons who were partners/members in the firm/AOP/BOI or settlor/trustee/beneficiary in the trust or executors in the case of estate of deceased / estate of insolvent as on 31 st day of March, 2023 or date of dissolution							

S.No	Name and Address	Percentage of share (if determinate)	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)	Designated Partner Identification Number, in case partner in LLP	Status (see instructions)	Rate of Interest on Capital	Remuneration paid/ payable	
									(1)
F To be filled in case of persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)									
For persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)	1 Whether shares of the beneficiary are determinate or known?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	2 Whether the person referred in section 160(1)(iv) has Business Income?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	3 Whether the person referred in section 160(1)(iv) is declared by a Will and /or is exclusively for the benefit of any dependent relative of the settlor and/or is the only trust declared by the settlor?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	4 Please furnish the following details (as applicable):								
	(i) Whether all the beneficiaries have income below basic exemption limit?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(ii) Whether the relevant income or any part thereof is receivable under a trust declared by any person by will and such trust is the only trust so declared by him?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(iii) Whether the trust is non-testamentary trust created before 01-03-1970 for the exclusive benefit of relatives/member of HUF of the settlor mainly dependent on him/Family?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(iv) Whether the trust is created on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension fund or any other fund created bona fide by a person carrying on Business or profession exclusive for the employees in such Business or Profession?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
G Nature of business or profession, if more than one business or profession, indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under sections 44AD, 44ADA and 44AE)									
NATURE OF BUSINESS	S.No.	Code	Trade name of the business, if any			Description			
	(i)	[Please see instruction]							
	(ii)								

Part A-BS BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2023 OR DATE OF DISSOLUTION (fill items A and B in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item C)

SOURCES OF FUNDS	A Sources of Funds				
	SOURCES OF FUNDS	1 Partners' / members' fund			
SOURCES OF FUNDS		a Partners' / members' capital			a
		b Reserves and Surplus			
		i Revaluation Reserve	bi		
		ii Capital Reserve	bii		
		iii Statutory Reserve	biii		
		iv Any other Reserve	biv		
v Credit balance of Profit and loss account		bv			
vi Total (bi + bii + biii + biv + bv)				bvi	
c Total partners'/ members' fund (a + bvi)				1c	
2 Loan funds					
SOURCES OF FUNDS		a Secured loans			
	i Foreign Currency Loans	ai			
	ii Rupee Loans				

APPLICATION OF FUNDS				A	From Banks	iiA						
				B	From others	iiB						
				C	Total (iiA + iiB)	iiC						
				iii	Total secured loans (ai + iiC)						aiii	
				b	Unsecured loans (including deposits)							
				i	Foreign Currency Loans					bi		
				ii	Rupee Loans							
					A	From Banks			iiA			
					B	From persons specified in section 40A(2)(b)			iiB			
					C	From others			iiC			
					D	Total Rupee Loans (iiA + iiB + iiC)			iiD			
				iii	Total unsecured loans (bi + iiD)						Biii	
				c	Total Loan Funds (aiii + biii)						2c	
				3	Deferred tax liability						3	
				4	Advances							
				i	From persons specified in section 40A(2)(b)					i		
				ii	From others					ii		
				iii	Total Advances (I + ii)						4iii	
				5	Sources of funds (1c + 2c +3 + 4iii)						5	
				B	Application of funds							
1	Fixed assets											
a	Gross: Block					1a						
b	Depreciation					1b						
c	Net Block (a – b)					1c						
d	Capital work-in-progress					1d						
e	Total (1c + 1d)						1e					
2	Investments											
a	Long-term investments											
i	Investment in property					i						
	Equity instruments											
	A	Listed equities			iiA							
	B	Unlisted equities			iiB							
	C	Total			iiC							
iii	Preference shares					iii						
iv	Government or trust securities					iv						
v	Debenture or bonds					v						
vi	Mutual funds					vi						
vii	Others					vii						
viii	Total Long-term investments (i + iiC + iii + iv + v + vi + vii)						aviii					
b	Short-term investments											
i	Equity instruments											
	A	Listed equities			iA							
	B	Unlisted equities			iB							
	C	Total			iC							
ii	Preference shares					ii						
iii	Government or trust securities					iii						
iv	Debenture or bonds					iv						
v	Mutual funds					v						
vi	Others					vi						
vii	Total Short-term investments (iC + ii + iii + iv + v + vi)						bvii					

	c	Total investments (aviii + bvii)				2c	
3	Current assets, loans and advances						
	a	Current assets					
	i	Inventories					
		A	Raw materials	iA			
		B	Work-in-progress	iB			
		C	Finished goods	iC			
		D	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iD			
		E	Stores/consumables including packing material	iE			
		F	Loose tools	iF			
		G	Others	iG			
		H	Total (iA + iB + iC + iD + iE + iF + iG)	iH			
	ii	Sundry Debtors					
		A	Outstanding for more than one year	iiA			
		B	Others	iiB			
		C	Total Sundry Debtors	iiC			
	iii	Cash and bank balances					
		A	Balance with banks	iiiA			
		B	Cash-in-hand	iiiB			
		C	Others	iiiC			
		D	Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC)	iiiD			
	iv	Other Current Assets				aiv	
	v	Total current assets (iH + iiC + iiiD + aiv)				av	
	b	Loans and advances					
	i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received		bi			
	ii	Deposits, loans and advances to corporate and others		bii			
	iii	Balance with Revenue Authorities		biii			
	iv	Total (bi + bii + biii)		biv			
	v	Loans and advances included in biv which is					
		a	for the purpose of business or profession	va			
		b	not for the purpose of business or profession	vb			
	c	Total (av + biv)				3c	
	d	Current liabilities and provisions					
	i	Current liabilities					
		A	Sundry Creditors				
		1	Outstanding for more than one year	1			
		2	Others	2			
		3	Total (1 + 2)	A3			
		B	Liability for leased assets	iB			
		C	Interest Accrued and due on borrowings	iC			
		D	Interest accrued but not due on borrowings	iD			
		E	Income received in advance	iE			
		F	Other payables	iF			
		G	Total (A3 + iB + iC + iD + iE + iF)	iG			
	ii	Provisions					
		A	Provision for Income-tax	iiA			
		B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB			

	C	Other Provisions		iiC			
		D	Total (iiA + iiB+ iiC)			iiE	
		iii	Total (iE + iiD)			diii	
		e	Net current assets (3c – diii)			3e	
		4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted	4a		
			b	Deferred tax asset	4b		
			c	Debit balance in Profit and loss account/ accumulated balance	4c		
			d	Total (4a + 4b + 4c)		4d	
		5	Total, application of funds (1e + 2c + 3e +4d)			5	
		NO ACCOUNT CASE	C	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information as on 31 st day of March, 2023, in respect of business or profession			
1	Amount of total sundry debtors			C1			
2	Amount of total sundry creditors			C2			
3	Amount of total stock-in-trade			C3			
4	Amount of the cash balance			C4			

Part A-		Manufacturing Account for the financial year 2022-23 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)				
Manufacturing account						
1	Debits to Manufacturing Account					
	A	Opening Inventory				
		i	Opening stock of raw-material	i		
		ii	Opening stock of Work in progress	ii		
		iii	Total (i + ii)		Aiii	
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				B
	C	Direct wages				C
	D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)				D
		i	Carriage inward	i		
		ii	Power and fuel	ii		
		iii	Other direct expenses	iii		
	E	Factory Overheads				
		i	Indirect wages	i		
		ii	Factory rent and rates	ii		
		iii	Factory Insurance	iii		
		iv	Factory fuel and power	iv		
		v	Factory general expenses	v		
		vi	Depreciation of factory machinery	vi		
		vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)		Evii	
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)				F
2	Closing Stock					
		i	Raw material	2i		
		ii	Work-in-progress	2ii		
		Total (2i +2ii)			2	
3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F-2)					3

Part A—Trading Account		Trading Account for the financial year 2022-23 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)			
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations			
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
	i	Sale of goods	i		
	ii	Sale of services	ii		
	iii	Other operating revenues (specify nature and amount)			
	a		iiia		
	b		iiib		
	c	Total (iiia + iiib)	iiic		
	iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv
	B	Gross receipts from Profession			B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
	i	Union Excise duties	i		
	ii	Service tax	ii		
	iii	VAT/ Sales tax	iii		
iv	Central Goods and Service Tax (CGST)	iv			
v	State Goods and Services Tax (SGST)	v			
vi	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	vi			
vii	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	vii			
viii	Any other duty, tax and cess	viii			
ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			Cix	
D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)			4D	
5	Closing Stock of Finished Goods			5	
6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6	
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods			7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9
	i	Carriage inward	i		
	ii	Power and fuel	ii		
	iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii		
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
	i	Custom duty	10i		
	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
iv	Union excise duty	10iv			
v	Service tax	10v			
vi	VAT/ Sales tax	10vi			
vii	Central Goods and Service Tax (CGST)	10vii			
viii	State Goods and Services Tax (SGST)	10viii			
ix	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	10ix			

	x	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	10x		
	xi	Any other tax, paid or payable	10xi		
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account			11	
12	Gross Profit from Business/Profession— transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)			12	
12a	Turnover from Intraday Trading			12a	
12b	Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account			12b	

Part A-P and L

Profit and Loss Account for the financial year 2022-23 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b)			13	
	14	Other income				
	i	Rent	i			
	ii	Commission	ii			
	iii	Dividend income	iii			
	iv	Interest income	iv			
	v	Profit on sale of fixed assets	v			
	vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi			
	vii	Profit on sale of other investment	vii			
	viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii			
	ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (FMV of inventory as on the date of conversion)	ix			
	x	Agricultural income	x			
	xi	Any other income (specify nature and amount)				
	a		xia			
	b		xib			
	c	Total (xia + xib)	xic			
xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+ xic)			14xii		
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15	
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	16	Freight outward			16	
	17	Consumption of stores and spare parts			17	
	18	Power and fuel			18	
	19	Rents			19	
	20	Repairs to building			20	
	21	Repairs to machinery			21	
	22	Compensation to employees				
	i	Salaries and wages	22i			
ii	Bonus	22ii				
iii	Reimbursement of medical expenses	22iii				
iv	Leave encashment	22iv				
v	Leave travel benefits	22v				
vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi				
vii	Contribution to recognised provident fund	22vii				

viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
ix	Contribution to any other fund	22ix		
x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)		22xi	
xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xii a	Yes / No	
	If Yes, amount paid to non-residents	xii b		
23 Insurance				
i	Medical Insurance	23i		
ii	Life Insurance	23ii		
iii	Keyman's Insurance	23iii		
iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24 Workmen and staff welfare expenses				
25 Entertainment				
26 Hospitality				
27 Conference				
28 Sales promotion including publicity (other than advertisement)				
29 Advertisement				
30 Commission				
i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
ii	To others	ii		
iii	Total (i + ii)		30iii	
31 Royalty				
i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
ii	To others	ii		
iii	Total (i + ii)		31iii	
32 Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
ii	To others	ii		
iii	Total (i + ii)		32iii	
33 Hotel, boarding and Lodging				
34 Traveling expenses other than on foreign traveling				
35 Foreign travelling expenses				
36 Conveyance expenses				
37 Telephone expenses				
38 Guest House expenses				
39 Club expenses				
40 Festival celebration expenses				
41 Scholarship				
42 Gift				
43 Donation				

	44 Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)												
	i	Union excise duty								44i			
	ii	Service tax								44ii			
	iii	VAT/ Sales tax								44iii			
	iv	Cess								44iv			
	v	Central Goods and Service Tax (CGST)								44v			
	vi	State Goods and Services Tax (SGST)								44vi			
	vii	Integrated Goods and Services Tax (IGST)								44vii			
	viii	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)								44viii			
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT								44ix			
x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)										44x		
45 Audit fee											45		
46 Salary/Remuneration paid to Partners of the firm											46		
47 Other expenses (specify nature and amount)													
i									i				
ii									ii				
iii	Total (i + ii)									47iii			
48 Bad debts (specify PAN/ Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)													
i(1)										48i(1)			
i(2)										48i(2)			
i(3)										48i(3)			
i	(Rows can be added as required) Total [48i(1)+48i(2)+48i(3)]								48i				
ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/ Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)								48ii				
iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)								48iii				
iv	Total Bad Debt (48i + 48ii + 48iii)										48iv		
49 Provision for bad and doubtful debts											49		
50 Other provisions											50		
51 Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)]											51		
52 Interest													
i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or to a foreign company								i				
ii	To others								ii				
iii	Total (i+ii)									52iii			
53 Depreciation and amortisation											53		
54 Net profit before taxes (51 – 52iii – 53)											54		
PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	55 Provision for current tax										55		
	56 Provision for Deferred Tax										56		
	57 Profit after tax (54 – 55 – 56)										57		
	58 Balance brought forward from previous year										58		
	59 Amount available for appropriation (57 + 58)										59		
	60 Transferred to reserves and surplus										60		
61 Balance carried to balance sheet in proprietor's account (59 – 60)										61			

PRESUMPTIVE INCOME CASES	62 COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)						
	SR.NO.	Name of Business		Business code	Description		
	(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (ia + ib)				62i	
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date		ia			
	b	Any other mode		ib			
	(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iia + iib)				62ii	
	a	6% of 62ia, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher		iia			
	b	8% of 62ib, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher		iib			
	<i>NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB</i>						
	63 COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)						
	SR.NO.	Name of Business		Business code	Description		
	(i)	Gross Receipts				63i	
	(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 63i, or the amount claimed to have been earned whichever is higher)				63ii	
	<i>NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB</i>						
	64 COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE						
	SR.NO.	Name of Business		Business code	Description		
		Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of goods carriage months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher	
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(a)						
(b)							
Total							
Add row options as necessary							
(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 64(i)]				64(ii)		
(iii)	Less: Salary/Remuneration to Partners of the firm				64(iii)		
(iv)	Total Presumptive Income u/s 44AE (ii-iii)				64(iv)		
<i>NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned at any time during the year exceeds 10, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under 44AB.</i>							

NO ACCOUNT CASE	65 IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2022-23 in respect of business or profession -				
	(i) For assessee carrying on Business				
	a	Gross receipts (a1 + a2)		ia	
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date	a1	
		2	Any other mode	a2	
	b	Gross profit		ib	
	c	Expenses		ic	
	d	Net profit			65i
	(ii) For assessee carrying on Profession				
	a	Gross receipts (a1 + a2)		ia	
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date	a1	
		2	Any other mode	a2	
	b	Gross profit		iib	
	c	Expenses		iic	
d	Net profit			65ii	
(iii) Total profit (65i + 65ii)				65iii	
66 i	Turnover from speculative activity			66i	
ii	Gross Profit			66ii	
iii	Expenditure, if any			66iii	
iv	Net income from speculative activity (66ii-- 66iii)			66iv	

Part A- OI		Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB, for others, fill if applicable)		
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash		
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule 3a ICDS]		
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule 3b ICDS]		
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year		
	a	Raw Material (if at cost or market rates, whichever is less write 1, if at cost, write 2, if at market rate, write 3)		<input type="checkbox"/>
	b	Finished goods (if at cost or market rates, whichever is less write 1, if at cost, write 2, if at market rate, write 3)		<input type="checkbox"/>
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A		4d
	e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A		4e
5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -			
a	the items falling within the scope of section 28	5a		

	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b		
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c		
	d	any other item of income	5d		
	e	capital receipt, if any	5e		
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)		5f	
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-				
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a		
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b		
	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c		
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d		
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e		
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h		
	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i		
	j	Amount of contributions to any other fund	6j		
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under Employees' State Insurance Act, 1948 or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l		
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6m		
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
	r	Expenditure for purchase of sugarcane in excess of the government approved price [36(1)(xvii)]	6r		
	s	Any other disallowance	6s		
	t	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6s)		6t	
	u	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognised Provident Fund)			
	i	deployed in India	i		

		ii	deployed outside India	ii			
		iii	Total	iii			
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37						
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]		7a			
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]		7b			
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]		7c			
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]		7d			
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force		7e			
	f	Any other penalty or fine		7f			
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law		7g			
	h	Amount of any liability of a contingent nature		7h			
	i	Any other amount not allowable under section 37		7i			
	j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)				7j	
8	A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40						
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B		Aa			
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B		Ab			
	c	Amount disallowable under section 40 (a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016		Ac			
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B		Ad			
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]		Ae			
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)]		Af			
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)		Ag			
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]		Ah			
	i	Any other disallowance		Ai			
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)				8Aj	
	B. Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year					8B	
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A						
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)		9a			
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)		9b			
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]		9c			
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]		9d			
	e	Marked to market loss or other expected loss except as allowable u/s 36(1)(xviii) [40A(13)]		9e			

	f	Any other disallowance	9f		
	g	Total amount disallowable under section 40A		9g	
10		Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company	10d		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)			10h
11		Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11d		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
	h	Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11g)			11h
12		Amount of credit outstanding in the accounts in respect of			
	a	Union Excise Duty	12a		
	b	Service tax	12b		

	c	VAT/sales tax	12c	
	d	Central Goods and Service Tax (CGST)	12d	
	e	State Goods and Services Tax (SGST)	12e	
	f	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	12f	
	g	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	12g	
	h	Any other tax	12h	
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		12i
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC			13
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41			14
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)			15
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A			16
17	Whether assessee is exercising option under sub-section (2A) of section 92CE Tick <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [If yes , please fill schedule TPSA]			17

Part A – QD		Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)		
QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern		
	1	Opening stock	1	
	2	Purchase during the previous year	2	
	3	Sales during the previous year	3	
	4	Closing stock	4	
	5	Shortage/ excess, if any	5	
	(b)	In the case of a manufacturing concern		
	6	Raw materials		
		a	Opening stock	6a
		b	Purchases during the previous year	6b
		c	Consumption during the previous year	6c
		d	Sales during the previous year	6d
		e	Closing stock	6e
		f	Yield finished products	6f
		g	Percentage of yield	6g
		h	Shortage/ excess, if any	6h
	7	Finished products/ By-products		
		a	opening stock	7a
		b	purchase during the previous year	7b
		c	quantity manufactured during the previous year	7c
		d	sales during the previous year	7d
		e	closing stock	7e
		f	shortage/ excess, if any	7f

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)												
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1				Town/ City			State	Country	PIN Code/ Zip code			
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)													
	Assessee's percentage of share in the property % <input type="text"/>													
	Name of other Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)			Percentage Share in Property (%)						
	I													
	II													
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)			PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)								
	<input type="checkbox"/> Let out		out)											
	<input type="checkbox"/> Deemed let out		I											
			II											
	A		Gross rent received or receivable or lettable value <i>(higher of the two, if let out for whole of the year; lower of the two if let out for part of the year)</i>							1a				
	B		The amount of rent which cannot be realized			1b								
	C		Tax paid to local authorities			1c								
	D		Total (1b + 1c)			1d								
	E		Annual value (1a – 1d)							1e				
F		Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)							1f					
G		30% of 1f			1g									
H		Interest payable on borrowed capital			1h									
I		Total (1g + 1h)							1i					
J		Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%							1j					
K		Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)							1k					
HOUSE PROPERTY	2	Address of property 2				Town/ City			State	Country	PIN Code/ Zip code			
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)													
	Assessee's percentage of share in the property % <input type="text"/>													
	Name of Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)			Percentage Share in Property%						
	I													
	II													
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)			PAN/TAN / Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)								
	<input type="checkbox"/> Let out		out)											
	<input type="checkbox"/> Deemed let out		I											
			II											
	A		Gross rent received or receivable or lettable value <i>(higher of the two, if let out for whole of the year; lower of the two, if let out for part of the year)</i>							2a				

	B	The amount of rent which cannot be realized	2b		
	C	Tax paid to local authorities	2c		
	D	Total (2b + 2c)	2d		
	E	Annual value (2a – 2d)		2e	
	F	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)		2f	
	G	30% of 2f	2g		
	H	Interest payable on borrowed capital	2h		
	I	Total (2g + 2h)		2i	
	J	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%		2j	
	K	Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)		2k	
	3	Pass through income/ Loss if any *		3	
	4	Income under the head “Income from house property” (1k + 2k +3) (if negative, take the figure to 2i of schedule CYLA)		4	
	NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194-I.			

Schedule BP		Computation of income from business or profession				
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business				
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 54, 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) & 66(iv) of Part A-P&L)	1			
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl. No. 66iv of Schedule P and L]	2a			
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	2b			
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH	a	House property	3a	
			b	Capital gains	3b	
			c	Other sources	3c	
			ci	Dividend income	3ci	
			cii	Other than dividend income	3cii	
			d	u/s 115BBF	3d	
	e	u/s 115BBG	3e			
	f	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)	3f	(Item No. A of Schedule VDA)		
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/ 44ADA/ 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA / 44DA/ First schedule of Income-tax Act (other than profit from life insurance business referred to in section 115B) (Dropdown to be provided)	4a			
4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B	4b				
4c	Profit from activities covered under rules 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)	4c				

	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt				
		a	Share of income from firm(s)	5a		
		b	Share of income from AOP/ BOI	5b		
		c	Any other exempt income (specify nature and amount)			
			i	Ci		
			ii	Cii		
			iii	Total (ci + cii)	5ciii	
		d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)		5d	
	6	Balance (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 3f - 4a -4b-4c— 5d)				6
			A	House property	7a	
			B	Capital gains	7b	
			C	Other sources	7c	
			D	u/s 115BBF	7d	
			E	u/s 115BBG	7e	
	7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF/or u/s 115BBG				
	8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income				8a
	8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)				8b
	9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8a+ 8b)				9
	10	Adjusted profit or loss (6+9)				10
	11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account				11
	12	Depreciation allowable under Income-tax Act				
		i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (column 6 of Schedule-DEP)		12i	
		ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)		12ii	
		iii	Total (12i + 12ii)		12iii	
	13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 - 12iii)				13
	14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6t of Part A-OI)				14
	15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of Part A-OI)				15
	16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)				16
	17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9g of PartA-OI)				17
	18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI)				18
	19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006				19
	20	Deemed income under section 41				20

21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/21 80-IA			
22	Deemed income under section 43CA	22		
23	Any other item of addition under section 28 to 44DB	23		
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which assessee is a partner)	24		
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)	25		
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)	26		
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27		
28	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	28		
29	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)	29		
30	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year(10h of Part A-OI)	30		
31	Any other amount allowable as deduction	31		
32	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	32		
33	Total (27+28+29+30+31+32)	33		
34	Income (13+26-33)	34		
35	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
i	Section 44AD [62(ii) of schedule]	35i		
ii	Section 44ADA [63(ii) of schedule]	35ii		
iii	Section 44AE [64(iv) of schedule]	35iii		
iv	Section 44B	35iv		
v	Section 44BB	35v		
vi	Section 44BBA	35vi		
vii	Section 44DA	35 vii	(item 4 of Form 3CE)	
viii	First Schedule of Income-tax Act (other than 115B)	35viii		
ix	Total (35i to 35viii)	35 ix		
36	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34 + 35 ix)	36		
37	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rules 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) (37a+ 37b + 37c + 37d + 37e + 37f)	A37		

	a	Income chargeable under rule 7	37a		
	b	Deemed income chargeable under rule 7A	37b		
	c	Deemed income chargeable under rule 7B(1)	37c		
	d	Deemed income chargeable under rule 7B(1A)	37d		
	e	Deemed income chargeable under rule 8	37e		
	f	Income other than rules 7A, 7B and rule 8 (Item No. 36)	37f		
38		Balance of income deemed to be from agriculture, after applying rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-(37a+37b+37c+37d+37e)]		38	
B	Computation of income from speculative business				
39	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account			39	
40	Additions in accordance with section 28 to 44DB			40	
41	Deductions in accordance with section 28 to 44DB			41	
42	Income from speculative business (if loss, take the figure to 6xvi of schedule CFL)			B42	
C	Computation of income from specified business under section 35AD				
43	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account			43	
44	Additions in accordance with section 28 to 44DB			44	
45	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)			45	
46	Profit or loss from specified business 43+44-45)			46	
47	Deductions in accordance with section 35AD(1)			47	
48	Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7xv i of schedule CFL)			48	
49	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)			C49	
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B42+C48)				D
E	Intra-head set off of business loss of current year				
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A37)	
	ii	Income from speculative business	(B42)		
	iii	Income from specified business	(C48)		
	iv	Income from life insurance business under section 115B	(4b)		
	v	Total loss set off (ii + iii+iv)			
	v	Loss remaining after set off (i - v)			

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)				
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	Written down value on the first day of previous year				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realisation during the previous year out of 3 or 4				
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3+4 - 5) (enter 0, if result is negative)				
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative)				
	10	Depreciation on 6 at full rate				
	11	Depreciation on 9 at half rate				
	12	Additional depreciation, if any, on 4				
	13	Additional depreciation, if any, on 7				
	14	Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days				
	15	Total depreciation* (10+11+12+13+14)				
	16	Depreciation disallowed under section 38(2) (out of column 15)				
	17	Net aggregate depreciation (15-16)				
	18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
	19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
	20	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 - 3-4 -7 - 19) (enter negative only if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)					

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)							
DEP	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture fittings	and Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation* (10+11)							
	13	Depreciation disallowed under section 38(2) (out of column 12)							
	14	Net aggregate depreciation (12-13)							
	15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
	16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
	17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)								
Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)							
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery							
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM – 17i or 18i as applicable)	1a						
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 17ii or 18ii as applicable)	1b						
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM – 17iii or 18iii as applicable)	1c						
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM – 17iv or 18iv as applicable)							
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c +1d)	1d						

2	Building (not including land)			
a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a		
b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b		
c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c		
d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)		2d	
3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)		3	
4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)		4	
5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)		5	
6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)		6	

Schedule DCG Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

1	Plant and machinery			
a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM – 20i)	1a		
b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 20ii)	1b		
c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM – 20iii)	1c		
d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM – 20iv)			
e	Total (1a +1b + 1c + 1d)		1d	
2	Building (not including land)			
a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a		
b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
d	Total (2a + 2b + 2c)		2d	
3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)		3	
4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)		4	
5	Ships (Schedule DOA- 17vii)		5	
6	Total (1e+2d+3+4+5)		6	

Schedule ESR Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)

Sl No	Expenditure of the nature referred to in section	Amount, if any, debited to profit and loss account	Amount of deduction allowable	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) – (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			

vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
x	Total			
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.			

Schedule CG		Capital Gains		
A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)				
Short-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of capital gain)		
		Date of purchase/ acquisition	DD/MM/YYYY	
		Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY	
	a	i	Full value of consideration received/receivable	ai
		ii	Value of property as per stamp valuation authority	aii
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]	aiii
	b	Deductions under section 48		
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB	bi
		ii	Cost of acquisition without indexation	bii
		iii	Cost of Improvement without indexation	biii
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biv
		v	Total (bi + bii + biii+biv)	Bv
	c	Balance (aiii – bv)		1c
	d	Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)		1d
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)		A1e
f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)			
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	
			Percentage share	
			Amount	
			Address of property, Country code, ZIP code	
			Pin code	
			State	
	NOTE ►	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.		
2	From slump sale			
A	i	Fair market value as per rule 11UAE(2)	2ai	
	ii	Fair market value as per rule 11UAE(3)	2aii	
	iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)	2aiii	
B	Net worth of the under taking or division		2b	
C	Short-term capital gains from slump sale (2Aiii-2B)		A2c	
3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII)			
a	Full value of consideration		3a	
b	Deductions under section 48			
	i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi	
	ii	Cost of acquisition without indexation	Bii	
	iii	Cost of Improvement without indexation	Biii	
	iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biv	
	v	Total (i + ii + iii+iv)	bv	
c	Balance (3a – bv)		3c	
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		3d	
e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)		A3e	

4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)		
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid	A4a
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid	A4b
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD		
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic
		ii Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii
		iii Total (ic + ii)	aiii
	b	Deductions under section 48	
		i Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi
		ii Cost of acquisition without indexation	Bii
		iii Cost of improvement without indexation	Biii
		iv Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Biv
		v Total (i + ii + iii+iv)	Bv
	c	Balance (5aiii – bv)	5c
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)	5d
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)	A5e
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above		
	A	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic
		ii Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii
		iii Total (ic + ii)	aiii
	B	Deductions under section 48	
		i Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB	bi
		ii Cost of acquisition without indexation	Bii
		iii Cost of Improvement without indexation	Biii
		iv Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biv
		v Total (i + ii + iii+iv)	bv
	C	Balance (6aiii – bv)	6c
	D	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	6d
	E	Deemed Short-term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)	6e
	f	Deduction under section 54D/54G/54GA	6f
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)	A6g
7	Amount deemed to be Short-term capital gains		
a	Whether any amount of unutilised capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below		

	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilised in Capital gains account (X)					
				Year in which asset acquired/constructed	Amount 349 utilized out of Capital Gains account						
	i	2019-20	54D/54G/54GA								
	b	Amount deemed to be Short-term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'									
	c	Amount deemed to be Short-term capital gains as per section 45(4) read with section 9B of the Act							7c	Sl. NO. 4b of form 5c	
		Amount deemed to be Short-term capital gains (Xi + b+c)							A7		
	8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a+ A8b + A8c)							A8		
	a	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 15%					A8a				
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 30%					A8b				
	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable at applicable rates					A8c				
	9	Amount of STCG included in A1 – A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA									
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether obtained (Y/N)	TRC	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (6) or (9)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA							A9a		
	b	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA							A9b		
	10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a)							A10		
	B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 6, 7 & 8 are not applicable for residents)									
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)									
		Date of purchase/acquisition	DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY						
Long-term Capital Gains	a	i	Full value of consideration received/receivable				ai				
		ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii				
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii				
	b	Deductions under section 48									
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules				bi				
		ii	Cost of acquisition				bii				
		iii	Cost of acquisition with indexation				biia				
		iiib	Total cost of improvement with indexation				biib				
			(a) Cost of Improvement								
			(b) Year of Improvement								
			(c) Cost of Improvement with Indexation								
			Add Row								
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii				
		iv	Total (bi+bi+bii +biii)				biv				
		c	Balance (aiii – biv)				1c				
	d	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)				1d					
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)							B1e		
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)									
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, ZIP code	Pin code	State		

	NOTE ►	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.			
2	From slump sale				
a	i	Fair market value as per rule 11UAE(2)	2ai		
	ii	Fair market value as per rule 11UAE(3)	2aii		
	iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)	2aiii		
	b	Net worth of the under taking or division	2b		
	c	Balance (2aiii – 2b)	2c		
d	Deduction u/s 54EC		2d		
e	Long-term capital gains from slump sale (2c-2d)			B2e	
3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)				
a	Full value of consideration		3a		
b	Deductions under section 48				
i		Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB	bi		
	ii	Cost of acquisition without indexation	bii		
	iii	Cost of improvement without indexation	biii		
	iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Biv		
	v	Total (bi + bii +biii+biv)	bv		
c	LTCG on bonds or debenture – (3a-bv)			B3c	
4	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable				
a	Full value of consideration		4a		
b	Deductions under section 48				
i		Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB	bi		
	ii	Cost of acquisition without indexation	bii		
	iii	Cost of improvement without indexation	biii		
	iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Biiv		
	v	Total (bi + bii +biii+biv)	bv		
c	Long-Term Capital Gains on assets at B4 (4a – bv)			4c	
5	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A				
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5(Column 14 of schedule 112A)			B5	
6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)				
	LTCG computed without indexation benefit			B6	
7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD				
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares		aii	
	iii	Total (ic + ii)		aiii	
	b	Deductions under section 48			
	i		Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi	
		ii	Cost of acquisition without indexation	bii	
		iii	Cost of improvement without indexation	biii	
iv		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biiv		
v		Total (bi + bii +biii+biv)	bv		
c	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-bv)			B7c	
8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A				
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 (Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso)			B8	
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable				
a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			

			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia						
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib						
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic						
			ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii						
			iii	Total (ic + ii)	aiii						
			b	Deductions under section 48							
			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB	bi						
			ii	Cost of acquisition with indexation	bii						
			iii	Cost of improvement with indexation	biii						
			iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biiv						
			v	Total (bi + bii +biii+biv)	bv						
			c	Balance (aiii – bv)	9c						
			d	Deduction under section 54D//54G/54GA (Specify details in item D below)	9d						
			e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c- 9d)						B9c	
			10	Amount deemed to be long-term capital gains							
			a	Whether any amount of unutilised capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below							
	S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed	Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	Amount not used for new asset or remained unutilised in Capital Gains account (X)				
	i	2019-20	54D//54G/54GA								
			b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'							
			c	Amount deemed to be Long-term capital gains as per Section 45(4) read with Section 9B of the Act						10c	
				Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + b+c)						B10	
			11	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+11a2 + B11b)						B11	
			a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A	B11a1						
			a2	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than 112A	B11a2						
			b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 20%	B11b						
			12	Amount of LTCG included in items B1 to B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA							
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether obtained (Y/N)	TRC	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			a	Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA							B12a
			b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA							B12b
			13	Total Long-term capital gain] [B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8+ B9e+ B10+B11-12a]							B13
			C1	Sum of Capital Gain Incomes (9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii of table E below)							C1
			C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)							C2
			C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)							C3
			D	Information about deduction claimed against Capital Gains							
			I	In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details							
			a	Deduction claimed u/s 54D							
			i	Date of acquisition of original asset	ai	dd/mm/yyyy					
			ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking	aii						
			iii	Date of purchase of new land or building	aiii	dd/mm/yyyy					
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	aiv						
			v	Amount of deduction claimed	av						
			b	Deduction claimed u/s 54EC							
			i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy					
			ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	bii						
			iii	Date of investment	biii	dd/mm/yyyy					

	c	iv	Amount of deduction claimed	biv		
		Deduction claimed u/s 54G				
		i	Date of transfer of original asset	ci	dd/mm/yyyy	
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	cii		
		iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	ciii	dd/mm/yyyy	
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ			
	v	Amount of deduction claimed	cv			
	d	Deduction claimed u/s 54GA				
		i	Date of transfer of original asset from urban area	di	dd/mm/yyyy	
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	dii		
		iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	diii	dd/mm/yyyy	
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	ddiv		
	v	Amount of deduction claimed	dv			
	e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)				e
		E				

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B12a which is NOT chargeable under DTAA)

Sl.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short-term capital loss set off				Long-term capital loss set off			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8) remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →		(A3e*+ A4a*+ A8a*)	(A5e*+ A8b*)	(A1e*+ A2c*+A4b*+ A6g*+A7*+A8c*)	A9b	(B4c*+ B7c*+ B9e*+ B11a1*+B11a2*)	(B5*+ B8*+ B2e*+B3c*+ B6*+B9e*+ B10*+ B11b*)	B12b	
ii	Short-term capital gain	15%	(A3e*+ A4a*+ A8a*)							
iii	Short-term capital gain	30%	(A5e*+ A8b*)							
iv	Short-term capital gain	applicable rate	(A1e*+ A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)							
v	Short-term capital gain	DTAA rates				A9b				
vi	Long-term capital gain	10%	(B4c*+ B7c*+ B9e*+ B11a1*+B11a2*)							
vii	Long-term capital gain	20%	(B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+ B9e*+ B10*+ B11b*)							
viii	Long-term capital gain	DTAA rates				B12b				
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	Loss remaining after set off (i-ix)									

The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

F Information about accrual/receipt of capital gain

Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1 Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.					
2 Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.					
3 Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.					
4 Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.					
5 Long-term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.					
6 Long-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.					
7 Long-term capital gains taxable at the rate DTAA rates Enter value from item 5xii of schedule BFLA, if any.					

4																				
Add Rows																				
Total																				

Schedule VDA																					Income from transfer of virtual digital assets																				
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)																																			
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)																																			
Add Rows																																									
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. 3f of Schedule BP)																																			
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)																																			

Schedule OS																					Income from other sources																				
OTHER SOURCES	1 Gross Income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)																				1																				
	a	Dividends, Gross (ai + aii)														1a																									
		i	Dividend income other than (ii)										ai																												
		ii	Dividend income u/s 2(22)(e)										aii																												
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv)														1b																									
		i	From Savings Bank										bi																												
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)										bii																												
		iii	From Income-tax Refund										biii																												
		iv	In the nature of Pass through income/ loss										biv																												
		v											bv																												
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross														1c																									
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)														1d																									
		i	Aggregate value of sum of money received without consideration										di																												
		ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property										dii																												
		iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration										diii																												
		iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property										dii																												
		v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration										dvi																												
	e	Any other income (please specify nature)														1e																									
	Sl. No.	Nature															Amount																								
	1																																								
	2																																								
Rows can be added as required																																									

2	Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl. no. 1)				2	
	a	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB	2a			
	b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)	2b			
	i	(i) Cash credits u/s 68	bi			
	ii	(ii) Unexplained investments u/s 69	bii			
	iii	(iii) Unexplained money etc. u/s 69A	biii			
	iv	(iv) Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
	v	(v) Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
	vi	(vi) Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
	c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxix)	2c			
	i	Dividends received by non-resident (not being a company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)	ci			
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii			
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii			
	iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ			
	v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1)- chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@4%	cv			
	vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	cvi			
	vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	cvi			
	viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	cvi			
	ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B)	cix			
	x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx			
	xi	Income by way of dividend from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx			
	xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxii			
	xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	cxiii			
	xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	cxiv			

		xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	cxv									
		xvi	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	cxvi									
		xvii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG	cxvii									
		xviii	Investment Income of a Non-Resident Indian chargeable u/s 115E	cxviii									
		xix	115AB(1)(a) - Income in respect of units - offshore fund	cxix									
		xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxx									
		xxi	Income being dividend received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxxi									
		xxii	Income (other than dividend) received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxxii									
		d	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)									2d	
		e	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)									2e	
			Sl. No.	Amount income	Item No. 1a, 1b to 1d to No. 2a to 2d in which included	Country name and Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained if (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			I										
			II										
3			Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2c, 2d and 2e)										
			A Expenses / Deductions other than "C"					3a					
			B Depreciation (available only if income offered in 1c)					3b					
			C Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1a)					3c					
			Ci Eligible Interest expenditure u/s 57(i) – computed value					3ci					
			d Total					3d					
4			Amounts not deductible u/s 58									4	
5			Profits chargeable to tax u/s 59									5	
6			Net Income from other sources 1(after reducing income related to DTAA portion)-3+4+5 (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)									6	
7			Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)									7	
8			Income from the activity of owning race horses										
		a	Receipts					8a					
		b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only					8b					

	i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative)	→		(4 of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	House property		(4 of Schedule HP)				
	iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B, speculation income and income from specified business)		(A37 of Schedule BP)				
	iv	Income from life insurance business u/s 115B		(3iv of item E of Sch. BP)				
	v	Speculation income		(3ii of item E of Sch. BP)				
	vi	Specified business income u/s 35AD		(3iii of item E of Sch. BP)				
	vii	Short-term capital gain taxable @ 15%		(9ii of item E of Schedule CG)				
	viii	Short-term capital gain taxable @ 30%		(9iii of item E of Schedule CG)				
	ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates		(9iv of item E of Schedule CG)				
	x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA		(9v of item E of Schedule CG)				
	xi	Long-term capital gain taxable @ 10%		(9vi of item E of Schedule CG)				
	xii	Long-term capital gain taxable @ 20%		(9vii of item E of Schedule CG)				
	xiii	Long-term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA		(9viii of item E of Schedule CG)				
	xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates		(6 of Schedule OS)				
	xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses		(8e of Schedule OS)				
	xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA		(2e of Schedule OS)				
	xvii	Total loss set off						
	xviii	Loss remaining after set-off (i – xvii)						

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years					
Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off	
		1	2	3	4	5	
i	House property	(5ii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)				
ii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B, speculation income and income from specified business)	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)				
iii	Income from life insurance business u/s 115B	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)				
iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)				
v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)				
vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)				

vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Long-term capital gain taxable @ 20%	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Long-term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of Schedule CYLA)				
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of Schedule CYLA)				
xvi	Total of brought forward loss set off					
xvii	Current year's income remaining after set off Total of (5i + 5ii + 5iii+ 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x +5xi +5xii+ 5xiii + 5xiv+5xv)					

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business			Loss from speculative business	Loss from specified business	Loss from life insurance business u/s 115B	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
				Brought forward business loss	Amount as adjusted on account of opting for taxation under section 115BAD	Brought forward Business loss available for set off during the year						
1	2	3	4	5a	5b	5c=5a-5b	6	7	8	8	9	10
CARRY FORWARD OF LOSS	i	2010-11										
	ii	2011-12										
	iii	2012-13										
	iv	2013-14										
	v	2014-15										
	vi	2015-16										
	vii	2016-17										
	viii	2017-18										
	ix	2018-19										
	x	2019-20										
	xi	2020-21										
	xii	2021-22										
	xiii	2022-23										
xiv	Total of earlier year losses b/f											
xv	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2i of Schedule BFLA)		(2ii of Schedule BFLA)	(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)				(2xiii of Schedule BFLA)

xvi	2023-24 (Current year losses)		(2xvii of Schedule CYLA)		(3xvii of Schedule CYLA)	(B42 of Schedule BP, if -ve)	(C48 of Schedule BP, if -ve)	(A4b of Schedule BP, if -ve)	(2x+3x+4x+5x) of item E of Schedule CG)	(6x+7x+8x) of item E of Schedule CG)	(8e of Schedule OS, if -ve)
xvii	Current year loss distributed among the unit-holder (Applicable for Investment fund only)										
xviii	Current year losses to be carried forward (xvi-xvii)										
xix	Total loss Carried forward to future years (xiv-xv+xviii)										

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation under section 115BAD	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	3(a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv								
v	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit	
Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)	
(i)	(ii)	(iii)	
I	Accounting Policies		
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)		
III	Construction Contracts		
IV	Revenue Recognition		
V	Tangible Fixed Assets		
VI	Changes in Foreign Exchange Rates		
VII	Government Grants		
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)		
IX	Borrowing Costs		
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets		
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		

	(if positive)	
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)	

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA				
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone					
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services		Sl	Amount of deduction
	a	Undertaking No.1			a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)
	b	Undertaking No.2			b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)
c	Total deduction under section 10AA (a + b + c + d)		c			

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G					
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
ii							
iii	Total						
D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit						
	Name and address of donee	PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation		Eligible Amount of donation	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
iii	Total						
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)						

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development						
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
i								
ii								
	Total donation							

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]					
	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
i							
ii							
iii	Total						

Schedule 80-IA		Deductions under section 80-IA				
a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
		b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
c	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2)					c

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB				
a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir or Ladakh [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
b	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
c	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
e	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	e1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
		e2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)		
f	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to e2)					f

Schedule 80-IC or 80-IE		Deductions under section 80-IC or 80-IE						
DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim			a1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
					a2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh			b1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
					b2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal			c1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
					c1	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
	d	Deduction in respect of undertaking located in North-East						
	da	Assam	da1	Undertaking no. 1				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
			da2	Undertaking no. 2				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
	db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
			db2	Undertaking no. 2				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
	dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
			dc2	Undertaking no. 2				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
	dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
			dd2	Undertaking no. 2				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
	de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
			de2	Undertaking no. 2				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
	df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
			df2	Undertaking no. 2				(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)				
		dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)				
dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)			Dh				
e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)			E				

Schedule 80P		Deductions under section 80P		
		Nature of Business Code	Income	Amount eligible for deduction
1	Sec.80P(2)(a)(i) Banking/Credit Facilities to its members			
2	Sec.80P(2)(a)(ii) Cottage Industry			
3	Sec.80P(2)(a)(iii) Marketing of Agricultural produce grown by its members			
4	Sec.80P(2)(a)(iv) Purchase of Agricultural Implements, seeds, live-stocks or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying to its members.			
5	Sec.80P(2)(a)(v) Processing , without the aid of power, of the agricultural Produce of its members.			
6	Sec.80P(2)(a)(vi) Collective disposal of Labour of its members			
7	Sec.80P(2)(a)(vii) Fishing or allied activities for the purpose of supplying to its members.			
8	Sec.80P(2)(b)Primary cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members to Federal cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables/Government or local authority/Government Company / corporation established by or under a Central, State or Provincial Act			
9	Sec.80P(2)(c)(i)Consumer Cooperative Society Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)			
10	Sec.80P(2)(c)(ii)Other Cooperative Society engaged in activities Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)			

11	Sec.80P(2)(d)Interest/Dividend from Investment in other co-operative society			
12	Sec.80P(2)(e)Income from Letting of godowns/ warehouses for storage, processing / facilitating the marketing of commodities			
13	Sec.80P(2)(f)Others			
14	Total			

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A					
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments					
		a	80G		b	80GGA	
		c	80GGC				
		Total Deduction under Part B (a + b + c)				1	
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes					
		d	80-IA	(c of Schedule 80-IA)	e	80-IAB	
		f	80-IAC		g	80-IB	(f of Schedule 80-IB)
		h	80-IBA		i	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)
		j	80JJA		k	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA]
		l	80LA(1)	(9 of Annexure to Form 10CCF)	m	80LA(1A)	(9 of Annexure to Form 10CCF)
		n	80P				
		Total Deduction under Part C (total of d to n)				2	
	3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)				3	

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC					
TOTAL DEDUCTIONS	1	Total Income as per item 13 of PART-B-TI				1	
	2	Adjustment as per section 115JC(2)					
		a	Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"		2a		
		b	Deduction Claimed u/s 10AA		2b		
		c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed				
		d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)		2d		
	3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)				3	
		a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any				
		b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)				
	4	Tax payable under section 115JC(1) [(9% of (3a)+ 18.5% or 15% of (3b) as applicable)]/ (In the case of AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)				4	

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD				
1	Tax under section 115JC in assessment year 2023-24 (1d of Part-B-TTI)				1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2023-24 (2g of Part-B-TTI)				2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
	S.No	Assessment Year (AY)	AMT Credit		AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year	Balance AMT Credit Carried Forward
		(A)				

				(C)	(D)= (B3) –(C)	
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
i	2011-12					
ii	2012-13					
iii	2013-14					
iv	2014-15					
v	2015-16					
vi	2016-17					
vii	2017-18					
viii	2018-19					
ix	2019-20					
x	2020-21					
xi	2021-22					
xii	2022-23					
xiii	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)					
xiv	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]				5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6	

Schedule SI

SPECIAL RATE]	SI No	Section/Description	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income(i)	Tax thereon (ii)
	1	111A or section 115AD(1)(ii)- Proviso (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)		
3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)		
4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)		
5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)		
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)		
7	115AD (LTCG for FII on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)		
8	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(5xi of Schedule BFLA)		
9	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(5x of Schedule BFLA)		
10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of Schedule BFLA)		
11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xii of Schedule BFLA)		
12	115B (Profits and gains of life insurance business)	<input type="checkbox"/>	12.50	(5iii of Schedule BFLA)		
12a	115AC (Income by way of interest received by a non-resident from bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cx of Schedule OS)		

12b	115AC (Income by way of dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cxiof Schedule OS)
13	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2a of Schedule OS)
14	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)
15	115BBF (Income from patent)			
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3d of Schedule BP)
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2cxv of Schedule OS)
16	115BBG (Income from transfer of carbon credits)			
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(7e of Schedule BP)
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2cxvi of Schedule OS)
17	115BBH (Income from transfer of Virtual Digital Asset)			
	a. Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	30	3f of Schedule BP
	b. Income under head Capital Gain	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)
18	115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cviii of Schedule OS)
19	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2e of Schedule OS)
20	Pass Through Income in the nature of Short-term Capital Gain chargeable @ 15% u	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)
21	Pass Through Income in the nature of Short-term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)
22	Pass Through Income in the nature of Long-term Capital Gain chargeable @ 10%	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)
23	Pass Through Income in the nature of Long-term Capital Gain chargeable @ 10% - u/s other than 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5ix of Schedule BFLA)
24	Pass Through Income in the nature of Long-term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5xi of Schedule BFLA)
25	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	<input type="checkbox"/>		(2d of Schedule OS)
26	Any other income chargeable at special rate (Please choose from dropdown menu)	<input type="checkbox"/>		(part of 2c of Schedule OS)
	Total			

Schedule IF		Information regarding partnership firms in which you are partner						
FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner							
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit	Capital balance on 31 st March in the firm
	1						i	ii
	2							
	3							
4	Total							

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)			
EXEMPT INCOMES	1	Interest income			1
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i	
		ii	Expenditure incurred on agriculture	ii	
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	iii	
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 38 of Sch. BP)	iv	

	v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)		2					
	vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)							
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located							
	b	Measurement of agricultural land in Acre							
	c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
	d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
3	Other exempt income (please specify) (3a+3b)		3						
	a	Income u/s 10(23FB) or 10(23FBA) or 10 (23FC) or 10(23FCA) or 10(23FE) or 10(23FF) or 10(4D) (Please provide details of Acknowledgement Number and Date of Form Filed if 10(23FF) and 10(4D) is claimed) Add row option and drop down to be provided in utility for each section separately		3a					
	b	Any other Income (Specify nature) – Add row option with free text to enter the nature of income to be provided in utility		3b					
4	Income not chargeable to tax as per DTAA								
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether obtained (Y/N)	TRC	
	I								
	II								
	III	Total Income from DTAA not chargeable to tax						4	
5	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)				5				
6	Total (1+2+3+4+5)				6				

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB								
PASS THROUGH INCOME	Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PASS THROUGH INCOME	1.				i	House property				
					ii	Capital Gains				
					a	Short-term				
					ai	Section 111A				
					aii	Others				
					b	Long-term				
					bi	Section 112A				
					bii	Sections other than 112A				
					iii	Other Sources				
					a	Dividend				
					b	Others				
					iv	Income claimed to be exempt				
					a	u/s 10(23FBB)				
					b	u/s				

					c	u/s				
2.					i	House property				
					ii	Capital Gains				
					a	Short-term				
						ai	Section 111A			
						aii	Others			
					b	Long-term				
						bi	Section 112A			
					bii	Sections other than 112A				
					iii	Other Sources				
					a	Dividend				
						b	Others			
					iv	Income claimed to be exempt				
					a	u/s 10(23FBB)				
						b	u/s			
						c	u/s			

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule- TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on (a+b)					
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
	7	BSR Code						
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending on 31 st day of December, 2022												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time calendar year ending on 31 st day of December, 2022 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
NOTE Please refer to instructions for filling out this schedule.												

Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST			
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)

NOTE ▶ Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

PART-B

Part B - TI		Computation of total income				
TOTAL INCOME-ME	1	Income from house property (4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)		1		
	2	Profits and gains from business or profession				
		i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A37 of Schedule BP) (enter nil if loss)	2i		
		ii	Profits and gains from speculative business (3(ii) of table E of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2ii		
		iii	Profits and gains from specified business (3(iii) of table E of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2iii		
		iv	Income chargeable to tax at special rate (3d, 3e, 3f and 4b of Schedule BP)	2iv		
		v	Total (2i + 2ii + 2iii + 2iv) (enter nil, if loss and carry this figure of loss to Schedule CYLA)	2v		
	3	Capital gains				
		a	Short-term			
			i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai	
			ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii	
			iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	aiii	
			iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv	
			v	Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	av	
		b	Long-term			
			i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of Schedule CG)	bi	
			ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of Schedule CG)	bii	
			iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii	
			iv	Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	biv	
		c	Sum of Short-term / Long-term capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)		3c	
		d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)		3d	
		e	Total capital gains (3c + 3d)		3e	
	4	Income from other sources				
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a			
	b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b			
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c			
	d	Total (4a + 4b + 4c)	4d			

5	Total of head wise income (1 + 2v + 3e +4d)	5	
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule CYLA)	6	
7	Balance after set off of current year losses (5 – 6) (total of serial no (ii), (iii), (iv) to (xv) of column 5 of schedule CYLA + 4b + 2iv)	7	
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule BFLA)	8	
9	Gross Total income (7 – 8) (also total of serial no (i), (ii), (iv) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA + 4b + 2iii)	9	
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9	10	
11	Deductions under Chapter VI-A		
	a Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (i+ii+iii+iv+v+viii+xiii+xiv) of column 5 of BFLA]	11a	
	b Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A)]	11b	
	c Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]	11c	
12	Deduction u/s 10AA (Total of Sch. 10AA)	12	
13	Total income (9 - 11c - 12)	13	
14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)	14	
15	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)	15	
16	Aggregate income (13 – 14 + 15) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	16	
17	Losses of current year to be carried forward (total of xviii of Schedule CFL)	17	
18	Deemed total income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	18	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income					
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	A	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)		1a		
		B	Surcharge on (a) above (if applicable)		1b		
		C	Health and Education Cess @ 4% on 1a+1b above		1c		
		D	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)		1d		
	2	Tax payable on total income					
		A	Tax at normal rates on 16 of Part B-TI		2a		
		B	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)		2b		
		C	Rebate on agricultural income [applicable if (13-14) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]		2c		
		D	Tax Payable on total income (2a+2b -2c)		2d		
		E	Surcharge		Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief	
			i	25% of 12(ii) of Schedule SI	2ei	2g(ii)	ia
			ii	10% or 15 % as applicable (Refer instructions)	2eii		iaa
			iii	On [(2d) – [(12(ii) of Schedule SI – tax on Income referred in 2e(ii))]	2eiii		
			iv	Total (ia+iaa)			2eiv
		F	Health and Education Cess @ 4% on 2d+2eiv				2f
		g	Gross tax liability (2d + 2eiv + 2f)				2g
	3	Gross tax payable (higher of 1d or 2g)				3	
	4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2g is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)				4	
	5	Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)				5	
	6	Tax relief					

	a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	6a		
	b	Section 91(3 of Schedule TR)	6b		
	c	Total (6a + 6b)			6c
	7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero, if negative)			7
	8	Interest and fee payable			
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a		
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b		
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c		
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d		
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)			8e
9	Aggregate liability (7 + 8e)			9	
TAXES PAID AND BANK DETAILS	10	Taxes Paid			
	a	Advance Tax (from column 5 of 115A)	10a		
	b	TDS (total of column 9 of 15B)	10b		
	c	TCS (total of column 7 of 15C)	10c		
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)	10d		
	e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)			10e
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)			11	
12	Refund (If 10e is greater than 9) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)			12	
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)	Select Yes or No		
	(a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/>)
	I				
	II				
	Note: 1) All bank accounts held at any time is to be reported, except dormant A/c. 2) Minimum one account should be selected for refund credit Rows can be added as required				
	(b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:				
	Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN
	Rows can be added as required				
14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

15 TAX PAYMENTS									
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax									
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
	i								
	ii								
	iii								
NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI									

B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form No. 16 A issued or Form No. 16B/16C/16D furnished by Deductor(s)]															
SI No	TDS credit relating to self /other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2022-23)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt/ withdrawals offered		TDS credit being carried forward		
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)		
							Income	TDS			Income	TDS	PAN/ Aadhaar No.		
I															
NOTE ▶ Please enter total of column 9 in 10b of Part B-TTI															

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form No. 27D issued by the Collector(s)]												
SI No	TCS credit relating to self /other person [other person as per rule 37I(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (Tax collected during FY 2022-23)		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward		
				Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of any other person as per rule 37I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37I(1) (if applicable)			
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	(6)(i)	(6)(ii)	(7)(i)	7(ii)	(8)		
										TCS	PAN/ Aadhaar No.	
TCS ON INCOME												
i												
ii												
NOTE ▶ Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI												

VERIFICATION

I, _____ (full name in block letters), son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction)

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Date	Place		Sign here →
------	-------	--	-------------

FORM No.	ITR-6	INDIAN INCOME TAX RETURN [For Companies other than companies claiming exemption under section 11] (See rule 12) (Please refer instructions)	Assessment Year			
			2	0	23	- 24

Part A-GEN		GENERAL		
PERSONAL INFORMATION	(A1) Name		(A2) PAN	
	(A3) Is there any change in the company's name? If yes, please furnish the old name		(A4) Corporate Identity Number (CIN) issued by MCA	
	(A8) Flat/Door/Block No	(A9) Name of Premises/Building/Village	(A5) Date of incorporation (DD/MM/YYYY)	(A6) Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)
	(A10) Road/Street/Post Office	(A11) Area/Locality	(A7) Type of company (Tick any one) <input checked="" type="checkbox"/>	
	(A12) Town/City/District	(A13) State	(A14) Pin code/Zip code	If a public company write 6, and if private company write 7 (as defined in section 3 of The Companies Act)
		(A15) Country		
	(A16) Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1	(A17) Mobile No. 2	(A18) E-mail Address-1	
	E-mail Address-2			
	FILING STATUS	(A19) (i) Filed u/s (Tick)[Please see instruction]	<input type="checkbox"/> 139(1)- On or Before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)- After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)- Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay, <input type="checkbox"/> 170A- After order by the tribunal or court	
		(ii) Or filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, 153C	
(b) If revised/ defective/Modified, then enter Receipt No and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)		____/____/____		
(c) If filed, in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b) or order referred to in section 170A , enter Unique Number /Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement		/ /		
(d) Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident				
(e) Have you opted for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB ? (drop down to be provided in e-filing utility) (applicable on Domestic Company) If yes, please furnish the AY in which said option is exercised for the first time along with date of filing of relevant form (10-IB/ 10-IC/ 10-ID) & acknowledgment number. If no, whether you are choosing to opt for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB this year? (drop down to be provided in e-filing utility) Please provide the date of filing of relevant form (10-IB/10-IC/10-ID) & acknowledgment number.				
(f) Whether total turnover/ gross receipts in the previous year 2020-2021 exceeds 400 crore rupees? (Yes/No) (applicable for Domestic Company)				
(g) Whether assessee is a resident of a country or specified territory with which India has an agreement referred to in sec 90 (1) or Central Government has adopted any agreement under sec 90A(1)?				
(h) In the case of non-resident, is there a Permanent Establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				

	(i)	In the case of non-resident, is there a Significant Economic Presence (SEP) in India (Tick) <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No please provide details of (a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i); (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i).		
	(j)	Whether assessee is required to seek registration under any law for the time being in force relating to companies? If yes, please provide details.		
AUDIT INFORMATION		Act under which registration required		
		Date of Registration	(DD/MM/YYYY)	Registration Number
	(k)	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	(l)	Whether assessee has a unit located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	(m)	Whether the assessee company is under liquidation (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	(n)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.		
	(o)	Whether the company is a producer company as defined in Sec.581A of Companies Act, 1956? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	(p)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -		
		(1)	Name of the representative assessee	
		(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)	
		(3)	Address of the representative assessee	
		(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee	
	(q)	Whether you are recognised as start up by DPIIT		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
		1	If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT	
		2	Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	3	If yes provide the certification number		
	4	Whether declaration in Form-2 in accordance with para 5 of DPIIT notification dated 19/02/2019 has been filed before filing of the return?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	5	If yes, provide date of filing Form-2		
(a1)	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
(a2)	Whether assessee is declaring income only under section 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA/ 44BBB/44D? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
(a2i)	If No, Whether during the year total sales/turnover/gross receipts of business is between 1 Crore Rupees but does not exceed 10 Crore Rupees? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, turnover does not exceed 1 crore <input type="checkbox"/> No, turnover exceeds 10 crores			
(a2ii)	If (a2i) is Yes, whether aggregate of all amounts received, including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account such as capital contribution, loans etc. during the previous year, in cash & non-a/c payee cheque/DD, does not exceed five per cent of said amount? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
(a2iii)	If (a2i) is Yes, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loan etc., in cash & non-a/c payee cheque/DD, during the previous year does not exceed five per cent of the said payment (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
(b)	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (Note to Systems: For cases where a2i exceeds INR 10 crores, this should be an automatic Yes.)			
(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information below			

	(1)	Mention the date of furnishing of audit report (DD/MM/YYYY)			
	(2)	Name of the auditor signing the tax audit report			
	(3)	Membership No. of the auditor			
	(4)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)			
	(5)	Proprietorship/firm registration number			
	(6)	Permanent Account Number (PAN/Aadhaar No.) of the auditor (proprietorship/ firm)			
	(7)	Date of audit report			
(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
(dii)	If (di) is Yes, whether the accounts have been audited u/s. 92E?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY		
(diii)	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under:) (Please see Instruction 5)				
	Sl. No.	Section Code	Date (DD/MM/YYYY)		
(e)	Mention the <u>Act, section</u> and date of furnishing the audit report under any Act other than the Income-tax Act				
	Act and section	(DD/MM/YY)	Act and section	(DD/MM/YY)	
HOLDING STATUS	(a)	Nature of company (select 1 if holding company, select 2 if a subsidiary company, select 3 if both, select 4 if any other)			
	(b)	If subsidiary company, mention the details of the Holding Company			
		PAN	Name of Holding Company	Address of Holding Company	Percentage of Shares held
	(c)	If holding company, mention the details of the subsidiary companies			
	PAN	Name of Subsidiary Company	Address of Subsidiary Company	Percentage of Shares held	
BUSINESS ORGANISATION	(a)	In case of amalgamating company, mention the details of amalgamated company			
		PAN	Name of Amalgamated Company	Address of Amalgamated Company	Date of Amalgamation
	(b)	In case of amalgamated company, mention the details of amalgamating company			
		PAN	Name of Amalgamating Company	Address of Amalgamating Company	Date of Amalgamation
	(c)	In case of demerged company, mention the details of resulting company			
		PAN	Name of Resulting Company	Address of Resulting Company	Date of Demerger
(d)	In case of resulting company, mention the details of demerged company				

	PAN	Name of Demerged Company	Address of Demerged Company		Date of Demerger	
KEY PERSONS	Particulars of Managing Director, Directors, Secretary and Principal officer(s) who have held the office during the previous year and the details of eligible person who is verifying the return.					
	S.No.	Name	Designation	Residential Address	PAN/Aadhaar No.	Director Identification Number (DIN) issued by MCA, in case of Director
SHAREHOLDERS INFORMATION	Particulars of persons who were beneficial owners of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year					
	S.No.	Name and Address		Percentage of shares held	PAN (if allotted)	
OWNERSHIP INFORMATION	In case of unlisted company, particulars of natural persons who were the ultimate beneficial owners, directly or indirectly, of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year					
	S.No.	Name	Address	Percentage of shares held	PAN/Aadhaar No. (if allotted)	
	In case of Foreign company, please furnish the details of immediate parent company.					
	S.No	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted)	Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence
	In case of foreign company, please furnish the details of ultimate parent company					
S.No	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted)	Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence	
NATURE OF COMPANY AND ITS BUSINESS	Nature of company				(Tick) <input checked="" type="checkbox"/>	
	1	Whether a public sector company as defined in section 2(36A) of the Income-tax Act			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	2	Whether a company owned by the Reserve Bank of India			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	3	Whether a company in which not less than forty percent of the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that Bank			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	4	Whether a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act,1949			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	5	Whether a scheduled Bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

6	Whether a company registered with Insurance Regulatory and Development Authority (established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999)	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
7	Whether a company being a non-banking Financial Institution	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
8	Whether the company is unlisted? If yes, please ensure to fill up the Schedule SH-1 and Schedule AL-1	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under section 44AE)			
S.No.	Code [Please see instruction No.7(i)]	Description	
(i)			
(ii)			
(iii)			

Part A-BS		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2023 OR AS ON THE DATE OF AMALGAMATION				
EQUITY AND LIABILITIES	I	Equity and Liabilities				
	1	Shareholder's fund				
		A	Share capital			
			i	Authorised	Ai	
			ii	Issued, Subscribed and fully Paid up	Aii	
			iii	Subscribed but not fully paid	Aiii	
			iv	Total (Aii + Aiii)	Aiv	
			B	Reserves and Surplus		
			i	Capital Reserve	Bi	
			ii	Capital Redemption Reserve	Bii	
			iii	Securities Premium Reserve	Biii	
			iv	Debenture Redemption Reserve	Biv	
			v	Revaluation Reserve	Bv	
			vi	Share options outstanding amount	Bvi	
			vii	Other reserve (specify nature and amount)		
			a		viia	
			b		viib	
			c	Total (viia + viib)	Bvii	
			viii	Surplus i.e. Balance in profit and loss account (Debit balance to be shown as -ve figure)	Bviii	
			ix	Total (Bi + Bii + Biii + Biv + Bv + Bvi + Bvii + Bviii) (Debit balance to be shown as -ve figure)	Bix	
		C	Money received against share warrants	1C		
		D	Total Shareholder's fund (Aiv + Bix + 1C)	1D		
	2	Share application money pending allotment				
		i	Pending for less than one year	i		
		ii	Pending for more than one year	ii		
		iii	Total (i + ii)	2		
	3	Non-current liabilities				
		A	Long-term borrowings			
		i	Bonds/ debentures			
		a	Foreign currency	ia		

	b	Rupee	ib		
	c	Total (ia + ib)			ic
ii	Term loans				
	a	Foreign currency	ia		
	b	Rupee loans			
	1	From Banks	b1		
	2	From others	b2		
	3	Total (b1 + b2)	b3		
	c	Total Term loans (ia + b3)			iic
iii	Deferred payment liabilities				iii
iv	Deposits from related parties (<i>see instructions</i>)				iv
v	Other deposits				v
vi	Loans and advances from related parties (<i>see instructions</i>)				vi
vii	Other loans and advances				vii
viii	Long-term maturities of finance lease obligations				viii
ix	Total Long-term borrowings (ic + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)				3A
B	Deferred tax liabilities (net)				3B
C	Other long-term liabilities				
	i	Trade payables	i		
	ii	Others	ii		
	iii	Total Other long-term liabilities (i + ii)			3C
D	Long-term provisions				
	i	Provision for employee benefits	i		
	ii	Others	ii		
	iii	Total (i + ii)			3D
E	Total Non-current liabilities (3A + 3B + 3C + 3D)				3E
4	Current liabilities				
A	Short-term borrowings				
	i	Loans repayable on demand			
	a	From Banks	ia		
	b	From Non-Banking Finance Companies	ib		
	c	From other financial institutions	ic		
	d	From others	id		
	e	Total Loans repayable on demand (ia + ib + ic + id)			ie
ii	Deposits from related parties (<i>see instructions</i>)				ii
iii	Loans and advances from related parties (<i>see instructions</i>)				iii
iv	Other loans and advances				iv
v	Other deposits				v
vi	Total Short-term borrowings (ie + ii + iii + iv + v)				4A
B	Trade payables				
	i	Outstanding for more than 1 year	i		
	ii	Others	ii		
	iii	Total Trade payables (i + ii)			4B
C	Other current liabilities				

	i	Current maturities of long-term debt	i		
	ii	Current maturities of finance lease obligations	ii		
	iii	Interest accrued but not due on borrowings	iii		
	iv	Interest accrued and due on borrowings	iv		
	v	Income received in advance	v		
	vi	Unpaid dividends	vi		
	vii	Application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued	vii		
	viii	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	viii		
	ix	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	ix		
	x	Other payables	x		
	xi	Total Other current liabilities (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)		4C	
	D	Short-term provisions			
	i	Provision for employee benefit	i		
	ii	Provision for Income-tax	ii		
	iii	Proposed Dividend	iii		
	iv	Tax on dividend	iv		
	v	Other	v		
	vi	Total Short-term provisions (i + ii + iii + iv + v)		4D	
	E	Total Current liabilities (4A + 4B + 4C + 4D)		4E	
		Total Equity and liabilities (1D + 2 + 3E + 4E)		I	
II		ASSETS			
	1	Non-current assets			
	A	Fixed assets			
	i	Tangible assets			
	a	Gross block	ia		
	b	Depreciation	ib		
	c	Impairment losses	ic		
	d	Net block (ia - ib - ic)	id		
	ii	Intangible assets			
	a	Gross block	iiia		
	b	Amortization	iiib		
	c	Impairment losses	iiic		
	d	Net block (iiia - iiib - iiic)	iiid		
	iii	Capital work-in-progress	iii		
	iv	Intangible assets under development	iv		
	v	Total Fixed assets (id + iiid + iii + iv)		Av	
	B	Non-current investments			
	i	Investment in property	i		
	ii	Investments in Equity instruments			
	a	Listed equities	iiia		
	b	Unlisted equities	iiib		

	c	Total (iia + iib)	iic		
	iii	Investments in Preference shares	iii		
	iv	Investments in Government or trust securities	iv		
	v	Investments in Debenture or bonds	v		
	vi	Investments in Mutual funds	vi		
	vii	Investments in Partnership firms	vii		
	viii	Others Investments	viii		
	ix	Total Non-current investments (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)			Bix
C		Deferred tax assets (Net)			C
D		Long-term loans and advances			
	i	Capital advances	i		
	ii	Security deposits	ii		
	iii	Loans and advances to related parties (<i>see instructions</i>)	iii		
	iv	Other Loans and advances	iv		
	v	Total Long-term loans and advances (i + ii + iii + iv)			Dv
	vi	Long-term loans and advances included in Dv which is			
	a	for the purpose of business or profession	via		
	b	not for the purpose of business or profession	vib		
	c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vic		
E		Other non-current assets			
	i	Long-term trade receivables			
	a	Secured, considered good	ia		
	b	Unsecured, considered good	ib		
	c	Doubtful	ic		
	d	Total Other non-current assets (ia + ib + ic)	id		
	ii	Others	ii		
	iii	Total (id + ii)			Eiii
	iv	Non-current assets included in Eiii which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e)	iv		
F		Total Non-current assets (Av + Bix + C + Dv + Eiii)			IF
2		Current assets			
A		Current investments			
	i	Investment in Equity instruments			
	a	Listed equities	ia		
	b	Unlisted equities	ib		
	c	Total (ia + ib)	ic		
	ii	Investment in Preference shares	ii		
	iii	Investment in government or trust securities	iii		
	iv	Investment in debentures or bonds	iv		
	v	Investment in Mutual funds	v		
	vi	Investment in partnership firms	vi		

	vii	Other investment	vii			
	viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			Aviii	
B	Inventories					
	i	Raw materials	i			
	ii	Work-in-progress	ii			
	iii	Finished goods	iii			
	iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv			
	v	Stores and spares	v			
	vi	Loose tools	vi			
	vii	Others	vii			
	viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			Bviii	
C	Trade receivables					
	i	Outstanding for more than 6 months	i			
	ii	Others	ii			
	iii	Total Trade receivables (i + ii + iii)			Ciii	
D	Cash and cash equivalents					
	i	Balances with Banks	i			
	ii	Cheques, drafts in hand	ii			
	iii	Cash in hand	iii			
	iv	Others	iv			
	v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)			Dv	
E	Short-term loans and advances					
	i	Loans and advances to related parties (see instructions)	i			
	ii	Others	ii			
	iii	Total Short-term loans and advances (i + ii)			Eiii	
	iv	Short-term loans and advances included in Eiii which is				
	a	for the purpose of business or profession	iva			
	b	not for the purpose of business or profession	ivb			
	c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e)	ivc			
F	Other current assets				F	
G	Total Current assets (Aviii + Bviii + Ciii + Dv + Eiii + F)				2G	
Total Assets (1F + 2G)					II	

Part A-BS – Ind AS

BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2023 OR AS ON THE DATE OF BUSINESS COMBINATION [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

I	Equity and Liabilities				
I	Equity				
A	Equity share capital				
	i	Authorised	Ai		
	ii	Issued, Subscribed and fully paid up	Aii		
	iii	Subscribed but not fully paid	Aiii		
	iv	Total (Aii + Aiii)		Aiv	

B	Other Equity				
i	Other Reserves				
	a	Capital Redemption Reserve	ia		
	b	Debenture Redemption Reserve	ib		
	c	Share Options Outstanding account	ic		
	d	Other (specify nature and amount)	id		
	e	Total other reserves (ia + ib + ic + id)	ie		
	ii	Retained earnings (Debit balance of statement of P&L to be shown as -ve figure)	ii		
	iii	Total (Bie + ii) (Debit balance to be shown as -ve figure)		Biii	
C	Total Equity (Aiv + Biii)			1C	
2	Liabilities				
A	Non-current liabilities				
I	Financial Liabilities				
	Borrowings				
	a	Bonds or debentures			
	1	Foreign currency	a1		
	2	Rupee	a2		
	3	Total (1 + 2)		a3	
	b	Term loans			
	1	Foreign currency	b1		
	2	Rupee loans			
		i	From Banks	i	
		ii	From other parties	ii	
		iii	Total (i + ii)	b2	
	3	Total Term loans (b1 + b2)		b3	
	c	Deferred payment liabilities		c	
	d	Deposits		d	
	e	Loans from related parties (see instructions)		e	
	f	Long-term maturities of finance lease obligations		f	
	g	Liability component of compound financial instruments		g	
	h	Other loans		h	
	i	Total borrowings (a3 + b3 + c + d + e + f + g + h)		i	
	j	Trade Payables		j	
	k	Other financial liabilities (Other than those specified in II under provisions)		k	
II	Provisions				
	a	Provision for employee benefits	a		
	b	Others (specify nature)	b		
	c	Total Provisions		IIc	
III	Deferred tax liabilities (net)			III	
IV	Other non-current liabilities				
	a	Advances		a	
	b	Others (specify nature)		b	
	c	Total Other non-current liabilities		IVc	
	Total Non-Current Liabilities (Ii + Ij + Ik + IIc + III + IVc)			2A	

B	Current liabilities			
I	Financial Liabilities			
i	Borrowings			
a	Loans repayable on demand			
	1	From Banks	1	
	2	From Other parties	2	
	3	Total Loans repayable on demand (1 + 2)	3	
b	Loans from related parties			b
c	Deposits			c
d	Other loans (specify nature)			d
	Total Borrowings (a3 + b + c + d)			Ii
ii	Trade payables			Iii
iii	Other financial liabilities			
a	Current maturities of long-term debt		a	
b	Current maturities of finance lease obligations		b	
c	Interest accrued		c	
d	Unpaid dividends		d	
e	Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon		e	
f	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon		f	
g	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon		g	
h	Others (specify nature)		h	
i	Total Other financial liabilities (a + b +c +d +e +f +g+ h)			Iiii
iv	Total Financial Liabilities (Ii + Iii + Iiii)			Iiv
II	Other Current liabilities			
a	Revenue received in advance		a	
b	Other advances (specify nature)		b	
c	Others (specify nature)		c	
d	Total Other current liabilities (a + b+ c)			IId
III	Provisions			
a	Provision for employee benefits		a	
b	Others (specify nature)		b	
c	Total provisions (a + b)			IIIc
IV	Current Tax Liabilities (Net)			IV
	Total Current liabilities (Iiv + IId + IIIc+ IV)			2B
	Total Equity and liabilities (1C + 2A +2B)			I
II	ASSETS			
I	Non-current assets			
A	Property, Plant and Equipment			
a	Gross block		a	
b	Depreciation		b	
c	Impairment losses		c	
d	Net block (a – b - c)			Ad

B	Capital work-in-progress			B	
C	Investment Property				
	a	Gross block	a		
	b	Depreciation	b		
	c	Impairment losses	c		
	d	Net block (a – b - c)		Cd	
D	Goodwill				
	a	Gross block	a		
	b	Impairment losses	b		
	c	Net block (a – b)		Dc	
E	Other Intangible Assets				
	a	Gross block	a		
	b	Amortisation	b		
	c	Impairment losses	c		
	d	Net block (a – b - c)		Ed	
F	Intangible assets under development			F	
G	Biological assets other than bearer plants				
	a	Gross block	a		
	b	Impairment losses	b		
	c	Net block (a – b)		Gc	
H	Financial Assets				
I	Investments				
	i	Investments in Equity instruments			
	a	Listed equities	ia		
	b	Unlisted equities	ib		
	c	Total (ia + ib)		ic	
	ii	Investments in Preference shares			
	iii	Investments in Government or trust securities			
	iv	Investments in Debenture or bonds			
	v	Investments in Mutual funds			
	vi	Investments in Partnership firms			
	vii	Others Investments (specify nature)			
	viii	Total non-current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)		HI	
II	Trade Receivables				
	a	Secured, considered good	a		
	b	Unsecured, considered good	b		
	c	Doubtful	c		
	d	Total Trade receivables		HII	
III	Loans				
	i	Security deposits	i		
	ii	Loans to related parties (see instructions)	ii		
	iii	Other loans (specify nature)	iii		
	iv	Total Loans (i + ii + iii)		HIII	

		v	Loans included in HIII above which is-			
		a	for the purpose of business or profession	va		
		b	not for the purpose of business or profession	vb		
		c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e)	vc		
		IV	Other Financial Assets			
		i	Bank Deposits with more than 12 months maturity	i		
		ii	Others	ii		
		iii	Total of Other Financial Assets (i + ii)			HIV
		I	Deferred Tax Assets (Net)			I
		J	Other non-current Assets			
		i	Capital Advances	i		
		ii	Advances other than capital advances	ii		
		iii	Others (specify nature)	iii		
		iv	Total non-current assets (i + ii + iii)			J
		v	Non-current assets included in J above which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e)	v		
			Total non-current assets (Ad + B + Cd + Dc + Ed + F + Gc + HI + HII + HIII + HIII + HIV + I + J)			I
2			Current assets			
		A	Inventories			
		i	Raw materials	i		
		ii	Work-in-progress	ii		
		iii	Finished goods	iii		
		iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv		
		v	Stores and spares	v		
		vi	Loose tools	vi		
		vii	Others	vii		
		viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2A
		B	Financial Assets			
		I	Investments			
		i	Investment in Equity instruments			
		a	Listed equities	ia		
		b	Unlisted equities	ib		
		c	Total (ia + ib)	ic		
		ii	Investment in Preference shares	ii		
		iii	Investment in government or trust securities	iii		
		iv	Investment in debentures or bonds	iv		
		v	Investment in Mutual funds	v		
		vi	Investment in partnership firms	vi		
		vii	Other Investments	vii		
		viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I
		II	Trade receivables			

	i	Secured, considered good	i		
	ii	Unsecured, considered good	ii		
	iii	Doubtful	iii		
	iv	Total Trade receivables (i + ii + iii)			II
	III	Cash and cash equivalents			
	i	Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents)	i		
	ii	Cheques, drafts in hand	ii		
	iii	Cash on hand	iii		
	iv	Others (specify nature)	iv		
	v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)			III
	IV	Bank Balances other than III above			IV
	V	Loans			
	i	Security Deposits	i		
	ii	Loans to related parties (<i>see instructions</i>)	ii		
	iii	Others (specify nature)	iii		
	iv	Total loans (i + ii + iii)			V
	v	Loans and advances included in V above which is-			
	a	for the purpose of business or profession	va		
	b	not for the purpose of business or profession	vb		
	c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e)	vc		
	VI	Other Financial Assets			VI
		Total Financial Assets (I + II + III + IV + V + VI)			2B
	C	Current Tax Assets (Net)			2C
	D	Other current assets			
	i	Advances other than capital advances	i		
	ii	Others (specify nature)	ii		
	iii	Total			2D
		Total Current assets (2A + 2B + 2C + 2D)			2
		Total Assets (1 + 2)			II

Part A- Manufacturing Account		Manufacturing Account for the financial year 2022-23 (<i>fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable</i>)			
1	Debits to Manufacturing account				
A	Opening Inventory				
	i	Opening stock of raw-material	i		
	ii	Opening stock of Work in progress	ii		
	iii	Total (i + ii)			Aiii
B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				B
C	Direct wages				C
D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)				D

	i	Carriage inward	i		
	ii	Power and fuel	ii		
	iii	Other direct expenses	iii		
E	Factory Overheads				
	i	Indirect wages	i		
	ii	Factory rent and rates	ii		
	iii	Factory Insurance	iii		
	iv	Factory fuel and power	iv		
	v	Factory general expenses	v		
	vi	Depreciation of factory machinery	vi		
	vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			Evii
F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)				1F
2	Closing Stock				
	i	Raw material	2i		
	ii	Work-in-progress	2ii		
	Total (2i + 2ii)				2
3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)				3

Part A- Trading Account **Trading Account for the financial year 2022-23** (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations			
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
		i	Sale of goods	i	
		ii	Sale of services	ii	
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)		
		a		iiia	
		b		iiib	
		c	Total (iiia + iiib)	iiic	
		iv	Total (i + ii + iiic)		Aiv
	B	Gross receipts from Profession			B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
		i	Union Excise duties	i	
		ii	Service tax	ii	
		iii	VAT/ Sales tax	iii	
		iv	Central Goods and Service Tax (CGST)	iv	
		v	State Goods and Services Tax (SGST)	v	
		vi	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	vi	
		vii	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	vii	
		viii	Any other duty, tax and cess	viii	
	ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		Cix	

	D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)		4D		
5	Closing Stock of Finished Goods		5			
6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)		6			
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods		7		
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)		8		
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)		9		
		i	Carriage inward	i		
		ii	Power and fuel	ii		
		iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii		
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
		i	Custom duty	10i		
		ii	Counter veiling duty	10ii		
		iii	Special additional duty	10iii		
		iv	Union excise duty	10iv		
		v	Service tax	10v		
		vi	VAT/ Sales tax	10vi		
		vii	Central Goods and Service Tax (CGST)	10vii		
		viii	State Goods and Services Tax (SGST)	10viii		
		ix	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	10ix		
		x	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	10x		
	xi	Any other tax, paid or payable	10xi			
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii			
11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account		11			
12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)		12			
12a	Turnover from Intraday Trading		12a			
12b	Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account		12b			

Part A- P and L

Profit and Loss Account for the financial year 2022-23 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b)		13		
	14	Other income				
		i	Rent	i		
		ii	Commission	ii		
		iii	Dividend income	iii		
		iv	Interest income	iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	v		
	vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi			

	vii	Profit on sale of other investment	vii				
	viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii				
	ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via)	ix				
		(Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)					
	x	Agricultural income	x				
	xi	Any other income (<i>specify nature and amount</i>)					
		A	Total (xia + xib)	xia			
		B		xib			
		C		xic			
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)		14xii			
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)		15			
	DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	16	Freight outward			16	
		17	Consumption of stores and spare parts			17	
		18	Power and fuel			18	
		19	Rents			19	
20		Repairs to building		20			
21		Repairs to machinery		21			
22		Compensation to employees					
i		Salaries and wages	22i				
		ii	Bonus	22ii			
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii			
		iv	Leave encashment	22iv			
		v	Leave travel benefits	22v			
		vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi			
		vii	Contribution to recognised provident fund	22vii			
		viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii			
		ix	Contribution to any other fund	22ix			
		x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x			
xi		Total compensation to employees (total of 22i to 22x)		22xi			
xii		Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xii	Yes / No			
xiii		If Yes, amount paid to non-residents	xiii				
23		Insurance					
i		Medical Insurance	23i				
	ii	Life Insurance	23ii				
	iii	Keyman's Insurance	23iii				
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv				
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v			
24	Workmen and staff welfare expenses		24				

25	Entertainment			25	
26	Hospitality			26	
27	Conference			27	
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)			28	
29	Advertisement			29	
30	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		30iii	
31	Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging			33	
34	Traveling expenses other than on foreign traveling			34	
35	Foreign travelling expenses			35	
36	Conveyance expenses			36	
37	Telephone expenses			37	
38	Guest House expenses			38	
39	Club expenses			39	
40	Festival celebration expenses			40	
41	Scholarship			41	
42	Gift			42	
43	Donation			43	
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		
	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods and Service Tax (CGST)	44v		
	vi	State Goods and Services Tax (SGST)	44vi		
	vii	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	44vii		
	viii	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix		

	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)										44x	
	45	Audit fee										45	
	46	Other expenses (specify nature and amount)											
	i											i	
	ii											ii	
	iii	Total (i + ii)										46iii	
	47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)											
	(i1)											47i(1)	
	(i2)											47ii(2)	
	(i3)											47i(3)	
		(Rows can be added as required) Total										47i	
		[47i(1)+47i(2)+47i(3)]											
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)										47ii	
	S.No.	Name	Flat Door/Block No	Name of Premises/Building/Village	Road/Street/Post Office	Area/Locality	Town/City/District	State	Country	PIN Code	ZIP Code	Amount	
	I												
		Rows can be added as required											
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)										47iii	
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)										47iv	
	48	Provision for bad and doubtful debts										48	
	49	Other provisions										49	
	50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]										50	
	51	Interest											
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident, other than a company or a foreign company										i	
	ii	To others										ii	
	iii	Total (i + ii)										51iii	
	52	Depreciation and amortization										52	
	53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)										53	
PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	54	Provision for current tax										54	
	55	Provision for Deferred Tax										55	
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)										56	
	57	Balance brought forward from previous year										57	
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)										58	
	59	Appropriations											
		i	Transfer to reserves and surplus										59i
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend										59ii	
	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years										59iii	

	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)			59iv			
	v	Any other appropriation			59v			
	vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)			59vi			
60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)						60	
61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE							
	SR. NO.	Name of Business		Business code	Description			
		Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher		
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	(a)							
	(b)							
		Total						
	Add row options as necessary (Please Note : At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)							
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 61(i)]				61(ii)		
	<i>NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB</i>							
NO ACCOUNT CASE	62	In case of Foreign Company whose total income comprises solely of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB or 44D furnish the following information						
	a	Gross receipts / Turnover					62a	
	b	Net profit					62b	

Part A- Manufacturing Account Ind- AS	Manufacturing Account for the financial year 2022-23 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]							
	1	Debits to Manufacturing account						
	A	Opening Inventory						
		i	Opening stock of raw-material	i				
		ii	Opening stock of Work in progress	ii				
		iii	Total (i + ii)			Aiii		
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)					B	
	C	Direct wages					C	
	D	Direct expenses					D	

	i	Carriage inward	i		
	ii	Power and fuel	ii		
	iii	Other direct expenses	iii		
E	Factory Overheads				
	i	Indirect wages			
	ii	Factory rent and rates			
	iii	Factory Insurance			
	iv	Factory fuel and power			
	v	Factory general expenses			
	vi	Depreciation of factory machinery			
	vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			Evii
F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)				1F
2	Closing Stock				
	i	Raw material	2i		
	ii	Work-in-progress	2ii		
	Total (2i + 2ii)				2
3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)				3

Part A- Trading Account for the financial year 2022-23 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations					
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)					
		i	Sale of goods	i			
		ii	Sale of services	ii			
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)				
		a		iiia			
		b		iiib			
		c	Total (iiia + iiib)	iiic			
		iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv	
		B	Gross receipts from Profession				B
		C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied				
		i	Union Excise duties	i			
		ii	Service tax	ii			
		iii	VAT/ Sales tax	iii			
		iv	Central Goods and Service Tax (CGST)	iv			
	v	State Goods and Services Tax (SGST)	v				
	vi	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	vi				
	vii	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	vii				

	viii	Any other duty, tax and cess	viii		
	ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			Cix
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)			4D
5		Closing Stock of Finished Goods			5
6		Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6
7		Opening Stock of Finished Goods			7
8		Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8
9		Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9
	i	Carriage inward	i		
	ii	Power and fuel	ii		
	iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii		
10		Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
	i	Custom duty	10i		
	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
	iv	Union excise duty	10iv		
	v	Service tax	10v		
	vi	VAT/ Sales tax	10vi		
	vii	Central Goods and Service Tax (CGST)	10vii		
	viii	State Goods and Services Tax (SGST)	10viii		
	ix	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	10ix		
	x	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	10x		
	xi	Any other tax, paid or payable	10xi		
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii
11		Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account			11
12		Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)			12
12a		Turnover from Intraday Trading			12a
12b		Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account			12b

Part A-P and L
Ind-AS

Profit and Loss Account for the financial year 2022-23 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b)			
	14	Other income			
		i	Rent	i	
		ii	Commission	ii	
		iii	Dividend income	iii	
		iv	Interest income	iv	
	v	Profit on sale of fixed assets	v		

	vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
	vii	Profit on sale of other investment	vii		
	viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
	ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
	x	Agricultural income	x		
	xi	Any other income (<i>specify nature and amount</i>)			
	a		xia		
	b		xib		
	c	Total (xia + xib)	xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)		14xii	
15		Total of credits to profit and loss account (13+14xii)		15	
16		Freight outward		16	
17		Consumption of stores and spare parts		17	
18		Power and fuel		18	
19		Rents		19	
20		Repairs to building		20	
21		Repairs to machinery		21	
22		Compensation to employees			
	i	Salaries and wages	22i		
	ii	Bonus	22ii		
	iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
	iv	Leave encashment	22iv		
	v	Leave travel benefits	22v		
	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
	ix	Contribution to any other fund	22ix		
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)		22xi	
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiiia	Yes / No	
		If Yes, amount paid to non-residents	xiiib		
23		Insurance			
	i	Medical Insurance	23i		
	ii	Life Insurance	23ii		
	iii	Keyman's Insurance	23iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	

24	Workmen and staff welfare expenses		24	
25	Entertainment		25	
26	Hospitality		26	
27	Conference		27	
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)		28	
29	Advertisement		29	
30	Commission			
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident, other than a company or a foreign company	i	
	ii	To others	ii	
	iii	Total (i + ii)	30iii	
31	Royalty			
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident, other than a company or a foreign company	i	
	ii	To others	ii	
	iii	Total (i + ii)	31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services			
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident, other than a company or a foreign company	i	
	ii	To others	ii	
	iii	Total (i + ii)	32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging		33	
34	Traveling expenses other than on foreign traveling		34	
35	Foreign travelling expenses		35	
36	Conveyance expenses		36	
37	Telephone expenses		37	
38	Guest House expenses		38	
39	Club expenses		39	
40	Festival celebration expenses		40	
41	Scholarship		41	
42	Gift		42	
43	Donation		43	
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)			
	i	Union excise duty	44i	
	ii	Service tax	44ii	
	iii	VAT/ Sales tax	44iii	
	iv	Cess	44iv	
	v	Central Goods and Service Tax (CGST)	44v	
	vi	State Goods and Services Tax (SGST)	44vi	
	vii	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	44vii	
	viii	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	44viii	
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix	

	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)											44x			
	45	Audit fee											45			
	46	Other expenses (specify nature and amount)														
	i												i			
	ii												ii			
	iii	Total (i + ii)											46iii			
	47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)														
	(i1)														47(i1)	
	(i2)														47i(2)	
	(i3)														47i(3)	
		(Rows can be added as required) Total (47i1+47i2+47i3)											47i			
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)											47ii			
	S.No.	Name	Flat Door/Block No	Name of Premises/Building/Village	Road/Street/Post Office	Area/Locality	Town/City/District	State	Country	PIN Code	ZIP Code	Amount				
	I															
		Rows can be added as required														
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)											47iii			
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)											47iv			
	48	Provision for bad and doubtful debts											48			
	49	Other provisions											49			
	50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]											50			
	51	Interest														
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company											i			
	ii	To others											ii			
	iii	Total (i + ii)											51iii			
	52	Depreciation and amortisation											52			
	53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)											53			
	54	Provision for current tax											54			
	55	Provision for Deferred Tax											55			
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)											56			
	57	Balance brought forward from previous year											57			
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)											58			
	59	Appropriations														
	i	Transfer to reserves and surplus											59i			
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend											59ii			
	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years											59iii			

PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS

	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of the Companies Act, 2013)	59iv			
	v	Any other appropriation	59v			
	vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi			
60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)				60	
61	A Items that will not be reclassified to P and L					
	i	Changes in revaluation surplus	i			
	ii	Re-measurements of the defined benefit plans	ii			
	iii	Equity instruments through OCI	iii			
	iv	Fair value Changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at FVTPL	iv			
	v	Share of Other comprehensive income in associates and joint ventures, to the extent not to be classified to P and L	v			
	vi	Others (Specify nature)	vi			
	vii	Income tax relating to items that will not be reclassified to P and L	vii			
	viii	Total			61A	
	B Items that will be reclassified to P and L					
	i	Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation	i			
	ii	Debt instruments through OCI	ii			
	iii	The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge	iii			
	iv	Share of OCI in associates and joint ventures to the extent to be classified into P and L	iv			
	v	Others (Specify nature)	v			
	vi	Income tax relating to items that will be reclassified to P and L	vi			
	vii	Total			61B	
62	Total Comprehensive Income (56 + 61A + 61B)				62	

Part A- OI		Other Information (mandatory, if liable for audit under section 44AB, for other fill, if applicable)			
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash			
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]		3a	
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]		3b	
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year (optional in case of professionals)			
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)			<input type="checkbox"/>
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)			<input type="checkbox"/>
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A			4d	

	e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e	
5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -			
	a	the items falling within the scope of section 28	5a	
	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c	
	d	any other item of income	5d	
	e	capital receipt, if any	5e	
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f	
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-			
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iii a)]	6e	
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g	
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h	
	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i	
	j	Amount of contributions to any other fund	6j	
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k	
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l	
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(vii a)]	6m	
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n	
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o	
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p	
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q	
	r	Any other disallowance	6r	
	s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)	6s	

	t	Total number of employees employed by the company (<i>mandatory in case company has recognised Provident Fund</i>)		
	i	deployed in India	i	
	ii	deployed outside India	ii	
	iii	Total	iii	
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37			
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a	
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b	
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c	
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d	
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e	
	f	Any other penalty or fine	7f	
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g	
	h	Expenditure incurred on corporate social responsibility (CSR)	7h	
	i	Amount of any liability of a contingent nature	7i	
	j	Any other amount not allowable under section 37	7j	
	k	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7j)		
8	A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa	
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab	
	c	Amount disallowable under section 40(a)(ib) on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac	
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad	
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae	
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)]	Af	
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag	
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/ 40(ba)]	Ah	
	i	Any other disallowance	Ai	
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)		
B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year			8B
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A			
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a	
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b	

	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	e	Any other disallowance	9e		
	f	Total amount disallowable under section 40A (Total of 9a to 9e)		9f	
10		Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	10da		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)		10h	
11		Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	da	any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		

	f	Any sum payable towards leave encashment	11f			
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g			
	h	Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11g)	11h			
	12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				
	a	Union Excise Duty	12a			
	b	Service tax	12b			
	c	VAT/sales tax	12c			
	d	Central Goods and Service Tax (CGST)	12d			
	e	State Goods and Services Tax (SGST)	12e			
	f	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	12f			
g	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	12g				
h	Any other tax	12h				
i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)			12i		
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC			13		
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41			14		
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)			15		
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A			16		
17	Whether assessee is exercising option under sub-section (2A) of section 92CE (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [If yes , please fill schedule TPSA]			17		

Part A – QD		Quantitative details (mandatory, if liable for audit under section 44AB)			
QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern			
	1	Opening stock	1		
	2	Purchase during the previous year	2		
	3	Sales during the previous year	3		
	4	Closing stock	4		
	5	Shortage/ excess, if any	5		
	(b)	In the case of a manufacturing concern			
	6	Raw materials			
	a	Opening stock	6a		
	b	Purchases during the previous year	6b		
	c	Consumption during the previous year	6c		
	d	Sales during the previous year	6d		
	e	Closing stock	6e		
	f	Yield finished products	6f		
	g	Percentage of yield	6g		
	h	Shortage/ excess, if any	6h		
	7	Finished products/ By-products			
	a	opening stock	7a		
	b	purchase during the previous year	7b		
	c	quantity manufactured during the previous year	7c		
d	sales during the previous year	7d			
e	closing stock	7e			

		f	shortage/ excess, if any	7f	
--	--	---	--------------------------	----	--

Part A – OL		Receipt and payment account of company under liquidation			
Receipt and payment account of company under liquidation	1	Opening balance			
	i	Cash in hand	1i		
	ii	Bank	1ii		
	iii	Total opening balance	1iii		
	2	Receipts			
	i	Interest	2i		
	ii	Dividend	2ii		
	iii	Sale of assets (pls. specify nature and amount)			
	a		2iiia		
	b		2iiib		
	c		2iiic		
	d	Total (iiia + iiib + iiic)		2iiid	
	iv	Realisation of dues/debtors		2iv	
	v	Others (pls. specify whether revenue/capital, nature and amount)			
	a		2va		
	b		2vb		
	c	Total of other receipts (va + vb)		2vc	
	vi	Total receipts (2i + 2ii + 2iiid + 2iv + 2vc)			2vi
	3	Total of opening balance and receipts			3
	4	Payments			
	i	Repayment of secured loan		4i	
	ii	Repayment of unsecured loan		4ii	
	iii	Repayment to creditors		4iii	
	iv	Commission		4iv	
	v	Others (pls. specify)			
	a		4va		
	b		4vb		
	c	Total of other payments (4va + 4vb)		4vc	
vi	Total payments (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc)			4vi	
5	Closing balance				
i	Cash in hand		5i		
ii	Bank		5ii		
iii	Total of closing balance (5i + 5ii)		5iii		
6	Total of closing balance and payments (4vi + 5iii)			6	

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)											
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1				Town/ City			State	Country	PIN Code / Zip Code		
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)												
	Assessee's percentage of share in the property %												
	Name of Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)			Percentage Share in Property					
	I												
	II												
	[Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see Note)			PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) if TDS credit is claimed					
	<input type="checkbox"/> Let out		I										
	<input type="checkbox"/> Deemed let out		II										
	a	Gross rent received or receivable or lettable value							1a				
	b	The amount of rent which cannot be realized			1b								
	c	Tax paid to local authorities			1c								
	d	Total (1b + 1c)			1d								
	e	Annual value (1a – 1d)							1e				
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)							1f				
	g	30% of 1f			1g								
	h	Interest payable on borrowed capital			1h								
	i	Total (1g + 1h)							1i				
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%							1j				
	k	Income from house property 1 (1f – 1i+1j)							1k				
2	Address of property 2				Town/ City			State	Country	PIN Code/Zip code			
Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)													
Assessee's percentage of share in the property													
Name of Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)			Percentage Share in Property						
I													
II													
[Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)			PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) if TDS credit is claimed						
<input type="checkbox"/> Let out		I											
<input type="checkbox"/> Deemed let out		II											
a	Gross rent received or receivable/ lettable value <i>(higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)</i>							2a					
b	The amount of rent which cannot be realized			2b									
c	Tax paid to local authorities			2c									

d	Total (2b + 2c)	2d		
e	Annual value (2a – 2d)		2e	
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)		2f	
g	30% of 2f	2g		
h	Interest payable on borrowed capital	2h		
i	Total (2g + 2h)		2i	
j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%		2j	
k	Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)		2k	
3	Pass through income/loss if any *		3	
4	Income under the head "Income from house property" (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)		4	
NOTE▶	Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB.			
	Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.			

Schedule BP		Computation of income from business or profession			
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business			
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53 61(ii) and 62(b) of Part A-P&L) / (item 53 of Part A-P and L – Ind AS) (as applicable)		1	
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	2a		
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	2b		
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH	a	House property	3a
			b	Capital gains	3b
			c	Other sources	3c
			ci	Dividend income	3ci
			cii	other than Dividend income	3cii
			d	u/s 115BBF	3d
	e	u/s 115BBG	3e		
	f	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)	3f	(Item No. A of Schedule VDA)	
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44B/44BB/44BBA/44BBB/44AE/44D/44DA//Chapter-XII-G/First Schedule of Income-tax Act (other than 115B) (Dropdown to be provided)		4a	
	4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B		4b	
	4c	Profit from activities covered under rules 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)		4c	
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt				
a	Share of income from firm(s)	5a			
b	Share of income from AOP/ BOI	5b			

	c	Any other exempt income (specify nature and amount)				
		i		ci		
		ii		cii		
		iii	Total (ci + cii)	5ciii		
	d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)		5d		
6	Balance (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 3f-4- 5d)					6
7		Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG	A	House property	7a	
			B	Capital gains	7b	
			C	Other sources	7c	
			D	u/s 115BBF	7d	
			E	u/s 115BBG	7e	
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income				8a	
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)				8b	
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8a+8b)				9	
10	Adjusted profit or loss (6+9)					10
11	Depreciation and amortization debited to profit and loss account					11
12	Depreciation allowable under Income-tax Act					
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (item 6 of Schedule-DEP)			12i	
		Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)			12ii	
		Total (12i + 12ii)			12iii	
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 - 12iii)				13	
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6s of Part A-OI)				14	
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7k of Part A-OI)				15	
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)				16	
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of Part A-OI)				17	
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI)				18	
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006				19	
20	Deemed income under section 41\				20	
21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA				21	
22	Deemed income under section 43CA				22	
23	Any other item of addition under section 28 to 44DB				23	
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner)				24	

25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)	25		
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)	26		
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27		
28	Amount allowable as deduction under section 32AC	28		
29	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	29		
30	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)	30		
31	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10h of Part A-OI)	31		
32	Any other amount allowable as deduction	32		
33	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	33		
34	Total (27+28+29+30+31+32+33)	34		
35	Income (13+26-34)	35		
36	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i Section 44AE (61(ii) of schedule P&L)	36i		
	ii Section 44B	36ii		
	iii Section 44BB	36iii		
	iv Section 44BBA	36iv		
	v Section 44BBB	36v		
	vi Section 44D	36vi		
	vii Section 44DA	36vii	(item 4 of Form 3CE)	
	viii Chapter-XII-G (tonnage)	36viii	(total of col. 7 of item 10 of Form 66)	
	ix First Schedule of Income-tax Act (other than 115B)	36ix		
	x Total (36i to 36ix)	36x		
37	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (36+36x)	37		
38	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rules 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item F) (38a+ 38b + 38c + 38d + 38e + 38f)	38		
	a Income chargeable under rule 7	38a		
	b Deemed income chargeable under rule 7A	38b		
	c Deemed income chargeable under rule 7B(1)	38c		
	d Deemed income chargeable under rule 7B(1A)	38d		
	e Deemed income chargeable under rule 8	38e		
	f Income other than rules 7A, 7B and 8 (Item No. 37)	38f		
39	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-39 (38a+38b+38c+38d+38e)]	39		

B	Computation of income from speculative business		
40	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account	40	
41	Additions in accordance with sections 28 to 44DB	41	
42	Deductions in accordance with sections 28 to 44DB	42	
43	Income from speculative business) (40+41-42) (if loss, take the figure to 6xvi of schedule CFL)	B43	
C	Computation of income from specified business under section 35AD		
44	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account	44	
45	Additions in accordance with section 28s to 44DB	45	
46	Deductions in accordance with sections 28 to 44DB (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)	46	
47	Profit or loss from specified business (44+45-46)	47	
48	Deductions in accordance with section 35AD(1)	48	
49	Income from Specified Business) (47-48) (if loss, take the figure to 7xvi of schedule CFL)	C49	
50	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	C50	
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38+B43+C49)		

E	Intra head set off of business loss of current year				
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive) (1)	Business loss set off (2)	Business income remaining after set off (3) = (1) - (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is		(A38)	
	ii	Income from speculative	(B43)		
	iii	Income from specified	(C49)		
	iv	Income from Life Insurance business u/s. 115B	(4b)		
	v	Total loss set off (ii + iii)			
	vi	Loss remaining after set off (i - v)			

Schedule DPM Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	Written down value on the first day of previous year				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)				
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
	8	Consideration or other realisations during the year out of 7				
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative)				
10	Depreciation on 6 at full rate					

11	Depreciation on 9 at half rate				
12	Additional depreciation, if any, on 4				
13	Additional depreciation, if any, on 7				
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days				
15	Total depreciation (10+11+12+13+14)				
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)				
17	Net aggregate depreciation (15-16)				
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only, if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0, if result is negative)				

Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
		Nil	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	Written down value on the first day of previous year							
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							

15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than on assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)						
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery						
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c					
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d					
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d)					1e	
	2	Building (not including land)						
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a					
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c					
	d	Total depreciation on building (2a+2b+2c)					2d	
	3	Furniture and fittings(Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)					3	
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)					4	
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)					5	
6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)					6		

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets						
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery						
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c					
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1d					
	e	Total (1a +1b + 1c+1e)					1e	

2	Building (not including land)			
a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a		
b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
d	Total (2a + 2b + 2c)			2d
3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)			3
4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)			4
5	Ships (Schedule DOA- 17vii)			5
6	Total (1e+2d+3+4+5)			6

Schedule ESR		Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)		
Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
x	Total			
NOTE		In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.		

Schedule CG		Capital Gains			
A		Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 and 5 are not applicable for residents)			
CAPITAL GAINS	Short-term Capital Gains	1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of capital gain)			
		Date of purchase/acquisition	DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY
		a	i	Full value of consideration received/receivable	ai
			ii	Value of property as per stamp valuation authority	aii
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]	aiii
		b	Deductions under section 48		
			i	Cost of acquisition without indexation	bi
			ii	Cost of Improvement without indexation	bii
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii
			iv	Total (bi + bii + biii)	biv
c	Balance (aiii – biv)		1c		

		d Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)		1d				
		e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)				A1e		
		F In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)						
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	
		NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.						
		2 From slump sale						
		A	i	Fair market value as per rule 11UAE(2)	2ai			
			ii	Fair market value as per rule 11UAE(3)	2aii			
			iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)	2aiii			
		B	Net worth of the under taking or division			2b		
		C	Short-term capital gains from slump sale (2aiii-2b)				A2c	
		3 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII)						
		a	Full value of consideration			3a		
		b	Deductions under section 48					
			i	Cost of acquisition without indexation	bi			
			ii	Cost of Improvement without indexation	bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
			iv	Total (i + ii + iii)	biv			
		c	Balance (3a – biv)			3c		
		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			3d		
		e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)				A3e	
		4 For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)						
		a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid				A4a	
		b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid				A4b	
		5 For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD						
		a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii			

	iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (i + ii + iii)	biv		
	c	Balance (5aiii – biv)	5c		
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)	5d		
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)		A5e	
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above				
A	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
	ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii		
	iii	Total (ic + ii)	aiii		
B	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of Improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (i + ii + iii)	biv		
C	Balance (6aiii – biv)		6c		
D	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		6d		
E	Deemed Short-term capital gains on depreciable assets (6 of schedule-DCG)		6e		
F	Deduction under section 54D/54G/54GA		6f		
G	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)			A6g	
7	Amount deemed to be Short-term capital gains				
a	Whether any amount of unutilised capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below				
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilised in Capital gains account (X)
				Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account

	i	2019-20	54D/54G/54GA										
	b	Amount deemed to be Short-term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'											
		Amount deemed to be Short-term capital gains (Xi + b)										A7	
8		Pass Through Income/Loss in the nature of Short-term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)										A8	
	a	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-term Capital Gain, chargeable @ 15%										A8a	
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-term Capital Gain, chargeable @ 30%										A8b	
	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-term Capital Gain, chargeable at applicable rates										A8c	
9		Amount of STCG included in A1 – A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA											
		Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		I											
		II											
	a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA										A9a	
	b	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA										A9b	
10		Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a)										A10	
B		Long-term capital gain (LTCC) (Sub-items 6, 7 and 8 are not applicable for residents)											
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)											
		Date of purchase/acquisition	DD/MM/YYYY			Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY						
	a	i	Full value of consideration received/receivable							ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority							aii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]							aiii			
	b	Deductions under section 48											
		i	Cost of acquisition							bi			
		ii	Cost of acquisition with indexation							biia			
		iiib	Total Cost of Improvement with indexation							biib			
			(a) Cost of improvement										
			(b) Year of improvement										
			(c) Cost of Improvement with indexation										
			Add row										
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							biii			
		iv	Total (biia + biib + biii)							bvi			
	c	Balance (aiii – biv)										1c	
	d	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)										1d	
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)										B1e	

f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	
	NOTE ▶ Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
2	From slump sale							
a	i	Fair market value as per rule 11UAE(2)			2ai			
	ii	Fair market value as per rule 11UAE(3)			2aii			
	iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)			2aiii			
	b	Net worth of the under taking or division			2b			
	c	Balance (2aiii – 2b)			2c			
d	Deduction u/s 54EC			2d				
e	Long-term capital gains from slump sale (2c-2d)						B2e	
3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)							
a	Full value of consideration			3a				
b	Deductions under section 48							
i	Cost of acquisition without indexation			bi				
	Cost of improvement without indexation			bii				
	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii				
iv	Total (bi + bii + biii)			biv				
c	LTCG on bonds or debenture - (3a-biv)						B3c	
4	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable							
a	Full value of consideration			4a				
b	Deductions under section 48							
i	Cost of acquisition without indexation			bi				
	Cost of improvement without indexation			bii				
	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii				
iv	Total (bi + bii + biii)			biv				
c	Long-term Capital Gains on assets at B4 (4a – biv)						4c	
5	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A							
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5(Column 14 of schedule 112A)						B5	
6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)							
	LTCG computed without indexation benefit						B6	
7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per section 112(1)(c), (ii) units referred in section 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in section 115AC, (iv) securities by FII as referred to in section 115AD							
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						

		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii			
		iii	Total (ic + ii)	aiii			
		b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi			
		ii	Cost of improvement without indexation	bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv			
		c	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv)		B7c		
8		For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
		Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 (Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso)				B8	
9		From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable					
		a	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		i					
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii			
		iii	Total (ic + ii)	aiii			
		b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition with indexation	bi			
		ii	Cost of improvement with indexation	bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv			
		c	Balance (aiii – biv)	9c			
		d	Deduction under section 54D/54G/54GA (Specify details in item D9d below)	9d			
		e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c- 9d)		B9e		
10		Amount deemed to be long-term capital gains					
		a	Whether any amount of unutilised capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below				
	S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	Amount not used for new asset or remained unutilised in Capital gains account (X)	
	i	2019-20	54D/54G/54GA				

11	b		Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'								
			Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + b)							B10	
			Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+11a2 + B11b)							B11	
	a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A							B11a1		
	a2	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than 112A							B11a2		
	b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 20%							B11b		
	12		Amount of LTCG included in items B1 to B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA								
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name and Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty of (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
a		Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA							B12a		
b		Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA							B12b		
13		Total long-term capital gain] [B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8+ B9e+ B10+B11-12a]							B13		
C1		Sum of Capital Gain Incomes (9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii of table E below)							C1		
C2		Income from transfer of virtual digital assets (Item No. B of Schedule VDA)							C2		
C3		Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)							C3		
D		Information about deduction claimed against Capital Gains									
1		In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details									
a		Deduction claimed u/s 54D									
i		Date of acquisition of original asset					ai	dd/mm/yyyy			
ii		Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking					aii				
iii		Date of purchase of new land or building					aiii	dd/mm/yyyy			
iv		Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					aiv				
v		Amount of deduction claimed					av				
b		Deduction claimed u/s 54EC									
i		Date of transfer of original asset					bi	dd/mm/yyyy			
ii		Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)					bii				
iii		Date of investment					biii	dd/mm/yyyy			
iv		Amount of deduction claimed					biv				
c		Deduction claimed u/s 54G									
i		Date of transfer of original asset					ci	dd/mm/yyyy			
ii		Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset					cii				

The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.						
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.						
F Information about accrual/receipt of capital gain						
	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% <i>Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.</i>					
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.</i>					
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.</i>					
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.</i>					
5	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.</i>					
6	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.</i>					
7	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 5xii of schedule BFLA, if any.</i>					
8	Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 15B of schedule SI, if any</i>					

Schedule 112A		From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A													
S. No.	Share/Unit Acquired	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share/Unit	Full Value Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) - If shares are Acquired after 31st January, 2018 - Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition without indexation (higher of 8 or 9)	Cost of acquisition	If the Long-term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 11 and 6	Fair Market Value per share/unit as on 31st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2) (ac)-(4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) - Item 5 of LTCG Schedule of ITR 6	
(Col. 1)	(Col. 1a)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)	(Col. 8)	(Col. 9)	(Col. 10)	(Col. 11)	(Col. 12)	(Col. 13)	(Col. 14)	
1															
2															
Add rows															
Total															

Schedule 115AD(1)(b)(iii)-Proviso		From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A													
S. No.	Share/Unit Acquired	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share/Unit	Full Value Consideration -If shares are acquired on or before 31 st day of January, 2018 (Total Sale Value) (4*5) -If shares are Acquired after 31st	Cost of acquisition without indexation (higher of 8 or 9)	Cost of acquisition	If the Long-term capital asset was acquired before 1 st day of February, 2018, - Lower of 11 and 6	Fair Market Value per share/unit as on 31 st day of January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2) (ac)-(4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) - Item 8 of LTCG Schedule of ITR 6	

							January 2018 - Please enter Full Value of Consideration.								
(Col. 1)	(Col. 1a)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)	(Col. 8)	(Col. 9)	(Col. 10)	(Col. 11)	(Col. 12)	(Col. 13)	(Col. 14)	
Add rows															
Total															

Schedule VDA		Income from transfer of Virtual Digital Assets				
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
C. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. 3f of Schedule BP)
D. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from other sources				
OTHER SOURCES	I	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				I
	a	Dividends, Gross			1a	
	i	Dividend income other than (ii)			ai	
	ii	Dividend income u/s 2(22)(e)			aii	
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv)			1b	
	i	From Savings Bank		bi		
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society)		bii		
	iii	From Income-tax Refund		biii		
	iv	In the nature of Pass through income/Loss		biv		
	v	Others		bv		
c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			1c		
d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax			1d		
	(ai + aii + aiii + biv + bv)					
i	Aggregate value of sum of money received without consideration			di		
ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property			dii		
iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration			diii		
iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property			diiiv		

	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	Dv		
	Ie	Any other income (please specify nature)			
	Sl. No	Nature		Amount	
	1		1		
		Add rows			
2		Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl.no.1)		2	
	a	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc.	2a		
	b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)	2b		
	i	Cash credits u/s 68	bi		
	ii	Unexplained investments u/s 69	bii		
	iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii		
	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv		
	v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv		
	vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi		
	c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxviii)	2c		
	i	Dividends received by foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)			
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)			
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)			
	iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%			
	v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 4%			
	vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)			
	vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)			
	viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)			
	ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115(1)(b)(B)			
	x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC			
	xi	Income by way of dividend from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC			
	xii	Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1)			
	xiii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)			
	xiv	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)			
	xv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA			
	xvi	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC			
	xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF			
	xviii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG			
	xix	Income from royalty where agreement entered between 31.3.1961 to 31.3.1976 and income from fees for technical services where agreement entered between 29.2.1964 and 31.3.1976, and agreement is approved by the Central Government. Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act			
	xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)			

	5	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a FII u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTL Income)						
	6	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a specified fund u/s 115AD(1)(i) @ 10% (Including PTL Income)						
	7	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of current year losses					
Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Loss (other than from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
		1	2	3	4	5=1-2-3-4	
i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative)		(4 of Schedule - HP)	(2vi of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)		
ii	House property	(4 of Schedule HP)					
iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B speculation income and income from specified business)	(A38 of Schedule BP)					
iv	Income from life insurance business u/s 115B	(3iv of item E of Sch. BP)					
v	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)					
vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)					
vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of Schedule CG)					
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of Schedule CG)					
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of Schedule CG)					
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of Schedule CG)					
xi	Long-term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of Schedule CG)					
xii	Long-term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of Schedule CG)					
xiii	Long-term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of schedule CG)					
xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)					

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT

xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2e of Schedule OS)				
xvii	Total loss set off					
xviii	Loss remaining after set-off (i – xvii)					

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years				
Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3	4	5
i	House property	(5ii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
ii	Business (excluding Income from Insurance Business, speculation income and income from specified business)	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iii	Profit and gains from life insurance business u/s 115B	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Long-term capital gain taxable @ 20%	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Long-term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of Schedule CYLA)				
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of Schedule CYLA)				

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT

xvi	Total of brought forward loss set off			
xvii	Current year's income remaining after set off Total of 5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii+5xiii+ 5xiv + 5xv)			

Schedule CFL		Details of Losses to be carried forward to future years										
S. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YY)	House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business			Loss from speculative business	Loss from specified business	Loss from life insurance business u/s 115B	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
				Brought forward business loss	Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA	Brought forward Business loss available for set off during the year						
1	2	3	4	5a	5b	5c=5a-5b	6	7	8	9	10	11
CARRY FORWARD OF LOSS	i	2010-11										
	ii	2011-12										
	iii	2012-13										
	iv	2013-14										
	v	2014-15										
	vi	2015-16										
	vii	2016-17										
	viii	2017-18										
	ix	2018-19										
	x	2019-20										
	xi	2020-21										
	xii	2021-22										
	xiii	2022-23										
xiv	Total of earlier year losses b/f											
xv	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2i of Schedule BFLA)	(2ii of Schedule BFLA)			(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)	(2iii of Schedule BFLA)			(2xiv of Schedule BFLA)
xvi	2023-24 (Current year losses)		(2xviii of Schedule CYLA)	(3xviii of Schedule CYLA)			(B43 of Schedule BP, if -ve)	(C49 of Schedule BP, if -ve)	4b of Schedule BP, (if -ve)	(2x+3x+4x+5x) of item E of Schedule CG)	(6x+7x+8x) of item E of Schedule CG	(8e of Schedule OS, if -ve)

	xvi i	Current year loss distributed among the unit-holder (Applicable for Investment fund only)								
	xvii i	Current year losses to be carried forward (xvi-xvii)								
	xix	Total loss Carried forward to future years (xiv-xv+xviii)								

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit	
Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)	
(i)	(ii)	(iii)	
I	Accounting Policies		
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)		
III	Construction Contracts		
IV	Revenue Recognition		
V	Tangible Fixed Assets		
VI	Changes in Foreign Exchange Rates		

VII	Government Grants	
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
IX	Borrowing Costs	
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)	
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)	

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA			
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone				
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)
	c	Total deduction under section 10AA (a+b)			

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G					
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit					
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
		i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		ii					
		iii					
		iv	Total				
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit					
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
		i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		ii					
		iii					
		iv	Total				

C Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit							
Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation			Eligible Amount of donation
i				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
ii							
iii							
iv	Total						
D Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit							
Name and address of donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible Amount of donation
i				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
ii							
iii							
iv	Total						
E Total donations (Aiv + Biv + Civ + Div)							

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development					
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
Total donation							

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]					
Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
iii	Total						

Schedule 80-IA		Deductions under section 80-IA				
DEDUCTION U/S 80-IA	a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
			a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
	b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
			b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
	c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant]	c1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
			c2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
	d	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1+ c2)				d

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB				
DEDUCTION U/S 80-IB	a	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
			a2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
	b	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
			b2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
	c	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
			c2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
	d	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
			d2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)	
	e	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to d2)				e

Schedule 80-IC or 80-IE		Deductions under section 80-IC or 80-IE			
DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
			a2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
			b2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttarakhand	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
			c1	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)

d Deduction in respect of undertaking located in North-East				
da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
		da2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
		db2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
		dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
		dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
		de2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
		df2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
		dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form No. 10CCB of the undertaking)
dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)			dh
e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)			e

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A					
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments					
	a	80G		b	80GGB		
	c	80GGA		d	80GGC		
	Total Deduction under Part B (a + b + c + d)						1
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes					
	e	80-IA	(d of Schedule 80-IA)	f	80-IAB		
	g	80-IAC		h	80-IB	(e of Schedule 80-IB)	
	i	80-IBA		j	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)	
	k	80JJA		l	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) + 5II of Annexure to Form 10DA]	

	m	80LA(1)	<i>(9 of Annexure to Form 10CCF)</i>	n	80LA(1A)	<i>(9 of Annexure to Form 10CCF)</i>		
	o	80M- Details of distribution of dividend as provided in e-filing utility		p	80-PA			
	Total Deduction under Part C (total of e to p)						2	
3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)						3	

Schedule SI		Income chargeable to tax at special rates [Please see instructions] for section and rate of tax]				
SI No	Section/Description	<input type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income		
				(i)	Tax thereon (ii)	
1	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	<i>(5vi of Schedule BFLA)</i>		
2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	<i>(part of 5vii of Schedule BFLA)</i>		
3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	<i>(part of 5x of Schedule BFLA)</i>		
4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	<i>(part of 5x of Schedule BFLA)</i>		
5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	<input type="checkbox"/>	10	<i>(part of 5x of Schedule BFLA)</i>		
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	<i>(part of 5x of Schedule BFLA)</i>		
7	115AD (LTCG for FII on securities)	<input type="checkbox"/>	10	<i>(part of 5x of Schedule BFLA)</i>		
8	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	<i>(5xi of Schedule BFLA)</i>		
9	112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso	<input type="checkbox"/>	10	<i>(5x) of Schedule BFLA)</i>		
10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		<i>(part of 5ix of Schedule BFLA)</i>		
11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		<i>(part of 5xii of Schedule BFLA)</i>		
12	115B (Profits and gains of life insurance business)	<input type="checkbox"/>	12.50	<i>(5iii of Schedule BFLA)</i>		
13a	115AC ((Income by way of interest received by non-resident from bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	<i>(part of 2cx of Schedule OS)</i>		
13b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident on GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	<i>(part of 2cxi of Schedule OS)</i>		
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	<i>(2a of Schedule OS)</i>		
15	115BBH- Tax on Income from Virtual Digital asset					
	A Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	30	<i>(3f of Schedule BP)</i>		
	B Income under head Capital Gain	<input type="checkbox"/>	30	<i>(C2 of Schedule CG)</i>		
16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	<i>(2b of Schedule OS)</i>		

SPECIAL RATES OF TAXATION

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)							
EXEMPT INCOME	1	Interest income					1		
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rules 7A, 7B or 8)			i			
		ii	Expenditure incurred on agriculture			ii			
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years			iii			
		iv	Agricultural income portion relating to rules 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 39 of Sch. BP)			iv			
		v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)						2
	vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)							
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
		b	Measurement of agricultural land in Acre						
		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)						
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)						
	3	Other exempt income (please specify) (3a+3b)					3		
a	Income u/s 10(23FB), 10(23FBA), 10(23FC), 10(23FCA), 10(23FE), 10(23FF), 10(4D) (Please provide details of Acknowledgement Number and Date of Form Filed if 10(23FF) and 10(4D) is claimed)			3a					
	Add row option and dropdown to be provided in utility								
b	Any other Income (Specify nature) – Add row option to be provided in utility			3b					
4	Income not chargeable to tax as per DTAA								
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)		
5	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)					5			
6	Total (1+2+3+4+5)					6			

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB									
PASS THROUGH INCOME	S.No	Invested in section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	S.No	Head of income	Current year income	Share of Current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	1.	(drop down to be provided)				i	House property				
						ii	Capital Gains				
						A	Short-term				
						Ai	Section 111A				
						Aii	Others				
						B	Long-term				
						Bi	Section				

							112A					
							Bii	Section other than 112A				
							iii	Other Sources				
							A	Dividend				
							B	Others				
							iv	Income claimed to be exempt				
							A	u/s 10(23FBB)				
							B	u/s				
							C	u/s				
	2.						i	House property				
							ii	Capital Gains				
							a	Short-term				
							ai	Section 111A				
							a ii	Others				
							b	Long-term				
							bi	Section 112A				
							b ii	Other than 112A				
							iii	Other Sources				
							a	Dividend				
							b	Others				
							iv	Income claimed to be exempt				
							a	u/s 10(23FBB)				
							b	u/s				
							c	u/s				
NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.												

Schedule MAT		Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB	
Minimum Alternate Tax	1	Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write 'Y', if no write 'N')	<input type="checkbox"/>
	2	If 1 is no, whether profit and loss account is prepared in accordance with the provisions of the Act governing such company (If yes, write 'Y', if no write 'N')	<input type="checkbox"/>
	3	Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write 'Y', if no write 'N')	<input type="checkbox"/>
	4	Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account (enter item 56 of Part A-4 P and L) / (enter item 56 of Part A- P&L Ind AS) (as applicable)	
	5	Additions (if debited in profit and loss account)	
	a	Income-tax paid or payable or its provision including the amount of deferred tax and the provision thereof	5a

b	Reserve (except reserve under section 33AC)	5b		
c	Provisions for unascertained liability	5c		
d	Provisions for losses of subsidiary companies	5d		
e	Dividend paid or proposed	5e		
f	Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	5f		
g	Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86	5g		
h	Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB	5h		
i	Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB	5i		
j	Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF	5j		
k	Depreciation attributable to revaluation of assets	5k		
l	Gain on transfer of units referred to in clause (k) of Explanation 1 to section 115JB	5l		
m	Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset)	5m		
n	Total additions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m)	5n		
6	Deductions			
a	Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account	6a		
b	Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	6b		
c	Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset	6c		
d	Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account	6d		
e	Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB	6e		
f	Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (iie) of Explanation 1 to section 115JB	6f		
g	Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of Explanation 1 to section 115JB	6g		
h	Income by way of royalty referred to in clause (iig) of Explanation 1 to section 115JB	6h		
i	Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less or both as may be applicable	6i		
j	Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses	6j		
k	Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c)	6k		
l	Total deductions (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k)	6l		

7	Book profit under section 115JB (4+ 5n – 6l)		7	
8	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards (Ind-AS) specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. If yes, furnish the details below:-	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	A. Additions to book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB			
a	Amounts credited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit and loss"	8a		
b	Amounts debited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8b		
c	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8c		
d	Others (including residual adjustment)	8d		
e	Total additions (8a + 8b + 8c + 8d)	8e		
	B. Deductions from book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB			
f	Amounts debited to other comprehensive income in statement of profit and loss under the head "items that will not be reclassified to profit and loss"	8f		
g	Amounts credited to the statement of profit and loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8g		
h	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8h		
i	Others (including residual adjustment)	8i		
j	Total deductions (8f + 8g + 8h + 8i)	8j		
9	Deemed total income under section 115JB (7 + 8e – 8j)	9		
a	Deemed total income u/s 115JB from Units located in IFSC, if any	9a		
b	Deemed total income u/s 115JB from other Units (9-9a)	9b		
10	Tax payable under section 115JB [9% of (9a)+ 15% of (9b)]		10	

Schedule MATC		Computation of tax credit under section 115JAA					
1	Tax under section 115JB in assessment year 2023-24 (1d of Part-B-TTI)					1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2023-24 (2f of Part-B-TTI)					2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3	
4	Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward]						
MAT CREDIT	S.No	Assessment Year	MAT Credit			MAT Credit Utilised during the Current Year	Balance MAT Credit Carried Forward
		(A)	Gross (B1)	Set-off in earlier years (B2)	Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1)	(C)	(D)= (B3) – (C)
	i	2008-09					
	ii	2009-10					
	iii	2010-11					

	iv	2011-12						
	v	2012-13						
	vi	2013-14						
	vii	2014-15						
	viii	2015-16						
	ix	2016-17						
	x	2017-18						
	xi	2018-19						
	xii	2019-20						
	xiii	2020-21						
	xiv	2021-22						
	xv	2022-23						
	xvi	2023-24[(SI no 1-SI no 2 of) -(SI No 6c -2f of Schedule Part B-TTI, only if positive)]						
	xvii	Total						
5	Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)xvii]						5	
6	Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)xvii]						6	

Schedule- BBS Details of tax on distributed income of a domestic company on buy back of shares

S 1	Description		Details of 1 st buy-back	Details of 2 nd buy- back	Details of 3 rd buy- back
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1		Date of payments of any consideration to the shareholder on buy back of share	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)
2		Amount of consideration paid by the company on buy-back of shares			
3		Amount received by the company for issue of such shares			
4		Distributed Income of the company (2 – 3)			
5	Tax payable on distributed income	a	Additional income-tax @20% payable under section 115QA on 4		
		b	Surcharge on 'a'		
		c	Health & Education cess on (a+b)		

		d	Total tax payable (a+b+c)				
6	Interest payable under section 115QB						
7	Additional income-tax and interest payable (5d + 6)						
8	Tax and interest paid						
9	Net payable/refundable (7-8)						
10	Date(s) of deposit of tax on distribution income			Date 1	Date 2	Date 1	Date 2
				(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)
11	Name of Bank and Branch						
12	BSR Code						
13	Serial number of challan						
14	Amount deposited						

Schedule-TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on (a+b)					
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1	Date 2	Date 3	Date 4	Date 5	Date 6
			(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
7	BSR Code							
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)							
Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A	
										(a)
1			i	House Property						
			ii	Business or Profession						
			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							
2			i	House Property						
			ii	Business or Profession						
			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							
NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.										

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3	
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4	Yes/No
	a	Amount of tax refunded		b	Assessment year in which tax relief allowed in India	
NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.						

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India										
A1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December, 2022											
ASSETS	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December, 2022												
Sl. No.	Country Name and code	Zip Cod e	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	2a	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December, 2022												
Sl No	Country Name and code	Zip Cod e	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st day of December, 2022 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution which the account is held on	Address in the Institution	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(i)									
(ii)									
G	Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession								
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return		
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule									

SCHEDULE SH-1	SHAREHOLDING OF UNLISTED COMPANY (other than a company that is registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (or section 25 of the Companies Act, 1956) or a company limited by guarantee under section 3(2) of Companies Act, 2013 or a start-up for which Schedule SH-2 is to be filled up)										
If you are an unlisted company, please furnish the following details:-											
Details of shareholding at the end of the previous year											
Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Date of allotment	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received			
Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year											
Name of the applicant	Residential status in India	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Date of application	Number of shares applied for	Application money received	Face value per share	Proposed issue price			
Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year											
Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received	Date of allotment	Date on which cease to be shareholder	Mode of cessation	In case of transfer/sale, PAN of the new shareholder

SCHEDULE SH-2	SHAREHOLDING OF START-UPS										
If you are a start-up which has filed declaration in Form-2 under para 5 of DPIIT notification dated 19.02.2019, please furnish the following details of shareholding:-											
Details of shareholding as at the end of the previous year											
Name of the shareholder	Category of shareholder (drop down to be provided-non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person)	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Date of allotment	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Paid up value per share	Share premium		
Details of share application money pending allotment as at the end of the previous year											

D Details of unlisted equity shares													
Name of company		PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
E Details of other securities													
Type of securities	Whether listed or unlisted	Opening balance		Securities acquired during the year					Securities transferred during the year		Closing balance		
		No. of securities	Cost of acquisition	No. of securities	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price of security (in case of fresh issue)	Purchase price per security (in case of purchase from existing holder)	No. of securities	Sale consideration	No. of securities	Cost of acquisition	
F Details of capital contribution to other entity													
Name of entity	PAN	Opening balance	Amount contributed during the year	Amount withdrawn during the year	Amount of profit/loss/dividend/interest debited or credited during the year	Closing balance							
G Details of Loans and Advances to any other concern (If money lending is not assessee's substantial business)													
Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest debited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)						
H Details of motor vehicle, aircraft, yacht or other mode of transport													
Particulars of asset	Registration number of vehicle	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)									
I Details of Jewellery, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion													
Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose of use (dropdown to be provided)									
J Details of liabilities													
Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution													

Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest credited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule AL-2 Assets and liabilities as at the end of the year (applicable for start-ups only)

If you are a start-up which has filed declaration in Form-2 under para 5 of DPIIT notification dated 19.02.2019, please furnish the following information for the period from the date of incorporation upto end of the year:-

DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A Details of building or land appurtenant there to, or both, being a residential house acquired since incorporation							
	Sl. No.	Address	Pin code	Date of acquisition	Cost of acquisition Rs.	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred on or before the end of the previous year, if Yes date of transfer	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	(i)							
	(ii)							
	B Details of land or building or both not being a residential house acquired since incorporation							
	Sl. No.	Address	Pin code	Date of acquisition	Cost of acquisition Rs.	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred on or before the end of the previous year, if Yes date of transfer	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	(i)							
	C Details of Loans and Advances made since incorporation (If lending of money is not assessee's substantial business)							
Name of person	PAN	Date on which loans and advances has been made	Amount of loans and advances	Amount	Whether loans and advances has been repaid, if Yes date of such repayment	Closing balance as at the end of the previous year, if any	Rate of interest, if any	
D Details of capital contribution made to any other entity since incorporation								
Name of entity	PAN	Date on which capital contribution has been made	Amount of contribution	Amount withdrawn, if any	Amount of profit/loss/dividend/ interest debited or credited	Closing balance as at the end of the previous year, if any		
E Details of acquisition of shares and securities								
Name of company/entity	PAN	Type of shares/securities	Number of shares/securities acquired	Cost of acquisition	Date of acquisition	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
F Details of motor vehicle, aircraft, yacht or other mode of transport, the actual cost of which exceeds ten lakh rupees acquired since incorporation								
Particulars of asset	Registration number of vehicle	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer			
G Details of Jewellery acquired since incorporation								

	Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
H	Details of archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion acquired since incorporation							
	Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
I	Details of liabilities							
	Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution							
	Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest credited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)
NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.								

Schedule GST		INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST		
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed	
	(1)	(2)	(3)	
NOTE ▶ Please furnish the information above for each GSTIN No. separately				

Schedule FD		Break-up of payments/receipts in Foreign currency (to be filled up by the assessee who is not liable to get accounts audited w/s 44AB)	
Foreign Transaction	Currency	S. No.	Amount (in Rs.)
		i	Payments made during the year on capital account
		ii	Payments made during the year on revenue account
		iii	Receipts during the year on capital account
		iv	Receipts during the year on revenue account
NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.			

Part B

Part B – TI		Computation of total income	
TOTAL INCOME	1	Income from house property (4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)	
	2	Profits and gains from business or profession	
	i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A 38 of Schedule BP) (enter nil if loss)	2i
	ii	Profits and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2ii

	iii	Profits and gains from specified business (3(iii) of Table E Schedule BP)(enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2iii		
	iv	Income chargeable to tax at special rates (3d, 3e, 3f & 4b of Table E of Schedule BP)	2iv		
	v	Total (2i + 2ii+2iii + 2iv)	2v		
3	Capital gains				
	a	Short-term			
	i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai		
	ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii		
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	aiii		
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv		
	v	Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	3av		
	b	Long-term			
	i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi		
	ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii		
	iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii		
	iv	Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	3biv		
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)	3c		
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	3d		
	e	Total capital gains (3c + 3d)	3e		
4	Income from other sources				
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a		
	b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b		
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c		
	d	Total (4a + 4b + 4c)	4d		
5	Total of head wise income (1 + 2v + 3e + 4d)				5
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)				6
7	Balance after set off current year losses (5 – 6) (Also total of (ii, iii, v to xv of column 5 of Schedule CYLA+4b+2iv)				7
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)				8
9	Gross Total income (7 – 8) (Also total of (i,ii,iv to xiv of column 5 of schedule BFLA+4b+2iv)				9
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9				10
11	Deductions under Chapter VI-A				
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto total of (i, ii, iv, v, viii, xiii, xiv) of column 5 of Schedule BFLA]	11a		
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A]	11b		
	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]	11c		

12	Deduction u/s 10AA (Total Sch. 10AA)	12	
13	Total income (9 - 11c - 12)	13	
14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of Schedule SI)	14	
15	Income chargeable to tax at normal rates (13 - 14)	15	
16	Net agricultural income(2v of Schedule EI)	16	
17	Losses of current year to be carried forward (total of xviii of Schedule CFL)	17	
18	Deemed total income under section 115JB (9 of Schedule MAT)	18	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income			
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax Payable on deemed total Income under section 115JB (10 of Schedule MAT)	1a	
		b	Surcharge on (a) above (if applicable)	1b	
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above	1c	
		d	Total Tax Payable u/s 115JB (1a+1b+1c)	1d	
	2	Tax payable on total income			
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a	
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b	
		c	Tax Payable on Total Income (2a + 2b)	2c	
		d	Surcharge		
		i	25% of 16(ii) of Schedule SI	2di	
				2g(ii)	
		ii	On [(2c) – (16(ii) of Schedule SI)]	2dii	
		iii	Total (i + ii)	2diii	
		e	Health and Education Cess @ 4% on (2c+2diii)	2e	
		f	Gross tax liability (2c+2diii+2e)	2f	
	3	Gross tax payable (higher of 1d and 2f)		3	
	4	Credit under section 115JAA of tax paid in earlier years (if 2f is more than 1d) (5 of Schedule MATC)		4	
	5	Tax payable after credit under section 115JAA [(3 - 4)]		5	
	6	Tax relief			
		a	Section 90/90A(2 of Schedule TR)	6a	
		b	Section 91(3 of Schedule TR)	6b	
		c	Total (6a + 6b)	6c	
	7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero if negative)		7	
	8	Interest and fee payable			
		a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a	
		b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b	
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c		
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d		
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)	8e		
9	Aggregate liability (7 + 8e)		9		

TAXES PAID	10	Taxes Paid			
	a	Advance Tax (from column 5 of 15A)	10a		
	b	TDS (total of column 9 of 15B)	10b		
	c	TCS (total of column 7 of 15C)	10c		
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)	10d		
	e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c + 10d)	10e		
	11	Amount payable (9 - 10e) (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)			11
	12	Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)			12
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)			
	(a)	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)			
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/>)
	i				
	ii				
	<p>Note:</p> <p>1) Minimum one account should be selected for refund credit</p> <p>2) In case of refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return</p> <p>Row can be added as required</p>				
	(b)	Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:			
	S. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN
	Row can be added as required				
	14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

15	TAX PAYMENTS				
A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax				
ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1) (2)		(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI				

B													
Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form No. 16 A issued or Form No. 16B/16C/16D furnished by Deductor(s)]													
SI No	TDS credit relating to self /other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor or/ PAN/aadhaar No. of Tenant / Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2022-23)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt /withdrawals offered		TDS credit being carried forward
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
						Income	TDS		Income	TD S	PAN/Aadhaar No.		
i													
NOTE ▶ Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI													

C												
Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]												
SI No	TCS credit relating to self /other person [other person as per rule 37i(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of Other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (TCS collected during the FY 2022-23)		TCS credit being claimed this Year			TCS credit being carried forward	
				Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of any other person as per rule 37i(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37i(1) (if applicable)			
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)		
									TCS	PAN		
i												
NOTE ▶ Please enter total of column (7)(i) in 10c of Part B-TTI												

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.				
I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction).				
I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)				
Date		Place		Sign here →

FORM ITR-V	<u>INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM</u>		Assessment Year 2023-24
	[Where the data of the Return of Income in Forms SAHAJ (ITR-1), ITR-2, ITR-3, SUGAM (ITR-4), ITR-5, ITR-7 filed but NOT verified electronically] (See rule 12)		
Name			
PAN		Form Number	
Filed u/s		e-Filing Acknowledgement Number	
VERIFICATION			
I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return which has been submitted by me vide acknowledgement number is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.			
I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____.			
Signature →			
Date of submission		Source IP address	
System Generated Barcode/QR Code			
Instructions:			
1. Please e- verify the electronically transmitted return data using Aadhaar OTP or Login to e-Filing account through Net-Banking login or EVC generated using Pre-Validated Bank Account/ Demat Account or EVC generated through Bank ATM. Alternately, you may send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITR-V to “Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500”, by SPEED POST ONLY.			
2. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner.			

The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail Id registered in the e-Filing account.

3. On successful verification, the return filing acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of completion of process of filing the return of Income
4. Please sign only in the box provided for signature. Signature anywhere else other than the box provided can render the ITR-V invalid.

“Please note that if the ITR-V is received beyond the time specified, from the date of uploading the data, the date of receipt of ITR-V will be taken as the date of filing of return and all provisions of the Act will apply accordingly.”

<u>INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT</u>		Assessment Year	
[Where the data of the Return of Income in Form SAHAJ (ITR-1), ITR-2, ITR-3, SUGAM (ITR-4), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified]		2023-24	
(See rule 12)			
PAN			
Name			
Address			
Status		Form Number	
Filed u/s		e-Filing Acknowledgement Number	
Taxable Income and Tax details	Current Year business loss, if any	1	
	Total Income		
	Book Profit under MAT, where applicable	2	
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable	3	
	Net tax payable	4	
	Interest and Fee Payable	5	
	Total tax, interest and Fee payable	6	
	Taxes Paid	7	
(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	8		
Accreted Income & Tax Detail	Accreted Income as per section 115TD	9	
	Additional Tax payable u/s 115TD	10	
	Interest payable u/s 115TE	11	
	Additional Tax and interest payable	12	
	Tax and interest paid	13	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (12-13)	14	

Income Tax Return electronically transmitted on DD-MM-YYYY 00:00:00 from IP address _____ and verified by _____ having PAN _____ on _____ using * paper ITR-Verification Form /Electronic Verification Code _____ generated through _____ mode
System Generated Barcode/QR Code

**Strike of whichever is not applicable*

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU.

[Notification No. 04/2023/F.No. 370142/51/2022-TPL]
RAMAN CHOPRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification GSR 769(E), dated the 7th October, 2022.